खण्ड-479, अंक-10
सोमवार, 21 ज्येष्ठ, शक संवत् 1934
(11 जून, 2012 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2012)

(खण्ड 479 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2012

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय				पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	...	...	...	1-6
प्रश्नोत्तर	...	...	...	7-61
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें	...	...	...	61-63
जनपद वाराणसी के रोहनिया विधान सभा के मण्डुवाडीह क्षेत्र में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	63
जनपद बांदा के सभी गेहूं क्रय केन्द्रों में बोरी की उपलब्धता न होने के कारण हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	63-64
कानपुर महानगर में श्रम विभाग के 70 प्रतिशत क्वार्टरों के किराया वसूली में भारी अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	64
सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा, हिमांचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सीमा क्षेत्र जो शिवालिक पर्वत के पास है खनन कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	64-65
विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में रेहटी उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर तैनात करने एवं दवायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	65
आगरा जनपद स्थित राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय को कृषि महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	65
जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज हाटा तहसील को मुख्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	65-66
विधान सभा रुदौली, फैजाबाद के अन्तर्गत घातक दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक आश्रितों को दुर्घटना बीमा तथा अन्य देय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	66
दुग्ध संघ, सुल्तानपुर में जांच के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	66-67
गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मेहनौन के ब्लाक मुजेहना अन्तर्गत बैजपुर के तालाबों पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	67
विधान सभा के तहसील मुख्यालय, रसड़ा एवं ब्लाक मुख्यालय, नगरा के बीच सब स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना			...	67
जनपद आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा फेज-3 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना		...	...	67-68
जनपद महोबा के पान उद्योग को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	...	...	...	68

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बलिया के जिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था, सीटी स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	68-69
जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास के तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	69
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	69-70
लोक सभा सचिवालय की भांति मिलने वाली सारी सुविधायें उत्तर प्रदेश विधान सभा को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	70-71
संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-385/ ग्यारह-9(I)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(77)-2012, दिनांक 19 मई, 2012 (सदन के पटल पर रखी गयी)	71
श्रीमती माधुरी वर्मा की व्यक्तिगत समस्या को अलग से सुने जाने का अनुरोध ...	71-72
श्री चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	72
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा को विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	72-73
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	73-78
बजट अनुदान एवं कटौती प्रस्ताव समेकित रूप से रखे जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का सुझाव	79
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक तथा रेशम विकास), अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (जारी)	69-142
प्रस्तुत बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा हेतु समय बढ़ाये जाने अथवा सीधे मतदान कराये जाने के संबंध में सुझाव	142-143

विषय	पृष्ठ-संख्या
वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या 11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 10-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक तथा रेशम विकास), अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 16-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास), अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य), अनुदान संख्या 15-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन), अनुदान संख्या 12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन), अनुदान संख्या 18-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	143-148
लोक निर्माण विभाग का बजट साहित्य प्राप्त न होने के संबंध में सदन का ध्यानाकर्षण (जारी)	148
नियम 56 का प्रहर समाप्त होने के उपरान्त भी उसकी सूचनाओं की जानकारी अभी तक प्राप्त न होने के संबंध में शिकायत	148-149
लोक निर्माण विभाग का बजट साहित्य प्राप्त न होने के संबंध में सदन का ध्यानाकर्षण	149
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	149-152
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित व स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों में अधीक्षक, रसोईया, कहार, स्वीपर, माली, चौकीदार, पुस्तकाध्यक्ष आदि पदों पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	152
जनपद जौनपुर की नगर पालिका शाहगंज की बढ़ती आबादी के अनुसार सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	152-154
दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवीन सम्बद्धता हेतु महाविद्यालयों को प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनबोध द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	154-155
जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में पश्चिमी गंडक नहर की विगत कई वर्षों से सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	155-158
जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां में आंधी/तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत् पोलों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य का स्थगन	158

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद क्षेत्रान्तर्गत (यू0पी0एस0आई0डी0सी0) औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास कुछ फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	158-160
जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज, विकास खण्ड भनवापुर के अन्तर्गत मण्डी समिति सहियापुर के परिसर में मार्केटिंग एजेन्सी के क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा गेहू तौल विलम्ब से कराने के सम्बन्ध में श्री कमाल यूसुफ मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)	161
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की नहरों में काफी समय से पानी न पहुंचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	161
जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में तथा नगर के अन्य क्षेत्रों में सीवर लाइनों के भंयकर रूप से जाम होने तथा प्रदूषित जलापूर्ति के कारण कई क्षेत्रों में डायरिया से लोगों के पीड़ित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	161-162
जनपद बहराइच के कैसरगंज के ग्राम गोडहिया में भू-लेख सर्वेक्षण के कारण किसानों को खतौनी और खसरा की नकल प्राप्त होने में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य	162
जनपद पीलीभीत ट्रान्स शारदा क्षेत्र में शारदा नदी से हो रहे कटान से तटबन्ध का निर्माण कराकर कतिपय गांवों को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	162-164
नत्थियां	165-177

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

सोमवार दिनांक 11 जून, 2012

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे
अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-404

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय मिश्र टेनी, श्री — लखीमपुर खीरी
6. अजय, श्री — वाराणसी
7. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
8. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
9. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
10. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
11. अजीमुलहक पहलवान, श्री — अम्बेडकर नगर
12. अताउररहमान, श्री — बरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
15. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
16. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
17. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
18. अनुप्रिया पटेल, सुश्री — वाराणसी
19. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
20. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
21. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
22. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
23. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
24. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
25. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
26. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
27. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
28. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
29. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
30. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
31. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
32. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
33. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
34. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीरनगर
35. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
36. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
37. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
38. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
39. अविनाश, श्री — सोनभद्र
40. अशफाक अली खां, श्री — ज्योतिबाफूले नगर
41. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
42. आनन्द सिंह कुंवर, श्री — गोण्डा
43. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
44. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
45. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
46. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
47. आशा किशोर, श्रीमती — छत्रपति शाहूजी महराज नगर
48. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
49. आशीष यादव, श्री — बदायूं
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
51. इकबाल, श्री — बिजनौर
52. इकबाल महमूद, श्री — भीमनगर
53. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ
54. इन्द्रजीत कोरी, श्री — कानपुर नगर
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री — कौशाम्बी
56. इन्द्रपाल सिंह, श्री — रमाबाईनगर
57. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती

58. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
59. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
60. उदयराज, श्री उन्नाव
61. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
62. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
63. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
64. उमा भारती, सुश्री महोबा
65. उमाशंकर, श्री बलिया
66. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
67. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
68. ओम कुमार, श्री बिजनौर
69. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
70. ओम प्रकाश 'बाबा' दुबे, श्री जौनपुर
71. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
72. कमाल अख्तर, श्री ज्योतिबाफूले नगर
73. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
74. करतार सिंह भड़ाना, श्री मुजफ्फरनगर
75. कलराज मिश्र, श्री लखनऊ
76. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब, श्री रामपुर
77. कामेश्वर, श्री देवरिया
78. काली चरन सुमन, श्री आगरा
79. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
80. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
81. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
82. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
83. केशव प्रसाद, श्री कौशाम्बी
84. कैलाश (कुशवाहा) मौर्या, श्री गाजीपुर
85. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
86. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
87. गंगा, श्री कुशीनगर
88. गजराज सिंह, श्री पंचशील नगर
89. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
90. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
91. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
92. गायत्री प्रसाद, श्री क्षत्रपति शाहूजी महराज नगर
93. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
94. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
95. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
96. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
97. गेंदा लाल चौधरी, श्री महामायानगर
98. गोमती यादव, श्री लखनऊ
99. गोरख पासवान श्री बलिया
100. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
101. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
102. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
103. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
104. जगतम्बा, श्री मिर्जापुर
105. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
106. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
107. जगपाल, श्री सहारनपुर
108. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
109. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
110. जफर आलम, श्री अलीगढ
111. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
112. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ
113. जमील अहमद कास्मी, श्री मुजफ्फरनगर
114. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
115. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
116. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
117. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
118. जाहीद बेग, श्री संत रविदास नगर (भदोही)
119. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
120. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
121. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
122. तसलीम, श्री बिजनौर
123. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
124. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
125. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
126. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
127. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
128. दलजीत सिंह, श्री बांदा
129. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
130. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
131. दीपक कुमार, श्री उन्नाव

132. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
133. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
134. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
135. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
136. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री महामायानगर
137. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
138. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
139. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
140. धर्मराज, श्री बाराबंकी
141. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
142. धर्मेश सिंह तोमर, श्री पंचशील नगर
143. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कांशीराम नगर
144. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
145. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
146. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
147. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
148. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
149. नागेन्द्र सिंह "मुन्ना यादव", श्री प्रतापगढ़
150. नारद राय, श्री बलिया
151. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
152. निरंजन ज्योति, साध्वी हमीरपुर
153. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
154. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
155. पंकज कुमार मलिक, श्री प्रबुद्धनगर
156. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
157. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
158. पिंकी सिंह, श्रीमती भीमनगर
159. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
160. पीतमराम, श्री पीलीभीत
161. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
162. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
163. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
164. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
165. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
166. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
167. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
168. प्रभुदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
169. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
170. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
171. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
172. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
173. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
174. फसीहा बशीर (गजाला लारी), चौधरी देवरिया
175. फेरन लाल, श्री ललितपुर
176. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
177. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
178. बदलू खां, श्री उन्नाव
179. बब्बन, श्री चन्दौली
180. बाबू खां, श्री हरदोई
181. बाबूलाल, श्री गोण्डा
182. बावन सिंह, श्री गोण्डा
183. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
184. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
185. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
186. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
187. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
188. बैजनाथ, श्री मऊ
189. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
190. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
191. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
192. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
193. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
194. भारतेन्द्र, कुंवर बिजनौर
195. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
196. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
197. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
198. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
199. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
200. मनबोध, श्री दवेरिया
201. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
202. मनीष रावत, श्री सीतापुर
203. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
204. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
205. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
206. ममतेश शाक्य, श्री काशीराम नगर
207. महबूब अली, श्री जे0पी0नगर
208. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई

209. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
210. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
211. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
212. महेश शर्मा डा0 गौतमबुद्धनगर
213. महेश नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
214. माइकल चन्द्रा, श्री जे0पी0नगर
215. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
216. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
217. मानपाल सिंह, श्री काशीराम नगर
218. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
219. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
220. मुकेश शर्मा, श्री बुलन्दशहर
221. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
222. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
223. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
224. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
225. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
226. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
227. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
228. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
229. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
230. मो0 आसिफ जाफरी, श्री कौशाम्बी
231. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
232. मो0 मुस्लिम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
233. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
234. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
235. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
236. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
237. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
238. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
239. यासर शाह, श्री बहराइच
240. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
241. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री रमाबाईनगर
242. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
243. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
244. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
245. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
246. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
247. रणजीत सुमन, श्री एटा
248. रमेश चन्द्र, श्री मिर्जापुर
249. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
250. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
251. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
252. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
253. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
254. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
255. रवि शर्मा, श्री झांसी
256. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
257. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
258. राकेश प्रताप सिंह, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
259. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
260. राघव लखनपाल, श्री सहारनपुर
261. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
262. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
263. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
264. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
265. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
266. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
267. राजाराम, श्री प्रतापगढ़
268. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
269. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
270. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
271. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
272. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
273. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
274. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
275. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
276. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
277. राधे श्याम, श्री छत्रपति शाहूजी महाराज नगर
278. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
279. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
280. राम करन आर्य, श्री बस्ती
281. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री भीमनगर

282. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
283. राम गोविन्द, श्री बलिया
284. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
285. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
286. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
287. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
288. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
289. राम मगन, श्री बाराबंकी
290. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
291. राममूर्ति सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
292. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
293. रामवीर उपाध्याय, श्री महामाया नगर
294. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
295. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
296. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
297. रामस्वरूप सिंह, श्री रमाबाई नगर
298. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
299. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
300. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
301. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
302. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
303. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
304. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
305. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
306. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती भीमनगर
307. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
308. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
309. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
310. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
311. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
312. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
313. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
314. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
315. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
316. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
317. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
318. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
319. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
320. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
321. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
322. विजय सिंह, श्री रामपुर
323. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
324. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
325. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
326. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
327. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
328. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
329. वीरपाल राठी, श्री बागपत
330. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
331. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
332. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
333. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
334. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
335. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
336. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
337. शमीमूल हक, श्री मुरादाबाद
338. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
339. शाकिर अली, श्री देवरिया
340. शारदा प्रताप शुक्ल, श्री लखनऊ
341. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
342. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
343. शिव कुमार बेरिया, श्री रमाबाई नगर
344. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
345. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
346. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
347. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
348. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
349. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
350. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
351. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
352. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
353. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
354. श्रीभगवान शर्मा, श्री बुलन्दशहर
355. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
356. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़

357. संजय कपूर, श्री रामपुर
358. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
359. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
360. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
361. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
362. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
363. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
364. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
365. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
366. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
367. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
368. सन्तराम, श्री जालौन
369. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
370. सर्वेश कुमार, कुंवर मुरादाबाद
371. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
372. सावित्री बाई फूले, सुश्री बहराइच
373. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
374. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
375. सियाराम सागर, डा0 बरेली
376. सीमा, श्रीमती जौनपुर
377. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
378. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
379. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
380. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
381. सुधाकर, श्री मऊ
382. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
383. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
384. सुनील कुमार लाल, श्री लखीमपुर खीरी
385. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
386. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
387. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
388. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
389. सुरेश राणा, श्री प्रबुद्धनगर
390. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
391. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
392. सुल्तान बेग, श्री बरेली
393. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
394. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
395. सैय्यद कासिम हसन, श्री फतेहपुर
396. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
397. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
398. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
399. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
400. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
401. हुकुम सिंह, श्री प्रबुद्धनगर
402. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
403. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत
404. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा

नोट :-राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन) तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव) भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

*1-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री सुरेश कुमार खन्ना तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में जाली नोटों पर अंकुश लगाने की योजना

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जाली नोटों के कारोबार में बेतहाशा वृद्धि हुई है ? क्या यह सही है कि बैंकों की गड्डिडयों में तथा ए0टी0एम0 मशीन से भी जाली नोट पाये जा रह हैं ? यदि हां, तो क्या इस पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह सही नहीं है कि प्रदेश में जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार में वृद्धि हुई है।

ए0टी0एम0 से जाली नोट पाये जाने के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

ए0टी0एम0 की प्रभावी सुरक्षा के सम्बन्ध में बैंक के अधिकारियों से विशेष सतर्कता बरतने का अनुरोध किया गया है तथा साथ ही नेपाल की सीमा से लगे बैंक के ए0टी0एम0 की सुरक्षा के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी सम्बन्धित जनपदों के पुलिस अधीक्षकों को दिये गये हैं।

जाली नोटों के प्रसार पर प्रभावी रोकथाम एवं अंकुश लगाने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी है, जिसमें पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ एस0बी0आई0, आई0बी0, कस्टम तथा प्रवर्तन विभाग के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं। बैठक में इसकी रोकथाम हेतु विचार विमर्श कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है।

इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों की समन्वय समिति बनाई गयी है जो प्रत्येक त्रैमास में गोष्ठी आयोजित कर जाली नोटों के अवैध कारोबार की रोकथाम हेतु समुचित कदम उठाती है।

रिजर्व बैंक के अधीनस्थ बैंकों में ग्राहकों द्वारा धन जमा करते समय व धन निकालते समय विशेष सतर्कता बरतने तथा नोट शार्टिंग मशीन व अल्ट्रा वाइलेट लैम्प आदि सभी छोटी बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है, फलस्वरूप समुचित निर्देश बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं को दे दिये गये हैं। ए0टी0एम0 में कैसेट स्वाइप कर पैसे डालने तथा मैनुअली न डालने का सुझाव आर0बी0आई0 को बैठकों में व पत्र के माध्यम से दिया गया है। साथ ही ए0टी0एम0 में सुरक्षा कर्मियों का चरित्र सत्यापन के बाद ही व्यवस्थापित करने का सुझाव भी आर0बी0आई0 को दिया गया है।

ऐसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिए स्थानीय स्तर पर सम्बन्धित विभागों से समन्वय बनाये रखने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश जिलों के पुलिस अधीक्षकों तथा उनके पर्यवेक्षण अधिकारियों को दिये गये हैं। प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों में वायु तथा रेलमार्गों से प्रवेश की सम्भावना के दृष्टिगत स्टेशन तक तथा एयरपोर्ट पर भी इस सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं।

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रदेश में जाली भारतीय मुद्रा के कारोबार में वृद्धि नहीं हुई है जबकि हकीकत यह है कि प्रदेश में बांगलादेश तथा नेपाल के रास्ते जाली नोट पहुंचाये जा रहे हैं, जिसका प्रमाण प्रदेश में पकड़े गये जाली नोटों तथा उनके गिरोह के लोग जो पकड़े गये हैं, उससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है साथ में बैंकों के चेस्ट में भी जाली नोट पकड़े गये हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस पर क्या प्रभावी कार्यवाही करेंगे और क्या इस पर कोई कार्य योजना बनाई गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, 18 केसेस ऐसे हैं जो प्रकाश में आये हैं और पकड़े गये हैं। मान्यवर, हम लोग सार्वजनिक जीवन में देखते हैं कि गड्डियों में नोट कम निकलते हैं नकली नोट निकलते हैं और वह आदमी, जिसका कोई गुनाह नहीं होता वह नोट लेकर आया दुकानदार के पास ले गया, केस दर्ज हुआ 500 का नोट है, तो 5000 देकर जान छूटती है। यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। अभी मैं इस सिलसिले में अधिकारियों से बात कर रहा था और हमने यह तय किया है कि इसमें सरकुलर जारी करें, किस तरह का निर्देश हो, सदन का आश्वासन, क्योंकि इसमें रिजर्व बैंक आफ इंडिया का भी इन्वाल्वमेंट है आर0बी0आई0 का भी है लेकिन एकतरफा गाड़ी अब नहीं चलेगी। मुकदमा दर्ज होगा, नकली नोट का केवल उस पर ही नहीं होगा, जिसके पास निकला। बल्कि जहां से आया है उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। अगर ए0टी0एम0 से नोट निकला है तो जिसका ए0टी0एम0 लगा है, जिस बैंक का है, उस पर भी एफ0आई0आर0 दर्ज होगी और सीधे बैंक से लाये हैं तो कैशियर पर भी दर्ज होगी। इन्वेस्टीगेशन दोनों का होगा, जो गुनहगार होगा वह सजा पायेगा और जब आर0बी0आई0 भी सीधे इन्वाल्व होगा कि उनके लोगों पर भी एफ0आई0आर0 हो सकती है तो कोई न कोई इसका समाधान अवश्य निकलेगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वैसे तो पर्याप्त उत्तर आ गया है लेकिन एक बात यह संज्ञान में आई है कि नकली नोटों का धंधा नेपाल के रास्ते ज्यादा प्रचलित हो रहा है और इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि जो समाचार-पत्रों में आता है, उसको हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। जो चैनलों पर आता है, उसे भी प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसका पुराना कानून है। लेकिन यह सही है कि वहां के बड़े राजनीतिज्ञ बाकायदे नकली नोटों का कारोबार चला रहे हैं और यह बात दूर तक जा रही है कि पाकिस्तान में बैठा एक बड़ा कुख्याात आतंकवादी भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए नेपाल के रास्ते यह पैसा भेज रहा है। मैं सरकार के प्रयास की सराहना करता हूं सिर्फ आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक सघन अभियान 15 या 20 दिन का घोषित कर दीजिये तो उन 15 दिनों में एक अभियान चल जाये तो शायद मेरे ख्याल से एक जागरुकता लोगों में आ जायेगी, बस यह मेरा एक प्रयास है अन्यथा जो कदम उठाये गये हैं, वह उचित हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने इस तरफ इसलिए बल नहीं दिया था कि ए0टी0एम0 का जिक्र आने के बाद प्रश्न की अपनी हदें कायम हो गयी थी और जो मैंने आश्वासन दिया है, ये करना भी बहुत आसान नहीं होगा, इसमें भी बहुत सी बाधायें आयेंगी। लेकिन आमतौर पर एक व्यक्ति के पास नोट, दुकानदार और व्यापारी के पास जब निकलता है तो थाने का मिजाज बिल्कुल बदल जाता है। इस मिजाज को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है कि कार्यवाही दोनों तरफ होगी और सफाई दोनों देंगे तिवारी जी का सुझाव यकीनन अच्छा सुझाव है, सरकारें इस तरह के अभियान चलाती रहती हैं उसे और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बराबर कोशिश की जानी चाहिए और आगे भी कोशिश करने में कोई एतराज नहीं होगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का आया, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिसके पास से नोट निकलता है केवल उसे ही दोषी नहीं माना जायेगा बल्कि नोट कहां से आया इसका सोर्स भी ढूंढा जायेगा, उन्हें भी दोषी माना जायेगा और उनके खिलाफ भी केस दर्ज कराया जायेगा, जांच की जायेगी। मान्यवर, इसमें एक दिक्कत है जो भारत का एविडेंस ऐक्ट है, सी0आर0पी0सी0 है, दोनों में स्पष्ट प्रावधान यह है कि जिसके पास से नोट निकलेगा वह कितना भी मासूम हो, कितना भी निर्दोष हो, यह माना जायेगा कि वह दोषी है और न्यायपालिका में चूंकि सारा काम उसी से होगा हमारी सोच चाहे जितनी भी व्यावहारिक हो जैसा कि आपने बताया है लेकिन जब तक कानून में संशोधन नहीं होगा तब तक तो फंसेगा वही, जिसके पास नोट है और फंस भी चुके हैं, कई बार ऐसे-ऐसे लोगों को सजा हुई जो सीधे-सादे किसान हैं उनके पास कहीं से नोट आ गया, बैंक में जमा करने गये और बैंक वाले ने कहा कि पुलिस को बुला लो और उस किसान को तीन-तीन, चार-चार साल की सजा हुई। कोई सोच भी नहीं सकता कि यह आदमी जाली नोट चलाने का काम कर सकता है लेकिन उनको सजा हुई। अब इससे बचने के लिए सुझाव यही है कि जो कानून इस वक्त है उस कानून में प्रदेश सरकार संशोधन करे भले ही इसे केन्द्र सरकार को भेजना पड़े क्योंकि दोनों ही सेन्ट्रल ऐक्ट हैं। अगर आप संशोधन करेंगे तो लोगों को राहत मिल पायेगी और अगर नहीं करेंगे तो राहत नहीं मिल पायेगी, यह मेरा सुझाव है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस पर भी विचार हुआ है कि आई0पी0सी0 में संशोधन हो लेकिन मान्यवर, आप भी जानते हैं कि आई0पी0सी0 में संशोधन कोई आसान बात तो है नहीं। एक जमाने से लगभग 1980 से तो हम लोग इसी सदन में कह ही रहे हैं कि गुलामी का कानून बदले, जब हम गुलाम थे तब भी यही कानून था, यही सी0आर0पी0सी0 थी, यही आई0पी0सी0 थी, आज भी वही कानून है, हम चाहते हैं कि कानून बदले लेकिन 1980 से अभी तक तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता, कोई डर का रास्ता निकले क्योंकि पुलिस के पास इन्वेस्टीगेशन का एक अधिकार है तो मुमकिन है कि अगर ऐसा हम करेंगे तो कोई डर बना सकें, यही कोशिश है। आई0पी0सी0 में तब्दीली हो इस पर भी विचार हो रहा है, इसके लिए भी सिफारिश जा सकती है लेकिन फिलहाल क्योंकि पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करने का अधिकार हर वक्त है, इसलिए यह काम किया जायेगा, इन्वेस्टीगेशन में क्या होता है इसे बाद में देखेंगे। लेकिन मान्यवर, कमी आई है,

जागरुकता से भी कमी आई है, सरकारों को जब यह मालूम हुआ है कि बेगुनाह लोग बहुत फसे हैं तो कमी आई है, हमारे यहां के बहस और मशविरों से भी कमी आई है। हम समझते हैं कि जो 18 की संख्या है यह बहुत कम है, इस संख्या में और भी कमी आ सकती है, इसके लिए हम सुधार की और कोशिश करेंगे।

सुश्री सावित्री बाई फुले-

मान्यवर, हमारा बलहा विधान सभा क्षेत्र है और यह नेपाल बार्डर से सटा हुआ क्षेत्र है। हमारे बाबागंज में एक आतंकवादी पकड़ा गया था। लगातार भारत से तस्करी हो रही है और वहां के जो अधिकारी हैं उनके संरक्षण में यह काम हो रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि अगर इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो आगे चलकर इसके गम्भीर परिणाम होंगे। हमारी सीमा से सटा हुआ नेपाल है और उससे आवागमन हो रहा है तो हम चाहेंगे कि इस पर कार्यवाही हो जो जिससे कि चाहे खाद्यान्न हो, चाहे खाद हो वह बाहर न जाये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्या, यह नोटों का मामला है।

सुश्री सावित्री बाई फुले-

मान्यवर, नोट भी पकड़े गये हैं, जो लोग नेपाल से रुपईडीह में कुछ खरीदने के लिए आते हैं वह नेपाल का रुपया यहां देते हैं और यहां का रुपया ले जा करके वहां जमा करते हैं इससे जाली नोटों की भी तस्करी हो रही है और नेपाली नोटों की भी तस्करी हो रही है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगी कि इसे रोकने का प्रयास किया जाये। यह काम वहां अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है जबकि वहां एस0एस0पी0 भी हैं और थाना भी है इसके बावजूद भी जाली नोटों की और अन्य चीजों की तस्करी हो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, हमने कहां इससे इन्कार किया है। अगर संरक्षण न हो तो हो ही नहीं सकता, कोई भी अपराध नहीं हो सकता। सभी का संरक्षण है, हमारा भी है कहीं न कहीं, हमारे से मतलब है राजनीति करने वालों से। अधिकारियों को तो मिलता है संरक्षण। तो सब तरफ रोक लगाईये, आपने अच्छा हुआ जिक्र कर दिया, खाद भी तो नोट है और वह तो दुगुना, तिगुना नोट है। खाद से अन्न पैदा होता है, अन्न फिर स्मगल होता है, गरीब भूखा मरता है। तो कितने धड़ल्ले से खाद का स्मगल हुआ, कितना खाद उत्तर प्रदेश से नेपाल चला गया ? वह तो नोटों से बड़ा गुनाह था, भूखा मार दिया पूरे प्रदेश को, किसान का पेट काट लिया, तो रुकना चाहिए, वह तस्करी भी रुकनी चाहिए, यह भी रुकना चाहिए। नियमतः सरकार इससे सहमत है, इसकी कोशिश में लगी है, आगे और तत्पर रहेंगे।

मुस्लिम या अल्पसंख्यक हाई स्कूल पास कन्याओं को ही नहीं समाज की अन्य कन्याओं को भी अनुदान देने की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केवल मुस्लिम या अल्पसंख्यक हाईस्कूल पास कन्याओं को ही तीस हजार रुपये दिये जाने की सरकार की योजना है ? यदि हां, तो इसके लिए अर्हता/पात्रता क्या है तथा किस आय वर्ग के लोगों को यह धन प्राप्त होगा ?

क्या सरकार समता/समानता के आधार पर समाज की अन्य कन्याओं को भी उक्त योजना से लाभान्वित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

योजना शासन के विचाराधीन है।

योजना शासन के विचाराधीन है।

योजना शासन के विचाराधीन है।

योजना शासन के विचाराधीन है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश सरकार जब बनी तो कैबिनेट के एक फैसले को समाचार-पत्रों में काफी स्थान दिया गया था और कैबिनेट के फैसले की अपनी एक अहमियत है। सरकार कोई पालिसी बनाती है तो सबसे पहले कैबिनेट में पास कराती है, उसके बाद विधान सभा में आता है। कैबिनेट का यह फैसला हो चुका है कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाये। उसके बाद आपका बजट का जो साहित्य है, मेरे सामने है, जो बजट मा0 मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है, उसके पृष्ठ 15 पर स्पष्ट है कि "इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे के मुस्लिम परिवारों की दसवीं कक्षा पास बालिकाओं को आगे शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह के लिए अनुदान प्रदान किये जाने की योजना 100 करोड़ रुपये की प्रावधान से प्रारम्भ की जा रही है। यहां यह भी बताना चाहूंगा कि गरीबी रेखा से नीचे के अन्य वर्गों के परिवारों की कक्षा 10 पास बालिकाओं को आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी बजट में योजना प्रस्तावित है।" स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था की गयी, यह भी पता चला है कि 30 हजार रुपया प्रतिवर्ष इसके लिए निर्धारित किया गया है और उत्तर आया है कि विचाराधीन है। हमको इस बात से ऐतराज नहीं है कि क्यों दिया जा रहा है ? हमको ऐतराज इस बात से है कि जिन लोगों को वंचित रखा जा रहा है, उसके विषय में कब तक इस बात का निर्णय कर लेंगे कि बाकी लोगों को भी 30 हजार रुपया साल जिन लोगों ने हाईस्कूल पास किया है शेष कम्युनिटी के लोगों ने, उनको भी मिले ? यह हमारी अपेक्षा भी है और आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से प्रश्न भी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

खन्ना जी का धन्यवाद कि उन्होंने जो दिया जा रहा है उसके लिए कोई ऐतराज नहीं किया है, उसे कहा है कि ठीक दिया जा रहा है। बाकी के बारे में जवाब हमारा आया है कि विचाराधीन है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कब तक विचार पूरा हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अभी तो विचार ही हो रहा है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विचार का क्रम चल ही रहा है, यह चलता भी रहेगा जब तक हम लोग रहेंगे, विचार तो करते ही रहेंगे। इसके तीन भाग हैं। भाग-क में विचाराधीन की कोई बात नहीं जब निर्णय

हो चुका और बजट में प्राविधान हो गया, खन्ना साहब ने पढ़ करके सुना दिया तो विचाराधीन कहां, वह तो लागू हो गया। खण्ड 'ख' और 'ग' यह विचाराधीन हो सकता है, एक बड़ा संगत सवाल उन्होंने किया कि इस पर विचार कब तक हो जायेगा ? प्रश्न के एक भाग पर विचारोपरान्त निर्णय हो गया, तो इन दो पर भी निर्णय हो जाये और निर्णय के लिए कुछ समय सीमा हो जाये 15 दिन, महीने में, डेढ़ महीने में, दो महीने में इस पर निर्णय ले लेंगे। मान्यवर, निश्चित रूप से जो मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी का रुख दिखायी दिया, निर्णय सकारात्मक ही होगा। निर्णय हां में आायेगा तो फिर एक समय सीमा और आ जाये ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जब यह प्रश्न हुआ था तब यह चारों बिन्दु विचाराधीन थे अब जवाब के वक्त दो का उत्तर लागू हो गया। दो विचाराधीन हैं तो आपका प्रश्न तो शुरू से ही विचाराधीन है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रश्न तो तब तक जब तक हम और यह रहेंगे चलते रहेंगे। उठते रहेंगे जवाब आते रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी समस्या है। हमने पहले भी कहा था बजट भाषण में भी कहा था और आग्रह किया था कि एकरूपता आनी चाहिए। समान व्यवहार होना चाहिए। पूरे समाज के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। उसी दृष्टि से माननीय खन्ना जी ने यह सवाल किया तो जब एक विचार पर निर्णय हो गया तो दो विचार पर भी निर्णय हो जाय।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी एक जस्टिस सच्चर साहब के नाम से एक सच्चर कमेटी बनी थी और लगभग साढ़े तीन चार वर्ष पहले उसने एक रिपोर्ट दी भारत सरकार में जिसके लिए जिम्मेदारी तो भारत सरकार की थी लेकिन उस रिपोर्ट में कहीं भी राज्य सरकारों को इस बात के लिए पाबन्द नहीं किया कि आप इन सिफारिशात को लागू नहीं कर सकते हैं। या जो बुनियादी समस्या समाज की उन्होंने उजागर की उससे इत्तेफाक नहीं कर सकते। उन्होंने यह कहा कि आज के दिन यानी अब से लगभग चार वर्ष पहले मुसलमानों की अल्पसंख्यक की नहीं मुसलमानों की सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक स्थिति दलितों से भी ज्यादा बदतर है। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह पार्लियामेंट ने जो एक कमेटी गठित की उसकी रिपोर्ट है। वह सही भी हो सकती है वह गलत भी हो सकती है। लेकिन पूरे देश ने यह माना कि यह रिपोर्ट सही है और उसके लिए बहुत सी मांगे शुरू हुई कहीं न कहीं यह हिस्सा उस रिपोर्ट की एक छाया जरूर हो सकता है। मैं यह कहना चाहूंगा हुकुम सिंह जी से खन्ना साहब से और सदन के सभी सदस्यों से कि जिस वर्ग के लिए यह सहूलियत की गई है 30 हजार रुपये की कि बच्चियां आगे पढ़ सकें पढ़ न सकें तो शादी कर सकें। वह भी तो इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं उनका भी तो वतन यही है अगर वह जमीन का बोझ बनकर रहेंगे तो जाहिर है पूरे मुल्क के लिए बोझ होंगे। अगर वह बच्चियां भी पढ़ सकेंगी तो हो सकता है कि मुल्क के बोझ में कुछ कमी आये। तो इसमें कोई नाराज होने की दुखी होने की इसे नापसन्द न करने की बात नहीं होना चाहिए बल्कि जैसा कि खन्ना साहब से इसका स्वागत तो नहीं किया लेकिन यह कहा कि ठीक है। चलिये हम आपके ठीक को भी स्वागत मानते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए यह प्राविधान किया गया है जिन्हें 30 हजार रुपये देने की बात की गई है खजाने से उस खजाने में उनकी हिस्सेदारी भी है पंचर जोड़ने वाले की रिक्शा चलाने वाले की पत्थर तोड़ने वाले की हमारी कोठी और बंगला बनाने वालों की खजाने में

उनकी हिस्सेदारी भी है। ऐसा नहीं है कि वगैर हिस्सेदारी के उन्हें यह दिया जा रहा है तो अगर अब तक नहीं मिला अब तक न्याय नहीं हुआ तो अगर एक हल्की सी शुरूआत होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैंने ऐतराज नहीं किया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ऐतराज तो मैंने नहीं किया। आजम साहब कहीं न कहीं से कुछ निकाल लेते हैं। यह हर वक्त ऐतराज में घूमते रहते हैं। न तो हमने न ही हमारी पार्टी ने ऐतराज किया। लेकिन एक दो बात हमें समझा देंगे तो और अच्छा लगेगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या किसी की रिपोर्ट हो जब यह बात कही जाती है कि दलितों से भी उनकी हालत खराब है वहां थोड़ी तकलीफ होती है। मान्यवर, 1857 तक इस वर्ग ने पूरे देश में शासन किया है। उनका दलितों से कैसे मुकाबला करेंगे। मान्यवर, 1947 में सारा भारत आजाद हुआ उसमें हिन्दू और मुसलमानों ने इकट्ठा होकर आजादी के लिए संघर्ष किया। 1857 में हिन्दू और मुसलमानों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों को भगाने के लिए संघर्ष किया। उसमें दोनों वर्गों के न जाने कितने लोगों ने शहादत भी दी। लेकिन जहां तक दलितों का मामला रहा उनका हमेशा उत्पीड़न हुआ हजारों साल तक उनका उत्पीड़न हुआ आज से नहीं जब तक का इतिहास हमने पढ़ा चाहे महाभारत काल रहा हो। उस काल में उनका उत्पीड़न हुआ, उससे कैसे मुकाबला कर लें। शासक जो हमारे पूरे देश के रहे हों वह मुकाबला सच्चर साहब ने कहां से किया, कहां से नहीं किया ये तो वह जानें लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आर्थिक रूप से थोड़ा हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से मुसलमान कभी पिछड़ा नहीं रहा। सामाजिक रूप से वह हावी रहा हमारी संस्कृति पर भी, हमारी सभ्यता पर भी। राज्य करने में भी वह हमेशा हावी रहा उनका बहुत बड़ा अवसर मिला।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न करिये ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रश्न यही तो मेरा है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अपनी जगह है, लेकिन उसमें दलितों से उनकी तुलना करना यह बिल्कुल उचित नहीं है। मेरा सवाल तो केवल इतना है कि जहां एक वर्ग को आपने दिया है। इस वर्ग में भी या तो आप वहां पर भी भेदभाव इतना कर देते कि जो गरीब हैं या गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको मिलेगा तो यह समझ में आने वाली बात हैं। यहां पर बी0पी0एल0 कार्ड आपने धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर नहीं बनाये। बी0पी0एल0 कार्ड आपने आर्थिक व्यवस्था के आधार पर बनाये। आर्थिक व्यवस्था का ही आधार रख करके जिस वर्ग के भी गरीब, चाहें मुस्लिम हों या हिन्दू बेटियां हों उनको अगर सहायता हो जायेगी दूसरे आधार न लेकर के केवल आर्थिक आधार लेकर तो स्वागत योग्य है।

(सुश्री सैय्यदा शादाब फातिमा के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये। माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जब अपने गिरेबां के किये थे टुकड़े तुमको क्यों अपना गिरेबां याद आया। मान्यवर, बस जरा सी बात कही थी मैंने और देखिये हुकुम सिंह जी कहां तक पहुंच गये, दिल खोलकर रख दिया। 1857 मुगल सल्तनत। कितना चाहते हैं मुसलमानों को।

श्री हुकुम सिंह-

आपने बताया था। आपका भाषण सुना था यहां पर।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

चलिये कुछ तो याद रहा आपको। लेकिन बहादुर शाह जफर के दो बेटों के सिर कटे हुए आये थे, चाँदी के थाल में यह याद नहीं रहा आपको ? यह याद नहीं रहा, इसका जिक्र किसी ने नहीं किया। एक हजार मुगल आये थे कुल। उनकी कब्रें यहीं हैं, वापिस नहीं गये। उन्होंने शासन किया। सही या गलत जो भी निशानी दी चाहे वह लाल किला हो, कुतुबमीनार हो, ताजमहल हो वह आज हिन्दुस्तान की धरोहर नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की इज्जत है, दुनिया में नाम है लेकिन उस शासन काल से हुकुम सिंह जी उस इतिहास को भी पढ़ें और मान्यवर, जो हमारा यूनाइटेड हिन्दुस्तान था, जो रंगून तक था। औरंगजेब का हिन्दुस्तान रंगून तक था। आज नहीं है वह हिन्दुस्तान। कोई राजनैतिक दल वह हिन्दुस्तान नहीं दे पाया जो औरंगजेब के जमाने में था। और मान्यवर, क्योंकि यह बड़ा वैचारिक सवाल खड़ा किया है हुकुम सिंह जी ने, समय निकल जायेगा। मुगल सल्तनत में भी मुसलमानों की क्या हैसियत थी और क्या उनकी अहमियत थी और उनकी गरीबी का क्या आलम था, इसे भी इतिहास की किताबों में देखा जा सकता है। आज भी जैसे मैंने कहा यूनाइटेड इंडिया जिसमें लाहौर और कराची शामिल है। आज भी लाहौर में, आज का मतलब आज भी, लाहौर में जो वहाँ का सम्पन्न हिन्दू वर्ग है, हिन्दू भाई हैं उनके बराबर नहीं बैठ सकता मुसलमान। गरीब मुसलमान, नीचे बैठता है क्योंकि एक सोशल सिस्टम है वहाँ का। लाहौर में आज भी लेकिन उसकी बुनियाद पर यह नहीं है कि यह पाकिस्तानी नहीं है, हिन्दू नहीं है, या मुसलमान नहीं है। इस सवाल को आज के दिन यहाँ रखना, इस अन्दाज से मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने इन्हीं विचारों की वजह से बहुत कुछ खोना पड़ता है। यह मान्यवर, सिर्फ गरीबी और अमीरी को देखकर ही हो सकता है जैसे सच्चर साहब से इत्तेफाक न हो, उनकी काब्लियत से इत्तेफाक न हो उस कमीशन की रिपोर्ट से इत्तेफाक न हो यह भी मुल्क की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जस्टिस सच्चर साहब की कमेटी की रिपोर्ट से आपको इत्तेफाक नहीं है। यह दरअसल उस कमेटी से इत्तेफाक नहीं है बल्कि अगर कहीं मुसलमानों को कुछ मिल जाय, अगर उनकी बच्चियाँ भी कुछ पढ़ जायं इससे इत्तेफाक नहीं है, उनकी बच्चियों की भी शादी हो जाय इससे इत्तेफाक नहीं है। उनकी मेहनत भरे हुए खजाने में से कुछ हिस्सा उन्हें मिल जाय इससे इत्तेफाक नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है कि वह इस समाज को भी बराबर लाने के लिए पूरी कोशिश करती रहेगी और खजाने में उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करेगी।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी आप बैठ जायं। कहां से शुरू हुए और कहां पहुंच गये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, आजम साहब ने बहस को दूसरी तरफ मोड़ दिया, मैंने अपने प्रश्न के पहले पार्ट में ही यह बता दिया था कि मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। आप कार्यवाही देख लें

लेकिन जबर्दस्ती खींचकर उसका इंटरपिटेशन देना उचित नहीं है। बहुत सीनियर हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट पूछना चाहता हूँ। बहादुर शाह जफर का जिक्र तो इन्होंने ही किया, अगर हम कश्मीर का जिक्र करने लगेंगे तो फिर बात बहुत लम्बी हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ डिसक्रिमिनेशन अमण्ड द क्लाज, उस क्लाज को हमेशा दोष जाता है जिसके साथ डिसक्रिमिनेशन होता है। मान्यवर, यह एक बुनियादी सवाल है किसी की लड़की पढ़े मुझे इसमें बहुत खुशी होगी। माइनारिटी की लड़की पढ़े इसमें और ज्यादा खुशी होगी। लेकिन बहुसंख्यक समाज को इस बात के लिए हिन्दुस्तान में दबाया जाय कि तुम बहुसंख्यक हो इसलिए तुमको नहीं मिलेगा हुकूमत हमारी है पहले हम वोट बैंक पर कब्जा करेंगे तो यह बात भी मान्यवर, काबिले-बर्दाश्त नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

भाषण मत करिये सवाल पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह विषमता है।

(श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये। यह आपका प्रश्न नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवाद की परिभाषा समाजवाद से शुरू होती है। समता और समानता से शुरू होती है यह विषमता माननीय मंत्री जी कब तक समाप्त कर देंगे। कोई तारीख, कोई महीना, कोई साल, कोई दिन बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायं। यह उत्तर में समाहित है। क्या सरकार समता, समानता के आधार पर समाज की अन्य कन्याओं को भी उक्त योजना से लाभान्वित करेगी ? इसमें उत्तर में है योजना शासन के विचाराधीन है। इन्होंने कहां इन्कार किया, इन्होंने इन्कार तो किया नहीं है।

*3-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री रविन्द्र जायसवाल तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*4-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के महानगरों के क्षेत्र (मेट्रोपोलिटन एरिया) के लिये विकास योजना का प्रारूप

*5-सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों तथा शहरों के बाहरी क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी के कारण उक्त क्षेत्रों को सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधायें प्रदान करने हेतु कोई नीति सरकार द्वारा बनायी जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ।

सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र (मेट्रोपोलिटन एरिया) के लिये विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिये उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा (2) के खण्ड (45क) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243 त के खण्ड (ग) के अधीन अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2008 द्वारा प्रदेश के 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले 06 क्षेत्रों को महानगर क्षेत्र (मेट्रोपोलिटन एरिया) घोषित किया गया है और अधिनियम की धारा 57-क के अधीन उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति (मेट्रोपोलिटन प्लानिंग कमेटी) (प्रक्रिया का विनियमन और उसके कृत्यों का क्रियान्वयन) नियमावली, 2011 प्रख्यापित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना-

माननीय मंत्री जी ने जो शहर के बाहरी क्षेत्र हैं उसमें सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधाओं के बारे में, मैंने लिखा है, उनको उपलब्ध कराने के बारे में जो नीति बनायी है उसके बारे में बतायें, इन्होंने मान्यवर संविधान के अनुच्छेद 243-त के खण्ड(ग) का उल्लेख किया है मान्यवर, संविधान यह कहता है कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उनकी मौलिक मूलभूत सुविधायें लेने का अधिकार है और जो भी लोकप्रिय सरकारें हैं जनता की सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उनको मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करायें।

मान्यवर, हमने देखा की शहरों की बढ़ती हुई आबादी, आदरणीय नगर विकास मंत्री जी पहले भी बहुत अच्छी तरह से इस पद को सुशोभित कर चुके हैं तो शहरों की बढ़ती हुई आबादी के आधार पर वहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत सरकार ने जेएनएनयूआरएम योजना के अन्तर्गत पानी और सीवर का कुछ सिस्टम दिया, उसके आधार पर कुछ सुविधायें मिली लेकिन जो शहर के बाहरी क्षेत्र हैं, मान्यवर, आपको भी पता है और माननीय नगर विकास मंत्री जी इस बात से भिज्ञ हैं, जानते हैं। मैं यहाँ आज कानपुर महानगर के बारे में कहना चाहता हूँ कि लगभग 30 से 40 प्रतिशत आबादी बाहरी क्षेत्रों में रह रही है, उन्हें शहर के अन्दर जो लोगों को सुविधायें मिलती हैं, वह उन्हें नहीं मिल पा रही है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन के साथ पूछना चाहता हूँ कि जो लोग शहर के बाहरी क्षेत्रों में रहते हैं, उनके पास न तो सीवर है, न नाली है, न सड़क है, न जल निकासी का साधन है। बारिश हो जाती है तो महीनों तक जल निकासी नहीं हो पाती है और अगर महीनों तक जल भरा रहेगा तो मान्यवर, वह कितनी बीमारियाँ लेकर आयेगा ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानकारी करना चाहता हूँ कि कितने प्रतिशत लोग पिछले 20 वर्षों के अन्तर्गत शहर के बाहरी क्षेत्रों में आकर बसे हैं और वह जो लोग बसे हुए हैं, क्या उनके पास जिन सुविधाओं की बात मैंने कही है, सड़क, बिजली, पानी क्या वह उपलब्ध है ? यदि नहीं है तो जो भी

योजना है, मैं इस प्रश्न को इसलिये यहाँ पर लाया हूँ कि इस प्रश्न के माध्यम से उनका बहुत बड़ा लाभ हो जायेगा। मंत्री जी उस पर विचार करेंगे ? इससे उनका बहुत बड़ा हित हो जायेगा, इस पर कोई नीति बना दें। कैसे रिवेन्यू जनरेट करेंगे और कैसे उन्हें सुविधायें देंगे, कितने प्रतिशत लोग बाहरी इलाकों में रह रहे हैं और कब तक उन्हें सुविधायें उपलब्ध करा देंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, इसका जवाब महाना जी के पास खुद है, यह सब जानते हैं कि क्या दुश्वारियाँ हैं ? बड़े शहरों की मान्यवर, बड़ी परेशानी है, बड़ी समस्या है, बिल्कुल अपनी जगह। बड़े शहरों का विस्तार हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। हमारे अपने संसाधन हैं और उन संसाधनों की सीमायें हैं। भारत सरकार की भी योजनायें हैं, आती हैं, आती रहेंगी, ऐसी उम्मीद करते हैं, उसमें हमारे प्रदेश की भी हिस्सेदारी होती है और दोनों मिलकर उन सहूलियतों को जनता तक पहुँचाने की कोशिश में लगे हैं। मगर मान्यवर, हो यह रहा है कि यह जो हमारे यहाँ बिल्डर्स नेचर डेवलप हुई है कि शहर से बहुत दूर एकड्स में जमीनें ले ली, कोई सुविधा नहीं दी, प्लाटिंग कर दी और जमीनें बेंच दी। अब दबाव पड़ता है, राजनैतिक दबाव पड़ता है, वहाँ सीवर पहुँचाइये, वहाँ सड़कें पहुँचाइये, वहाँ बिजली का इन्तजाम कीजिये। होना दरअसल यह चाहिये और हम इसकी कोशिश करेंगे, पिछली सरकार में भी कोशिश की थी कि कड़ाई से हम इस बात का भी पालन करें कि जो लोग जमीनें सस्ती लेकर महंगे दामों मे बेंचते हैं, वह वहाँ सड़कें, सीवर, बिजली का इन्तजाम करें। कोशिश जरूर की जायेगी। गोरखपुर भी बड़े शहरों में है लेकिन बड़े शहरों के साथ मान्यवर, यह परेशानी है, विचार जारी है लेकिन उतनी तेजी के साथ शायद क्योंकि संसाधन उतने नहीं हैं और कानपुर की समस्या बहुत बड़ी है, कोई शक नहीं है, मान्यवर, कानपुर की समस्या बहुत बड़ी है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि कानपुर की इस समस्या पर अलग से हम विचार करें और जो भी आपकी सहायता हो सकती है, करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बात कही है, मैं भी उस बात से सहमत हूँ कि संसाधन उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, जो नये बिल्डर्स या कालोनाइजर्स आयेंगे, आपने उनके खिलाफ सख्ती की बात की है, बहुत अच्छी बात है। मान्यवर, मेरा एक सुझावात्मक प्रश्न है कि जो लोग वहाँ पर बस चुके हैं, जिनके पास अवस्थापना सुविधायें नहीं हैं, क्या उनके लिए, जो सुविधायें उन्हें दी जा चुकी हैं, सांसद निधि से, विधायक निधि से, नगर निगम से या अन्य योजनाओं से क्या उन क्षेत्रों को एक्चुअल के आधार पर उनका बेटरमेंट तय करेंगे जिससे कुछ न कुछ उन लोगों से रिवेन्यू मिल जाय और उन लोगों से जो रिवेन्यू मिले तो उस आधार पर, जितना उस क्षेत्र से रिवेन्यू मिलता है, प्लस उसमें सरकार कुछ डाल सकती है, सांसद कुछ डाल सकता है, विधायक कुछ डाल सकता है, इस प्रकार की योजना मैंने मान्यवर, बनाने के लिए कहा है, यह सुझावात्मक प्रश्न है। उससे कुछ रेवन्यू भी हमें मिल जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

कालोनियाँ नियमित तो हों।

श्री सतीश महाना-

नियमित करने के लिए कोई नीति बना लें, उस पर विचार कर लें उस पर अधिकारियों की एक समिति बना लें, जानकारी कर लें कि यह कैसे हो सकता है। उनके ऊपर क्या मिनिमम हो सकता

है जिससे कि उनके ऊपर टैक्स का भी बोझ न पड़े। मान्यवर, अगर उनके पास पैसा होता तो वह गोमतीनगर में रहते। कानपुर के स्वरूप नगर में रहते। उनके पास पैसा नहीं है इसलिए वह जहाँ सीवर नहीं, नाली नहीं है, सड़क नहीं है तब भी वह वहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। जिन्होंने उनको उन प्लाटों को बेचा है वह भूमाफिया हैं लेकिन जिन्होंने अपनी सारी उम्र की कमाई लगाकर सौ डेढ़ सौ गज का प्लाट खरीदा है वह भूमाफिया नहीं है। इसलिए एक सुझाव है कि वह भी नगर निगम, वाटर टैक्स देते हैं। उनसे भी थोड़ा सहयोग लेकर एक नीति बनाकर कि कैसे यह हो सकता है उसके बाद आप विचार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैंने तो पहले ही कहा कि आपकी समस्या बहुत अहम है लेकिन उन्हें नियमित करना इतना आसान नहीं है। और यह अकेले हम नहीं कर सकते। दूसरे यह कि जब हम चोरी की मोटर साईकिल आठ हजार में खरीदते है तो हमें यह अंदाजा होना चाहिये कि जो हम आठ हजार की मोटर साईकिल ले रहे हैं यह चोरी की होगी। अब जब हम सस्ती जमीन लेंगे तो हमें अन्दाजा होना चाहिये कि यह जमीन सस्ती क्यों है। अगर हम इतनी आसानी से इस बुराई को एक्सेप्ट कर लेंगे तो भूमाफियाओं का तो कहीं रोक ही नहीं हो सकेगी। हमारे पास तो इतने संसाधन नहीं हो सकते कि भूमाफियों की कमाई को उत्तर प्रदेश की मेहनतकश जनता की कमाई से पूर्ति करें। तो मान्यवर, पहले नियमित होने का देखेंगे कि उसमें कौन-कौन विभाग आते हैं। उसके बिना नहीं हो सकता है। फिर भी जो इसमें बेहतर हो सकता है उस पर विचार कर सकते हैं।

डॉ0 धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आगरा महानगर बहुत बड़ा महानगर है। इस समय आगरा महानगर की सीमा बहुत बढ़ी हुई है। आगरा महानगर के बीच में दो नगर पंचायत हैं, दयालबाग और स्वामीबाग। उनका क्या औचित्य है और आगरा महानगर से लगी हुई एक खासपुर ग्राम पंचायत है। खासपुर ग्राम पंचायत और नगर निगम और जो दयालबाग नगर पंचायत है वहाँ पर वह हस्तक्षेप करती है। माननीय मंत्री जी महानगर के बीचोबीच में जो नगर पंचायत स्वामीबाग और दयालबाग है जिसका कोई औचित्य नहीं है क्या उसे समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, चूँकि आपके माध्यम से जानकारी में यह बात आयी है मैं इसे दिखवा लूँगा।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, दो छोटे-छोटे प्रश्न है। एक तो यह है कि कोई अपना घर शौक से छोड़कर नहीं आता। गांव से अगर कोई शहर में आया है तो कोई न कोई उसकी मजबूरी है, कोई न कोई उसकी जरूरत है। इसलिये यह कहना कि उनके लिये कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिन कोलोनाइजर्स ने उनको जमीन देकर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। तो वह तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गये न घर के हैं न घाट के। आप अच्छी तरह जानते हैं कि विकास प्राधिकरण उनकी चिन्ता करता नहीं है। और नगर निगम भी उनकी चिन्ता नहीं करता है। नालियाँ, सड़कें, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी। करेंगे कुछ नहीं लेंगे सब कुछ। हाउस टैक्स भी ले लेंगे, वाटर टैक्स भी ले लेंगे। अगर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोलोनाइजर्स के हवाले हमने कर दिया तो फिर यही तय कर लीजिये कि हम वाटर टैक्स और हाउस टैक्स किस लिये लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिनको

आप कहते हैं अवैध कालोनियां हैं, जिनका कोई माई बाप नहीं है। क्या आप सरकार के नियमों में ऐसा प्राविधान कर देंगे कि आप वहाँ का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी लेना बन्द कर दें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहनी है कि शासन तो कानून का चलता है। गोरखपुर में ढेर सारे कोलोनाइजर्स हैं जिन्होंने डेवलप कर दिया। वह कहीं भागकर तो गये नहीं। तो सब गोरखपुर में हैं, अगर हमारा रसूख इतना नहीं है, अगर हम इतने प्रभावी नहीं हैं, हमारे आपके सामने सब कुछ हो रहा है, प्राधिकरण और नगर निगम इसको होते हुए देख रहा है और होते देख ही नहीं रहा है, होते देने में अप्रत्यक्ष सहयोग भी कर रहा है वह नहीं चाहते तो यह नही होता। तो क्या सरकार यह सुनिश्चित कर लेगी कि जो हो गया सो हो गया, एक बार सर्वे करा लिया जाय, चिन्हित कर लिया जाय, जिन-जिन कालोनाइजर्स ने जहाँ-जहाँ यह अवैधानिक कालोनियां विकसित कर दी, उनको मजबूर कर दिया जाय और इतनी ताकत हमारे पास है, सत्ता की ताकत बहुत बड़ी होती है और जब नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खाँ हों तो वह ताकत और ज्यादा ऊपर चली जायेगी, तो वह रसूख, आप जरा यहाँ दिखा दीजिये, जो कालोनाइजर्स कालोनियाँ बना-बना कर के अधूरी कालोनियां बना कर के छोड़ कर चले गये और नागरिकों का जीवन दूभर कर गये, उन्हें खड़े होना चाहिये वहाँ जहाँ उनकी जगह है। तो क्या मा0 मंत्री जी, गोरखपुर मैं गोरखपुर के हवाले से कह रहा हूँ, लेकिन यह समस्या तो पूरे प्रदेश में लागू हो सकती है तो जितनी भी इस तरह की अवैध कालोनियां बनायी गयी हैं, उनकी जाँच करा कर के कालोनाइजर्स को चिन्हित कर के और उन्हें शासकीय आधार पर, नियमों के आधार पर और प्राधिकरण के नियमों में है, उन्हें मजबूर करेंगे कि वह सारी मूलभूत सुविधायें बाध्यकारी किये जाये उनको देने के लिये यदि हाँ या नहीं एक चीज। दूसरी चीज माननीय अध्यक्ष जी, चर्चा आयी है उसके जवाब में महानगर योजना समिति की मैं इसी जवाब से यह बात निकाल कर कह रहा हूँ, जवाब यह कहता है कि उत्तर प्रदेश महानगर योजना समिति नियमावली प्रख्यापित है, यह नगर निगम का अधिनियम है, इसकी धारा 57(क) जिसके अन्तर्गत महानगर योजना समिति गठन होता है, अगर आप इसके स्वरूप को देखें अध्यक्ष जी, हम लोग नगर क्षेत्र की राजनीति करते हैं, महानगर क्षेत्र की ढेर सारी समस्याओं को लेकर आपके बीच में लगातार आते हैं, महानगर योजना समिति के प्रारूप को अगर देखा जाय तो इसमें सब कोई हैं, सिवाय नगरीय क्षेत्र के विधायकों के। इसमें पार्षद महोदय जी होंगे सिर्फ निर्वाचित, जिला पंचायत के लोग भी होंगे, अधिकारी भी होंगे, प्राधिकरण के भी होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के भी होंगे, केन्द्र सरकार के भी होंगे, लेकिन वह जो नगर की समस्याओं के लिए रोज लड़ता है, शहरी क्षेत्र का विधायक नहीं होगा तो वही नहीं होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ चूँकि आपने महानगर योजना समिति का जिक्र किया है और यह नगर निगम अधिनियम से संचालित है, क्या इसके प्राविधानों में इतना परिवर्तन किया जायेगा कि इस महानगर योजना समिति की सदस्यता उस पार्टीकुलर योजना समिति के क्षेत्र में रहने वाले नगरीय क्षेत्र के विधायकों को भी मिल सके और यह अत्यन्त आवश्यक है विकास की दृष्टि से ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, अब हम तो गरीब आदमी को आने वाले को धोबी का कुत्ता नही कहेंगे, उसे मजबूर, मेहनतकश आदमी कहेंगे और यह कहेंगे कि जाहिर है कि उसको अपने गांव में अपने घर पर अपने मोहल्ले में सारी सहूलियतें नहीं मिल पायी हैं तभी वह गोरखपुर, कानपुर या लखनऊ, दिल्ली, बम्बई आया है। मान्यवर, पहली बात तो यह कि जितनी भी अनाधिकृत कालोनियाँ हैं इनका डेवलपमेण्ट चार्ज नहीं लिया जाता है और मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको ज्यादा, इसकी हिम्मत

बढ़ायेंगे तो डेवलपर्स, भूमाफियाओं की हिम्मत और बढ़ेगी, एक तरह से चार्ज नहीं देते डेवलपमेण्ट का और हमारी जिम्मेदारी नहीं है विकास प्राधिकरण के कामों में हम दखलन्दाजी नहीं कर सकते हैं हमारी अपनी हदें हैं, उनके अपने अधिकार हैं। हम उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, वह हमारे में नहीं आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार का तंत्र है और हम सदन में यह जवाब देकर बच नहीं सकते कि उनकी जिम्मेदारी क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। गुजरे दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी हम पूरे तौर पर नहीं ले सकते, यह सही कहा आपने कि सरकार बहुत मजबूत चीज होती है, सरकार कार्यवाही करे तो सरकार कर सकती है। मान्यवर, सरकार कार्यवाही करने के सिलसिले में कहीं पीछे नहीं रहेगी, कोई ऐसा जवाब इस सिलसिले में इसलिये नहीं देना चाहूँगा कि हम कुछ सुधार लाना चाहते हैं और आप हमें उसके लिए कुछ मौका दीजिये, कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे।

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरा सवाल जो हमारा महानगर योजना समिति के बारे में था, उसका जवाब नहीं आया। मा0 अध्यक्ष जी हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि जो महानगर योजना समिति के सदस्य हैं जिसमें सब है, मा0 पार्षद हैं, पंचायत सदस्य हैं, अधिकारी हैं, नहीं है तो नगरीय क्षेत्र के विधायक नहीं हैं। क्या आप ऐसा प्राविधान करेंगे कि महानगर योजना समिति में इन सदस्यों की लम्बी सूची जो इक्कीस से लेकर तीस लोगों की है, उसमें से कम से कम एक स्थान जो उस क्षेत्र के विधायक हैं उनको भी मिलें ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। अब खत्म करिये, आज बहुत बड़ा बजट है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, इस सवाल के दो पार्ट थे, एक महानगरों के सम्बन्ध में और दूसरा शहरों के सम्बन्ध में, जिसमें हम और मा0 आजम खाँ साहब जुड़े थे। मान्यवर, शायद आजम खाँ की नजर से वह शहर बच गया है, हम तो सोचते थे कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी उसी से जवाब शुरू करेंगे। मान्यवर, इसमें महानगर के सम्बन्ध में तो उत्तर पूरा आ गया है और महानगर के सम्बन्ध में अनुपूरक भी आ गया है, लेकिन शहरों के सम्बन्ध में न तो कोई अनुपूरक आया और न मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ कहा।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक पूछ लीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम केवल एक बात जानना चाहते हैं कि शहरों में बढ़ते हुए कंजेशन को ध्यान में रखते हुए, पूरे प्रदेश की यह समस्या है कि कम से कम एक रिंग रोड हर शहर में बनवाई जाय। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो समस्या महानगरों की है वही समस्या छोटे शहरों की भी है इसे देखते हुए क्या इस पर भी आप खास गौर करेंगे और क्या वहाँ पर भी अवस्थापना सुविधायें विकसित करने में और इनीसिएटिव लेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मा0 खन्ना जी का तो प्रश्न है ही, मैं एक बात नहीं कहना चाहता था, पर अब कह दूँ डॉ0 साहब के प्रश्न के जवाब में कि मान्यवर, ऐसी जमीनें, जिन पर किसी तरह तामीर हो ही नहीं सकती थी। हमारे यहाँ तो खुद ऐसी जमीनें हैं जिन पर खुद नवाब रामपुर ने उसे वफ्फ किया और बड़े जज्बाती नाम रखे उनके। एक जमीन थी कर्बला और कर्बला हम मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, खास तौर से जो हमारे यहाँ शिया मुसलमान हैं उनके लिए बहुत अहम है, खुद नवाब रामपुर ने कर्बला को वफ्फ किया। हुसैनी सराय, इसमें वसीयत है नवाब रामपुर की और यह वसीयत की मैंने यह जमीन खरीद कर अपने पैसे से यह वसीयत की है कि इसकी आधी जमीन में मुसाफिर खाना और आधी जमीन में धर्मशाला बनायी जाय। मान्यवर, वह बिलडर्स के हवाले कर दी गयी और बिलडर्स ने बनाना शुरू कर दिया। सौभाग्य यह है कि सरकार बदल गई, रोक की गयी उसकी, तो मा0 न्यायालय से स्टे आ गया। क्या करें। न जाने कितने मामलात ऐसे हैं, अब जाहिर है कि मा0 न्यायालय का तो आदेश हमारे सर्वोपरि है, उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें बिल्डिर्स के मामलात में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जहाँ हम बड़े बेबस हो जाते हैं। यह तो हमें मानना पड़ेगा मान्यवर, वफ्फ की ऐसी जमीन के बारे में भी हमें मानना पड़ा था और डाल दिये हथियार, मान्यवर, बिलडर्स के आगे। फिर भी जो हो सकता है उसकी कोशिश की जायेगी और मैं जो जिक्र कर रहा हूँ अपने छोटे से शहर का कर रहा हूँ। अब रिंग रोड के लिए आप कह रहे हैं तो शाहजहाँपुर की रिंग रोड तो बन रही थी, उसमें भी बहुत सी जमीनों पर स्टे आ गया है, आप उसे हल करा दीजिये। खन्ना साहब, स्टे आया हुआ है जमीनों पर। नेशनल हाई-वे रुका हुआ है बनने से।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हाई-वे तो अब बन गया है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

ना, नहीं बना है, अभी पूरा नहीं बना है, पुल रुका हुआ है। आपका नहीं मुरादाबाद से हापुड़ के बीच में।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय अब समाप्त हो रहा है।

श्री अखिलेश कुमार सिंह-

मान्यवर, मुझे मा0 मंत्री जी से पूछना है, मैं शहर से विधायक हूँ, जो शहर में समस्यायें हैं, महायोजना गलत बनी हुई है यू0पी0 की। शहर मे केवल भूमाफियाओं की वजह से आबादी गलत नहीं बस रही है, बल्कि लोगों की मजबूरी है। हमारा रायबरेली शहर है, उसमें महायोजना 2011-2021 गलत बनी है और 90 प्रतिशत मकानों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं, लोग मजबूरी में मकान बनाते हैं, पहले 2004 में बनी थी 2004 से 2021 पूरे प्रदेश में बनी थी। हमने पिछली बार भी इस मामले को उठाया था और पिछली सरकार में हम लोगों ने प्रयास किया था कि जो महायोजना बनी है, वह गलत बनी है और जो मकान बन रहे हैं, शहरों में 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत मकान बगैर नक्शा पास कराये विकास प्राधिकरण से लेन-देन करके बन रहे हैं। तो मैं मा0 मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि जो महायोजनायें जो कि प्रदेश में गलत बनी है क्या उनकी दोबारा जाँच कराके महायोजनाओं को ठीक करायेंगे ?

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, बिल्कुल सही प्रश्न है। यह सब गड़बड़ियाँ हैं, इन सबको दिखवायेंगे। हलांकि हमारा वह विभाग नहीं है लेकिन संसदीय कार्य मंत्री की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जहाँ भी गलती है वहाँ पर रोक होनी चाहिये, वहाँ पर पकड़ होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब आगे प्रश्न नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित करने की मांग

01-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद की सभी तहसीलों में मुन्सिफ न्यायालय स्थापित है ? क्या यह सही है कि तहसील गभाना में मुन्सिफ न्यायालय नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार गभाना में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

जी हाँ।

प्रदेश के किसी भी जनपद विशेष में न्यायालयों की स्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर की जाती है। वर्तमान में प्रश्नगत न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कोई प्रस्ताव/संस्तुति प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ थाना जवां की गोधा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी को थाना बनवाने की मांग

02-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के थाना जवां की गोधा रिपोर्टिंग पुलिस चौकी को थाना बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-04-12 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

शासन के पत्र दिनांक 15-5-12 द्वारा अपर पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

03-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[दिनांक 06-06-2012 के अतारांकित प्रश्न सं0 75 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहाँपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों में लगाये गये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प की जानकारी

04-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कहाँ-कहाँ इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? क्या सरकार इसका सत्यापन कराकर सूची विधान सभा पटल पर उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप)-

जी हाँ।

जनपद शाहजहाँपुर में कुल स्वीकृत 2913 आंगनबाड़ी केन्द्र के सापेक्ष वर्तमान में कुल 2527 आंगनबाड़ी केन्द्रों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाये गये हैं।

जी हाँ।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, शाहजहाँपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये 2527 आंगनबाड़ी केन्द्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के सत्यापित सूची राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ग्राम्य विकास विभाग के कार्यालय कक्ष में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में क्षेत्राधिकारी पुलिस के (सी0ओ0 पुलिस) कार्यालय स्थापित करने की मांग

05-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-04-12 जो तहसील गभाना, जनपद अलीगढ़ में क्षेत्राधिकारी पुलिस (सी0ओ0 पुलिस) कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन से आख्या प्राप्त कर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय में परीक्षण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ की तहसील गभाना में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करने की जानकारी

06-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-04-12 जो तहसील गभाना, जनपद अलीगढ़ में अग्निशमन केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या 1725/छः-पु0-8-10-12(स्थापना)/07, दिनांक 29-10-2010 द्वारा तहसील गभाना, जनपद अलीगढ़ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है।

जनपद अलीगढ़ थाना जवां की स्वीकृत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कासिमपुर व गोधा पर स्टाफ व भवन उपलब्ध कराने की मांग

07-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के थाना जवां की स्वीकृत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कासिमपुर व गोधा पर मानक के अनुरूप वायरलेस सेट, स्टाफ एवं भवन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त चौकियों में मानक के अनुरूप वायरलेस सेट, स्टाफ एवं भवन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ के थाना जवां की स्वीकृत रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कासिमपुर व गोधा पर मानक के अनुरूप वायरलेस सेट उपलब्ध हैं। कासिमपुर पुलिस चौकी के लिए 01 उप निरीक्षक, 01 मुख्य आरक्षी तथ 10 आरक्षी का स्टाफ स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 01 उप निरीक्षक, 05 मुख्य आरक्षी नियुक्त हैं। पुलिस चौकी गोधा हेतु 01 उपनिरीक्षक, 01 मुख्य तथा 10 आरक्षी का स्टाफ स्वीकृत है, इसके सापेक्ष वर्तमान में 01 उप निरीक्षक व 04 आरक्षी नियुक्त हैं।

पुलिस चौकी कासिमपुर व गोधा पर मानक के अनुरूप वायरलैस सेट उपलब्ध हैं। उक्त दोनों चौकियों का अपना कोई भवन नहीं है। कासिमपुर पुलिय चौकी कासिमपुर पावर हाउस के भवन में तथा गोधा पुलिस चौकी रेलवे के भवन में स्थापित है। इन दोनों चौकियों का कोई किराया नहीं दिया जाता है। मानक के अनुरूप स्टाफ उपलब्ध कराया जाना स्टाफ की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में थाना जवां की कतिपय अस्थाई चौकियों को स्थाई करने की मांग

08-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में थाना जवां की अमरौली, बरौली, गभाना थाने की वीरपुरा, कलुआ, भरतरी की अस्थाई चल रही पुलिस चौकियों को सरकार स्थाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद अलीगढ़ में थाना जवां की अमरौली, बरौली, गभाना थाने की वीरपुरा, कलुआ, भरतरी की अस्थाई चल रही पुलिस चौकियों को स्थाई करने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

जनपद मथुरा किसान बाजार में व्यापारी पंकज प्रकाश की दुकान में हुई डकैती/चोरी की दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही

09-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में थाना हाई-वे के अन्तर्गत मुख्य मण्डी परिषद् मथुरा के किसान बाजार में व्यापारी पंकज प्रकाश के प्रकाश लुब्रीकेट (आई0ओ0सी0 सर्वो मोवीआयल के एस0एस0ए0) के यहां दिनांक 25-07-10 को किसान बाजार की दुकान का शटर तोड़कर डकैती में लगभग पांच लाख का मोवीआयल चोरी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट मु0अ0सं0 518/10 धारा 457/380 थाना हाई-वे, मथुरा में दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो इस प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

विवेचना के दौरान दिनांक 2-8-10 को थाना हाई-वे पर अभियुक्त रमेश पुत्र सोहन सिंह, नि0 कब्जा व थाना दनकौर, जिला गौतमबुद्धनगर, अभियुक्त राजवीर पुत्र महेन्द्र बावरिया, नि0 लक्ष्मीनगर, थाना जमुनापार तथा विजेन्द्र पुत्र महेन्द्र बावरिया, नि0 पाली, थाना व जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा गिरफ्तार किये गये जिनके द्वारा बबलू व राजेन्द्र, निवासीगण ग्राम बंशी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर के साथ मिलकर उपरोक्त चोरी करना तथा एक लाख रुपये में माल का बिक जाना बतलाया गया। इन तीनों के कब्जे से 50 हजार रुपये बरामद किये गये। हिस्से में आये शेष 10 हजार रुपये खर्च कर लेना बताया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र सं0 305 दिनांक 19-8-10 को प्रेषित किया जा चुका है। शेष अभियुक्त राजेन्द्र व बबलू के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही दिनांक 6-3-11 को सम्पादित कर मफरूरी में आरोप पत्र सं0 350-ए दिनांक 13-3-11 को प्रेषित किया जा चुका है। मफरूरी में चालान हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

10-डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[3सरे बुधवार के अतरांकित प्र0 सं0-108 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मथुरा की कृष्णानगर अम्बेडकर कालोनी, सौख रोड आदि में बरसात के पानी निकासी हेतु नाले का निर्माण

11-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा शहर की कृष्णानगर, अम्बेडकर कालोनी, सौख रोड कालोनी, बी0एस0ए0 कालेज एवं बस स्टैण्डों के एरिया में नाली एवं बरसाती पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने से जनता विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है तथा अम्बेडकर कालोनी के घर मकान पानी भरने से टूट रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जनता को उक्त समस्या से मुक्ति दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं, मथुरा शहर की कृष्णानगर, अम्बेडकर कालोनी, सौख रोड कालोनी, बी0एस0ए0 कालेज एवं बस स्टैण्डों के एरिया में जल निकासी की समुचित व्यवस्था है। भारी तथा लगातार बरसात के फलस्वरूप होने वाले अस्थायी जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत नाला निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

अम्बेडकर कालोनी में सड़क व कवर्ड नालियों का निर्माण कराया जा चुका है और वहाँ जल भराव की समस्या नहीं है।

नाला निर्माण पूर्ण करने की लक्षित तिथि 31-03-2013 है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत श्यामनगर, बाबूपुरवा आदि जगहों पर खुदाई से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व निर्माण की जानकारी

12-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत श्यामनगर, बाबूपुरवा, देहली सुजानपुर, मंगला बिहार, रामपुरम्, सीओडी कालोनी, केडीए कालोनी, कोयला नगर में सड़कें अत्यन्त जर्जर होने एवं जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना में सीवर लाइन की खुदाई के कारण आवागमन में लोगों को परेशानी होती है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कोयला नगर एवं न्यू आजाद नगर में अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त जर्जर सड़कों की मरम्मत/निर्माण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा श्यामनगर, बाबूपुरवा, देहली सुजानपुर, मंगला बिहार, रामपुरम् एवं कोयला नगर में सीवर बिछाने का कार्य किया गया है। सीवर लाइन बिछाते समय कई स्थानों पर सड़क/खड़न्जे/सी0सी0 रोड को काटा गया है, जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत सड़क का पुनर्निर्माण कर दिया गया है। सीओडी कालोनी व केडीए कालोनी में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाने का कार्य नहीं किया गया है।

कोयला नगर एवं न्यू आजाद नगर में सीवर बिछाने के उपरान्त सड़क एवं खड़न्जे का निर्माण कार्य उ0प्र0 जल निगम द्वारा 2,324.50 मी0 लम्बाई में तथा 700 मी0 सड़क पुनर्निर्माण का कार्य कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। अवशेष 1400 मी0 लम्बाई मे कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक सड़क बनाये जाने का कार्य अवशेष है।

काटी गयी सड़कों के सापेक्ष अवशेष पुनर्स्थापन सम्बन्धी कार्यों को यथाशीघ्र करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर के अन्तर्गत आने वाली कतिपय कालोनियों के जल निकासी हेतु नाले/नालियों के निर्माण की जानकारी

13-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के अन्तर्गत देहली सुजानपुर, केडीए कालोनी, मंगला बिहार, न्यू आजाद नगर, भवानी नगर एवं रामपुरम्, सीओडी कालोनी आदि क्षेत्रों में जल निकासी की गम्भीर समस्या है जिससे क्षेत्र में पानी का भराव होने से कई संक्रामक बीमारियों के फैलने की सम्भावना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जल निकासी के निराकरण के लिये कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

देहली सुजानपुर केडीए कॉलोनी में जल निकासी हेतु नाले/नालियाँ बनी हुई हैं जिनकी सफाई एवं रख-रखाव नगर निगम द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त श्यामनगर, देहली सुजानपुर में जल निकासी हेतु तीन नये नालों के निर्माण हेतु कार्य योजना बनायी गयी है। मंगला बिहार, न्यू आजाद नगर, भवानीनगर, रामपुरम् एवं सीओडी कॉलोनी का हस्तानान्तरण अभी तक नगर निगम को नहीं हुआ है। नगर निगम को उक्त कॉलोनियां हस्तानान्तरित होने पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के पटेलनगर में सरदार बल्लभ भाई पटेल पार्क की भूमि राजस्व अभिलेखों में डिस्ट्रिक्ट बाई जू0हा0 स्कूल के नाम अंकित होने की जानकारी

14-श्री अगयश राम शरन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद् बीसलपुर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् के स्वामित्व वाली कौन-कौन सी कृषि भूमियां, गैर कृषि भूमियां, भवन एवं अन्य सम्पत्तियां हैं जिस पर अवैध कब्जा है ? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जों को हटवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नगर बीसलपुर के अन्तर्गत मोहल्ला पटेलनगर में विद्युत उपकेन्द्र के पूरब तथा बीसलपुर वाया कितनापुर, बरेली मार्ग के उत्तर की ओर सरदार बल्लभ भाई पटेल पार्क का स्वामित्व एवं रख-रखाव किसके अधिकार में है ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नगर पलिका परिषद् बीसलपुर के मो0 दुर्गा प्रसाद, ग्यासपुर, हवी खाँ जुनूवो तथा मो0 दुबे के अन्तर्गत पालिका स्वामित्व वाली भूमि पर अवैध कब्जे के 47 मामले चिन्हित हुये हैं।

जी हाँ।

चिन्हित मामलों में अवैध कब्जे हटाने की नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर बीसलपुर के अन्तर्गत मोहल्ला पटेलनगर मे विद्युत उपकेन्द्र के पूरब तथा बीसलपुर वाया कितनापुर, बरेली मार्ग के उत्तर की ओर सरदार बल्लभ भाई पटेल पार्क की भूमि, राजस्व अभिलेखों में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जू0हा0 स्कूल के नाम अंकित है।

जनपद गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की मांग

15-श्री सुदेश शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तहसीलों के मुख्यालय स्तर पर मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना का प्राविधान है ? क्या यह सही है कि जनपद गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की स्वीकृति वर्ष 1992 में हुई थी ? यदि हाँ, तो उक्त मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना अब तक न हो पाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में तहसीलों के मुख्यालय स्तर पर मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना हेतु सम्बन्धित बार एसोसियेशन आदि के प्रस्ताव प्राप्त होने पर न्यायालय की स्थापना हेतु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है। मा0 उच्च न्यायालय की संस्तुति प्राप्त होने पर न्यायालय की स्थापना हेतु शासन द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

जनपद गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय से वर्तमान में कोई संस्तुति/आख्या प्राप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र में चेन स्नेचिंग एवं वाहन चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण करने की योजना

16-श्री सुदेश शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र में माह फरवरी, 2012 से 17 अप्रैल, 2012 तक चेन स्नेचिंग एवं वाहन चोरी की कितनी घटनायें हुई हैं तथा वाहन चोरी घटनाओं के कितने वाहन बरामद किये गये एवं कितनी घटनाओं का खुलासा हुआ ? क्या सरकार की बढ़ रही इन वारदातों पर अंकुश लगाने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

दिनांक 01-02-12 से 17-04-12 तक की अवधि की घटनाओं का विवरण :-

नाम थाना	चेन स्नेचिंग			वाहन चोरी		
	घटनाओं की संख्या	अनावरण की सं0	कितनी घटनाओं में बरामदगी हुई	घटनाओं की सं0	अनावरण की सं0	कितनी घटनाओं में वाहन बरामद हुए
मोदीनगर	1	1	1	20	2	2
निवाड़ी	0	0	0	2	0	0
भोजपुर	0	0	0	0	0	0
योग	**1**	**1**	**1**	**22**	**2**	**2**

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र में चेन स्नेचिंग एवं वाहन चोरी की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु स्थानों को चिन्हित कर सादे वस्तों में पुलिस कर्मियों को लगाया जा रहा है। क्षेत्र में प्रभावी गश्त एवं पेट्रोलिंग करायी जा रही है। क्षेत्र में घटना की सूचना मिलने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए सघन वाहन चेकिंग करायी जा रही है। घटनाओं के अनावरण एवं बरामदगी हेतु टास्क आवंटित कर टीमों का गठन किया गया है।

जनपद गोरखपुर महानगर में स्थित रामगढ़ ताल के सौन्दर्यीकरण कार्य की प्रगति व अवशेष कार्य पूर्ण होने की जानकारी

17-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में स्थित रामगढ़ ताल झील को राष्ट्रीय झील संभरण योजना के तहत जल निगम द्वारा किये जा रहे सौन्दर्यीकरण कार्य के प्रगति का विवरण क्या है एवं कौन-कौन से कार्य अभी तक कराये जाने बाकी हैं ? इन्हें कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर नगर में स्थित रामगढ़ ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण की योजना रु0 124.32 करोड़ भारत सरकार से स्वीकृत है। योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति निम्नवत् है-(I) गोड़धईया नाले पर 15 एम0एल0डी0 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन (नं0-1)-30 प्रतिशत, (II) पैडलेगंज पर 30 एम0एल0डी0 सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, स्टेशन (नं0-2)-45 प्रतिशत, (III) राइजिंग मेन (एस0पी0एस0 नं0 1 से एस0टी0पी0 नं0 1 तक तथा एस0पी0एस0 नं0 2 से एस0टी0पी0 नं0 2 तक) सीवर एवं तत्संबंधी कार्य-30 प्रतिशत, (IV) महेरवा की बारी पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (नं0-1)-20 प्रतिशत, (V) देवरिया बाईपास पर सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (नं0-2)-25 प्रतिशत, (VI) सिंचाई हेतु सम्पवेल एवं पम्पिंग स्टेशन, अन्य भवन कार्य, (VII) स्टोरेज गोदाम आदि हेतु स्थल विकास कार्य-5 प्रतिशत, (VIII) डिमार्केशन आफ लेक बाउन्ड्री-70 प्रतिशत, (IX) लो-कास्ट सेनीटेशन यूनिट (6 नग)-5 प्रतिशत, (X) मौजूदा बन्धे का सुदृढ़ीकरण, लेक आउटलेट, ओमेगा आईलैण्ड-60 प्रतिशत, (XI) गार्डन एरिया, स्नैक ज्वाइंट, ऑबजर्वेशन टावर इत्यादि हेतु कार्यस्थल विकास-5 प्रतिशत।

उक्त के अतिरिक्त इन्टरसेप्सन एण्ड डाइवर्जन कार्य (आर0सी0सी0 रिटेनिंग वाल, चैनल फार सीवेज कन्वेएन्स फार 6 ड्रेन्स, स्क्रीन एण्ड ग्रिट चैम्बर के साथ), कम्पाउण्ड वाल, डी-वीडिंग, डी-सिल्टिंग, न्यूट्रीएन्ट इन्एक्टीवेशन, एअरेशन सिस्टम, इनफ्लो चैनल का हाइड्रॉलिक इम्प्रूवमेन्ट नेचर इन्टरसेप्शन सेन्टर, एफोरस्टेशन/मास प्लान्टेशन, पब्लिक अवेरनेस, पैडलबोट तथा वाटर क्वालिटी मॉनीटरिंग कार्य कराये जाने बाकी हैं।

अवशेष कार्यों को सितम्बर, 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जो भारत सरकार से धन की समय से उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जनपद गोरखपुर स्थित शास्त्रीपुरम् कालोनी में नगर निगम द्वारा कराये गये कार्यों की जानकारी

18-डा0 राधा मोहन दास-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में स्थित शास्त्रीपुरम् कालोनी की सड़क, नाली, जल निकासी तथा पथ प्रकाश आदि अवस्थापना सुविधाओं का वर्तमान में

अभाव है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त कालोनी के नागरिकों को मूलभूत सुविधायें कब तक मुहैया करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं उक्त कालोनी में समस्त अवस्थापना सुविधायें पहले से ही विद्यमान है। नगर निगम गोरखपुर द्वारा जनहित में समय-समय पर कालोनी में सड़क, नाली निर्माण/सुधार तथा पथ प्रकाश का कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर के नथमलपुर, फतेहपुर, चरगांवा, सालिगराम आदि क्षेत्रों में ओवर हेड टैंक से पाइप द्वारा पेयजल के व्यवस्था की मांग

19-डा0 राधा मोहन दास-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के किन-किन क्षेत्रों में ओवर हेड टैंक से पाइप द्वारा पेय जल की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन क्षेत्रों में भी पाइप द्वारा पेय जल की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गोरखपुर महानगर के नथमलपुर, फतेहपुर, चरगांवा, सालिगराम आदि क्षेत्रों में ओवर हेड टैंक से पाइप द्वारा पेयजल की व्यवस्था नहीं है।

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 कार्यक्रम के यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 कार्यान्श के द्वितीय चरण हेतु उक्त क्षेत्रों की पेयजल परियोजना विरचित की जा रही है।

भारत सरकार से यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के द्वितीय चरण लागू होने की दशा में परियोजना की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डकैती, बलात्कार, लूट, चोरी आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु योजना

20-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 01-04-11 से 30-11-11 तक तथा 07-03-12 से 17-04-12 तक हत्या, डकैती, बलात्कार, लूट, वाहन चोरी की कितनी घटनायें पंजीकृत की गईं ? क्या इसकी रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में दिनांक 01-04-11 से 30-11-11 तक हत्या-3161, डकैती-164, बलात्कार-1164, लूट-1831 तथा वाहन चोरी-13457 की घटनाएं पंजीकृत की गई हैं।

दिनांक 07-03-12 से 17-04-12 तक हत्या, डकैती, बलात्कार, लूट, वाहन चोरी की घटनाओं का विवरण दिया जाना संभव नहीं है क्योंकि अपराधिक सूचनाओं का संकलन दैनिक आधार

पर करके पाक्षिक समयावधि के अनुसार की जाती है। तद्नुसार दिनांक 1-3-2012 से 15-4-2012 तक हत्या-669, डकैती-35, बलात्कार-263, लूट-429 एवं वाहन चोरी-3256 की घटनाएं पंजीकृत की गई हैं।

आम जनता में सुरक्षा की भावना पैदा कर प्रदेश में विकास का वातावरण बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध है। अपराधों की रोकथाम तथा संगठित अपराधियों, पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए शासन सतत प्रयत्नशील है। अपराधों का सही पंजीकरण, संगठित पेशेवर अपराधियों का चिन्हांकन कर सक्रियता के आधार पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही, पंजीकृत अपराधों की गुणवत्ता विवेचना, लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी के साथ-साथ अपराध के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों का चिन्हांकन कर आवश्यक पुलिस बल का व्यवस्थापन सुनिश्चित किया गया है।

लखनऊ शहर के मध्य विधान सभा के नालों की सफाई व नालों के ऊपर आर0सी0सी0 स्लैप डलवाकर बन्द करने की मांग

21-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के मध्य विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश नाले खुले होने तथा सफाई न होने के कारण लबालब भरे एवं चोक रहते है। जिस कारण आये दिन बच्चों एवं बुजुर्गों के डूबकर मरने की घटनायें होती रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नालों की सफाई कराकर नालों के ऊपर आर0सी0सी0 स्लैप डलवाकर बन्द करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नालों की सफाई प्रत्येक वर्ष करायी जाती है। नाले खुले होने के कारण सफाई आसानी से हो जाती है। चोक नालों को साफ कराया जाता है। कोई दुर्घटना न हो अतः नालों की सफाई वर्षा पूर्व करायी जाती है। नालों के प्रवाह में बाधाओं को दूर किया जाता है।

शहर के नालों की सफाई का कार्य दिनांक 09.05.2012 से प्रगति पर है। नालों की सफाई को दृष्टिगत रखते हुए नालों को पूर्णतया ढका जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

22-श्री रविदास मेहरोत्रा-

[3सरे बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के मार्टिन पुरवा में सीवर लाइन डालने की मांग

23-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्टिन पुरवा लखनऊ में सीवर लाइन नहीं डाली गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मार्टिन पुरवा में सीवर लाइन डालने की कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

मार्टिन पुरवा लखनऊ में सीवर लाइन का कार्य जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-4 में प्रस्तावित है, परन्तु कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परिव्यय समाप्त हो चुका है। अतः नई योजना लिया जाना अभी संभव नहीं है। जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के द्वितीय चरण के निर्धारण के उपरान्त योजना का प्राक्कलन विरचित किया जाना संभव हो सकेगा।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श के द्वितीय चरण के लागू होने की दशा में परियोजना की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा में लगे शैडो/गनर के यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

24-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केदारनाथ सिंह, सदस्य विधान परिषद् का दिनांक 06-09-11 का पत्र जो कि विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा में लगे शैडो/गनर के यात्रा भत्ते में बढ़ोत्तरी विषयक था, प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

शासनादेश सं0-जी-2-175-/दस-2011-601/2011, दिनांक 31-03-2011 द्वारा प्रदेश के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के दैनिक भत्ता (जिसमें पुलिस कर्मी भी सम्मिलित हैं) की दरों में राज्य सरकार द्वारा बढ़ोत्तरी कर दी गयी है।

उ0प्र0 के राजकीय विभागों में निःसंवर्गीय पदों पर की गई सेवा का लाभ संवर्गीय पद पर नियुक्त होने के बाद वेतन निर्धारण की जानकारी

25-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के राजकीय विभागों में निःसंवर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु क्या कोई सेवा नियमावली है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि निःसंर्वीय पदों पर की गई सेवा का लाभ उनके संवर्गीय पद पर नियुक्त होने के बाद वेतन निर्धारण हेतु अनुमन्य होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या जी-2-1330/दस-302-78, दिनांक 03-07-1978 के प्रस्तर-1(ख) के अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ देय नहीं है।

26-श्री वीरपाल-

[दिनांक 29-05-2012 के अता0 प्र0 सं0-30 द्वारा उत्तरित]

जनपद पीलीभीत के थाना बीसलपुर के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेंस के लम्बित आवेदन-पत्रों के निस्तारण की जानकारी

27-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत थाना बीसलपुर, थाना विलसण्डा, थाना देवरिया कलां एवं थाना बरखेड़ा कलां में शस्त्र लाइसेंस हेतु कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ? क्या थानेवार पृथक-पृथक सूचनायें उपलब्ध करवायी जायेंगी ? लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत थानों के अन्तर्गत कुल 394 शस्त्र लाइसेंस आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

थाना बीसलपुर में 194, बिलसण्डा में 119, थाना दियूरिया कलां में 53 तथा बरखेड़ा में 68 शस्त्र लाइसेंस आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

लम्बित शस्त्र आवेदन-पत्रों पर औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के माया नगर महल वाली रोड पर अधूरे सीवर लाइन कार्य को पूर्ण करने की जानकारी

28-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के माया नगर मोहल्ले में माया नगर महल वाली रोड पर वित्तीय वर्ष 2011-12 में कराया गया सीवर लाइन का कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो अधूरा कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0जी0 कार्यान्श में लखनऊ सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-3 पार्ट-1 परियोजना के अन्तर्गत माया नगर मोहल्ले में माया नगर महल वाली रोड पर लगभग 900 मीटर सीवर लाइन डाल दी गयी है और 300 मीटर सीवर लाइन डाली जानी शेष है।

दिसम्बर 2012 तक शेष कार्य पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के माया नगर महल वाली रोड की स्ट्रीट लाइटों को ठीक कराने की जानकारी

29-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के माया नगर मोहल्ले के माया नगर महल वाली रोड पर लगी कितनी स्ट्रीट लाइट खराब है तथा कितनी ठीक है ? क्या सरकार खराब स्ट्रीट लाइटों को ठीक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

डालीगंज स्थित माया नगर महल वाली रोड पर समस्त मार्ग प्रकाश बिन्दु वर्तमान में प्रज्ज्वलित हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर नगर निगम प्रकाश विभाग द्वारा क्रय किये गये उपकरण सामग्री का विवरण

30-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में पथ प्रकाश से सम्बन्धित विभिन्न उपकरणों तथा सामग्रियों की कितनी मात्रा किस-किस दर पर तथा कुल कितनी लागत से क्रय किया गया ? इनमें से कितनी सामग्रियों को अलग-अलग किन-किन वार्डों में उपयोग किया गया तथा कितनी सामग्री अभी स्टोर में शेष है ? क्या सरकार उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम गोरखपुर द्वारा वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में क्रय किये गये पथ प्रकाश से संबंधित विभिन्न उपकरणों तथा सामग्रियों की मात्रा/दर तथा कुल लागत का वर्षवार विवरण संलग्न है।†

उपरोक्त क्रय किये गये सामग्रियों का उपयोग महानगर के वार्ड संख्या-1 से वार्ड संख्या-70 तक आवश्यकतानुसार समय-समय पर अनुरक्षण कार्य में किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर निवासी श्रीमती रामरती पत्नी राम किशोर एवं राकेश कुमार पुत्र राम किशोर के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त करने की मांग

31-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत किस-किस नाम से कितने व्यावसायिक शस्त्र लाइसेन्स धारक हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि नगर बीसलपुर निवासी श्रीमती रामरती पत्नी राम किशोर एवं राकेश कुमार पुत्र राम किशोर नाम से दो व्यावसायिक शस्त्र लाइसेन्स निर्गत हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि रामकिशोर हिस्ट्रीशीटर है तथा उसके विरुद्ध पुत्रों समेत अभियोग संख्या 642/2009 साजिशन शस्त्र लाइसेन्स तैयार करने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ है ? यदि हां, तो क्या दोनों व्यावसायिक शस्त्र लाइसेन्स उपरोक्त कारणों से निरस्त किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद पीलीभीत में 18 शस्त्र व्यावसायिक लाइसेंसी हैं, जो निम्नलिखत हैं :-

1-श्री राजाराम गुप्ता एवं श्री हरीश खण्डेलवाल प्रो0 मे0 गुप्ता गन हाउस।

2-श्री राजेन्द्र सिंह बख्शी प्रो0 मे0 बरेली गन हाउस।

3-श्री अनिल कुमार मे0 अनिल गन हाउस।

4-श्री कमल कुमार मित्तल प्रो0 कमल गन हाउस।

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 165-171 पर)

5-श्री अजय कुमार मिश्रा प्रो0 मिश्रा गन हाउस।

6-श्रीमती रामरती देवी प्रो0 राम गन हाउस।

7-श्री राकेश कुमार मिश्रा प्रो0 राकेश गन हाउस।

8-श्री राजेन्द्र कुमार आर्य प्रो0 माया गन हाउस।

9-श्री अजीत पाल सिंह प्रो पंजाब आर्मरी।

10-श्रीमती रविबाला सक्सेना प्रो0 उमाशंकर गन हाउस।

11-श्री सुरेश कुमार गुप्ता प्रो0 दुर्गा गन हाउस।

12-श्री गुरूप्रीत सिंह बिन्द्रा प्रो0 बरेली गन हाउस।

13-श्री दिनेश चन्द्र कटियार प्रो0 कटियार गन हाउस।

14-श्री अब्दुल अलीम चौधरी प्रो0 चौधरी गन हाउस।

15-श्री हरबंश सिंह प्रो0 पूरनपुर गन हाउस।

16-श्रीमती रमारानी एवं श्रीमती शादाचन्द्र प्रो0 कानपुर गन हाउस।

17-श्रीमती मिथलेश वर्मा प्रो0 कुमार गन हाउस।

18-श्री अनुज कुमार शुक्ला प्रो0 शुक्ला गन हाउस।

जी हां।

राम किशोर हिस्ट्रीशीटर है, जिसका थाना बीसलपुर पर हिस्ट्रीशीट संख्या-9/बी अंकित है। रामकिशोर व उसके पुत्रों के विरुद्ध अभियोग संख्या-642/2009 पंजीकृत नहीं है, बल्कि मु0अ0 सं0-462/99, धारा 420/467/468/471 रिपोर्टिंग चौकी घुंघचिहाई, थाना पूरनपुर पर राम किशोर पुत्र श्रीराम शर्मा एवं पुत्र राकेश पुत्र रामकिशोर के विरुद्ध पंजीकृत है।

उक्त दर्ज अभियोग के दृष्टिगत लाइसेंसी राकेश कुमार पुत्र रामकिशोर को नोटिस निर्गत करने की जिला मजिस्ट्रेट स्तर से कार्यवाही की जा रही है।

जिला मजिस्ट्रेट से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद के थाना देवरिया कलां के चौकीदार जोगराज पुत्र नरायनलाल की हत्या के अभियुक्तों की तलाश

32-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के थाना देवरिया कलां के अन्तर्गत गांव बेनीपुर का निवासी जोगराज पुत्र नरायनलाल चौकीदार ने पुलिस कर्मियों की प्रताड़ना के कारण दिनांक 09 अगस्त, 2011 को समय लगभग 2.00 बजे अपरान्ह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या-277/2011 अन्तर्गत धारा 306, 342 भा0दं0वि0 एवं 3(1)10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के अन्तर्गत थाने के कतिपय पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दिनांक 10 अगस्त, 2011 को सायं 21.45 बजे पंजीकृत किया गया, जो विवेचना हेतु लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिला पीलीभीत के थाना दियोरिया कलां का चौकीदार श्री जोगराज दिनांक 8-8-11 को थाने पर हाजिरी पर आया था। उसने प्रभारी निरीक्षक कन्हैया लाल सोनकर के कमरे से 1000 रुपये निकाले, जो उसके थैले से बरामद भी हुए। इस कारण प्रभारी निरीक्षक ने जोगराज को बुरा-भला कहा था। दिनांक 9-8-11 की सुबह जोगराज साइकिल से अपने गांव चला गया था। दिनांक 9-8-11 को ही जोगराज की लाश पेड़ से लटकी मिली। मृतक के भाई भगवत शरन की सूचना कि उसके भाई जोगराज पर कोतवाल कन्हैया लाल व उ0नि0 शेर मो0 खां ने 1000 रुपये की चोरी का आरोप लगाकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और हवालात में बंद कर दिया, इसी वजह से परेशान होकर उसके भाई ने पेड़ से लटक कर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। इस सूचना पर मु0अ0सं0 277/2011, धारा 306/342/323 भादवि एवं 3(1)10 एससी/एसटी ऐक्ट बनाम प्रभारी निरीक्षक कन्हैया लाल सोनकर व उ0नि0 शेर मो0 खां पंजीकृत हुआ।

उक्त अभियोग की विवेचना श्री अजितेन्द्र विजय, क्षेत्राधिकारी, बीसलपुर ने ग्रहण कर प्रारम्भ की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मृत्यु का कारण गला दबाकर सांस रुकने से होना पाया गया। विवेचना क्षेत्राधिकारी, बिसौली श्री चन्द्रसेन गौतम को स्थानान्तरित की गयी। विवेचना में चौकीदार जोगराज की मृत्यु गला दबाने से सांस रुकने से होना तथा मृत्यु से पूर्व की दो चोटे जिनमें एक गले के आगे तथा दूसरी चोट पीठ व कंधे पर होना एवं तीसरी चोट गले के चारों ओर मृत्यु के बाद की चोट का होना पाया। इसी आधार पर धारा 306/342/323 भादवि एवं 3(1)10 एससी/एसटी ऐक्ट बनाम प्रभारी निरीक्षक कन्हैया लाल सोनकर व उ0नि0 शेर मो0 खां का होना नहीं पाया। अभियोग धारा-302 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात का होना पाया। वर्तमान में अभियोग की विवेचना श्री अनिल कुमार, क्षेत्राधिकारी, बिसौली, बदायूं द्वारा की जा रही है। अज्ञात अभियुक्तों की तलाश जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खिरिया खुर्द ददरौल के निवासी श्री रमेश सिंह को आवास आवंटित कर धनराशि अवमुक्त करने की जानकारी

33-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 135 शाहजहांपुर में निर्धन व्यक्तियों को आवास दिये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0-23975/2011, दिनांक 11-04-11 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने का आदेश प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्राप्त पत्र पर शासन के पत्र दिनांक 20-04-2011 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर से आख्या मांगी गयी। मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र दिनांक 29-07-2011 के द्वारा शासन को यह अवगत कराया गया कि सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित श्री बुधपाल पुत्र श्री रमेश, निवासी ग्राम खिरियाखुर्द, जांच में आवास हेतु अपात्र पाये गये तथा श्री रमेश सिंह पुत्र अहिवरन,

निवासी खिरियाखुर्द ददरौल, आवास हेतु पात्र पाये गये। अतः श्री रमेश सिंह को आवास आवंटित कर धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर में नगर निगम द्वारा जल निकासी हेतु नाले के निर्माण की मांग

34-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर महानगर के पचपेड़वा क्षेत्र में होने वाले भीषण जल जमाव से मुक्ति दिलाने हेतु नगर निगम ने क्या कोई योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नकहा पूर्व क्रासिंग के पास उत्तर स्थित मिर्जापुर-पचपेड़वा-हड़हवा कालोनी की जल निकासी के लिए नगर निगम, गोरखपुर द्वारा गोरखपुर-गोण्डा लूपलाइन के किनारे नकहा पुल क्रासिंग से बौलिया कालोनी होते हुए मुख्य रेल मार्ग पर पुल संख्या-179 तक रेलेवे की भूमि में नाले का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर में मानवेला, फत्तेपुर एवं राप्ती नगर कालोनी में जल जमाव के निकासी की योजना

35- डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में मांनवेला, फत्तेपुर एवं राप्ती नगर कालोनी आदि क्षेत्रों में बरसात के दौरान होने वाले भीषण जल जमाव की निकासी के लिए क्या नगर निगम ने कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा इसे कब तक लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मानवेला, फत्तेपुर क्षेत्र में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोहियानगर के नाम से एक विस्तृत कालोनी विकसित की जा रही है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा ही नाले का निर्माण प्रस्तावित है। राप्तीनगर क्षेत्र के जल निकासी हेतु नगर निगम, गोरखपुर द्वारा भूसे की दुकान से मेडिकल रोड नाले तक नाला निर्माण की योजना तैयार की गयी है।

आंशिक भाग में नाला निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा शेष भाग के नाला निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर नगर निगम द्वारा इण्टरलाकिंग ईंटों की आपूर्ति लेने की जानकारी

36-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में कितनी मात्रा में इन्टरलाकिंग ईंटों की आपूर्ति कराई गयी एवं इनकी आपूर्ति दर, आपूर्ति कर्ता फर्मों के नाम और पते तथा आपूर्ति की मात्रा क्या

थी ? क्या यह सही है कि इन इन्टरलाकिंग ईंटों की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम गोरखपुर द्वारा इन्टरलाकिंग ईंटों की आपूर्ति नहीं ली जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की सालिड वेस्ट मैनेजमेण्ट की योजना व कार्य पूर्ण होने की जानकारी

37- डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की दृष्टि से तैयार योजना का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि इसमें पूर्ण हो चुके कार्यों की प्रगति क्या है तथा शेष कार्य कब तक करा लिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत गोरखपुर की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना भारत सरकार से रु0 1563.60 लाख पर स्वीकृत है। इस परियोजना में कलेक्शन एण्ड ट्रासपोर्टेशन को सुदृढ़ करने के लिए 2939 नग यंत्र-संयंत्र हैं। 18 वाहन तथा 2937 कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का एक बार क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिनकी कुल लागत रु0 631.00 लाख है। परियोजना में 150 टन प्रतिदिन का कम्पोस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट एवं वैज्ञानिक विधि से तैयार लैण्डफिल विकास का कार्य प्रस्तावित है, जिसकी लागत रु0 887.10 लाख है।

इस परियोजना के प्रोसेसिंग एण्ड लैण्डफिल विकास के लिए 28 एकड़ भूमि नगर निगम, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। इस भूमि के जल प्लावन से प्रभावित होने के कारण मिट्टी की भराई कर भूमि को ऊंचा किया जा रहा है। इसके साथ-साथ बाउण्ड्रीवाल एवं वर्कर विश्राम कक्ष तथा टॉयलेट ब्लाक के कार्य प्लिन्थ स्तर तक तथा क्योरिंग शेड, मानसून शेड व प्रोसेसिंग शेड की नींव की खुदाई व पी0सी0सी0 का कार्य कराया जा चुका है। शेष कार्य 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के बन्द पड़े सार्वजनिक शौचालय को संचालित करने हेतु कार्ययोजना बनाये जाने की मांग

38-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में कुल कितने सार्वजनिक शौचालय, किसके द्वारा संचालित होते हैं तथा कितने कहां-कहां बन्द पड़े हैं ? क्या सरकार द्वारा इन जीर्ण-शीर्ण तथा बन्द शौचालयों को पुनर्जीवित/सुदृढ़ीकरण के लिए कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम सीमान्तर्गत वर्तमान में लगभग 85 सार्वजनिक शौचालय विद्यमान हैं जिनमें से 74 सार्वजनिक शौचालय वर्तमान में संचालित हैं तथा 11 सार्वजनिक शौचालय बन्द पड़े हैं।

कार्ययोजना बनायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित मान्सी गंगाझील का प्रदूषण नियंत्रण एवं जीर्णोद्धार

39-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज की तलहटी में मान्सी गंगा के जल को शुद्ध बनाये रखने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मथुरा में गोवर्धन स्थित मानसी गंगा झील के प्रदूषण नियंत्रण एवं जीर्णोद्धार हेतु रु0 2271.61 लाख की योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में स्वीकृत की गयी है। इस योजना के 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में अपात्र व्यक्तियों को डूडा का मकान आवंटन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

40-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में शासन की नीति के अनुसार कुल कितने डूडा के तहत मकानों का निर्माण कराया गया ? क्या यह सही है कि जनपद मथुरा में डूडा के मकान अपात्र व्यक्तियों को आवंटित कर दिये गये हैं जबकि पात्र व्यक्ति डूडा के मकानों से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद मथुरा में बी0एस0यू0पी0 व आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अभी तक क्रमशः 216 व 884 अर्थात् कुल 1100 आवासों का निर्माण डूडा द्वारा कराया गया है, जिसमें से बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत 96 आवासों का आवंटन अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के निर्देशन में तथा आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 88 आवासों का आवंटन परियोजना अधिकारी/स्थानीय निकाय के माध्यम से लाभार्थियों का चयन करके किया गया है।

मकान आवंटन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों की जांच निदेशक, डूडा को इस निर्देश के साथ सौंपी गयी है कि उक्त शिकायतों पर जांचोंपरान्त दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर स्थित अलीगंज के सेक्टर-एम में अध्यासियों द्वारा रैम्प बनाकर इण्टरलाकिंग के अवैध कब्जे को हटवाने की मांग

41-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित अलीगंज (जोन-3, निकट ब्राइट वे कालेज के चारों ओर) के सेक्टर-एम के कितने अध्यासियों द्वारा सड़क के दोनों ओर लगे इन्टरलाकिंग पर अवैध रूप से ऊंचा या अवैध निर्माण कर लिया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त निर्माण से सड़क की चौड़ाई कम होने से आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये कब तक अवैध निर्माण हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

जोन-3 स्थित सेक्टर-एम में ब्राइट-वे कालेज के चारों ओर सड़क की पटरी पर कुल 05 अध्यासियों द्वारा रैम्प बनाकर इन्टरलॉकिंग पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है। अवैध रूप से कराये गये निर्माण को हटाने हेतु अध्यासियों को नोटिस जारी की गयी है, जिसे पुलिस बल की सहायता से शीघ्र ही हटा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

गोरखपुर महानगर में वेस्ट-ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के चारों ओर विकसित हो रही कालोनियों पर रोक की मांग

42-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत ज0 बहादुर अली में विकसित हो रहे वेस्ट-ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के चारों ओर, एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुरूप, कितनी दूरी तक आवासीय कालोनी विकसित होने पर रोक है ? क्या सरकार इस सीमा के अन्दर विकसित हो रही कालोनियों पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अनुबन्ध की शर्तों में इस प्रकार की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर नगर निगम द्वारा संचालित ओवरहेड टैंक/नलकूपों से जलापूर्ति की जानकारी

43-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम द्वारा स्थापित कितने ओवरहेड टैंक/नलकूप किन-किन मोहल्लों/कालोनियों में कार्यरत हैं तथा उनसे हो रही जलापूर्ति का विवरण क्या है ? इनमें से कितने के डोजर वर्तमान में खराब हैं तथा उनके सुपर क्लोरिनेशन की क्या व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा संचालित ओवरहेड टैंक/नलकूप द्वारा जिन मोहल्लों/कालोनियों में जलापूर्ति की जा रही का विवरण निम्नवत् है :-

जलकल परिसर (सिविल लाइन्स, मियां बाजार, पुर्दिलपुर, अलहदादपुर इत्यादि), मोहद्दीपुर ओवर हेड टैंक (मोहद्दीपुर गोपलापुर वार्ड का उत्तरी भाग), महादेव झारखण्डी (महादेव झारखण्डी आवास विकास कालोनी एवं बिशुनपुरवा का पूर्वी क्षेत्र), बशारतपुर ओवरहेड टैंक (बशारतपुरवा, राप्तीनगर, रामजानकी नगर आदि क्षेत्र), शाहपुर आवास विकास का0 (शाहपुर आ0 विकास कालोनी पूरा क्षेत्र) , विष्णु मन्दिर ओ0एच0टी0 (भेड़ियागढ़, असुरन, शाहपुर आ0 विकास), मुंशी प्रेम चन्द पार्क (आ0वि0 कालोनी बेतियाहाता उत्तरी व दक्षिणी), हनुमान मन्दिर के पीछे स्थित बेतियाहाता ओवरहेड टैंक (बेतियाहाता दाउदपुर, बसन्तपुर उत्तरी, कसया रोड इत्यादि क्षेत्र), लालडिग्गी ओवरहेड टैंक (बसन्तपुर, मिर्जापुर, शेषपुर इत्यादि क्षेत्र), गोरखनाथ मन्दिर परिसर (पुराना गोरखपुर, रसूलपुर, हुमायूपुर), सुरजकुण्ड ओवर हेड टैंक (सुरजकुण्ड आ0वि0कालोनी, सिधारीपुर क्षेत्र), सूर्य बिहार ओवरहेड टैंक (सूर्यबिहार सुरजकुण्ड डी0 ब्लाक), सुभाष चन्द्र बोस नगर (सुभाष चन्द बोस नगर रसूलपुर), शास्त्रीपुरम ओवरहेड टैंक (शास्त्रीनगर, शास्त्रीपुरम् कालोनी), राप्तीनगर ओवरहेड टैंक (राप्तीनगर कालोनी फेज 1 व 3), जलकल परिसर यू0जी0टी0 (सिविल लाईन, मियां बाजार, पुर्दिलपुर, विजय चौराहा, कोतवाली रोड इत्यादि), खूनीपुर ओवरहेड टैंक (खूनीपुर, झंकार, रहमतनगर घासीकटरा आदि)।

ओवरहेड टैंकों/भूमिगत जलाशय की स्टोरेज क्षमता 12,910 किलोलीटर है। सीधी जलापूर्ति वाले सभी 64 नलकूपों तथा कुछ ओवरहेड टैंक वाले नलकूपों में डोजर अधिष्ठापित हैं।

अधिष्ठापित समस्त डोजर चालू हालत में हैं। शेष ओवरहेड टैंकों पर मानक के अनुसार ब्लीचिंग मिलाकर पेयजल को शुद्ध कर जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू0आई0डी0 एस0एस0एम0टी योजना के तहत गोरखपुर महानगर में स्वीकृत योजनाओं की जानकारी

44-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0आई0डी0एस0एस0एम0डी0 योजना के तहत गोरखपुर महानगर में 2008-09 से लेकर 2011-12 में स्वीकृत योजनाओं का विवरण क्या है ? इनमें से किन-किन कार्यों के नोडल एजेन्सी कौन-कौन सी हैं तथा उनकी स्वीकृति के सापेक्ष कितना धन अवमुक्त हुआ है तथा उनकी प्रगति का विवरण क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गोरखपुर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में 2008-09 से लेकर 2011-12 तक कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई है। इंगित अवधि से पूर्व यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में गोरखपुर की दो परियोजनायें स्वीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है-

(1) **पेयजलापूर्ति परियोजना**-यह परियोजना दिनांक 13-09-2007 को भारत सरकार से दिनांक 06-08-2007 को भारत सरकार से स्वीकृति हुई।

(2) **सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना**-यह परियोजना भारत सरकार से दिनांक 06-08-2007 को स्वीकृत हुई।

(1) **पेयजलापूर्ति परियोजना** की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम हैं। मूल परियोजना की स्वीकृत लागत रु0 1598.85 लाख तथा पुनरीक्षित लागत रु0 1987.19 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि निर्गत कर दी गयी है। परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की प्रगति 95 प्रतिशत है।

(2) **सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट परियोजना** की कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम हैं। परियोजना की स्वीकृत लागत रु0 15.63 करोड़ के सापेक्ष रु0 7.82 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु इन्टीग्रेटेड एप्रोच पर मे0 एपीआर प्रोजेक्ट्स को आपरेटर के रूप में चयनित कर अनुबन्ध का गठन किया जा चुका है। कार्य पीपीपी मोड पर कराया जा रहा है।

45-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[विस्तीर्णता एवं अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद वाराणसी में जल निगम द्वारा जलापूर्ति एवं सीवर कार्य कराये जाने की जानकारी

46-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध न होने, दूषित जलापूर्ति तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों के जाम रहने से ओवरफ्लो सीवर लाइनों को खोलने हेतु सफाई कर्मियों की कमी के कारण नगरीय क्षेत्र में त्रासदी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्याओं से वाराणसी नगर के नागरिकों को राहत दिलाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जलकल विभाग वाराणसी में वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में सामान्य रूप से जलापूर्ति की जा रही है। दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के संकरी गलियों में पाइप लाइन एवं सीवर लाइन पास-पास होने के कारण दूषित जलापूर्ति की शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं जिसका निराकरण 48 घंटे में करा दिया जाता है। सीवर लाइनों की सफाई हेतु जलकल विभाग में सफाई कर्मी पूर्व से ही न होने के कारण यह कार्य ठेके पर दिया गया है तथा जनप्रतिनिधियों के मांग के अनुसार प्रत्येक वार्ड में 03 कर्मियों की दर से 90 वार्डों के लिये 270 सफाई कर्मियों की व्यवस्था अनुसार ही ठेके पर कार्य दिया गया है।

जी हां।

वाराणसी नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था में सुधार हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की कार्य योजना के अन्तर्गत विकास कार्य पूर्ण होने पर दक्षिणी विधान सभा सहित वाराणसी नगर की जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था में अपेक्षित सुधार हो जायेगा। इस कार्य की कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम, वाराणसी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में कमला नगर क्षेत्र में थाना बनाये जाने की मांग

47- डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार आगरा शहर के अन्तर्गत कमला नगर क्षेत्र में नया पुलिस थाना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। परीक्षणोपरान्त औचित्य पाये जाने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ के रघुराज नगर निकट पटेल नगर के आवास सं0 18 से 25 के सामने की सड़क का डामरीकरण करवाये जाने की मांग

48-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में स्थित रघुराज नगर निकट पटेल नगर एक्सचेन्ज, इन्द्रानगर के आवास संख्या 18 से 25 के सामने रोड बनाने हेतु गिट्टी डाली गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत 16 माह से उस पर डामरीकरण नहीं कराया गया है ? यदि हां ? तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, कन्सॉलीडेशन कराया गया है।

जी नहीं।

जी हां। कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील रुदौली में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की जानकारी

49-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत रुदौली तहसील में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर में शून्य-प्राय सीवरेज व्यवस्था की मांग

50-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर की शून्य-प्राय सीवरेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या नगर निगम गोरखपुर/जल निगम ने कोई योजना शासन को प्रेषित की है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम गोरखपुर से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भारत सरकार को राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम अथवा किसी अन्य कार्यक्रम में वित्त पोषण हेतु प्रेषित की जा सकेगी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की स्वीकृति के उपरान्त डीपीआर विरचित कर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रदेश की ग्राम सभाओं के विकास कार्यों की सूची को सूचना पट पर दिये जाने की योजना

51-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम सभाओं में होने वाले प्रत्येक विकास के कार्यों की जानकारी ग्राम सचिवालय के स्थाई सूचना पट पर लिखी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार की विकास कार्यों की सूची स्थाई सूचना पट पर लिखे जाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार गांवों में गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों की सूची तथा अनुसूचित जाति-जनजाति तथा गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति दोनों के बी0पी0एल0 परिवारों की स्थायी इन्दिरा आवास योजना की प्रतीक्षा सूची सार्वजनिक भवन की दीवाल पर लिखी जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1295/33-3/2011-135/09 टीसी, दिनांक 29-04-2011 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिवालय में सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में विभिन्न सूचनायें एवं प्रपत्र ग्राम सचिवालय में जनसाधारण के उपयोगार्थ उपलब्ध रहेगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा, इन्दिरा आवास आदि योजनाओं के लाभार्थियों की सूची वेबसाइट पर भी जनसाधारण के सूचनार्थ उपलब्ध रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के थानों को कम्प्यूटरीकृत किये जाने का लक्ष्य

52-श्री अखिलेश प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने थाने अभी तक कम्प्यूटरीकृत नहीं हुये हैं ? क्या इन थानों को भी कम्प्यूटरीकृत कराने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रदेश में 537 थानों को अभी तक कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है। थानों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु सी0सी0टी0एन0एस0 (क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम) योजना प्रचलित है।

सी0सी0टी0एन0एस0 योजना के अन्तर्गत इन थानों को वर्ष 2013 तक कम्प्यूटरीकृत किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश के प्रमुख महानगरों में ट्रैफिक समस्या के निराकरण की योजना

53-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रमुख महानगरों में लगातार बिगड़ती जा रही ट्रैफिक समस्या के निराकरण की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

पीक आवर्स में गाड़ियों की संख्या बहुत अधिक हो जाने के कारण प्रमुख महानगरों में कतिपय स्थानों पर कभी-कभी जाम लग जाने के कारण जनता को कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने तथा सड़क सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि नियमावली, 2008 प्रख्यापित की गयी है, जिसमें दी गयी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है। सुगम/सुरक्षित यातायात संचालन का सदैव प्रयास किया जाता है। ट्रैफिक समस्या के निराकरण हेतु प्रदेश के बड़े जनपदों में यातायात दबाव से निपटने के लिये यातायात पुलिस/स्थानीय पुलिस द्वारा नगर निगम, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग आदि के सहयोग से कार्य योजना तैयार कर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त यातायात समस्या के निवारण हेतु अनाधिकृत अतिक्रमण हटाया जाता है तथा एकल दिशा मार्ग की व्यवस्था कर यातायात का दबाव कम कराने का प्रयास किया जाता है। जनपदों के शहरीय क्षेत्रों में भारी वाहनों को प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक शहर में आवागमन हेतु प्रतिबन्धित किया गया है, ताकि जाम की समस्या उत्पन्न न हो।

प्रश्न नहीं उठता।

54-श्री संजय कपूर-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के संचालन हेतु सिद्धान्त

55-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल विकास निधि के उपयोग के सम्बन्ध में क्या कोई स्थायी, स्पष्ट एवं पारदर्शी विधि व्यवस्था अथवा नियमावली तैयार कर प्रचलित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के संचालन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त 1998 (यथा संशोधित 2002) पूर्व से ही प्रख्यापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत में विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि से लगाये गये मास्ट लाइट एवं स्मृति द्वार का विवरण

56-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत विधान मण्डल विकास निधियों से हाई मास्ट लाइट एवं स्वागत द्वार पन्द्रहवीं विधान सभा के माननीय सदस्यों ने वर्ष

2007 से 2012 तक प्रत्यारोपित करवाये हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि हाई मास्ट लाइट एवं स्वागत द्वार के प्रत्यारोपण में कुल लागत एवं तत्समय के बाजार मूल्य में कोई अन्तर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्नगत अवधि में जनपद पीलीभीत में विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि से लगाये गये हाई मास्ट लाइट एवं स्मृति द्वार के विवरण निम्नवत् हैं :-

विधान सभा क्षेत्र-पीलीभीत

वर्ष	स्मृतिद्वार संख्या	हाई मास्ट लाइट
2009-10	05	-
2010-11	-	60
2011-12	-	75
विधान सभा क्षेत्र-बरखेड़ा		
2009-10	-	45
2010-11	-	40
2011-12	-	110
विधान सभा क्षेत्र-बीसलपुर		
2008-09	04	65
2009-10	03	111
2010-11	-	71
2011-12	-	115
विधान सभा क्षेत्र-पूरनपुर		
2008-09	-	61
2009-10	8	50
2010-11	-	103
2011-12	-	85

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो कि एक राज्य सरकार का उपक्रम है, के द्वारा हाई मास्ट लाइट एवं स्मृति द्वार की तकनीकी स्वीकृति का प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट के आधार पर बनाये गये हैं। अतः उक्त सामग्री के मूल्य की तुलना बाजार मूल्य से किये जाने का औचित्य नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कार्यों के प्राक्कलन लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल रेट पर हैं। अतः जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगमों द्वारा अपनी सीमा में स्थित वार्डों को धनावंटन की जानकारी

57-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों द्वारा अपने-अपने सभी वार्डों को समान रूप से धन आवंटित करने की जगह पर भौगोलिक क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा अवस्थापना संसाधनों (सड़क, नाली, नालों, पथ प्रकाश, पार्क, जल निकासी) के पिछड़ेपन के आधार पर ''विकास-इन्डेक्स'' तैयार करके, उसके सापेक्ष ही धन आवंटित किये जाने की नीति बनाने पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था होती है। नगर निगमों द्वारा अपनी सीमा में स्थित वार्डों के विकास हेतु आवश्यकता के दृष्टिगत विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनावंटन किया जाता है।

जनपद गोरखपुर स्थित नकहा नम्बर-1 में रेल लाइन के दोनों तरफ जल जमाव को समाप्त करने की योजना

58-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर स्थित नकहा नम्बर-1 में रेल लाइन के दोनों तरफ होने वाले भीषण जल जमाव को समाप्त करने हेतु नगर निगम गोरखपुर ने क्या कोई कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो इस जलजमाव पर कब तक नियंत्रण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, जे0एनएन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के अन्तर्गत गोरखपुर नगर की जल निकासी की समस्या के निराकरण हेतु रु0 307.04 करोड़ की समेकित परियोजना, जिसमें गोरखपुर नगर स्थित नकहा नम्बर-1 में रेल लाइन के दोनों तरफ का क्षेत्र भी सम्मिलित है, उ0प्र0 जल निगम द्वारा विरचित की गयी है।

जे0एनएन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम की मिशन अवधि (2005-12) के लिए यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श में उ0प्र0 का परिव्यय समाप्त हो जाने के कारण उक्त परियोजना भारत सरकार से स्वीकृत नहीं करायी जा सकी है। अतः भारत सरकार से यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यान्श के द्वितीय चरण लागू होने की दशा में परियोजना की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही संभव हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर के महेशरा में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराये जाने की मांग

59-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के महेशरा/मोहरीपुर में सार्वजनिक शौचालय न होने से उस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यन्त गरीब एवं पिछड़े दसियों हजार नागरिकों को खुले आसमान में मलमूत्र विसर्जन करना पड़ता है, यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक सार्वजनिक शौचालय बनवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मु0 मोहरीपुर में जिला नगरीय विकास अभिकरण गोरखपुर द्वारा नेडा के माध्यम से एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिसका उपयोग आम जनमानस द्वारा किया जा रहा है।

पूर्व से ही सार्वजनिक शौचालय निर्मित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के बशारतपुर में आदर्शनगर के उत्तर शिवपुर कालोनी में सड़कों से जल निकास की व्यवस्था की मांग

60-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के बशारतपुर में आदर्शनगर के उत्तर शिवपुर कालोनी में सड़कों के निर्माण न होने से नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी की सड़कों का निर्माण तथा जल निकासी की व्यवस्था करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

महानगर में बशारतपुर में आदर्शनगर के उत्तर शिवपुर 50-60 घरों की एक अविकसित प्राइवेट कालोनी है, जिसमें आंशिक रूप से खड़न्जा सड़क का निर्माण हुआ है। वर्तमान में उक्त कालोनी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है।

कालोनी हस्तान्तरण के उपरान्त धन उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

कोई आवश्यकता नहीं।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-रुपैहडीह के ग्राम जयराम पुरवा के रामसगरा तालाब के सौन्दर्यीकरण की जानकारी

61-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2011 के प्रथम सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न सं0-49 के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल भराव के समाप्त होने के बाद भी दिनांक 25 अप्रैल, 2012 तक तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया था ? यदि हां,

तो क्या सरकार उक्त तालाब का सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां। दिनांक 19-05-2012 से प्रश्नगत कार्य पुनः प्रारम्भ करा दिया गया है।

जी हां।

कार्य प्रगति पर है, शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विरासत के आधार पर उत्तराधिकारी को शस्त्र लाइसेंस दिये जाने की मांग

62-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की इच्छुक पात्र व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स निजी सुरक्षा हेतु दिये जाने की क्या नीति है ? क्या सरकार विरासत के आधार पर पात्रों को शस्त्र लाइसेन्स जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति शस्त्र अधिनियम, 1959 एवं शस्त्र नियमावली, 1962 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान की जाती है।

जनपदों में शस्त्र लाइसेंस संबंधी उत्तराधिकार के प्रकरणों का समयबद्ध एवं त्वरित निस्तारण के निर्देश समस्त जिला मजिस्ट्रेट को दिनांक 26-4-2012 को निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में घोषित अवकाशों की समीक्षा कर गैर जरूरी अवकाशों को समाप्त करने की मांग

63-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में घोषित अवकाशों की समीक्षा करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार गैर जरूरी अवकाशों को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर में निराला नगर पोस्ट आफिस के सामने स्थित पार्क के सौन्दर्यीकरण, विद्युत प्रकाश व्यवस्था पेड़-पौधों हेतु जलापूर्ति करने की योजना

64-श्री उमेश पाण्डेय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में निराला नगर पोस्ट आफिस के सामने स्थित तिकोना/बामोकेट पार्क के सौन्दर्यीकरण, विद्युत प्रकाश व्यवस्था, लगाये गये

पेड़-पौधों हेतु जलापूर्ति व्यवस्था एवं रख-रखाव तथा वरिष्ठ नागरिकों हेतु टहलने वाले पथ बनाने हेतु कोई कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

निराला नगर पोस्ट आफिस के सामने स्थित तिकोना/बायोटेक पार्क में टहलने के लिये पाथवे का निर्माण कार्य पूर्व में कराया जा चुका है। पार्क के सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत 18 संख्या में गार्डेन लाईटें एवं 01 संख्या में सेमी हाईमास्ट पूर्व में लगाये गये थे, जो वर्तमान में खराब हैं। पार्क में लगी गार्डेन लाइटें क्षेत्रीय निवासियों के बच्चों के पार्क में खेलने से टूट गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2012 के अन्तर्गत वार्षिक निविदायें वर्तमान में आमंत्रित की गयी हैं। दरों के निर्धारण की स्वीकृति उपरान्त ही उक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा। पार्क में जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु पूर्व में सबमर्सिबिल पम्प लगाया गया था जिसमें स्थलीय नागरिकों द्वारा ईंटों के टुकड़े आदि डाल दिये गये जिससे बोरिंग बर्स्ट हो गयी है नये स्तर से सबमर्सिबल पम्प लगाने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है। आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त धन की उपलब्धता/स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर मनखारा से केमरी तथा मुल्लाखेड़ा से विलासपुर के मार्गों के मरम्मत की मांग

65-श्री संजय कपूर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्ग मानक के विपरीत बने होने के कारण बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गये हैं जिसके कारण आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी और खराब निर्माण के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

एन0एच0-87 मनखारा से केमरी तथा मुल्लाखेड़ा से बिलासपुर मिलक मार्ग खनन आदि के कारण अत्यधिक भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। वर्तमान में किसी भी मार्ग पर आवागमन बाधित नहीं है।

मानसून से पूर्व समस्त मार्गों का अनुरक्षण कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। मार्गों के निर्माणाधीन अवस्था में गुणवत्ता का परीक्षण नेशनल क्वालिटी मानीटर तथा स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा किया गया था, जिसमें गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में नहीं आया। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का औचित्य नहीं बनता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी नगर के कतिपय वार्डों की क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों को ठीक कराने की मांग

66-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर की क्षतिग्रस्त ब्रांच सीवर लाइनों को बदलने हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत कोई परियोजना संचालित है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वाराणसी नगर की क्षतिग्रस्त ब्रान्च सीवर लाइनों को बदलने हेतु कोई परियोजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर के ब्रान्च सीवर लाइनों के रखरखाव का कार्य जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी के कार्य क्षेत्र में आता है। जलकल विभाग, नगर निगम, वाराणसी के प्रस्तावानुसार वाराणसी नगर के भेलूपुर वार्ड, चेतगंज वार्ड, जैतपुरा व आदमपुरा वार्ड तथा नगवा वार्ड की क्षतिग्रस्त सीवर के वैकल्पिक व्यवस्था का प्राक्कलन अनुमानित लागत रु0 60.00 करोड़ 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र की रेलगाड़ियों में यात्रियों के लूट-पाट तथा जहरखुरानी आदि की घटनाओं को रोकने की योजना

67-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र की रेलगाड़ियों में लापरवाह एस्कोर्ट पुलिस के कारण यात्रियों के लूट-पाट तथा जहरखुरानी की घटनायें लगातार बढ़ रही हैं ? क्या सरकार को जानकारी कि दिनांक 26 फरवरी, 2012 की रात ट्रेन नं0-12566 सप्तक्रान्ति एक्सप्रेस तथा मडुवाडीह-गोरखपुर इण्टरसिटी एक्सप्रेस में लुटेरों द्वारा महिला यात्रियों के जेवर आदि लूट लिये गये और शोर मचाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई सहायता नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार घटनाओं की जांच एवं सुरक्षित यात्रा हेतु कोई प्रभावी व्यवस्था लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी0आर0पी0 उ0प्र0 अन्तर्गत विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष लूटपाट की घटनाओं में कमी आई है। दिनांक 26 फरवरी, 2012 को ट्रेन नं0-12566 सप्तक्रान्ति एक्सप्रेस तथा मडुवाडीह-गोरखपुर इन्टरसिटी एक्सप्रेस में इस प्रकार की कोई घटना का होना प्रकाश में नहीं आया है।

ट्रेनों में लूट की व अन्य घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित यात्रा हेतु निम्नांकित कदम उठाये जा रहे हैं :-

1-रात्रिकालीन ट्रेनों में जी0आर0पी0 के द्वारा स्कोर्ट कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाती है। कतिपय ट्रेनों में आर0पी0एफ0 द्वारा स्कोर्ट लगाया जाता है।

2-ट्रेनों की आकस्मिक चेकिंग कराकर संदिग्ध एवं आसामाजिक तत्वों की धरपकड़ करायी जाती है।

3-रेलवे स्टेशनों व विभिन्न ट्रेनों में हैण्डबिल/स्टीकर लगाकर व फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को सतर्क रहने हेतु सावधान किया जाता है।

4-विभिन्न रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में अपराधकारित करने वाले अपराधियों का फोटो एलबम बनाया गया है, ताकि पीड़ित यात्रियों द्वारा तत्परता से पहचान कराकर कार्यवाही की जा सके।

5-जी0आर0पी0 द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है।

6-सी0सी0टी0वी0 द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखी जाती है।

7-रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को आवागमन के समय 'लाउडहेलर' व रेलवे के 'पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम' के माध्यम से प्रसारण करते हुए यात्रियों को सुरक्षित यात्रा करने हेतु सतर्क किया जाता है।

8-सीमावर्ती प्रदेशों से भी अपराधियों के सम्बन्ध में सूचनाओं का आदान प्रदान करके आवश्यक कार्यवाही करायी जाती है।

9-अवांछनीय तत्वों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

10-उच्च अधिकारियों द्वारा ट्रेन व रेलवे स्टेशनों पर आकस्मिक चेकिंग की जा रही है।

रेल यात्रियों की सुरक्षा इत्यादि के लिये उपरोक्त किये गये प्रयासों से स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

जनपद लखनऊ में दारुलशफा, नगर निगम कार्यालय, जिलाधिकारी आवास के परिसर में शुद्ध पेय जलापूर्ति की जानकारी

68-श्री वीरपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में दारुलशफा, नगर निगम कार्यालय, जिला अधिकारी आवास लखनऊ परिसर में पेयजल प्रदूषित होने के कारण आने-जाने वाली जनता को प्रदूषित पानी पीने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

लखनऊ नगर स्थित दारुलशफा की जलापूर्ति, रखरखाव व अनुरक्षण का कार्य लोक निर्माण विभग द्वारा देखा जाता है। लालबाग स्थित नगर निगम कार्यालय की पेयजल व्यवस्था नगर निगम की स्वयं की बोरिंग होने के कारण नगर निगम द्वारा देखा जाता है तथा जिलाधिकारी, आवास लखनऊ की स्वयं की बोरिंग है। इन परिसरों में दूषित पेयजलापूर्ति की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में विधवा पेंशन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्वीकृत व अवशेष आवेदन-पत्रों के निस्तारण की जानकारी

69-श्री वीरपाल-

क्या महिला कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में 01 जनवरी, 2011 से 30-4-12 तक विधवा पेंशन हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा उनमें कितने लोगों को विधवा

पेंशन स्वीकृत की गयी है और कितने आवेदन अवशेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि अवशेष आवेदकों को विधवा पेंशन की स्वीकृति दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला कल्याण, संस्कृति राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती अरुण कुमारी कोरी)-

जनपद बागपत में उक्त अवधि में कुल 236 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें 122 लाभार्थियों को विधवा पेंशन स्वीकृत की गई और 114 आवेदन-पत्र अवशेष हैं।

विधवा पेंशन स्वीकृत किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधानित कर दिया गया है। आवेदन-पत्रों का परीक्षण कर नियमों के अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

70-मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

[दिनांक 30.5.2012 के अता0 प्र0 सं0 108 द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी में आपराधिक घटनाओं को रोकने की कार्यवाही

71-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में विभिन्न प्रकार की बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को रोकने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां, अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु विभिन्न प्रकार की स्कीम/कार्य-योजना तैयार कर उचित फोर्स की मदद से प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

यह सरकार का दायित्व है।

प्रश्न नहीं उठता।

72-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[दिनांक 31-5-2012 के अता0 प्र0 सं0-40 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स के लम्बित प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

73-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की सरकार की क्या नीति है ? क्या यह सही है कि शस्त्र लाइसेन्स के हजारों प्रार्थना-पत्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके सम्बन्ध में कोई नीति बनाकर शीघ्र निस्तारित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-वी-11016/16/2009-आर्म्स, दिनांक 31-03-2010 द्वारा शस्त्र लाइसेंस निस्तारण के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं।

जी हां।

आयुध अधिनियम, 1959 तथा आयुध नियम 1962 में शस्त्र लाइसेंस आवेदन-पत्रों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-529 आर/छ-पु-5-2012, दिनांक 07-04-2012 द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों को अपने अधीनस्थ जनपदों में सघन अभियान चलवाकर तीन माह से पुराने लम्बित शस्त्र आवेदन-पत्रों को तत्काल निस्तारित कराये जाने के आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर इन्दिरा आवास स्थायी पात्रता सूची में अंकित लाभार्थियों का आवास देने की जानकारी

74-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत ब्लाकवार एवं ग्राम पंचायत वार कितने ऐसे गरीब व्यक्ति हैं जिनका नाम इन्दिरा आवास हेतु स्थाई पात्रता सूची में है तथा वर्ष 2012-13 के लक्ष्य के अनुसार कितने गरीबों को इन्दिरा आवास दे दिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पात्रता सूची के अवशेष गरीबों को आवास दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद बहराइच के विधान सभा पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्डवार एवं पंचायतवार स्थायी पात्रता सूची में अवशेष लाभार्थियों की संख्या इस उत्तर के साथ संलग्नक† में अंकित है। वर्ष 2012-13 में जनपद बहराइच हेतु भारत सरकार से 12551 इन्दिरा आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, परन्तु केन्द्रांश की धनराशि अभी तक न मिल पाने के कारण पात्र लाभार्थियों को इंदिरा आवास की धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी है।

स्थायी पात्रता सूची में अंकित लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की सीमा तक आवास निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच में पयागपुर तथा विशेश्वरगंज विकास खण्ड में अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने की मांग

75-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में पयागपुर तथा विशेश्वरगंज विकास खण्डों की आबादी लगभग 5 लाख है किन्तु अग्निशमन केन्द्र नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार पयागपुर में एक अग्निशमन केन्द्र की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद बहराइच में तहसील मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जी नहीं।

---

†(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ट 172-177 पर)

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुख्यालय बहराइच स्थित तहसील सदर में अग्निशमन केन्द्र स्थापित है तथा कस्बा पयागपुर तथा विशेश्वरगंज इसी तहसील के अन्तर्गत है।

जनपद बरेली में मुंसिफ कोर्ट का भवन निर्माण हेतु प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

76-डा0 सियाराम सागर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25-4-12 जो कि फरीदपुर, जनपद बरेली में मुंसिफ कोर्ट का भवन निर्माण हेतु भूमि एवं धन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में है, आपको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

मा0 सदस्य के प्रश्नगत पत्र के विषय में महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने एवं आख्या हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना

77-श्री रामचन्द्र यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत मिल्कीपुर तहसील में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शासनादेश संख्या 576/छः-पु-8-09-02 (स्थापना)/07, दिनांक 24-02-2009 द्वारा जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत मिल्कीपुर तहसील में 02 यूनिट के अग्निशमन केन्द्र की स्थापना हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, सीतापुर को दिये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

78-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 184/सू एवं ज0स0वि0 (विज्ञा0)-632-2011 दिनांक 29 मार्च, 2012 जो सांध्य हिन्दी दैनिक निष्पक्ष प्रतिदिन सीतापुर संस्करण का प्रकाशन अनियमित एवं अवैध रूप से किये जाने के सम्बन्ध में है, जिलाधिकारी, सीतापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जिला सूचना अधिकारी, सीतापुर द्वारा संपादक/प्रकाशक/मुद्रक, निष्पक्ष प्रतिदिन सान्ध्य दैनिक (सीतापुर संस्करण) को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0 प्र0, लखनऊ द्वारा विभिन्न विभागों के अधिकारियों को लिखे गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

79-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ के द्वारा पत्र संख्या 142/सू एवं ज0स0वि0 (विज्ञा0)-632/2011 दिनांक 14 मार्च, 2012 जो कि हिन्दी दैनिक निष्पक्ष प्रतिदिन द्वारा विज्ञापन के माध्यम से अवैध ढंग से प्राप्त की गयी धनराशि की वसूली के सम्बन्ध में है विभिन्न विभागों के अधिकारियों जैसे प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ, आयुक्त नगर विकास, लखनऊ, निदेशक, पर्यटन उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ उपाध्यक्ष, लखनऊ, विकास प्राधिकरण, लखनऊ, आयुक्त आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ, निदेशक, मण्डी परिषद्, लखनऊ आदि के प्रबन्धक, निदेशक और निदेशकों को पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

अवध प्रकाशन प्रा0 लि0 का भवन लखनऊ-सीतापुर रोड छठवां मिल, कमलाबाद, बढ़ौली के सम्बन्ध में प्राप्त प्रश्नोत्तर पत्र पर बिन्दुवार कार्यवाही

80-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ने पत्र संख्या-139/सू एवं ज0स0वि0 (विज्ञा0)-632/2011 दिनांक 14 मार्च, 2012 के द्वारा अवध प्रकाशन प्रा0लि0 का भवन लखनऊ सीतापुर रोड छठवां मील, कमलाबाद, बढ़ौली के सम्बन्ध में पत्र जिलाधिकारी, लखनऊ को लिखा है ? यदि हां, तो उक्त पत्र के क्या-क्या बिन्दु हैं और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के पत्र संख्या-139/सू एवं ज0सं0वि0 (विज्ञा0)-632/2011 दिनांक 14 मार्च, 2012 के बिन्दु निम्नानुसार हैं :-

1-अवध प्रकाशन प्रा0लि0 का भवन लखनऊ-सीतापुर रोड 6ठां मिल, कमलाबाद, बढ़ौली में जिस भूमि पर बना हुआ है, उस पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि की श्रेणी तथा वर्तमान में उस पर किसका स्वामित्व व कब्जा है ?

2-उक्त भूमि फ्री-होल्ड है अथवा ग्राम समाज की है और पट्टे पर ली गयी है, तो पट्टे की अवधि क्या है ?

3-यदि उक्त भूमि किसी अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है, तो उसके अतिरिक्त अन्य का अनधिकृत कब्जा तो नहीं है ?

4-कहीं किसी अनुसूचित जाति के नाम से कोई अन्य व्यक्ति भूमि क्रय कर बेनामी क्रेता के रूप में उक्त भूमि पर काबिज तो नहीं है ?

5-यदि उक्त भूमि कृषि संबंधी है, तो उसका उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है अथवा इससे भिन्न। यदि कृषि कार्य से भिन्न कार्य किया जा रहा है, तो नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन कराया गया है अथवा नहीं तथा किसी प्रकार की स्टैम्प ड्यूटी से सम्बन्धित कोई कर-हानि तो नहीं पहुंचायी जा रही है ?

6-उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि गुंजनिका प्रिन्टर्स, 289 गुंजनिका भवन, चन्द्रलोक कालोनी, अलीगंज, लखनऊ के बगल में राजा महमूदाबाद (शत्रु सम्पत्ति) की भूमि पर कब से और किसका कब्जा है, से संबंधित अभिलेख/जानकारी।

इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी कार्यालय, लखनऊ द्वारा उप जिलाधिकारी, लखनऊ व बख्शी का तालाब से जांच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0, लखनऊ को प्राप्त प्रश्नगत-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

81-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनेश कुमार शुक्ल, संयुक्त निदेशक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक-6799/निबन्धन/दिनांक लखनऊ-फरवरी, 28, 2012 जो कि ''दि लखनऊ सहकारी प्रेस लिमिटेड'' 289 चन्द्रलोक कालोनी जनपद लखनऊ का निबन्धन दिनांक 23-3-2005 द्वारा रद्द कर दिये जाने विषयक है, निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, पार्क रोड, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्र दिनांक 28-2-2012 जिलाधिकारी, लखनऊ को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0 प्र0 प्रभारी कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ को प्रेषित-पत्र पर कृत कार्यवाही

82-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या-141/सू एवं ज0स0वि0 (विज्ञा0)-632/2012 दिनांक 14 मार्च, 2012 जोकि

सक्षम धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में है, प्रभारी कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में क्या-क्या बिन्दु हैं तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि हिन्दी दैनिक निष्पक्ष प्रतिदिन समाचार-पत्र वर्ष 2007 से अस्तित्व में नहीं है, इनके प्रकाशक/मुद्रक एवं संपादक श्री जगदीश नारायण शुक्ला द्वारा सरकार को गुमराह कर धोखाधड़ी करते हुए वर्ष 2007 से अब तक इस विभाग से विज्ञापन मद में कुल रु0 30,50,844.15 की धनराशि प्राप्त की गयी है। इसके अतिरिक्त श्री शुक्ला द्वारा प्रदेश एवं भारत सरकार के अन्य विभागों यथा-रेलवे, डी0ए0वी0पी0, पॉवर कारपोरेशन, आवास विकास, विकास प्राधिकरण एवं अन्य से विज्ञापन मद में धनराशि प्राप्त कर शासकीय धन की क्षति पहुँचायी गई है।

अतः श्री जगदीश नारायण शुक्ला, कथित प्रकाशक/मुद्रक एवं संपादक, हिन्दी दैनिक निष्पक्ष प्रतिदिन, लखनऊ द्वारा शासन को गुमराह कर धोखाधड़ी एवं जालसाजी करते हुए भ्रामक सूचनाओं एवं झूठे अभिलेखों के आधार पर विज्ञापन प्राप्त करने एवं शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने के आरोप में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उक्त के अतिरिक्त सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विज्ञापन मद में स्वीकृत धनराशि रु0 30,50,844.15 की वसूली हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ से भी अनुरोध किया जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 16-3-2012 को थाना हजरतगंज में मु0अ0सं0 96/12, धारा 419/420/467/468 भादंवि बनाम जगदीश नारायण शुक्ला पंजीकृत हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की रौजा नगर पंचायत में इण्डिया मार्का-2 खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

83-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर की रौजा नगर पंचायत में कुल कितने इण्डिया मार्का-2 नल खराब हैं ? क्या खराब नलों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद शाहजहांपुर के रौजा नगर पंचायत में 37 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 12 हैण्डपम्प रिबोर होने हैं।

रिबोर योग्य हैण्डपम्प के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर से शीशगढ़ के क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की जानकारी

84-श्री संजय कपूर-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर से शीशगढ़ मार्ग काफी क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन की समस्या उत्पन्न हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

जी नहीं।

जनपद रामपुर की विलासपुर तहसील के अन्तर्गत निर्मित शीशगढ़-अहरो मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध नहीं है। उक्त मार्ग का निर्माण फेज-6 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत कराया गया है। मार्ग के अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है। इस मार्ग की 12 कि0मी0 लम्बाई में मरम्मत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 6.15 कि0मी0 लम्बाई में कार्य दिनांक 20-06-2012 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट के तार खींचे जाने की मांग

85-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के नगर क्षेत्र में अभी तक स्ट्रीट लाइट का तार नहीं खिंचवाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट का तार खिंचवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शाहजहांपुर नगर क्षेत्र में 245 मुख्य मार्गों/गलियों में स्ट्रीट लाइट के तार खिंचे हैं। शेष मार्गों/गलियों में स्ट्रीट लाइट के तार नहीं खिंचे हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने की योजना

86-श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर से बहने वाली यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उसमें गिरने वाले नालों को रोकने और उसके जल को शुद्ध बनाये रखने की सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत आगरा नगर के नालों को डायवर्ट कर उनके दूषित जल को सीवेज शोधन संयंत्रों पर ट्रीटमेंण्ट किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज योजना निर्माणाधीन है।

आगरा शहर में लानों के माध्यम से यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु यमुना कार्य योजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत कुल 90.25 एम0एल0डी0 क्षमता के 03 सीवेज शोधन संयंत्र तथा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 12 एम0एल0डी0 क्षमता के एक सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा चुका है।

यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत नार्दन जोन में 14 एम0एल0डी0 क्षमता के एक सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण किया जा चुका है। वेस्टर्न जोन में 40 एम0एल0डी0 क्षमता के एक सीवज शोधन संयंत्र का तथा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत 142 कि0मी0 सीवर लाइन, 06 पम्पिंग स्टेशन एवं 24 एम0एल0डी0 क्षमता का एक सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है। उक्त के अतिरिक्त आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा 36 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 भी निर्माणाधीन है। अवशेष क्षमता के लिये डी0पी0आर0 बनायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

गंगा, यमुना तथा गोमती सहित प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की नीति व योजना

87-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा सहित प्रदेश की नदियों में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार इसके लिये कोई कार्य योजना बनाकर प्रदूषण को रोकेगी ? यदि हां, तक कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

गंगा, यमुना तथा गोमती सहित प्रदेश की प्रमुख नदियों को प्रदूषण मुक्त करने हेतु उनके किनारे स्थित नगरों के घरेलू सीवेज से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने/औद्योगिक उत्प्रवाह को रोकने एवं शोधित करने की नीति है।

जी हां, गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित नगरों में योजनायें क्रियान्वित की गयी है। गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)/यमुना कार्य योजना/गोमती कार्य योजना के अन्तर्गत उक्त नदियों के किनारे बसे नगरों के घरेलू सीवेज से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु बनायी गयी योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं अथवा निर्माणाधीन हैं। उक्त के अतिरिक्त एन0जी0जार0बी0ए0 के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन क्लीन गंगा (एन0जी0आर0बी0ए0) के अन्तर्गत गंगा तथा उसकी प्रमुख सहायक नदियों के किनारे बसे नगरों के घरेलू सीवेज को नियंत्रित करने हेतु योजनायें वर्ष 2020 तक क्रियान्वित की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर में कारखानों के कचरों तथा प्रदूषित पानी को गंगा में गिरने से रोकने की कार्य योजना

88-श्रीमती जयोत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में कारखानों के कचरों तथा प्रदूषित पानी को गंगा में गिरने से रोकने की कोई कार्य योजना लागू है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कारखानों का कचरा गंगा में गिरना बन्द हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। कानपुर नगर में औद्योगिक उत्प्रवाह लगभग 50 एम0एल0डी0 तथा घरेलू उत्प्रवाह लगभग 426 एम0एल0डी0 है। घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण) के अन्तर्गत जाजमऊ में 130 एम0एल0डी0 एवं 05 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अधिष्ठापित हैं। इसके अतिरिक्त जाजमऊ क्षेत्र की टैनरियों से निकलने वाले औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन हेतु 36 एम0एल0डी0 क्षमता का कम्बाइन्ड उत्प्रवाह शोधन संयंत्र (सी0ई0टी0पी0) अधिष्ठापित है, जिसे 09 एम0एल0डी0 टैनरी उत्प्रवाह तथा 27 एम0एल0डी0 घरेलू सीवेज हेतु डिजाइन किया गया है।

घरेलू प्रदूषित उत्प्रवाह को गंगा नदी में गिरने से रोकने हेतु जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जाजमऊ क्षेत्र में 43 एम0एल0डी0, ख्योरा कटरी में 15 एम0एल0डी0, सनिगंवा में 42 एम0एल0डी0 एवं बिनगवां में 210 एम0एल0डी0 क्षमता के एक-एक सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

चमड़ा उत्पादन की प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु बड़े टैनरी उद्योगों द्वारा प्राथमिक उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (पी0ई0टी0पी0) तथा 122 क्रोम रिकवरी संयंत्र स्थापित हैं। नगर निगम, कानपुर द्वारा 79 क्रोम टैनरी इकाइयों हेतु एक कामन क्रोम रिकवरी संयंत्र की स्थापना की गयी है। कानपुर नगर में औद्योगिक उत्प्रवाह के शोधन हेतु नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के अन्तर्गत 50 एम0एल0डी0 क्षमता का ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट अधिष्ठापित किये जाने की परियोजना सी0एल0आर0आई0 से विरचित करायी जा रही है।

नेशनल मिशन क्लीन गंगा (एन0जी0आर0बी0ए0) कार्यक्रम में कानपुर से संबंधित कार्य वर्ष 2020 तक पूर्ण किये जाने प्रस्तावित हैं, जिसके फलस्वरूप गंगा में जाने वाले समस्त उत्प्रवाह शोधन के उपरान्त निस्तारित किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 11 जून, 2012 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुई। जिसमें 15 सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्रीमती अनुप्रिया पटेल की जनपद वाराणसी के रोहनियां विधान सभा के मंडुवाडीह क्षेत्र में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। 2सरी सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा के सभी गेहूं क्रय केन्द्रों में बोरी की उपलब्धता न होने के कारण हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में है। 3सरी सूचना श्री मदन गोपाल वर्मा की जहानाबाद के फतेहपुर में विद्युत् तार गिरने के कारण किसानों की फसल जलकर राख हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

(उपस्थित नहीं हैं।)

4थी सूचना श्री सतीश महाना की कानपुर महानगर के श्रम विभाग के 70 प्रतिशत क्वार्टरों के किराया वसूली में भारी अनियमितता के सम्बन्ध में है। 5वीं सूचना श्री धर्मपाल सिंह की प्रदेश में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए प्रदेश के तालाबों को राजकीय नलकूपों से भरवाये जाने के सम्बन्ध

में है (उपस्थित नहीं हैं।) 6ठी सूचना साध्वी निरंजन ज्योति की जनपद हमीरपुर के अन्तर्गत मौदहा तहसील में खारे पानी के कारण जनमानस को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में है। (उपस्थित नहीं हैं।) 7वीं सूचना श्री महावीर सिंह राणा की सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा, हिमांचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सीमा क्षेत्र जो शिवालिक पर्वत के पास है, खनन कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में है। 8वीं सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिन्द की जनपद मिर्जापुर के मझवां के विकास खण्ड सीटी में ए0बी0सी0 कम्पनी द्वारा निकलने वाले दूषित जल से लोहानी नदी के पानी के प्रदूषित होने के सम्बन्ध में है। (उपस्थित नहीं हैं।) 9वीं सूचना श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी की विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में रेहठी उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर तैनात करने एवं दवायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में है। 10वीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की मथुरा के बल्देव विधान सभा में कतिपय मार्गों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में है। (उपस्थित नहीं हैं।) 11वीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की आगरा जनपद स्थित राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय को कृषि महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है। 12वीं सूचना डा0 पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज हाटा तहसील को मुख्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में है। 13वीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की विधान सभा रूदौली फैजाबाद के अन्तर्गत घातक दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक आश्रितों को दुर्घटना बीमा तथा अन्य देय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है। 14वीं सूचना श्री राधेश्याम की दुग्ध संघ सुल्तानपुर में जांच के दौरान पायी गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में है। 15 वीं सूचना श्रीमती नन्दिता शुक्ला की गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मैहनौन के ब्लाक मुजेहना अन्तर्गत बैजुपुर के तालाबों पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :-

1-श्री उमाशंकर सिंह

2-श्री जय प्रकाश अंचल

3-श्री जगराम पासवान

4-ठा0 सूरजपाल सिंह

5-श्री अगयश राम सरन वर्मा

6-सुश्री सावित्री बाई फूले

7-श्री बजरंग बहादुर सिंह

8-श्री कालीचरन सुमन

9-श्री राजेश त्रिपाठी

10-श्री जय प्रकाश निषाद

11-श्रीमती रजनी तिवारी

12-श्री राज नारायण बुधोलिया

13-श्री जियाउद्दीन रिजवी

14-श्री भीम प्रसाद सोनकर

15-श्री सुरेश कुमार खन्ना

16-श्री प्रमोद तिवारी

17-श्री वीरपाल
18-श्री त्रिलोकी राम
19-श्री गोरख पासवान
20-श्री मुकेश श्रीवास्तव

श्री अध्यक्ष-

इसमें 5 मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं। इसलिए उनके स्थान पर जिन मा0 सदस्यों की सूचनायें आज अस्वीकार की गयी हैं, उनमें से जो 5 महत्वपूर्ण होंगी और जो किसी कारण से शलाका में आज नहीं आ पायी थीं, उनको ले लिया जायेगा।

(तदुपरान्त श्री उमाशंकर, श्री कालीचरन सुमन, श्री राजनरायन बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज, श्री जियाउद्दीन रिजवी तथा प्रमोद तिवारी की सूचनाएं ली गयी।)

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)।

जनपद वाराणसी के रोहनियां विधान सभा के मंडुवाडीह क्षेत्र में फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

सुश्री अनुप्रिया पटेल-

[मान्यवर, विधान सभा रोहनियां में मण्डुवाडीह चौराहे से पूरब दिशा में मण्डुवाडीह रेलवे स्टेशन के बगल से महमूरगंज इलाके तक नये फ्लाईओवर की अत्यन्त आवश्यकता है। अवगत कराना चाहती हूं कि मण्डुवाडीह रेलवे स्टेशन से 100 गज उत्तर दिशा में रेलवे फाटक बना है किन्तु ट्रेनों के अत्यधिक आवागमन से यह फाटक अधिकतर बन्द रहता है जिससे भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिती बनी रहती है। एक वर्ष पूर्व मण्डुवाडीह चौराहे से दक्षिण दिशा में ककरमत्ता इलाके की ओर फ्लाईओवर बनाया गया था किन्तु उससे ट्रैफिक जाम की समस्या का निराकरण नहीं हुआ। क्षेत्र की जनता बहुत त्रस्त है।

विनम्र निवेदन है कि क्षेत्रीय जनता की असुविधा को खत्म करने हेतु फ्लाईओवर का निर्माण कराने की कृपा करें।]

जनपद बांदा के सभी गेहूं क्रय केन्द्रों में बोरी की उपलब्धता न होने के कारण हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दलजीत सिंह-

[महोदय, जनपद बांदा के सभी गेहूं खरीद केन्द्रों में बोरी की उपलब्धता न होने तथा तौल की सही व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्रीय किसान क्रय केन्द्रों में 15-15 दिनों से ट्राली-ट्रैक्टर लिये हुये लाइन लगाये खड़े रहते हैं और जो गेहूं खरीदा गया है, उसकी ढुलाई न हो पाने के कारण मैदान पर ही गेहूं पड़ा हुआ है। किसानों का गेहूं भी खुले आसमान के नीचे पड़ा है। बरसात का मौसम आता जा रहा है, यदि संयोगवश बारिश हो जाती है तो किसानों का एवं खरीदा गया गेहूं भीगकर सड़ जायेगा, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी और सरकार को भी नुकसान होगा। उक्त समस्याओं की तरफ यदि सरकार द्वारा ध्यान दिया जाय तो लाखों किसानों को फायदा पहुंचेगा। गेहूं क्रय केन्द्रों में चोरी की अनुपलब्धता एवं तौल में गड़बड़ी दोनों विकराल समस्यायें हैं, इससे जनपद बांदा के गरीब किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

कानपुर महानगर में श्रम विभाग के 70 प्रतिशत क्वार्टरों के किराया वसूली में भारी अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय, उत्तर प्रदेश के लगभग 16 जनपदों में जिनमें कानपुर में विशेषतया अधिक कल-कारखाने होने के कारण तथा श्रमिक आवास (मलिन बस्ती) होने के कारण बड़े पैमाने पर श्रमिक बस्तियां बनाई गयीं। इन श्रमिक बस्तियों में मूल रूप में श्रमिक बसाये गये।

कानपुर महानगर में श्रम विभाग के लगभग 19 हजार क्वार्टर हैं। इनमें से 30 प्रतिशत आवासों पर ही श्रमिक काजिब हैं, जो सालाना रु0 120 किराया दे रहे हैं। 70 प्रतिशत क्वार्टरों का किराया नहीं जमा हो रहा है। गृह निरीक्षकों ने अधिकतर किरायेदारों से अवैध रूप से रकम वसूली कर रसीद काटी है। ऐसे श्रमिक जो सेवानिवृत्त होते गये इनमें से कई श्रमिकों का अन्यत्र कहीं ठिकाना नहीं था, ने इन्हीं श्रमिक बस्तियों को स्थाई ठिकाना बना लिया और जो श्रमिक अन्यत्र बसना चाहे वे अपने क्वार्टर को दूसरों को दे दिये जो न तो उनके परिवार के सदस्य हैं और न ही रिश्तेदार हैं। इनकी किराया वसूली के लिये प्रत्येक बस्ती में गृह निरीक्षक तथा अधीनस्थ कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत रहे हैं। किराया वसूली में भारी मात्रा में अनियमितता की जा रही है। वर्तमान में निवास कर रहे व्यक्ति एवं किराये की रसीद से मिलान कराने पर अनियमितता स्पष्ट हो जायेगी।

श्रम कालोनियों में जो अधिकतर एक कमरे के हैं आज बुरी तरह खस्ताहाल हैं, उन्हें उन निवासियों को विशेषतया श्रमिक हैं या सेवा से सेवानिवृत्त श्रमिक हैं, उन्हें कम कीमत पर बिक्री कर देना चाहिए। इससे बिक्री एवं रजिस्ट्रेशन एवं पुनः बिक्री एवं रजिस्ट्रेशन से शासन को लाखों का राजस्व प्राप्त होगा और श्रम विभाग के कर्मचारियों की लूट-खसोट भी समाप्त हो जायेगी।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में हरियाणा, हिमांचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड सीमा क्षेत्र जो शिवालिक पर्वत के पास है। खनन कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में। नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महावीर सिंह राणा-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र जो हरियाणा, हिमांचल एवं उत्तराखण्ड की सीमा पर शिवालिक पर्वत से लगा हुआ है। इस क्षेत्र में यमुना नदी एवं हिण्डन व सोलानी आदि नदियां बहती हैं। एक मात्र उद्योग खनन है। दो सौ के लगभग स्टोन क्रेशर हैं जो सरकार द्वारा निर्गत किए गये लाइसेंस द्वारा चलते थे परन्तु पिछले 7 माह से बन्द है। लगभग 2 लाख की आबादी के परिवारों का इस रोजगार से पालन पोषण होता है। जनपद में खनन कार्य रुकने से सभी विकास कार्य सड़क निर्माण, आवास निर्माण, विद्यालय व मेडिकल कालेज निर्माण आदि कार्य बन्द हो गये हैं। दिल्ली से यमुनोत्री मार्ग पी0पी0पी0 मॉडल पर 1800 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है। सहारनपुर से हथनीकुण्ड बैराज मार्ग 70 कि0मी0 48 करोड़, सहारनपुर से बड़गांव मार्ग 35 कि0मी0 लागत 38 करोड़ रुपये एवं कलसिया से छुटमलपुर मार्ग लगभग 30 कि0मी0 की लागत 29 करोड़ स्वीकृत हो कर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये थे। इसके साथ-साथ पांच पुल भी निर्माणाधीन है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अविलम्बनीय कार्यवाही/चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में रेहठी उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर तैनात करने एवं दवायें उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जफराबाद में रेहठा उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य जो वर्ष 2008 में लोकार्पित हुआ था। आज तक न उसमें डाक्टर तैनात हुये न ही दवाओं की व्यवस्था की गयी। डाक्टर को तैनात किया जाय, दवा की व्यवस्था किया जाय जिससे लोगों को सुविधा मिल सके।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

आगरा जनपद स्थित राजा बलवंत सिंह महाविद्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 धर्मपाल सिंह-

महोदय, उपरोक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट कर अवगत कराना है कि आगरा जनपद स्थित राजा बलवन्त सिंह महाविद्यालय, आगरा को एशिया पैसेफिक का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1885 में की गयी थी जोकि लगभग एक हजार एकड़ भूमि में विकसित है तथा यह पांच परिसरों में फैला हुआ है। यह महाविद्यालय 08 संकायों के अन्तर्गत 12 विषयों में स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा प्रदान करता है। इस महाविद्यालय की प्रमुख विशेषतायें जैसे :-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से 'ए' कालेज विद पोटेन्शियल फार एक्सीलेन्स का दर्जा प्राप्त होना, भारतवर्ष के 44 विश्वविद्यालयों में से एक होना, राष्ट्र मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् से अपने मूल्यांकन में 'बी' ग्रेड प्राप्त होना तथा विगत 50 वर्षों से कृषि, शिक्षा एवं अनुसन्धान के क्षेत्र में उच्च स्तरीय कार्य कर रहा है। इस महाविद्यालय को कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है तो यह जनपद की ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छात्र-छात्राओं, किसानों के लिए सबसे अधिक फायदे की बात होगी।

लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।

सधन्यवाद।

जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज हाटा तहसील को मुख्यालय बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पूर्णमासी देहाती-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत कप्तानगंज, हाटा तहसील का बड़ा कस्बा है, ब्लाक व थाना मुख्यालय, रेल का जंक्शन, अनेकों बैंक, अनेकों इण्टर व डिग्री कालेज हैं। कप्तानगंज तहसील बनने की सभी शर्तें पूरी करता है। हाटा तहसील मुख्यालय होने से इधर के लोगों को हाटा तहसील जाने में काफी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कप्तानगंज को तहसील बनाने की मांग अर्से से उठती रही है। तत्कालीन मा0 मुलायम सिंह यादव जी सरकार ने तहसील पुनर्गठन समिति का गठन भी किया था, लेकिन बसपा शासन ने मानक का बहाना बनाकर समिति ने प्रस्ताव को निरस्त कर दिया। जबकि हाटा के ग्राम बैरिया, मोर वन, अड़र वना, खोटही, कुशमहा, लाला छपरा, दर्जनों गांव पड़रौना जिला मुख्यालय के करीब हैं। इधर के ग्रामीणों को जिला से अधिक दूरी तहसील हाटा जाने में तय करना पड़ता है। कप्तानगंज को तहसील बनाया जाना जनता की अनिवार्यता है।

अतः इस अविलम्बनीय विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और जनहित में कप्तानगंज को तहसील बनाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा रूदौली फैजाबाद के अन्तर्गत घातक दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक आश्रितों को दुर्घटना बीमा तथा अन्य देय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र यादव-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रूदौली जनपद फैजाबाद अन्तर्गत दिनांक 24-09-2010 व 16-02-2012 तथा 20-3-2012 को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, की एल0टी0 ओवरहेड लाईन भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 29, 50(1बी) 50 (1)बी-2-9(1) एवं 91 (1) के अनुसार अनुरक्षित न होने के कारण अम्बरेश कुमार पुत्र श्री राम सुरेश, निवासी ग्राम ऐथर, थाना रूदौली व राजेन्द्र यादव पुत्र श्री राधेश्याम, निवासी ग्राम सैमसी मजरे रामपुर गुदारा, थाना मवई तथा श्यामलाल पुत्र श्री बाबूलाल, निवासी ग्राम बसौढ़ी मजरे जबरवापुर, थाना पटरंगा, जनपद फैजाबाद की घातक दुर्घटना के फलस्वरूप मुत्यु हो गयी।

उपरोक्त सभी मृतक खेतिहर किसान हैं। आश्रितों के भरण-पोषण का कोई अन्य श्रोत नहीं है। इन बड़ी घटनाओं में किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति चाहे किसान दुर्घटना बीमा योजना हो व विद्युत विभाग द्वारा देय अनुग्रह धनराशि का आज तक पीड़ित परिवारों को वितरण नहीं किया गया है। जिसके कारण क्षेत्रीय किसानों में भयंकर असंतोष है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त घटनाओं में पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कराये जाने की मांग करता हूं।]

दुग्ध संघ सुल्तानपुर में जांच के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राधे श्याम-

[महोदय, जिला योजना वर्ष 1999-2000 के अन्तर्गत दुग्ध संघ, सुल्तानपुर अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के सदस्यों को पशु आहार वितरण के लिए 1.50 लाख उपलब्ध कराया गया था। जिला विकास अधिकारी सुल्तानपुर सहित एक त्रिस्तरीय संयुक्त जांच कमेटी द्वारा विकास खण्ड गौरीगंज एवं शाहगंज की ग्यारह समितियों में पशुआहार वितरण की जांच के दौरान पायी गयी अनियमितताओं के संबंध में कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्याओं के आधार पर श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र0 पर्य0 को आरोप मुक्त पाया गया। आरोप मुक्त के उपरान्त इन्हें बहाल कर दिया गया, किन्तु इन्हें अभी देयों का भुगतान नहीं किया गया है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर इस सदन के माध्यम से सरकार से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मैहनौन के ब्लाक मुजेहना अन्तर्गत बैजपुर के तालाबों पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती नन्दिता शुक्ला-

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मैहनौन जनपद गोण्डा के ब्लाक मुजेहना अन्तर्गत ग्राम सभा बैजपुर में गाटा सं0 433, 448, 455 व ब्लाक इटियाथोक अन्तर्गत ग्राम अडंगा के गाटा नं0 193, 315 जो तालाब के रूप में दर्ज है परन्तु इन तालाबों को अवैध रूप से कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण कराकर कब्जा कर लिया है। मान्यवर, शासन स्तर से भी इस तरह से कब्जा करने वाले लोगों को दण्डित किये जाने का प्राविधान है। मा0 न्यायालय के भी आदेश हैं कि तालाबों की जमीन पर अवैध कब्जा न किया जाय। यदि कब्जा है तो उसे खाली कराया जाये। कब्जा करने वाले लोग प्रभावशाली हैं। मैंने बार-बार उक्त कब्जा हटाये जाने का लिखित रूप से अनुरोध किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा के तहसील मुख्यालय रसड़ा एवं ब्लाक मुख्यालय नगरा के बीच सब स्टेशन बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[मान्यवर, मैं एक जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि विधान सभा रसड़ा के तहसील मुख्यालय से ब्लाक मुख्यालय नगरा की दूरी लगभग 10 कि0मी0 के बीच कोई दूसरा विद्युत सब स्टेशन न होने के कारण रसड़ा एवं नगरा के विद्युत सब स्टेशनों पर अत्यधिक लोड हो जाने की वजह से आये दिन जला रहता है। इस स्थिति में इन दोनों सब स्टेशनों के बीच में ग्राम अठिलापुरा या ग्राम सभा खरूआंव में विद्युत सब स्टेशन बनवाया जाना अति महत्वपूर्ण है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय को सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत के गम्भीर संकट को देखते हुए इस विषय पर कार्यवाही/वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा में आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा फेस-3 के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काली चरण सुमन-

[महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा, 90 आगरा ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले ग्राम कलाल खेड़िया बगदा, चमरौली, बरौली अहीर, मियांपुर, नगला अरहर, तोरा, बसई आदि गांवों की फेस-3 के नाम से आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही नियम के विरुद्ध हो रही है। जबकि बड़े-बड़े बिल्डरों को छोड़ दिया गया है। इसको लेकर समस्त ग्रामों के किसानों ने विरोध जताया और कहा है कि हम छोटे-छोटे काश्तकार हैं और जमीन ही हमारी जीवन रोटी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः यदि जमीन अधिग्रहण हो गयी तो गावों वाले बेघर हो जायेंगे इसे लेकर किसानों ने भारी संख्या में आगरा में विकास प्राधिकरण द्वारा फेस-3 के नाम से जमीन अधिग्रहण को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व आक्रोश व्याप्त है। उपरोक्त भूमि अधिग्रहण को रोका जाना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद महोबा के पान उद्योग को प्रोत्साहित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महराज-

[महोदय, अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र महोबा का पान उद्योग के रूप में एक अपना अलग महत्व है। महोबा का पान भी बनारसी पान से कम स्वादिष्ट नहीं है। यह सम्पूर्ण भारत के साथ ही विश्वविख्यात है इस उद्योग से एक बड़ा वर्ग जिसको की चौरसिया समाज कहते हैं वह जुड़ा हुआ हैं महोबा में पान की खेती बहुतायत में होती है। लेकिन शासन प्रशासन का सहयोग उचित रूप में इसको प्राप्त न होने के कारण तथा बैंको से भी आवश्यक सुविधायें ऋण आदि के रूप में न मिलने के कारण यह उद्योग भी घाटे का सौदा होता जा रहा है। जिससे अनेक पान किसान बर्बादी के शिकार हो चुके हैं साथ ही बरेजों में काम करने वाले अनेक लोग कभी आगजनी आदि आपदाओं के शिकार भी हो चुके हैं।

महोदय, वैसे भी खतरनाक रसायनों से युक्त गुटका, पान मसाला आदि उद्योगों के कारण पान व्यापारी, पान किसान घाटे में चल रहे हैं, इस उद्योग को महोदय बचाने एवं बढ़ावा देकर प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है। जिससे महोबा की पहचान के साथ ही चौरसिया समाज का भला हो सके जो उस कार्य से वर्षों पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जुड़ा है।

अतः महोदय इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त प्रकरण में मेरा सरकार से अनुरोध है कि महोबा के विश्वविख्यात पान की पहचान कायम रखते हुए महोबा के चौरसिया समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए पान किसानों को प्रोत्साहित किये जाने के साथ ही सरकार से आवश्यक सुविधायें दिलाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया के जिला चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि बलिया जनपद में जिला चिकित्सालय में पूरे जनपद से गरीब जनता पीड़ित असहाय व्यक्ति अपना एवं अपने परिवार का इलाज कर पहुंचते हैं इस जनपद की जिला चिकित्सालय में सफाई न होने के कारण मरीजों को बहुत कठिनाई हो रही है समय से सुइपर चिकित्सालय के ग्राउण्ड एवं वार्डों की सफाई नहीं करते हैं और न तो चिकित्सालय के लोग सफाई पर ध्यान देते हैं। इतनी बदबू रहती है कि मरीज एवं तामीरदार दोनों को घुटन होने लगती है। इस जिला चिकित्सालय में न तो सी0टी0 स्कैन की मशीन है और न तो एम0आर0आई मशीन है। इसके अभाव में मरीजों को वाराणसी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाना पड़ता है वाराणसी की 20 कि0मी0 की दूरी पर पड़ जाता है। जिससे मरीजों के परिवार पर अतिरिक्त भार बढ़ जाता है। एम्बुलेन्स सुविधा भी पर्याप्त चिकित्सालय में नहीं है इस कारण कई मरीज बलिया-वाराणसी जो जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। सरकार की इस बजट में मन्शा भी है कि सभी जिला चिकित्सालयों में सी0टी0 स्कैन, एम0एम0आर0आई0 मशीन लगा दी जायेगी।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल गरीबों के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में सफाई एवं सी0टी0 स्कैन, एम0एम0आर0आई0 मशीन लगवाने की कृपा करें।]

जनपद प्रतापगढ़ के रामपुर खास के तहसील लालगंज के अन्तर्गत ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रमोद तिवारी-

[मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास, जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अंतर्गत ग्राम राहाटीकर एवं ग्राम पूरे नोती इटैला के समीप में कोई चिकित्सालय नहीं है जिसके कारण उक्त दोनों स्थलों पर जनहित में एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है, इन क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधा न होने के कारण आवश्यकता पड़ने पर लोगों का समुचित उपचार नहीं हो पाता है जिसके कारण कभी-कभी चिकित्सीय सुविधा न मिलने के कारण और समीप में कोई अन्य चिकित्सालय न होने की वजह से इलाज के अभाव में छोटी से छोटी बीमारी भी भयंकर रूप ले लेती है और लोगों की असामयिक मृत्यु तक हो जाया करती है। जनहित में उपरोक्त दोनों स्थानों पर एक-एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किया जाना जनहित में अति आवश्यक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर लोगों को समय रहते चिकित्सा की सुविधा मिला सके, और उनके जीवन को बचाया जा सके। इस क्षेत्र में समीप में कोई अन्य चिकित्यालय न होने एवं नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना अभी तक न होने के कारण लोगों में निराशा तथा चिन्ता व्याप्त है और उनमें रोष है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 जून, 2012 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 सूचनायें प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री प्रमोद कुमार तिवारी की लोकसभा सचिवालय की भांति अधिकारियों/कर्मचारियों को मिनले वाली सारी सुविधायें उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव, लिपिकीय स्टाफ, मार्शल तथा रक्षक आदि को किसी न किसी रूप में उपलब्ध कराये जाने के संबंध में। दूसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के अन्तर्गत रसड़ा स्थित पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का समतलीकरण कर अवैध रूप से कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है यह सब आपका नियम 300 में नहीं आता है समतलीकरण, इसको थोड़ा सा आप लोग नये हैं, थोड़ा सा नियमावली पढ़ लेंगे तो इसको 301 में दे सकते हैं, 51 में दे सकते हैं, 56 में दे सकते हैं, इसको जरा गम्भीरता से देखें। तीसरा, श्री अगयश रामसरन वर्मा शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत पुलिस चौकी प्रभारियों की नियुक्तियों में घोर अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यह भी नियम 300 में नहीं आता है यह दिनांक 8 जून, 2012 को निरस्त किया जा चुका है तो यह भी इसमें नहीं आता है। प्रमोद कुमार तिवारी जी की सूचना चूंकि लोक सभा और विधान सभा से संबंधित है। इसलिए मैं इनको थोड़ा सा सुन लेता हूं।

लोक सभा सचिवालय की भांति मिलने वाली सारी सुविधायें उत्तर प्रदेश विधान सभा को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। मैं आपको एक दृष्टांत देते हुए कहना चाहता हूं कि यह एक सर्वविदित सर्वमान्य सिद्धान्त है कि जब कभी वेतन आयोग बनता है प्रदेश में भी उसी के अनुसार, उसी के समकक्ष पदों पर बैठे लोगों को वहीं सुविधाएं वहीं सहूलियतें मिलती हैं। मान्यवर, यह भी तय हुआ कि अगर उसके समकक्ष वेतन न हो, पद न हो तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी में जो पद नहीं है या उनके पद के बराबर हो सकते हैं मान्यवर, उन्हें चिन्हित किया है। लेकिन यहां तो दीपक तले अंधेरा हो रहा है पूरे प्रदेश का कानून तो बन गया, सभी जगह कानून बन गया मान्यवर। हमारा प्रजातंत्र हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमने ब्रिटिश पार्लियामेन्ट्री सिस्टम से भारत में लिया है। हम यह नहीं कहते कि हमने बिलकुल उनको कापी किया है लेकिन बहुत कुछ उसके आधार पर बनाया है। मान्यवर, भारत की लोकसभा में जो चीजें, जो परम्पराएं, जो नियम, जो सुविधाएं रहती हैं सामान्यतः वह दूसरी विधान सभा भी उसी को अंगीकृत करती है। अब यहां मान्यवर, जो भी कृपा रही हो अब मान्यवर, तत्कालीन सरकार की वेतन आयोग आया, सुविधाएं आई तो मान्यवर [xxx]

श्री अध्यक्ष-

इस सचिवालय के बारे में भी यहाँ चर्चा नहीं होती। आप वेतन आयोग तक अपने को सीमित रखें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं कह तो रहा हूँ कि उसमें आता कहाँ है, जो अम्बिका जी सर हिला रहे हैं उसको नहीं ला रहा हूँ,

श्री अध्यक्ष-

अम्बिका जी नहीं, आप ही कह रहे हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, अपनी योग्यता के आधार पर प्रमोद तिवारी जी अपनी बात रख सके हैं। आप अपनी योग्यता के आधार पर न रखने दें क्योंकि इस पर बहस मान्यवर, न तो परंपरा है और न होनी चाहिए। विधान सभा की बहस अगर इस तरह होने लगेगी। मा0 प्रमोद तिवारी जी अपनी सलाहियत की बुनियाद पर करेंगे फिर और मा0 सदस्य करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस तरह की बहस की शुरुआत ही गलत है और इसे ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिए, यह आपके स्तर की बात है। आप इसमें जैसा चाहें निर्णय लें लेकिन फिर भी इतनी भी बात नहीं आनी चाहिए।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट : [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मा0 अध्यक्ष जी आप रिजेक्ट करें या ग्राण्ट करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसे प्रश्नों पर मेरा निवेदन है कि ऐसे प्रश्न पर तो मेरे ख्याल से तो शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए, बात आनी ही नहीं चाहिए। यह जितनी भी बात हुयी है यह कार्यवाही का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। अब नियम 56।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह कार्यवाही का हिस्सा रहेगा। आप उसमें से कॉमा, फुल स्टॉप निकाल सकते हैं। आपके भी अधिकार सीमित हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा कि शब्द निकाले जा सकते हैं, भाव नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो प्रश्न रखे ही नहीं जा सकते हैं, वो प्रश्न कार्यवाही का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको दिखवा लूँगा।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-385/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(77)-2012, दिनांक 19 मई, 2012

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-2

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या क0नि0-2-385/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(77)-2012, दिनांक 19 मई, 2012 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्रीमती माधुरी वर्मा की व्यक्तिगत समस्या को अलग से सुने जाने का अनुरोध

*श्री प्रमोद तिवारी-

एक छोटा सा है। मान्यवर, हम लोग जब से आये हैं, इधर के सदस्य भी विरोध कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। एक मा0 सदस्य हैं हमारे यहां, माधुरी वर्मा जी हैं, बहराइच से विधायक हैं। लगातार रोये जा रही हैं। मैंने भी 2-3 बार बीच में उठकर जा करके उनकी पीड़ा समझने का प्रयास किया। वो रखना भी चाहती हैं कि जिस तरह से उनके पति को प्रताड़ित किया गया है वो भी विधायक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, यहां न उठा करके अगर वो यहां पर नहीं उठा पा रही हैं तो 2 बजे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, संसदीय कार्य मंत्री जी होंगे, आप होंगे। उनको बुला करके अगर अलग से सुन लें। अगर कोई महिला सदस्य यहां पर लगातार रोये मान्यवर, पीड़ा हो उसको मान्यवर और वो यहां पर व्यक्त न कर सके तो मान्यवर, तो इतना कृपा पूर्वक कर लें, समझ लें और अगर कुछ मदद हो सकती है तो ठीक है। 2 बजे मान्यवर रख लें आप दोनों लोग बैठ लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

मद सं0-3, मद सं0-4, मद सं0-5 एवं मद सं0-6 में कुछ नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नियम 56 का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष-

नियम 56 अभी आएगा।

श्री चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

*कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, धर्मार्थ कार्य मंत्री (श्री कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के 02 सदस्य का निर्वाचन करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की प्रबन्ध परिषद् में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन कराने के स्थान पर मा0 अध्यक्ष विधान सभा की विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 11 जून, 2012 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए, दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम-निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराये जाने का प्रस्ताव, जो इस माननीय सदन में दिनांक 11 जून, 2012 को स्वीकृत हुआ है, के सम्बन्ध में यह सदन सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित है, उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए दो सदस्यों का निर्वाचन कराने के स्थान पर माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को, विधान सभा के सदस्यों का नाम निर्देशन करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य उक्त चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर की प्रबन्ध परिषद् में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जाएंगे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 11 जून, 2012 को नियम-311 के अन्तर्गत 01 सूचना प्राप्त हुई जिसे नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 में कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई हैं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री संजय कपूर, श्री पंकज मलिक, श्रीमती उमाकान्ती सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री विजय कुमार दुबे, श्रीमती माधुरी वर्मा, श्री प्रदीप कुमार, श्री संजय जायसवाल, श्री राधेश्याम एवं श्री कुंवर कौशल सिंह की प्रदेश में नकली शीतल पेयजल पदार्थों की कालाबाजारी एवं चोर बाजारी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया, श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सुनील कुमार सिंह यादव एवं श्री विनोद कुमार शाक्य की जनपद कन्नौज के थाना सौरिख के अन्तर्गत श्री सरनाम सिंह को दिनांक 30-04-2012 को पुलिस द्वारा हवालात में बन्द कर बेदर्दी से पिटाई करने के उपरान्त मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की जनपद सिद्धार्थनगर के जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत सरकारी धनराशि के गबन किये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री त्रिभुवन राम की वाराणसी शहर के नजदीक तरना बाजार में राष्ट्रीय मार्ग पर दिनांक 08-06-2012 को हुई दुर्घटना में कु0 संजू देवी की मृत्यु एवं घायलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अतः अस्वीकृत हुई :-

श्री मुकुट विहारी वर्मा, श्री सतीश महाना, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री बजरंग बहादुर सिंह, श्री उमाशंकर सिंह, डा0 धर्म पाल सिंह, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री राज नारायण बुधौलिया, श्री अगयश रामसरन वर्मा, डा0 मुहम्मद अयूब व श्री अनसुर्रहमान, श्री मुकेश श्रीवास्तव तथा श्री श्याम बहादुर सिंह (नियम-311 में प्राप्त) की।

मा0 हुकुम सिंह जी की गेहूं क्रय पर सूचना थी, इस पर काफी चर्चा हो चुकी है, इसकी पुनरावृत्ति हो जायेगी, इसलिए इसे अस्वीकार किया गया।

*डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है पूरे प्रदेश में नागरिकों का इतना शोषण हो रहा है, आप मुझे दो मिनट का समय दीजिए जिससे वह विषय मैं यहां रख लूं। अध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब बैठ जाईये। आज बजट भी है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सहमति तो दे दीजिये। मैं सबसे बाद में बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष-

पहले इनको बोल लेने दीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की आकर्षित कर रहा हूं। कुछ चीजें अगर चोरी-चोरी हो जाएं तो बात समझ में आती है, उसकी व्यवस्था बनाने में समय लगता है, कुछ चीजें नजरों से ओझल करके हो जाए तो भी बात समझ में आती है लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि जिस प्रश्न को मैंने उठाया है यह सबकी नजरों के सामने है। सरकार की नजर के सामने भी होगा। जब हमारे मा0 मंत्रिगण चलते होंगे तो उनको भी कार के बाहर दिखायी पड़ता होगा। इस पर रोक लगना जनहित में, उत्तर प्रदेश के हित में बहुत जरूरी है। आज तमाम ठेलों से लेकर हर चौराहे पर बिसलरी के नाम पर नकली बोतलें रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों और बाकी छोड़ दीजिए ये जो लाल बत्तियां हैं इन पर भी बेची जा रही हैं इनका दाम वही लिया जा रहा है जो ब्रांडेड कम्पनियों का हैं पर अगर पानी इनमें शुद्ध नल का भी भर दिया जाता तो ठीक था। मैं देख रहा था कि इसमें दूषित पानी दिया जा रहा है। मैंने कुछ अस्पतालों को फोन किया, पूछा कि इसकी प्रतिक्रिया क्या है तो बताया गया कि ज्यादातर बीमारियां इस समय जो पेट की हो रही है वह दूषित जल की वजह से हो रही हैं, या जो बीमारियां हो रही हैं डायरिया की, उनमें यह जो नकली पेय है जो धड़ल्ले से बिक रहा है, जो इसमें रंग मिलाया जा रहा है वह पूरी तरह से प्रतिबन्धित है। परन्तु आप देख लें, कोई बाजार नहीं बची, कोई चौराहा नहीं बचा जहां पर धड़ल्ले से बेची नहीं जा रही हैं। मान्यवर, सैक्रीन की एक मात्रा है परन्तु उसका काफी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। तो आप देखें,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाखों-करोंड़ों लोगों के जीवन के साथ यह खिलवाड़ सबकी नजरों के सामने हो रहा है। मेरा इसको लाने के पीछे एक मात्र उद्देश्य यही है कि इस पर प्रतिबंध लगे। पानी बिके पर शुद्ध बिके, पानी की व्यवस्था हो, लोग पानी पियें, ज्यादा से ज्यादा उसका इंतजाम किया जाए। लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो कम से कम नकली पेय पदार्थो को तो रोका जाए। नकली बिसलरी के नाम पर जो बोतलें पकड़ायी जा रही हैं इनको तो रोका जाए। यही नहीं छोटे-छोटे ग्लासों में बसों पर, स्टेशनों पर जो पानी दिया जा रहा है उसमें नीचे कचड़ा जमा है। अभी दो-तीन दिन पहले दिखाया जा रहा था जो बंद बोतले हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उसको क्योंकि उसकी बाजार खराब हो सकती है, ब्रांडेड नकली शीतल पेय जो बहुत मंहगा बिकता है उसमें कीड़ा था। मेरा सिर्फ इस विषय को लाने का एक मात्र उद्देश्य यह है कि आज जो हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुतों के गले खराब हो रहे हैं, बहुतों को डायरिया सहित तमाम बीमारियां हो रही है तथा सैक्रीन पीने से या रंगीन शर्बत से बीमारियां हो रही हैं, उसकी ओर सरकार ध्यान दें। मान्यवर, मेरा आशय है कि कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाए और इसको प्रतिबंधित करने के लिए कड़े कदम उठाये जायं। मेरा लाने के पीछे यही उद्देश्य और मंशा है कि प्रदेश के करोड़ों जनता को इससे बचाया जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

इसके रोकने के लिए पहले से नियम मौजूद हैं और इस पर बहस बिल्कुल सही है कि इन नियमों का कितना पालन हुआ है कितना नहीं हुआ है कितना आगे होगा। यह बात यहां भी नहीं रुकती कि सिर्फ बाजारों में या रास्ता चलते फुटपाथों पर गांव के किनारे रेलवे क्रासिंग पर सिर्फ यही नहीं कि पानी की बोतलें हैं। बल्कि मई जून की तपती गर्मी में सजावट के लिए दुकान के बाहर एक बड़ा सा रैक रखा होता है उसमें सारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। कोका कोला माजा फलां-फलां सब होते हैं। कई-कई महीने तक जब वह धूप में खूब पक जाते हैं और सारे कीटाणु उनके मर जाते हैं तब वह ठण्डी मशीन में चला जाता है फिर हम उसका मजा लेते हैं। पांच सितारा होटल में भी यह पकड़ी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि बोतल के अन्दर कीड़ा सिर्फ फुटपाथ की बोतल से निकलता है अभी दो रोज पहले पांच सितारा होटल में ऐसी बोतल निकली है उसका फोटो अखबारों में भी आया था। तो वहां भी गलत है यहां भी गलत है। कड़ाई से पालन होना चाहिए कोई इसके खिलाफ हो ही नहीं सकता है। कड़ाई से पालन करेंगे बिल्कुल करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर माननीय तिवारी जी को सुना माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय मंत्री जी कड़ाई से पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है और उनकी कड़ाई तो आप समझते ही हैं।

(दूसरी सूचना पर श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैया, रवीन्द्र कुमार मोल्हू, सुनील कुमार सिंह यादव का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री सिनोद कुमार शाक्य-

मान्यवर, मैं कन्नौज की सूचना पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास सूचना की नोटिस है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, श्री सिनोद कुमार शाक्य की सूचना पर मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप जनपद कन्नौज के थाना सौरिख के अन्तर्गत श्री सरनाम सिंह की दिनांक 30-04-2012 को पुलिस द्वारा हवालात में बंद कर बेदर्दी से पिटाई करने के उपरान्त मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना पर बोलना चाहते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

जी हां।

श्री अध्यक्ष-

जो लोग रखे हैं वह तो हैं ही नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, श्री सिनोद कुमार शाक्य जी हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी नियम 56 के अन्तर्गत सूचना जनपद कन्नौज के थाना सौरिख से सम्बन्धित है। जिसे इसी 30 अप्रैल को टिकुरियन निवासी सरनाम सिंह को थाना सौरिख की पुलिस पकड़कर ले जाती है और हवालात में बन्द करके बेरहमी से पिटाई करती है और साथ ही साथ अमानवीय यातनाएं भी देती है। इस बेरहमी से पिटाई किए जाने एवं अमानवीय यातनाओं के कारण सरनाम सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु की सूचना एक मई यानी दूसरे दिन सुबह 7.00 बजे मृतक के भाई बलराम को पुलिस द्वारा दी जाती है। जिस समय सरनाम सिंह की लाश हवालात से निकाली जा रही थी वहां खून भी बड़े पैमाने पर नीचे गिरा हुआ पाया गया। उसकी बेरहमी से पिटाई किए जाने के कारण दम घुटने से उसकी मौत हुई है पुलिस के अधिकारी इस घटना को हवालात के अन्दर आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि डाक्टरों की जो चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट है उसके मुताबिक भी उसकी मृत्यु के कारण में शरीर पर तमाम प्रकार की चोट, निशान आघात की पुष्टि हुई है। जब क्षेत्रवासियों के आक्रोश के फलस्वरूप जब जनता का भारी दबाव पड़ा तो पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफ0आई0आर0 तो लिखी गई लेकिन पुलिस कर्मी अपने को बचाने के लिए उस परिवार के लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। तुम किसी तरह से समझौता कर लो नहीं तो तुमको फर्जी केस में फंसा करके तुम्हारा भी वही हाल किया जायेगा जो तुम्हारे बेटे और भाई का किया गया।

मान्यवर, यह प्रकरण गम्भीर है और किसी भी पुलिसकर्मी को हवालात में बंद करके उसकी हत्या करने का उसको अधिकार नहीं है इसलिये मान्यवर, मुकदमा लिखे जाने के बाद जिन पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए उल्टे आज उसके परिवार पर लगातार इस बात का दबाव बनाया जा रहा है कि तुम आ करके पुलिस से समझौता कर लो इस मामले को रफा दफा कर लो जो मुकदमा लिखाया है उसको वापस कर लो अन्यथा जिस तरह से सरनाम सिंह की हत्या हुई है, जिस तरह से सरनाम सिंह को मौत के घाट उतारा गया है उसी प्रकार से तुमको भी मौत के घाट उतार दिया जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में इस प्रकरण को लाना चाहता हूं। यह मामला बहुत ही अविलम्बनीय और लोक महत्व का है और पुलिस के इस बर्बर अत्याचार से क्षेत्र में जनाक्रोश भी है इसलिये मान्यवर, इस लोक महत्व की सूचना पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपेक्षा करता हूं कि ऐसे दोषी पुलिस कर्मियों को जिन्होंने सरनाम सिंह को हवालात के अंदर बुरी तरह से पिटाई करके मौत के घाट उतारा है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और विवेचना जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो पता चला है वह वही है जो सच है। सच यह है कि कम्बल को फाड़ कर जिसे हम अर्गवा कहते हैं जाली होती है उसमें फंदा लगाकर फांसी लगाई गई जिससे मौत हो गयी और गांठ खुल जाने के बाद लाश नीचे गिर गई है मान्यवर। इसके अलावा भी एक सच है मान्यवर, जो मैं यहां नहीं कहना चाहूंगा। नेता प्रतिपक्ष को मालूम है, कि यह मामला केवल आत्महत्या का ही नहीं है बल्कि इसके पीछे एक कारण है जिसकी वजह से आत्महत्या की गई है। जांच इसमें हो रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, बिल्कुल इन्साफ होगा। मुकदमा इसमें दर्ज हो गया है क्योंकि आप की तरफ से ऐसा चाहा गया था। कहीं भी किसी तरह से मामले को छिपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो सच होगा वह सामने आयेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस उसको आत्महत्या साबित कर रही है और मान्यवर जबकि आत्महत्या नहीं है पुलिस की बर्बर पिटाई के कारण मौत हुई है, यही जांच का विषय है। अगर आत्महत्या होती तो मान्यवर सूचना नियम-56 के अन्तर्गत यहां प्रस्तुत ही नहीं होती। यह प्रकरण दूसरा है और यही चीज छिपाने की कोशिश की जा रही है और चूंकि सरकार के भी संज्ञान में है पुलिस अपने बचाव के लिये जो बनावटी रिर्पोट भेज रही है, यही परीक्षण का विषय है। मान्यवर, इसे आप परीक्षण करा लें।

एक सदस्य-

चोटों के निशान हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं है, पोस्टमार्टम में चोटों के निशान नहीं है। नियम-56 के मान्यवर, आपकी उदारता के तहत कुछ भी उठाने की अनुमति मिल जाती है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि नियम-56 में

माननीय सदस्य जो भी बात उठा देंगे वह बात सही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ इतना आया है कि फंदा लगाने से मौत हुई है, इसके अलावा बॉडी में कोई इन्ज्युरी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख लें अगर यह सत्य है तो आप इस पर भरोसा करें। पुलिस प्रताड़ित जब करती, मारपीट करती कोई और चोट होती लेकिन उसके शरीर पर सिर्फ गले पर गांठ के निशान से दम घुटने से उसकी मौत हुई है। यही पोस्टमार्टम है, इस पर निष्पक्ष जांच हो रही है और निष्पक्ष जांच होगी मान्यवर।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं केवल यह निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने दो बार कह दिया कि इस पर जांच हो रही है। निष्पक्ष जांच होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्योंकि पुलिस अपने बचाव के लिये कर रही है इसलिये मेडिकल टीम बनाकर इसकी जांच करा लें।

श्री अध्यक्ष-

अब कैसे मेडिकल बोर्ड बनेगा जब लाश जल गई। आप बैठिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। अगर उस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आप एग्री नहीं करते, इत्तेफाक नहीं करते तब आप यह बात रख सकते थे कि साहब पैनल बना दिया जाय। अब यह दफन होने वाली लाश भी नहीं है कि निकल आए और लखीमपुर खीरी की तरह पता चल जाय कि बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी। यह तो जल चुकी है तो क्या पता चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय नेता विरोधी दल को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुना मैं इसे अग्राह्य करता हूं। आज बहुत बजट है। दो सूचनायें मैंने सुनने के लिए ली थी। एक कमाल युसुफ मलिक की है, इन्होंने जनपद कन्नौज के थाना सौरिख के अन्तर्गत श्री सरनाम सिंह को दिनांक 30-04-2012 को पुलिस द्वारा हवालात में बन्द कर बेदर्दी से पिटाई करने के उपरान्त मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में दी है। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किए देता हूं।

(श्री कमाल युसुफ मलिक के खड़े होने पर)

कमाल साहब पढ़ो ना, मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। दूसरा है, माननीय त्रिभुवन राम जी का, इन्होंने वाराणसी शहर के नजदीक तरना बाजार में राष्ट्रीय मार्ग पर दिनांक 08-06-2012 को हुई दुर्घटना को हुई दुर्घटना में कु0 संजू देवी की मृत्यु एवं घायलों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया हैं आज बजट है कार्यवाही में आ गया है। शेष सबकी सूचनायें अस्वीकृत की गई।

बजट अनुदान एवं कटौती प्रस्ताव समेकित रूप से रखे जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का सुझाव

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल आज कई बजट एक साथ हैं तो जैसी सहमति हो सब माननीय मंत्रीगण अपना बजट रख दें फिर उसके बाद आपकी तरफ से कटमोशन एक साथ आ जाए या एक-एक मद पर कटमोशन पेश करेंगे या एक बार रखा जाए सभी विषयों पर, ऐसा कर लेते हैं कि सभी मा0 मंत्री जी पहले बजट रख दें फिर कटमोशन हो आ जाए।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि), अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक तथा रेशम विकास) अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) अनुदान संख्या-17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान धर्मार्थ कार्य मंत्री (कुंवर आनन्द सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,79,11,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपको कुछ बजट के बारे में कहना हो तो कहें। आपको उद्यान वाला तो रखना नहीं है एक ही रखना है।

श्री आनन्द सिंह-

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं माननीय मुलायम सिंह जी, जो हमारे नेता हैं तथा माननीय मुख्य मंत्री जी, को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके आर्शीवाद, आदेश, निर्देश पर मैं यह बजट आज माननीय सदन में रख रहा हूं। यह मेरे जीवन का सबसे गौरवशाली क्षण है, इससे बड़ा कोई आने वाला भी नहीं है। आज मुख्य मंत्री जी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है यहां की आबादी बीस करोड़ है जो निरंतर बढ़ रही है उनका रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य का भविष्य देखते हुए हम लोगों का बहुत लम्बा लक्ष्य है जिसको पूरा करना है। यह तो आप जानते ही हैं कि हमको एक ध्वस्त व्यवस्था मिली है जिसे हमें ठीक करना है मान्यवर, मुख्य मंत्री जी उस महान चिन्तक के पुत्र हैं जिसके हृदय में किसानों के प्रति, गरीबों, महिलाओं के प्रति चिन्ता रही है तथा उनके लिए निरंतर संघर्ष करते आए हैं जिसने जो कहा, वह किया और जो किया, वह सबके लिए किया। यह मैं प्रतिपक्ष के नेता से आपकी तरफ से चाहूंगा कि वह इस पर गौर करें अगर उन्होंने फीस माफ की तो सबकी, अगर उन्होंने कन्या धन दिया तो सबको दिया, वर्गीकरण नहीं किया। संकीर्णता नहीं दिखाई। उन्होंने सबको दिया और मान्यवर, गन्ना

के विषय में, हम और आप उधर से आते हैं, गन्ने पर जो उदारता माननीय मुलायम सिंह जी ने दिखायी, 28 मिलें हमें दी और आज पूरब में जहां खेती का बुरा हाल है। अगर किसान के लड़के की फीस जाती है तो गन्ने से जाती है, अगर उसके बच्चों के कपड़े आते हैं, वह गन्ने से आते हैं। आज सारा खर्चा गन्ना उठा रहा है। श्रीमन्, पश्चिम में तो बड़े किसान हैं कुछ और साधन हैं लेकिन पूरब में सिर्फ गन्ना ही है। गोण्डा जैसे छोटे जनपद को श्रीमन्, 2-3 मिलें गन्ने की दी गई जिससे हम लोग आज खाने-पीने में समर्थ हैं। मान्यवर, 25 मिलें हमने बेची नहीं थी, हमने 32 लगाई हैं, मुलायम सिंह जी ने 32 लगाई हैं। बेंचने वाले तो बेंच गए, जो कुछ हुआ, उसके बारे में हम क्या कहें। हमारे मुख्य मंत्री जी, उन्हीं के पुत्र हैं। इन्हें बहुत सीखना नहीं है, परम्परागत वह सब जानते हैं, किसानों के प्रति उनमें प्रेम है, गरीबों के प्रति श्रद्धा है, यह उनके अभिन्न अंग हैं। श्रीमन्, हम आपकी तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रतिपक्ष के नेता जी ने उस दिन कहा कि "भोला", हमारे मुख्य मंत्री को कहा भोला, मगर नेता प्रतिपक्ष ने अभी उनके अन्दर का शोला नहीं देखा है। जब शोला देखेंगे तब अन्दाज होगा। पड़ते हैं पांव ठीक जो तारीक रात में, ये चरम रोशनी किसी नक्शे पा की है। श्रीमन्, पंजाब में जहां बी0एस0पी0 की जन्मभूमि थी, कर्मभूमि थी, आज वहां क्या हालत है ? कुल 3 सदस्य हैं, शायद 4 हो गए हैं, यह स्थिति हो गई है। भाई-चारा कमेटियां जो बनी थी, हर मीटिंग में कोई न कोई उठकर जरूर कहता था कि यह भाई-चारा वारा नहीं है, यह जो कुछ हो रहा है, सब हाथी का चारा बनने वाला है। मान्यवर, हमें ऐसा बुरा प्रदेश मिला है और कृषि सबको चाहिए और खाना दोनों वक्त खाना है, हर चीज टल सकती है लेकिन भोजन नहीं।

(कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री आनन्द सिंह-

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में लगभग 242 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसमें 166 लाख हेक्टेयर पर खेती होती है। आज हमारे पास पिछले 10 साल में 2 लाख हेक्टेयर जमीन कम हुई है, यह चाहे फैक्ट्रियों में चली गयी, चाहे यहां गई, चाहे वहां गई। श्रीमन्, हम लोग जब छोटे थे तो पाषाण युग के बारे में पढ़ते थे कि एक युग ऐसा था। आप सबने पढ़ा होगा कि एक पाषाण युग था। लेकिन मान्यवर, देखने को 5 सालों में ही मिला है। पाषाण युग जो आया है, श्रीमन्, आपने भी सुना होगा, लेकिन हमारी तरफ एक हवा ऐसी उड़ी, यह कहा गया कि अमुक रात को अगर कोई सो जायेगा तो पत्थर हो जायेगा। सब जानते हैं, लखनऊ से पूरब तक रात भर लोग सड़कों पर बैठे रहे तो इतना पाषाण से लोगों में भय व्याप्त हो गया था और उससे बाहर निकाल कर आज हमारे मुख्य मंत्री जी अपने अथक परिश्रम से लाये हैं, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, आज यह सोलहवीं विधान सभा का बजट है, आपने जैसा कहा है, मैं बजट के बारे में बता रहा हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन के परिदृश्य में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2008-09 में भारत सरकार द्वारा प्रसारित सांख्यिकीय आंकड़ों के अनुसार देश के खाद्यान्न उत्पादन में 20 प्रतिशत योगदान के साथ प्रथम स्थान रखता है। इसी तरह से गेहूं के उत्पादन में 35 प्रतिशत, गन्ने के उत्पादन में 38 प्रतिशत, आलू के उत्पादन में 31 प्रतिशत के साथ प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। दलहन उत्पादन में 14 प्रतिशत योगदान कर द्वितीय स्थान पर है, चावल के उत्पादन में 13 प्रतिशत योगदान कर तृतीय स्थान पर है।

खाद्यान्न उत्पादन में प्रदेश निःसंदेह उच्च कोटि का है पर उत्पादकता की तुलना में हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। गेहूं की उत्पादकता में हम देश में ही चौथे नम्बर पर हैं। चावल में हम आठवें नम्बर पर हैं। दलहन में हम पांचवे नम्बर पर हैं, तिलहन में हम नवें नम्बर पर हैं। यही नहीं विश्व के प्रति हे0 उत्पादन में भी हम बहुत पीछे हैं। कोई दो-चार देश ही हमसे पीछे हैं। मान्यवर, वर्ष 2011-12 के खाद्यान्न उत्पादन का 512.32 लाख मी0 टन अनुमान प्राप्त हुआ है। जिसमें खरीफ के अन्तर्गत 175.97 लाख मी0 टन और रबी में 336 लाख मी0 टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन को 512 लाख मी0 टन से बढ़ाकर 659 लाख मी0 टन करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2012-13 में खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य 536 लाख मी0 टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 10.20 लाख मी0 टन रखा है। यद्यपि उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। जिसका पूर्ण श्रेय यहां के किसानों को जाता है। पिछले सालों में उन्होंने जो दुख झेले हैं उसके बाद भी उनका यह उत्पादन सिर्फ उनकी कर्मठता, बहादुरी, सहनशीलता को दर्शाता है। श्रीमन्, आज हम किसानों के दो मानक मानते हैं। एक तो हमने कितना उत्पादन किया और दूसरा किसान की जेब में क्या बचा। अगर हमने बहुत अनाज पैदा कर दिया लेकिन किसान भूखा मर गया तो यह कोई उत्पादकता के लिए तारीफ की बात नहीं है। मान्यवर, पहली पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का 16 प्रतिशत बजट कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए था। जो छठीं पंचवर्षीय योजना में 7 प्रतिशत रह गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत रहा।

प्रदेश सरकार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। आज किसानों की दुर्दशा है। मान्यवर, एक जमाने में कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। आज यह फार्मूला उलट गया है। आज खेती से लोग भाग रहे हैं। 40 परसेण्ट लोग खेती छोड़ कर जाना चाहते हैं उन्हें कोई वहां जगह नहीं मिल रही है जाने की, सिर्फ इसलिए आज बैठे हैं। श्रीमन् एक दिन उधर से प्रश्न आया था कि हमने बढ़ा दिया मैं उसी के आंकड़े दे रहा था। 2007-08 में उत्पादन की लागत 27422 रुपये थी और उत्पादन का मूल्य प्राप्त हुआ था 27999 यानी 500 रुपया एक किसान को बचत हुई थी, उसके अगले वर्ष में 822 रुपया प्राप्त हुआ, उसके अगले वर्ष में 1400 घाटे में रहा, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, जेब में नहीं गया। वर्ष 2011-12 में श्रीमन् फिर 1760 रुपये का घाटा हुआ, अगर भूसा नहीं बेचता किसान श्रीमन् आज भूसे पर जिन्दा है किसान क्या भाव बेचा था, धान हम लोगों ने गांव में साढ़े सात रुपये में बेंचा मजबूरी में, कहीं किसी ने नहीं खरीदा और भूसी श्रीमन् आप खुद जानते हैं दस रुपये में बिकी। गेहूं, साढ़े आठ, नौ रुपये में हम लोगों ने बेंचा। किसी की लड़की की शादी थी, किसी को कोई जरूरत थी, रोक सकता नहीं था और भूसा किस भाव में बेचा हम लोगों ने श्रीमन् दस रुपये में। तो यह भी मानक है, एक मानक तो जरूर है हम पीठ थपथपा दें कि हमने ज्यादा उत्पादन कर दिया, लेकिन श्रीमन, सही मानक वह है कि हमने अपने किसान को जिसने मर घप कर आठ महीने छः महीने मेहनत की उसकी जेब में हमने क्या छोड़ा या भी एक बात है। मान्यवर, नेशनल सैम्पिल सर्वे आर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, जिसमें दर्शाया गया है कि 40 प्रतिशत कृषक खेती नहीं करते, उनको वह लाभकारी नहीं है। गांव से पलायन कर, पहले भी हुआ था, पहले दस परसेण्ट अगर होता था तो दस साल बाद 27 परसेण्ट हो गये, आज श्रीमन् 40 प्रतिशत लोग गांव छोड़ कर जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि गांव में न चिकित्सा है, न सामाजिक विसमतायें हैं डर है छोटे अफसरों का, जैसे अभी बताया आपने, इधर से भी आवाज आई गांव में सुरक्षा अब उतनी नहीं दिख रही है, बिजली आदि की सुविधा नहीं है

श्रीमन् विपणन ठीक से नहीं हो रहा है, कृषि में शिक्षा की भी कमी है, अब शिक्षित लोग, मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षित लोग अब कृषि में रूचि नहीं ले रहे हैं इसको बदलना पड़ेगा। यह सरकार पूरा ध्यान देगी कि यह साइकिल चेंज हो, किसान खेती की ओर झुके, किसान का सम्मान हो, आज जो सिनेमा में दिखाया जाता है किसान एक पगड़ी बांधे हुए फटी कमीज पहने हुए, जो टी0वी0 में देखते हैं उसमें बदलाव आये। किसान को आत्मसम्मान अगर हम नहीं दे सके तो देश का भविष्य अंधकारमय होगा। वर्ष 2012-13 में कृषि एवं सम्बद्ध विभागों हेतु अनुदान संख्या-11 की योजनाओं के लिए कृषि विभाग द्वारा रु0 2904.15 करोड़, भूमि सुधार निगम हेतु रु0 150.86 करोड़, कृषि विपणन हेतु 99.47 करोड़, डाईवर्सीफाइड हेतु रु0 12.00 करोड़ तथा कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा के लिए रु0 276.04 करोड़ रुपया की धनराशि का प्रस्ताव विभागवार तालिका नीचे दर्शायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत कृषि विभाग हेतु कुल रु0 2904.15 करोड़ बजट का प्राविधान प्रस्तावित है, जिसमें आयोजनागत प्लान मद में रु0 1666.37 करोड़ तथा नानप्लान में श्रीमन् रु0 1237.78 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है। मदवार स्थिति नीचे निम्न तालिकाओं में दर्शायी गई है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यह आपने मदवार कहा है, इसको आज आपने अपने कार्य विवरण में बांटा होगा, जो पुस्तिका बंटी होगी, तो उसमें यह सब आया होगा, तो जो महत्वपूर्ण बात हो, उस पर ज्यादा ध्यान दें, जिससे कि बहुत बजट है, सब समय पर हो जाय।

श्री आनन्द सिंह-

मान्यवर, एक का वर्णन नहीं है। बाकी का तो है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जिसका वर्णन नहीं है उसके बारे में बता दें।

श्री आनन्द सिंह-

मान्यवर, सिर्फ एक जो क्रान्तिकारी कदम हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने उठाया है वह साइलो। साइलो में अनाज रखा जाय। यह विदेशों में प्रचलित है श्रीमन्, लेकिन हमारे यहां आज जो फीगर है वह दर्शाती है आठ से दस परसेण्ट कहते हैं चूहे खा गये, अब दो पांव के, चार पांव के इसका कोई अलग-अलग हिसाब नहीं है मगर इतना है। आज साइलो लग जायेंगे तो उसमें हानि सिर्फ प्वाइण्ट टू परसेण्ट होगी। ताकि आप 3 साल तक बीच रखें उसमें मॉश्चर कभी-कभी घटाने बढ़ाने का यंत्र है। वह बीज आज नहीं उगता है तो तीन साल तक उसी क्षमता का बना रहेगा, यह कदम हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो उठाया है यह क्रांतिकारी है और यह आगे चलकर किसानों के कामों को ठीक करेगा। अगर इसमें अनाज रखेंगे तो किसानों को लोन लेने में आसानी होगी। आज के जो गोदाम हैं उन पर कोई बैंक जल्दी से लोन देना नहीं चाहता है। गोदामों की तस्वीरें दिखती हैं, रोज, मान्यवर, अखबार में आती हैं, आपने भी देखी होगी कि किस दुर्दशा में वहां गल्ला पड़ा हुआ है। एक किसान की निगाह से मैं भी देखता हूं तो तकलीफ होती है कि क्या इसी के लिए हमने इतनी मेहनत की, दिल बैठता है उस किसान का। हमको उस किसान को आगे ले जाना है। इसके अलावा तो इसमें सब दिया गया है। किसान आयोग के बारे में कहना है कि वर्तमान सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं में यह बिन्दु अंकित है कि किसान की खर्च का लागत मूल्य निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस सम्बन्ध में एक ऐसे किसान आयोग का गठन करने का प्रस्ताव है, जो

सलाहकार समिति के रूप में कार्य करेगा। श्रीमन्, हमारे यहां इतने वैज्ञानिक हैं, जो आज रिटार्यड हो गए है, दुनिया में नाम करके आज हमारे यहां हैं, हमने उनसे रिकवेस्ट की थी, कि हम पैसा शायद न दे पाएं, उन्हें जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम आपको सम्मान देंगे। आप हमें ब्रेन बैंक बनाए, थिंक बैंक बनाए, और आपकी राय हम समय-समय पर लेते रहे, यही आधार है इस आयोग का। इसमें लाल बत्ती, नीली बत्ती का कोई प्रश्न नहीं है। श्रीमन् यह उन लोगों के लिए है, जो स्वयं आगे आकर राय देना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, सम्मान उन्हें हमें देना है। इसमें कुछ भ्रांतियां यह हो जाती है कि आयोग है, तो लाल बत्ती है। नहीं श्रीमन्, यह वह आयोग नहीं है। वे लोग यदि स्वयं आकर अपनी राय देते हैं, मैं आदरणीय श्री हुकुम सिंह जी से आग्रह करूंगा कि इन आयोगों में आप अगर दिलचस्पी लेंगे। आप से ज्यादा जानकार कृषि का आज यहां पर कोई नहीं बैठा है। क्या इसमें भी दो राय है ? आप आगे आएं। श्रीमन् उर्वरक के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 40 साल पहले श्रीमन् मैं इसी सदन में था, तब हम लोग कहते थे कि अमोनियम सल्फेड डलवाओ। किसान को तब तक बीज न दो, जब तक अमोनियम सल्फेड न ले। आज 42 साल बाद श्रीमन् यह हाल है कि हम लोगों को कहना पड़ रहा है कि इसका प्रयोग कम करो। इसको बैलेंस करो, नहीं तो ऊपर की जमीन खत्म हो जाएगी। दशा आज पंजाब में भी गिर रही है। क्योंकि ऊपर की जमीन, 6 ईच में कम्पेक्शन हो रहा है, तो इसलिए श्रीमन्, अब जैविक खेती ही एक रास्ता है। आज कहने में, सुनने में अटपटा लगे। इसी तरह जब किसी ने कहा था कि "दुनिया गोल है" तो किसी ने नहीं माना। इसी तरह जैविक खेती आज नहीं तो कल आपको अपनानी पड़ेगी।

यह एक दृढ़ सत्य है। अब उसको कैसे किसानों तक पहुंचाया जाए। कैसे उनको समझाया जाए। आज मैं सदन में एक किसान की हैसियत से, अपने सभी साथी किसानों से अपील करता हूं कि आप सबके पास जमीन है। एक छोटे टुकड़े पर एक्सपेरीमेंट करके देख लें आप। एक साल में अगर फायदा होता है तो हम प्रदेश का इतिहास बदल देंगे। अगर नहीं फायदा होता है तो हम लोग भूल जाएगे उसी पर चलेंगे। हम किराये के या तनख्वाह देकर लोगों से यह नहीं करवा पाएंगे। इसलिए मान्यवर, आप सब जितने साथीगण बैठे हैं, अपनी जमीन में से एक बीघा या आधा एकड़ इस पर आप करके देख लें। अगर आप समझते हैं कि ठीक है तो उसको आप आगे बढ़ाये। क्योंकि यह आपको आज नहीं तो कल करना ही होगा। भण्डारण के लिए श्रीमन्, इसके लिए क्या कहें, इसके लिए तो क्रांतिकारी कदम उठा भी लिया गया है। उर्वरक की समस्या श्रीमन् गत वर्षों में फॉस्फेटिक उर्वरकों के साथ-साथ यूरिया की अत्याधिक मांग को देखते हुए इस वर्ष प्रथम बार फॉस्फेटिक उर्वरकों के 8 लाख मैट्रिक टन के साथ 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया की प्रीपोजीशनिंग की जा रही है।

मान्यवर ताकि पिछले वर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। यह सरकार की प्राथमिकता में है कि किसानों को प्रत्येक दशा में छपे हुए मूल्य पर ही फॉस्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराया जाये। मान्यवर हमारे विभाग ने हर डी0एम0 को एक पत्र भेजा है और उनसे यह अपेक्षा की है कि वह हर दुकान की चेकिंग कराये और यह सुनिश्चित करायें कि किसके पास कितना स्टाक है और वह दुकानदार जो छपा हुआ मूल्य है उससे आगे पैसा तो नहीं ले रहा है। मान्यवर, स्वस्थ्य भूमि में जीवांश की मात्रा 0.8 प्रतिशत होनी चाहिए जो कि घटकर 0.2-0.3 प्रतिशत हो गयी है। अतः उर्वरकों के प्रयोग के साथ-साथ हमें और भी कदम उठाने होंगे। इनमें जैसे संतुलित उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया गया है। फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अवशेष को जलाया न जाए बल्कि उसे खेत में ही पलट दिया जाए। जीरो टिल सीड ड्रिल का व्यापक प्रयोग कराया जाए। मान्यवर, हमें हर चीज में यह दिखाई पड़ रहा है

कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना होगा। मान्यवर, विदेशों में भी जैविक खेती की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा जा रहा है। मान्यवर, हम एक साल में गर इसमें कुछ करके दिखाये और उसके अच्छे परिणाम आये तो अच्छा होगा। मान्यवर, सन्तुलित उर्वरकों के प्रयोग पर हमारे विभाग द्वारा बल दिया जा रहा है।

मान्यवर, अभी हमारी आबादी 20 करोड़ के आस-पास है और जब इस सरकार का कार्यकाल 5 साल बाद पूरा हो रहा होगा तो इसमें इजाफा ही होगा तो भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें कृषि के क्षेत्र फल को बढाना होगा तथा अधिक उपज लेनी होगी इसलिए जैविक खेती पर हमें ध्यान देना होगा। मान्यवर, हमारे पास सूर्य भगवान की ऊर्जा असीमित मात्रा में है ऐसा आंकलन किया गया है कि सूर्य से प्रतिदिन 75 हजार ट्रिलियन किलोवाट की ऊर्जा प्राप्त होती है तथा हमारा देश एक वर्ष में 9 महीने तक लगातार अच्छी धूप भी प्राप्त करता है। मान्यवर, अब हम इस प्राकृतिक ऊर्जा का कितना उपयोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं यह सब के सहयोग पर निर्भर करता है लेकिन एक बात जरूर है कि यदि हम इसका उपयोग कर लेते हैं, 0.1 प्रतिशत भी उपयोग कर ले जाते हैं तो किसी अन्य ऊर्जा के स्रोत की हमें आवश्यकता नही होगी। मान्यवर, इस मामले में हमारा देश भाग्यशाली है कि 9 महीने तक हमें धूप मिलती है। मान्यवर, हमारे देश के बड़े भूभाग में खेती लायक जमीन उपलब्ध है, लगभग 40 से 45 प्रतिशत भूमि उपलब्ध है। विश्व के अधिकांश जगहों पर एक फसल होती है जबकि हमारे देश में यहां पर बहुत जगह मौसम बहुत अच्छा होता है और उसका लाभ उठाकर हम 2-3 फसलें ले सकते हैं। मान्यवर, हमारा सिंचित क्षेत्र चीन के बराबर है। हमारे यहां कल्चेरेबिल वेस्ट ज्यादा पड़ा हुआ है जो नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान के कल्चेरेबिल वेस्ट है उससे ज्यादा पड़ा है। हमारे देश में असीमित साधन हैं जल है, वायु है, सूरज है फिर भी हमारे किसान पिछड़े रह जाते हैं अब इसका उपयोग कैसे किया जाये यह सोचना होगा सबको मिलकर।

मान्यवर, अब मैं बीज व्यवस्था के बारे में बता दूं कि वर्ष 2012-13 में 53.21 लाख कु0 बीज वितरण एवं 35.54 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसके अन्तर्गत खरीफ में 10.33 लाख कुन्तल बीज वितरण किया जायेगा तो गत वर्ष खरीफ की तुलना में लगभग 2.87 लाख कु0 अधिक है। रबी में 42.88 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त पुरानी प्रजातियों के स्थान पर नई प्रजातियों को लाने का भी कार्यक्रम लिया गया है। इस वर्ष जो किसान ढ़ैंचा बीज उत्पादन करेंगे उनसे लाभकारी मूल्य पर Buy Back की व्यवस्था की जा रही है, जिससे ढ़ैचा बीज व्यवस्था बिचौलियों के दबाव से मुक्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त पुरानी प्रजातियों के स्थान पर नयी प्रजातियों को लाने।

श्री अध्यक्ष-

अगर कोई विश्वविद्यालय ने कोई नयी प्रजातियां खोज की है जो महत्वपूर्ण है, तो उसको बतायें।

श्री आनन्द सिंह-

मान्यवर, जो लक्ष्य है उसी को बता रहा हूं। क्रेडिट कार्ड, यह रोज की बात नहीं है क्रेडिट कार्ड जितना है उसको हम पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं।

कृषि प्रसार, ऐसा सब्जेक्ट है श्रीमन्, अगर हम किसी भी गांव में जाते हैं और किसी से पूछते हैं कि भैया तुमको क्या मिल रहा है, तुमको इस विभाग से क्या प्राप्ति हो रही है तो बहुत थोड़े

लोग हैं, हमने इस बार बहुत बड़े पैमाने पर उसी पैमाने पर जैसे हम लोग इलेक्शन में पर्चे बांटते हैं उसी बड़े पैमाने पर इस बार हम लोग हर किसान को यह बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या उपलब्धि मिलनी है विभाग से क्या अनुदान है, क्या पात्रता है और आप इसको कहां से लें, नहीं मिलता है तो कहां शिकायत करें। यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। इसमें श्रीमन्, हम लड़कों, इंटरमीडिएट के हर लड़के को यह पर्चे देंगे कि घर ले जायं जरूर कुछ लोग हवाई जहाज बनाकर फेंक देंगे, पर फिर भी कुछ तो गांव में जायेगा एक बार किसान को मालूम हो जाय कि उसको क्या मिलना है तो पारदर्शिता आ जायेगी और यह जो रोज के घपले, घोटाले यह अपने आप स्वतः कुछ कम हो जायेंगे क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि उनके लिए सरकार क्या भेज रही है।

श्री अध्यक्ष-

कितना और समय लेंगे।

श्री आनन्द सिंह-

बस मान्यवर, खत्म कर रहा हूं। अब 20 करोड़ की बात कर रहा हूं अब आप एक-एक सेकेण्ड दें तो भी, छोड़े दे रहा हूं सब, कार्मिक प्रबन्धन।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, 20 करोड़ की बात है एक दिन का समय बढ़ा दें।

श्री आनन्द सिंह-

श्रीमन्, कृषि विभाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय अधिकारियों की अत्यन्त कमी है, जिसको पूर्ण करने के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस वर्ष ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के लगभग 4800 पद तथा क्षेत्रीय अधिकारियों के लगभग 130 पद भरे जाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है श्रीमन्, यह एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि कृषि विभाग में 8-9 हजार पदों की कमी है यह एक इक्सटेंशन होगा। हम किसी जिले में जाते हैं श्रीमन्, आफिसर आते हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर चला आता है एक डीएओ चला आता है उसके नीचे क्या है जो गांव तक जाता है कोई मिलता ही नहीं है। तो यह एक चेन है। श्रीमन्, हम गेंहूं बोते हैं, हम धान बोते है तो हम अपनी इच्छा से उसको जब चाहें काट सकते हैं पर श्रीमन्, यह कानून क्यों है कि अगर हम वहां एक सागौन का पेड़ अपने खेत में लगा देते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश दौड़ते-दौड़ते, पूरा 80 प्रतिशत सुविधा शुल्क देते हमको क्या मिलता है, इसको सोचना पड़ेगा क्योंकि लकड़ी ही एक है दुनिया में जो रिनूवल सोर्स आफ इनर्जी है न कोयला है, न खनिज है, न तेल है। इसको अगर आप इनकरेज नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है इसको लोग कम लगायेंगे, इसको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि लोग और लगायें। श्रीमन्, आप तो किसान हैं लेकिन हम सिर्फ एक बात लाना चाहते हैं हमारे साथी ने नीलगाय की बात कही।

श्री अध्यक्ष-

सभी प्रदेश उससे पीड़ित है।

श्री आनन्द सिंह-

मान्यवर, सभी उससे पीड़ित हैं कोई ऐसा नहीं है जो पीड़ित न हो। श्रीमन्, किसान जब बोता है चार दाने डालता है, चूहे खा लेते हैं, चिड़िया खा लेती है, थोड़ा बड़ा होता है तो खरगोश खा

जाता है आगे आते हैं तो हिरन खा जाता है, और बड़ा होता है तो नीलगाय आ जाती है। लंगूर, बंदर यह सब आते हैं। जो विपदाएं पड़ती हैं कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि यह सब किसान ही झेलता है उसके बाद जो बचता है तो सबसे बड़ा जानवर वह जो बिचौलिया आता है उसके बाद किसान के पास क्या रह जाता है यह एक विचारणीय बिन्दु है। इसलिए श्रीमन्, जो भंडारण की प्रक्रियाएं हो रही है इसमें हमें उम्मीद है, कुछ करना पड़ेगा। दो लाइनें कोड करना चाहूंगा नेहरू जी ने कहा था "एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नाट"। यह मैंने अपने विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से कहा है कि स्टीकर लगायें अपनी फाइल पर।

श्री अध्यक्ष-

आप इसकी हिन्दी कर दीजिए।

श्री आनन्द सिंह-

नो नेशन कैन लाइव इन प्राइड अनलेस इट हैज कैपासिटी टू फीड इट्स पीपल, कोई राष्ट्र तब तक गर्व से नहीं रह सकता जब तक वह अपनी जनता को खिलाने में सक्षम नहीं है। "जय जवान, जय किसान" लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा वो हम लोगों को याद है। "जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान" यह अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कहा। श्रीमन् पिछले पांच साल में एक नारा बहुत सुनते थे कि "नीचे से लाओ और ऊपर पहुंचाओं" यह नारा चल रहा था। श्रीमन् नारों के बीच में किसान सोच रहा है तो उसकी दुर्दशा के लिये मैं आपका संरक्षण मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी, आपको सब पर रखना है कि कृषि पर रखेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, केवल इसी पर रखेंगे। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष-

अनुदान संख्या पढ़ दीजिये न।

श्री हुकुम सिंह-

अनुदान संख्या-11, मा0 अध्यक्ष जी, मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी, ने बहुत ही दार्शनिक भाषण किया और मैं उनके भाषण से प्रभावित भी हूं क्योंकि अच्छे किसान हैं और जानते भी हैं किसानों की पीड़ा और शुरूआत भी उन्होंने इतनी दार्शनिक की। कभी वो पाषाण युग में गये, वहां का भी उदाहरण दिया, कोई शोले का भी जिक्र किया, लक्ष्य भी बताये आपने। मान्यवर, परफॉर्मेन्स बजट जो दिया है, थोड़ा सा मान्यवर, आपका ध्यान चाहता हूं। प्राक्कथन जो आपका है, उसका पैरा नं0-5 है, वर्ष 2011 में कुल 52.51 लाख कुण्टल बीज का वितरण किया गया। इसमें खरीफ में 2011 में 10.43 लाख कुण्टल और रबी में 42.48 लाख कुण्टल बीज का वितरण किये जाने के बाद वर्ष 2011 में 34.24 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन प्राप्त किया गया और फिर इसमें आपने आगे अपना लक्ष्य रखा है कि कितना आगे वितरण करने जा रहे हैं। 2012-13 में आपने कहा कि 53.21 लाख कुण्टल और उसके

बाद उसमें विभिन्न फसलों के लिये 15 साल पुरानी प्रजातियों के बीज प्रतिस्थापित करने का कार्यक्रम चलाया जायेगा। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मंत्री जी आपसे कि आपने लक्ष्य रखा है बीज वितरण लेकिन आपके पास बीज है क्या ? सरकार के पास, विभाग के पास कोई बीज है क्या ? ये प्रश्न मेरा है, जब आपके पास बीज है नहीं और बीज की योजना कोई आपने बतायी नहीं। मान्यवर, क्योंकि यह मौलिक प्रश्न है, हर चीज बीज से शुरू होगी और बीज की कोई नीति इनकी है नहीं, तो कहां से बीज लायेंगे। अब किसान अगर बीज बोयेगा और उसको जोड़कर आप उसे अपनी उपलब्धि बतायेंगे, आप ही बताइये कि आप कहां से बीज लायेंगे। पहले इतना बीज बोया गया था और अब इतना। आप ये बताइये आप कहां से बीज लायेंगे, ये मेरा सवाल है। बीज आ कहां से सकता है ये सुझाव है मेरा। इसमें आलोचना भी है और सुझाव भी है। अगर आप वास्तव में गंभीर है बीज में क्योंकि आज मान्यवर, बीज का देश में लगभग 40,000 हजार करोड़ रुपये का व्यवसाय है। उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी उसमें एक प्रतिशत भी नहीं है। यह दुःख की बात है। मैं कृषि मंत्री भी रहा हूं तब भी तकलीफ इस बात की थी कि हमारी बीज उत्पादन में भागेदारी क्यों नहीं हो पायी। इतना बड़ा प्रदेश है, हमारे पास इतनी बड़ी जमीन है। शुरुआत हमें यहां से करनी चाहिए। हमने शुरुआत की थी, अधर में रह गयी वो।

आपके पास अपने कृषि फार्म हैं, क्या आप लोगों ने नीति बनाई कि सबसे पहले हम कृषि फार्मों को बीज फार्म बना देंगे ? मैं भी माननीय मंत्रियों की समीक्षा सुनता था उसमें यह होता था कि कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, हानि हुई तो उसको हटा दो, लाभ हुआ उसे रख दो। यह लाभ हानि का काम नहीं है हमारे कृषि फार्म प्रदेश सरकार के हैं उनको सबसे पहले आपको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वह केवल और केवल बीज का उत्पादन करेंगे, अच्छे बीज का उत्पादन करेंगे जो अच्छा बीज होगा उसे हम किसानों को देंगे आखिर यह नीति हमने क्यों नहीं अपनाई, क्यों छोड़ दी बीच में। दूसरी बात मान्यवर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश चार राज्यों में बीज का उत्पादन करके किसानों ने करोड़ों-करोड़ों रुपया कमाया और आज अगर हम कर्नाटक जाएं बीज लेने के लिए तो ऐसे-ऐसे बीज उन्होंने विकसित कर दिये हैं कि 40-40 हजार रुपए प्रति किलों बीज की कीमत है। मान्यवर, हम ऐसा क्यों नहीं कर पाये, बहुत स्पष्ट है कि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हमारा जो शासन और प्रशासन तन्त्र है वह बिल्कुल कुण्ठित हो चुका है, उसके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई दृष्टिकोण ही नहीं है कि कहां जाना है हमें, कहां नहीं जाना है, बस चल रहा है और चलता रहेगा ऐसे ही।

यह सौभाग्य हमारा है कि उत्तर प्रदेश महकमें के पास बहुत अच्छे-अच्छे विकसित कृषि फार्म हैं उनका उपयोग केवल बीज उत्पादन के लिए किया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। तीसरा मान्यवर, किसान केवल अनाज उत्पादन करने के लिए नहीं है अगर आप किसान को प्रोत्साहन दें कि तुम बीज का भी उत्पादन करो उसके लिए हम आपको सुविधा भी देंगे तो बीज के लिए हम उसे पैसे भी ज्यादा देंगे और उसकी आमदनी भी ज्यादा होगी। मान्यवर, मेरे समय में प्रदेश में पांच बीज प्रोसेसिंग केन्द्र लगाये गये थे, छोटा सा कार्यकाल था मेरा, आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिला था। वह इसलिए लगे थे कि वहां पर हम किसान को प्रेरित करेंगे, उन्हें सहायता देंगे और जो उपज वह पैदा करके लायेंगे उसके लिए हम किसान को आम अनाज से ज्यादा पैसा देंगे। उसकी हम यह सहायता करेंगे कि लैब में बीज के परीक्षण की फ्री सुविधा होगी, प्रोसेस करने की पूरी सुविधा होगी उससे अनाज अलग हो जाएगा, बीज अलग हो जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास बीज का स्टाक हो जाएगा

और हम किसानों को बीज उपलब्ध करा पायेंगे। यह कार्यक्रम क्यों बन्द हुआ, क्यों आगे नहीं चला और फिर किसी आधार पर हम यह कह रहे हैं कि हम बीज उपलब्ध करायेंगे, जब बीज हमारे पास है ही नहीं, यह मैंने बीज के बारे में कहा। अगली बात, विभाग का कितना योगदान है कृषि में। मान्यवर, यह तो आंकड़े हैं कि 166 लाख हेक्टेयर में खेती हो रही है, किसान के पास अपनी जमीन है वह अपनी जमीन में खेती कर रहा है, उसे खेती करने में, किसान द्वारा उत्पादन करने में कृषि विभाग का क्या योगदान है ? बीज के बारे में मैंने कह ही दिया बाकी आपका नियन्त्रण क्या हैं, जो उसकी मर्जी होगी वह फसल बोयेगा। आप किसान को क्या उपलब्ध कराते हैं, खाद तो समय पर आप उपलब्ध करा नहीं पाते हैं, समय से उसे खाद नहीं मिलती है, उस समय हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे तर्क आते हैं कि समय पर खाद नहीं आ पाई, केन्द्र सरकार ने यह गलती कर दी, फलॉं सरकार ने यह गलती कर दी। अब किसान क्या उन गलतियों की समीक्षा करता रहेगा कि किसने गलती की और किसने नहीं की, उसको तो समय पर इनपुट चाहिए और समय पर हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तीसरी बात आपके यहां विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान देने की व्यवस्था है अच्छे यन्त्रों पर 20, 30, 50 प्रतिशत आप अनुदान देते हैं। आपने सिंचाई के लिए कहा था, आज पानी की कमी है और पानी की कमी को सब एहसास करते हैं, हर दिन सवाल आता है पानी की कमी का, आज भी था। मान्यवर, इसके लिए आवश्यक है कि हम ड्रिप इरीगेशन को प्रोत्साहन दें, ड्रिप इरीगेशन ऐसा है कि जहां किसान का नलकूप लगा है वहां से पाइप डाल करके वह पानी खेत को जाए इससे पानी का वेस्टेज नहीं होगा, न भाप बनकर उड़ेगा, न जमीन में जाएगा, सीधा का सीधा वह पानी खेत में जाएगा, यह व्यवस्था बनाई गई थी क्या आपने दो ढ़ाई महीने में कभी इसकी समीक्षा की कि हमारी ड्रिप इरीगेशन की व्यवस्था चल रही है या नही। यह ढ़ाई तीन महीने का समय काफी होता है, अगर मेरे अन्दर विजन है, सोच है कि हां, मुझे चिन्ता करनी है इस बात के लिए। कृषि विभाग ने उस ड्रिप इरीगेशन का क्या किया ? कृषि विभाग ने यह अत्याचार किया कि कुछ कम्पनियों से बात कर ली और बातचीज करके उनके जो पी0आर0ओ0 थे वह किसानों के पास भेजे कि ड्रिप इरीगेशन लगवाओ, सरकार से इतना अनुदान मिलेगा। अब उसने सब सामान खरीद लिया, खरीदने के बाद किसान के खेत तक पाइप को पहुंचा दिया। जो कीमत देनी थी मैटेरियल की, उसे किसान को देनी पड़ी। उसे बताया गया कि सारी दुविधा, संकट सब दूर हो जायेगा, बहुत जयादा फसल का उत्पादन बढ़ जायेगा लेकिन एक नहीं चल पाया। इतने उच्च कोटि के हमारे अधिकारी हैं कि उनके दिमाग में यह बात नहीं आयी कि इस प्रदेश में बिजली का कितना संकट है यहां 24 घण्टे बिजली की सप्लाई नहीं है। अगर दो-ढाई, तीन घण्टे बिजली मिलती है और ट्यूबवेल चलता है तो जितने क्षेत्र में सिंचाई पहले हुई थी अगले दिन जब बिजली आयेगी तो केवल वहीं तक वह सीमित रहेगा, पूरे खेत तक पानी पहुंच ही नहीं पायेगा। यह नहीं सोचा कि हम वहां पर एक ओवरहेड टैंक बना दें, दो घण्टे में उस टैंक को भर दें, उसके बाद में छोटा पम्प लगाकर प्रेशर देकर खेत तक पहुंचाये, इससे सारी समस्या हल हो गयी होती। कोई सोच नहीं है, विजन नहीं है। बस यह कोशिश करते हैं कि बजट में अनुदान का प्राविधान हो जाए। खुशी होती है, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि अनुदान का प्राविधान हो गया, अब आ गया जेब में मेरी। समीक्षा करें पिछले 3-4 साल में जितनी भी यह व्यवस्था की गयी, कहां-कहां कारगर हुई, कहां-कहां कारगर नहीं हुई और जहां नहीं हुई उस अधिकारी से पूछ भी लें पर उनके बारे में सोच भी लेंगें कि उनका क्या होना चाहिए। यह सिंचाई के बारे में बताया।

अब आगे आती है बात मंडियों की। हालांकि आपके पास मंडी है नहीं, बदल दिया गया। यह आशय था मंडी का कि किसी तरह से किसान का उत्पीड़न न हो। मंडी में जा करके उनको

सुविधा मिले, बोली लगे उसके उत्पाद की। मंत्री जी, आप कभी मुख्य मंत्री जी से अनुमति ले करके इसकी भी समीक्षा कर लीजिए कि इस प्रदेश की मंडियों का क्या हो रहा है ? आवक वहां पर कितनी है ? एक मंडी का नाम बता दीजिए ? नोयडा जैसी मशहूर जगह पर जहां मा0 शिवपाल सिंह जी ने विशेष रूचि लेकर मंडी की स्थापना करायी थी उसकी भी समीक्षा कर लीजिए कि कितनी आवक वहां पर है ? मुजफ्फरनगर जो गुड़ मण्डी के लिए पूरे हिन्दुस्तान में जाना जाता है वहां आवक क्या रह गयी है ? क्यों नहीं आ रहा है सामान वहाँ पर ? क्यों बाहर से माल जा रहा है ? इसकी आप समीक्षा कर लेंगे तो पता लग जायेगा कि मंडियों में कहां-कहां कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाये ? कृषि विकास दर के बारे में आपने खुद भी कहा और इसमें भी उल्लेख किया गया है। आपका लक्ष्य क्या है, भारत वर्ष का 4 प्रतिशत है, उपलब्धि उनकी ढाई प्रतिशत के करीब है और उत्तर प्रदेश जो कृषि का हृदय समझा जाता है, वहां पर राष्ट्रीय विकास दर से भी कम है। यहां पर कृषि विकास दर 2 प्रतिशत के आस-पास बैठता है। अब इतना बड़ा प्रदेश, कृषि आधारित प्रदेश और विकास दर क्यों नहीं बढ़ रही है ? एक से एक काम चलने की बात कही जाती है। इसलिए नहीं बढ़ पा रही मान्यवर, इस विभाग का वास्तविकता में कही लेना-देना है ही नहीं कि कहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ? खाली एक विभाग है, बहुत बड़ा विभाग है, नाम भी बहुत बड़ा है, अधिकारी भी बहुत हैं। उनके मैनेजमेन्ट में मंत्री जी को चौबीसों घण्टे लगना पड़ता है कि किसकी नियुक्ति कहां की जाए, किसका ट्रांसफर कहां किया जाए, सारा समय उसी में लग जाता है। विभिन्न शाखायें हैं, कही मंडी की शाखा हो गयी, कही किसी और की शाखा हो गयी, कही पर बीज उत्पादन की शाखा हो गयी। कही फार्म मैनेंजर इस बात पर लड़ते हैं कि मेरी फलां फार्म पर नियुक्ति कीजिए। उसके बजाय आप समीक्षा इस बात की करें कि किसान को उसकी उपज का सही दाम क्यों नही मिल पा रहा है ? और कृषि विकास दर में, अन्यथा न लें आज पत्र पत्रिकाओं में इस बात का उल्लेख क्यों आ रहा है कि जिस प्रदेश का कृषि के क्षेत्र में कोई हिस्सेदारी थी ही नहीं, आज गुजरात में कृषि विकास दर 8 प्रतिशत क्यों हो गयी और हमारे यहां 2 के ऊपर क्यों नहीं हो पायी इसकी जानकारी करें। मैंने जा करके देखा वहां, और यह मैं खुलेआम कह सकता हूं कि एक युग ऐसा था, आज से 10-15 साल पहले कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सारा गुड़ गुजरात में जाता था वहीं खपत हो जाती थी। आज गुड़ वहां नहीं जाता वहां का गुड़ यहां आने लगा। महाराष्ट्र का गुड़ आने लगा हम लोग कहां से कहां चले गए। आखिर क्यों नहीं हम इस बात का चिंतन कर रहे हैं।

आपने चार प्रदेशों की बात कही हरियाणा एक मण्डल के बराबर है पंजाब डेढ़ मण्डल के बराबर है। पंजाब में गेंहू खरीदा जाएगा 70-75 लाख मीट्रिक टन हरियाणा में गेहूं खरीदा जाएगा 70-75 लाख मीट्रिक टन और मध्य प्रदेश जिसका कही जिक्र ही नही था आज 72 लाख का टारगेट पूरा कर चुका है। हमारा लक्ष्य केवल 42 लाख का था मान्यवर, क्या कमी आई है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश होते हुए भी केवल 42 लाख का लक्ष्य निर्धारित करे और वह राज्य 75-80 लाख का लक्ष्य निर्धारित करें और हमसे 15 दिन पहले लक्ष्य प्राप्त कर लें। फर्क क्या आया होगा मान्यवर यह अन्तर आया होगा कि आज 1285 का रेट उन लोगों ने तो कुछ बोनस भी दिया होगा उनके किसानों को हमसे करोड़ों करोड़ रुपये ज्यादा मिले। क्योंकि गेहूं ज्यादा खरीदा गया और सरकारी दर पर खरीदा गया तो कितना पैसा किसानों को मिला आप शायद परसों तक 42 लाख तक पहुंच जाएंगे। अभी 37-38 तक पहुंचे हैं आप। आप 42 तक पहुंच जाएंगे तो कौन बड़ा भारी एचीवमेंट हो जाएगा। मैं आपके अकेले की बात नहीं कर रहा हूं इसमें हम सब लोग शामिल हैं। क्यों नहीं हमने खेती के उपर

थोड़ा भी ध्यान दिया। क्यों नहीं इस बात पर गौर किया कि दूसरे प्रदेश हमसे आगे बढ़ गए और हम क्यों पीछे रह गए। हमारे यहां 166 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपलब्ध है जितनी जमीन दोनों प्रदेशों को मिलाकर नहीं होगी लेकिन उनकी उपज कहां से कहां पहुंच गई और हमारी उपज कहां से कहां रह गई। इससे हमारा किसान वंचित रहेगा कि नहीं। दूसरी बात अभी आपने बहुत बाद में आकर व्यापारी को शामिल किया खरीद करने में हालांकि वह खाद्य विभाग का विषय है लेकिन जो खेती से सम्बन्धित है उसे मैं कह रहा हूं। हरियाणा में प्रतिवर्ष 55 से 65 करोड़ रुपया अतिरिक्त जा रहा है हमारी अपेक्षा क्योंकि उनको ढाई प्रतिशत अतिरिक्त रुपया मिलता है केन्द्र सरकार की तरफ से एफ0सी0आई0 की तरफ से उस राज्य सरकार को जो अपनी एजेंसियों के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी को भी लगाती है। हम उससे वंचित हैं। अब आपने अच्छा काम किया कि उनको शामिल किया। हालांकि उसमें भी आलोचना हुई। कि निजी क्षेत्र में गेहूं चला आया और उन्होंने ब्लैक किया हालांकि उन्होंने ब्लैक किया भी। लेकिन नियंत्रण हमारा होना चाहिए। हमारी पकड़ होनी चाहिए। वहां क्यों नहीं शिकायत होती है। हमारे यहां शिकायत होती है इस पर विचार करने की जरूरत है। खेती की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। आपने भूसा बेचने की बात कही कि भूसा बेचकर किसान ने अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ली। लेकिन उसका परिणाम भी देख लें क्या हुआ। आपने कहा कि अगर भूसा न बेचा होता तो किसान की हालत और खराब हो जाती किसान ने पेपर मिल वालों को भूसा बेच दिया लेकिन बेचने के बाद पशु के लिए क्या बचा आप इस पर विचार कीजिए। किसान की तो मजबूरी है हम किसान को इंसेंटिव क्यों नहीं देते। किसान के लिए हम यह व्यवस्था क्यों नहीं करते कि वह अपने पशुओं को भी पाले और हम उसको इंसेंटिव देंगे। अगर आप यह कर लें तो कोई किसान भूसा बेचने के लिए मजबूर नहीं होगा। मजबूर तो हमने किया है उसको। उसका परिणाम यह हुआ है कि आज कोई भी छोटा आदमी जिसके पास जमीन नहीं है आज वह गाय, भैंस रखने की स्थिति में नही रहा है। भूसा बाजार से खरीदकर वह अपने जानवरों का पालन पोषण नहीं कर सकता। मान्यवर, ऐसे विषय पर जब किसान की यह हालत हो केवल राजस्व मंत्री ही हंस सकते हैं और कोई हंस नहीं सकता। क्योंकि उनको खुशी हो रही है कि किसान की व्यथा इतनी खराब है। वह पूरा आनन्द ले रहे हैं। इस बात पर।

श्री अध्यक्ष-

आप बहस जारी रखें।

श्री हुकुम सिंह-

एक बात आपने कही कि साइबर लगने जा रहे हैं लेकिन इसमें कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, ऐसी बात कहनी चाहिए जब बजट का प्रस्ताव आप रखते हैं, अगर कोई नये कार्यक्रम की बात आप कह रहे हैं तो उस नये काम के लिये प्राविधान भी तो होना चाहिए। आपका सारे का सारा बजट पढ़ लिया मैंने, इसमें कहीं एक शब्द नहीं है कि साइबर लगेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में थोड़ा सा कह दिया था इसके बारे में। अच्छी बात थी। लेकिन जब आप उसका सहारा ले रहे हैं कि साइबर लगेंगे तो उसका प्राविधान भी तो कीजिये ? जब प्राविधान आपने नहीं किया यह बात कम से कम बजट के दौरान जब कोई बात कही जाय तो तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। कोई लेना नहीं देना नहीं, साइबर लग गये। मान्यवर, इन्होंने खाद की बात कही और चिन्ता व्यक्त की कि जो हमारे कैमिकल हैं, रासायनिक खाद उसकी वजह से भूमि का संतुलन बिल्कुल खराब हो रहा है लेकिन आप अपनी योजना बतायें कि क्या है ? दूसरी प्रकार की खादें भी है। केचुंआ खाद की बात मैं

करूं, अगर यह खाद हो तो जमीन के लिये, खेती के लिये सबसे ज्यादा पौष्टिक सिद्ध हुई है। कोई ऐसा कान्टेन्ट नहीं है जो केचुंआ खाद में न हो। मान्यवर, हर चीज उसमें हैं। यहां तक कि विटामिन उसमें है। लेकिन सरकार की, आपके विभाग की कोई स्कीम, कोई कार्यक्रम है ऐसा कि केचुंआ खाद के लिये इतना प्रस्ताव लायेंगे ? है क्या ऐसा ? इसमें तो कुछ नहीं है। अगर आप ऐसा कोई कार्यक्रम ला रहे हैं, चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं कि रासायनिक खाद से भूमि के बचाव के लिये तो उसका विकल्प भी तो दीजिये। विकल्प नहीं तो व्यवस्था बताइये। अब आप सरकार हैं, मंत्री हैं और बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं मान्यवर, संसद तक का अनुभव है इनको। आप कुछ योजना लाते कि हम खेती के लिये यह करने जा रहे हैं भले ही ढाई महीने रहा। हम यह योजना लेकर आये हैं। एक भी नयी योजना नही लाये हैं। यह तो बस जो पुराना बजट था उसकी नकल करके दो चार शब्द आगे पीछे करके बस बजट परफारमेन्स यहां पेश कर दिया। मंत्री जी ने तो खैर पढ़ा ही है मैंने भी सारा पढ़ लिया है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं पढ़कर प्रशंसा करता। मान्यवर, जैसे मैंने कहा था नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट, सल्फर, आक्सीजन यह सारे के सारे उपलब्ध हो जायेंगे किसान को। रासायनिक खाद के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। हम लोगों ने कितना अत्याचार किया खेती के ऊपर, आपने भी देखा होगा मान्यवर, सभी सदस्यों के अनुभव में है बाग में जो हमारी झाड़ियां होती थीं उनमें मधुमक्खी आती थी बैठ जाती थी कितना शुद्ध शहद उपलब्ध होता था। आज आ रही है किसी बाग में ? खाली मधुमक्खी के डब्बे रख रखे हैं लोगों ने और उसमें गुड़ और शक्कर घोल कर रखते हैं और शहद बनाते हैं और फूल फूल पर घूम कर जो आयेगी भी वह जो स्प्रे करेगी वह कितना जहरीला होगा। दूसरे देशों में जो आज विकसित देश हैं उन्होंने अपने वन सुरक्षित कर दिये हैं, कुछ क्षेत्र सुरक्षित कर दिये है जहां आप कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां मधुमक्खी पलती हैं और खुद पलती हैं और शहद पैदा होता हे उनसे। कोई ऐसा है इसमें कि हमारी योजना बनेगी कि हम इतने बड़े क्षेत्र को आरक्षित कर देंगे कि इसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं होगा भले ही हमको कुछ अुनदान देना पड़े वहां पर किसानों को। मान्यवर, आपने सागौन की बात कही। न कहते तो मैं भी नहीं कहने वाला था क्योंकि सागौन हमारा खेती का विषय नहीं है। आज सागौन को भी छोड़ देंगे आप। किसान कहां जा रहा है खेती छोड़कर। पूरी बेल्ट को देख लीजिये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सहारनपुर से शुरू होकर मुजफ्फरनगर से होता हुआ गाजियाबाद तक मान्यवर, खेती छोड़ करके पापुलर लगा रहा है और पूरे के पूरे पापुलर लगते जा रहे हैं। उस पापुलर को काट के कहां ले जाता है वह। उत्तर प्रदेश में कोई आरा मशीन और लकड़ी से संबंधित कोई भी उद्योग लग नहीं सकता क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है और निर्णय कब का है ? जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था। उस समय 16 प्रतिशत वन क्षेत्र उत्तर प्रदेश का था उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र कम नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड चला गया हमारे यहां 3.5 प्रतिशत वन क्षेत्र रह गया लेकिन बैन जारी है परिणाम क्या हुआ। वह अपनी लकड़ी काटेगा जमुनानगर ले जायेगा, पंजाब ले जायेगा और लाखों-लाखों नौजवानों को रोजगार मिलना है। हमारा किसान मेहनत करता है काटकर ले जाता है वहां पर आमदनी होती है उससे फैक्ट्री लगती है।

लेकिन हमारे किसी विभाग ने चाहे वह वन विभाग हो चाहे और कोई हो कभी यह प्रयास नहीं किया। मैंने मामला उठाया तो हमें समझा दिया कि सुप्रीम कोर्ट में निर्णय विचाराधीन है, लेकिन जाओ तो सही, सुप्रीम कोर्ट, पैरवी तो करो, नहीं करने वाला है कोई। यह उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है जो संभवतः इतनी कुंठित हो चुकी है कि उनके प्रदेश के विकास से उसके अच्छे बुरे

से उन्हें कुछ लेना-देना रहा ही नहीं। चाहते है जिस तरह से चल रहा है चलता रहे। एक सूत्रीय कार्यक्रम हो गया है मान्यवर, इसका आप खुद संज्ञान ले सकते हैं मैं इसका कुछ जिक्र नहीं करना चाहता हूं। मान्यवर समर्थन मूल्य की बात खेती के लिए आती है हम देते हैं समर्थन मूल्य, केवल गेहूं, धान पर, गन्ना का जिक्र नहीं किया, गन्ना भी समर्थन मूल्य में शामिल है। इसके अलावा जितने समर्थन मूल्य की घोषणा होती है वह केवल प्रतीकात्मक होती है। तो माननीय मंत्री जी एक तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि अब समय आ गया जब बिल्कुल वैज्ञानिक रीति से हमारी सोच में परिवर्तन आना चाहिए। पहले था उसको हमने बदल दिया, और हम समझ नहीं पाए कि इसके परिणाम कितने घातक होंगे। सारी की सारी बैल्ट हम माने तो बुन्देलखंड से आगरा तक, यह वह क्षेत्र था जहां पर ऐसी फसलें पैदा होती थी जिनकी जड़े ज्यादा गहरी नहीं होती थी। मसूर की दाल, मूंग, उड़द या फिर तिलहन वाले पौधे लगाए जाते थे। और हमें खुशी है कि आज झांसी, जालौन में उत्पादन भी अच्छा हो रहा है उनको आहिस्ता-आहिस्ता हम परिवर्तित करते जा रहे हैं। नये नये तरीके देकर जैसे आगरा में, हमारे आगरा के विधायक सहमत होंगे, कितने उद्योग थे तेल पर आधारित, खेल पर आधारित, वहां की खल बहुत मशूहर हुआ करती थी आज एक भी उद्योग नहीं है। हमारे अधिकारियों ने सुझाव दिया कि यमुना नहर आगरा को निकाल दी जाए और यमुना नहर से हम धान उत्पादन करेंगे। धान तो यहां पर काफी हो रहा था। दाल तो यहां हो रही थी जो दाल हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। कितना हमें फारेन एक्सचेंज पर खराब करना पड़ता है। इसकी चिन्ता नहीं की, कोई उनसे पूछने वाला भी नही है कि दाल ज्यादा महत्वपूर्ण है या चावल ज्यादा महत्वपूर्ण है जो चावल हमें उपलब्ध हो रहा है शहरी, इसी का परिणाम यह हुआ कि लोग गए, सोचा कि गेहूं में आमदनी ज्यादा है, गन्ने में आमदनी ज्यादा है तो कोशिश इस बात की होनी चाहिए माननीय मंत्री जी कि यह फसल जो तिलहन और दलहन वाली है इस पर आप अनुदान दीजिए। खुलकर दीजिए कि जो दाल पैदा करेगा उसका दाम अन्य फसलों की अपेक्षा इतना ज्यादा होगा। लोग खूब आएंगे। मान्यवर, चना उतना पैदा नहीं हो सकता है जितना गेहूं पैदा होता है एक एकड़ में, यहां पर आज चार साढ़े चार हजार रुपये कुंतल चना का भाव है। पैसा कहां जा रहा है। समस्त चना 80 प्रतिशत चना या तो राजस्थान से आ रहा है या मध्यप्रदेश से आ रहा है। वह लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं वह हमारी इस नीति का फायदा उठा रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ समझा ही नहीं। आज तिलहन का काम सब चौपट हो गया। बाहर से सब आ रहे हैं दूसरे प्रदेशों से आ रहा है। या विदेशों से आ रहा है हमें यह सोचना है कि कैसे हम संतुलन को बनाकर रखें। बुन्देलखंड जैसा क्षेत्र है वहां एक विशेष पैकेज के रूप में देकर वहां किसानों को प्रोत्साहित करें मान्यवर, इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है, मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि आपके हाथ का इशारा मैं समझ लेता हूं। यहां पर बाग को काटने में, आम को काटने में, शीशम के पेड़ को काटने में, पाबन्दी लगी हुई है। मेरा अपना अनुभव यह है कि जिस किसान ने यह ठान लिया कि मुझे अपने बाग को काटना है तो वह काटकर रहेगा। बस दो महकमें हैं पुलिस प्रमुख और वन विभाग नम्बर दो पर। किसान को जब हम परमिट नहीं दे पाए तो हम लोगों ने उन दो महकमों को लाइसेंस दे दिया कि बाग काट लें शीशम काट लें, सारे शीशम कहीं ले जाएं बस दो महकमें खुश रहें। मैंने सुझाव दिया था कि बाग केवल हमें फल नहीं देता है बाग हमें स्वच्छ हवा भी देता है। समाज को देता है।

केवल उस किसान को नहीं देता है जिसका बाग है। किसान यह देखते हैं कि मेरा जो दस एकड़ का बाग है इसके मुकाबले में मुझे गन्ने में ज्यादा आमदनी हो सकती है। वह किसान देखता है कि बेटी की शादी करनी है, पैसा नहीं, बाग की लकड़ी बेंचकर बेटी की शादी कर सकता हूं। अगर

आपको बाग रखना है, समाज को शुद्ध जलवायु और हवा देना है तो क्या आपकी जिम्मेदारी यह नहीं होगी कि उस किसान को भी कुछ मिले, आप इस बात पर सोचिए। अगर उसे भी कुछ मिलेगा तो वह बाग को काटने के लिए मजबूर नही होगा। हम क्यों रोकें उसे क्योंकि हमारे हाथ में डण्डा है, हम उसका चालान कर सकते है ? जमीन भी उसकी है, पेड़ भी उसके हैं, वह काटेगा तो चालान कर देंगे और पुलिस वाले को कुछ दे दिया तो चालान भी नहीं होगा। सरकार क्यों दुविधा में फंसती है ? उसे सोचना चाहिए क्योंकि यह समाज के लिए आवश्यक है, पेड़ों को रहना आवश्यक है इसलिए हम उस किसान की सहायता करें और उसको मजबूर न करें कि आपको पेड़ काटने ही पड़ेगे। कभी खाली समय में हों तो इस पर विचार कर लें और ऐसा प्रस्ताव कैबिनेट में लेकर जायें और उसे स्वीकार करायें। मान्यवर, निवेदश बढ़ाने की बात है कृषि में। यह सारी आपकी लेटरेचर है, कहीं भी कृषि में निवेश बढ़ाने की बात क्या आपने कही है ? चाहे वह सिंचाई की सुविधा में निवेश बढ़ाने की बात हो, मण्डी को सुधारने हेतु निवेश बढ़ाने की बात हो, किसान को कोई इन्सेन्टिव देने की बात हो, कहीं निवेश बढ़ाने की बात आई है, क्या ? मान्यवर, यह वही बात है, बेकार की कसरत होगी, बजट आयेगा, हम लोग पढ़ेंगे और भाषण देंगे। बजट का उद्देश्य होना चाहिए कि इस बजट के माध्यम से जो इससे सम्बन्धित हैं, प्रभावित हैं, हम उसको क्या-क्या कार्यक्रम देने जा रहे हैं, क्या-क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कार्यक्रम ले कर जा रहे हैं ? मान्यवर, इस सम्बन्ध में कहीं एक शब्द नहीं है। यदि कोई किसान उसमें स्वयं पैसा लगा रहा है तो यह निवेश नहीं है, वह तो उसकी पूंजी है। सरकार की तरफ से इसमें क्या किया जा रहा है, यह इसमें आना चाहिए था। हो सकता है कि मेरी आंखे धोखा दे गयी हों लेकिन मंत्री जी भी ढूंढ़ रहे हैं। मान्यवर, आपने पिछले साल देखा, आलू की क्या दुर्गति हुई ? आलू की फसल को ले करके सारे प्रदेश का किसान तड़पता रहा। 200 रुपये खर्च आता था, शीतगृह में रखने का, किसान वहां रखने के बाद में वापस ला नहीं पाया। शीतगृह के मालिक इन्तजार करते रहे कि किसान पैसा देकर अपना आलू ले जायेगा लेकिन उसने कह दिया कि आलू रख लो, हम नहीं ले जायेंगे। जिस आलू को अपने खून पसीने की मेहनत से पैदा किया, उसने सोचा कि जब अच्छा भाव मिलेगा तो निकाल कर बेचूंगा लेकिन क्या हुआ ? इसके बारे में क्या योजना है, मंत्री जी बतायें। क्या यह सही नहीं है कि कोल्ड स्टोरेज वालों ने उस आलू को निकाल निकाल कर सड़कों के किनारे फेंक दिया ? क्यों हुआ ऐसा ? क्या आप उसके लिए कोई योजना लेकर आए हैं ? आप सदन को विश्वास में लीजिए और कहिए कि मैं स्वयं कृषक हूं, मेरा अनुभव हैं और मैं यह योजना लेकर आया हूं। मैं आपको दोष नहीं देता कि ढाई महीने में आप सब काम कर देंगे लेकिन यह तो कह सकते हैं कि अगले बजट में हम इसे लेकर आयेंगे। मान्यवर, 2002 शीतगृह हैं और 31 लाख कुन्तल आलू उनमें सड़ता रहा, यह मेरे पास सरकारी फीगर है। जिस एक प्रदेश में 31 लाख कुन्तल आलू सड़ जाये, उसको उठाने वाला कोई न हो, हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि कृषि विभाग अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहा है। मान्यवर, मैं 2-4 बातें कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं ताकि और भी माननीय सदस्य इस पर बोल लें। मान्यवर, मैंने 3-4 बिन्दु उठाये और उनके तर्क भी दिए, मैं चाहता हूं कि आप उनके बारे में बतायेंगे कि कृषि निवेश की नीति क्या है, आप बतायेंगे कि बीज उत्पादन की आपकी नीति क्या है ?

उसको बढ़कर कर पायेंगे आप ? आप किसानों को क्या प्रोत्साहन देंगे अगर आप उनको अनाज कृषक से बीज कृषक बनायेंगे। उसके बारे में आपका लक्ष्य क्या है कि इतने किसानों को हम बीज कृषक बनायेंगे। उसके लिए उसको क्या-क्या इंसेन्टिव्स देंगे, उसकी क्या-क्या व्यवस्था सुधारेंगे। मण्डी के लिए आप क्या-क्या करने वालें हैं। क्योंकि मण्डी तो उजड़ गयी हैं। मण्डी में तो कोई आना

नहीं चाहता। मण्डी में एक सुझाव है कि हमने अपने लिए मण्डी को एक व्यवसायिक केंद्र बना दिया। मण्डी आज किसानों का कमाऊ पुत्र नहीं रहा। मण्डी आज अधिकारियों, कर्मचारियों का कमाऊ पुत्र बन रहा है। क्योंकि मण्डी शुल्क भी लगता है, चोरी होती है तो ट्रेड टैक्स की भी चोरी होती है। इसलिए किसानों ने मण्डी में आना बंद कर दिया है। अच्छा यह होगा कि जो विकसित देश हैं उनके पैटर्न पर जैसे ब्रिटेन है, दुबई ने आज मण्डी के क्षेत्र में विकास किया है।

सारा मिडिल ईस्ट उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। आज कृषि के वहां इतने उत्पाद जाते हैं जितने कहीं नहीं जाते। पेरिस है, एम्सटर्डम है वहां मण्डी का कान्सेप्ट ही नहीं है। वहां पर मण्डी के बारे में सोच है कि हमने आपको जमीन उपलब्ध करा दी, इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिया, उसी में क्वालिटी इम्प्रूव हो और उसका कोई शोषण न हो। वहां पर मण्डी टैक्स नहीं होता। वहां पर दुकानों को किराये पर देने से आमदनी होती है। वही होता है। और यहाँ पर कोई किराये पर दुकान लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनको नम्बर दो का काम करना है। इसके बारे में भी आप सोचें। मान्यवर, मैंने कुछ सुझाव दिये। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य अपने ज्यादा से ज्यादा सुझाव रखें और कृषि मंत्री जी अपनी इन सारी बातों पर विचार करें और कोई विशिष्ट कार्यक्रम लेकर सदन में प्रस्तुत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

अब यह है कि सभी अनुदान एक साथ रख दिये जायं और कटौती का प्रस्ताव रखने के बाद माननीय सदस्य किसी भी विषय पर जो बोलना चाहें बोलें। कृषि पर अलग-अलग बात कराते हैं तो फिर इसी में रह जायेंगे। अगला बजट नहीं आ पायेगा।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

यह तो पूर्व में तय था, यह इकट्ठा हो जाना चाहिए था। और फिर सारे माननीय सदस्य उस पर बोलते।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,33,23,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष-

आप दो चार मिनट बोल दें तो कटौती रख दें।

श्री राज किशोर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0 प्र0 वित्तीय वर्ष 2012-13 के बजट में संबंधित कुछ मुख्य बिन्दु मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा प्रदेश में फल शाकभाजी आलू, मसाला, फूल आदि औद्यानिक फसलों के विकास मौन पालन तथा मशरूम की खेती, फल, सब्जी संरक्षण विधियों के प्रचार के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण

कुकरी, बेकरी उद्यमिता विकास प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से क्रियान्वित करते हैं। मान्यवर, अनुदान संख्या-10 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए आयोजनागत पक्ष के धनराशि रुपया 25 करोड़ 88 लाख 69 हजार तथा आयोजनेत्तर पक्ष में रुपये एक अरब 40 करोड़ 59 लाख 63 हजार इस प्रकार कुल रुपया एक अरब 66 करोड़ 48 लाख 32 हजार की आय-व्ययक में व्यवस्था करायी गयी थी। वित्तीय वर्ष 2011-12 में योजनागत पक्ष में धनराशि के रूप में रु0 23,71,44,000.00 आयोजना पक्ष में रु0 1,12,95,000.00 इस प्रकार कुल रु0 1,36,66,40,000.00 के आय-व्यय में व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। विगत वित्तीय वर्ष में चालू वित्तीय वर्ष में, आयोजना पक्ष में धनराशि रु0 2,17,25,000.00 जो 9.16 प्रतिशत अधिक था। एवं आयोजनेत्तर पक्ष में धनराशि रु0 27,64,63,000.00 जो 24.48 प्रतिशत, इस प्रकार कुल रु0 29,81,88,000.00 जो 21.82 प्रतिशत गत वर्ष से अधिक है। माननीय अध्यक्ष जी 2012-2013 में व्यवस्थित धनराशि में, भारितमद में धन राशि रु0 1,10,62,000.00 भी सम्मिलित है। माननीय अध्यक्ष जी, 2012-2013 के लिए प्रस्तावित नई योजनाएं कुछ हमारी है। जो पिछली सरकार में आप देखेंगे जो आपकी सरकार थी, अभी मा0 हुकुम सिंह जी जो हम लोगों के वरिष्ठ सदस्य हैं, कह रहे थे, मधुमक्खी, हमारी तमाम नई योजनाएं माननीय अध्यक्ष जी, मधुमक्खी के बारे में आपने चर्चा किया है, अगली बार आप देखे होंगे आगे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा था यही-कहीं मैदान में और जो किसानों को सरकारी व्यवस्था के तहत दी जाती है जिससे मधुमक्खी पालन होता है वह मधुमक्खियां नहीं थी, वह कही बाहर की जंगल की मधुमक्खियां थी, किसी कौवे ने उसको खोद दिया और वह मधुमक्खियां उस कार्यक्रम की तरफ आक्रमण कर दी, हमको तो लगता है माननीय अध्यक्ष जी, वह जो दूसरी जितनी भी मधु मक्खियां थी, जितने भी सताए हुए लोग थे, जितने लोगों ने आत्महत्या की थी, जिन लोगों की पुलिस की गोलियों से मौत हुई थी, जिन लोगों का दमन करके इन लोगों ने जिस लोगों को समाप्त किया था वही सारे लोग मधुमक्खी के रूप में मुख्यमंत्री जी के ऊपर हमको लगता है अटैक किया था, हल्ला बोला था और माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक कर्मचारी नहीं, उद्यान विभाग के तमाम कर्मचारी, तीन-तीन, चार-चार जब से मधुमक्खियां उड़ी थी, तमाम ऐसी जगहों पर अटैच उनको कर दिया गया, ऐसी जगहों पर रख दिया गया जिससे विभाग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनको केवल तनख्वाहें दी जा रही थीं, इसलिए हम कहना चाहते हैं मा0 अध्यक्ष जी, जब से हमारी सरकार आई है, जब से आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लिये हैं तब से हमारी सरकार नई नई नीतियां लाई है जिससे किसानों का लाभ हो, नौजवानों का लाभ हो, हर तबके पर नजर डालने के लिए हर तबके को फायदा दिलाने के लिए जो हमारा घोषणा-पत्र था, उस घोषणा-पत्र से आगे बढ़ कर के तमाम ऐसे नायाब काम हो रहे हैं जो पिछली सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, जो लोग सताये गये थे, जो लोग दबाये गये थे, उनको फायदा पहुंचाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है।

मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2012-2013 में विभाग ने कृषि के गुणवत्तायुक्त पान की उन्नतशील प्रजातियों की खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के 22 जनपदों को प्रशिक्षण एवं गोष्ठी का आयोजन तथा विषय से सम्बन्धित साहित्य वितरण एवं बजेरा के निर्माण हेतु नई योजनाएं लागू की जा रही है, जिसके लिए धनराशि एक करोड़ आय-व्ययक में व्यवस्था कराई गई है। मा0 अध्यक्ष जी, जो बजेरा छोटे-छोटे बिजनेस से लाभ कमाते हैं प्रदेश में जिनको कोई नही पूछता ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने योजना लाने का काम किया है। मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा तथा शुद्ध वातावरण, पर्यावरण का जो संकट है। आज तमाम जगहों पर देखिये

लोग घूमने टहलने के लिए निकलते हैं, बड़े-बड़े शहरों में हो सकता है व्यवस्थायें हों, लेकिन तमाम ऐसे छोटे-छोटे शहर हैं, तमाम ऐसे छोटे-छोटे इलाके हैं, कस्बे हैं, वहां टहलने के लिए घूमने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहां उस एरिया की जो मार्केट हैं, जो टाउन हैं, उन टाउन में महिलाएं हों चाहें पुरुष हों कोई भी सुबह टहलने के लिए यदि चाहे तो हाइवे के अलावा और कोई भी ऐसी जगह या पार्क की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमारी सरकार ने सोचा है कि सौंदर्य और तमाम ऐसी टहलने और घूमने की व्यवस्था के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सौंदर्य की छटा हेतु सरस वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2012-2013 में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान तथा पार्कों की स्थापना हेतु नई योजना संचालित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रथम वर्ष में मा0 अध्यक्ष जी, इस योजना के तहत बस्ती, इटावा, कन्नौज में नए पार्कों की स्थापना करायी जायेगी, जिसके लिए आय-व्ययक में निर्माण कार्यों सहित 4 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था कराई गयी है। मा0 अध्यक्ष जी, किसानों के हित में एवं उपभोक्ताओं को स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक, सर्वश्रेष्ठ, उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए एक नई राष्ट्रीय खाद्य संस्करण मिशन योजना का संचालन प्रस्तावित है। इसके लिए आय-व्ययक में 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई गई है। मा0 अध्यक्ष जी, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में हम लोगों ने 3 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कराया है, मुख्यमंत्री जी ने यह किया है, क्योंकि इससे जो किसान उत्पादन करता है, जैसा कि आपने कहा कि किसान का आलू कोल्ड स्टोरेज में सड़ रहा है और फेंका जा रहा है। इसी तरह से तमाम चीजें चाहे वह फल हों, सब्जियां हो, चाहे वह प्रोसेसिंग की चीजें हैं, चाहे वह धान हो, गेंहूं हो, जिसका प्रसंस्करण होता है उसके लिए हमारी सरकार ने एक नीति बनाई है और उस नीति के तहत 3 करोड़ रुपये एडवांस सरकार ने बजट का प्राविधान किया है और आने वाले समय में इस नीति से मा0 अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों में और नौजवानों में क्रांति आएगी। मा0 अध्यक्ष जी, हमने वर्ष 2012-2013 में कृषकों के परिक्षेत्रों पर प्रस्तावित उद्यान विकास कार्यक्रम, क्षेत्रफल विस्तार के रूप में जैसे फलों के क्षेत्र में हमने फलों के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार के कार्यक्रम में 2245 हेक्टेयर के फल की खेती के लिए विस्तार हम करने जा रहे हैं। नया प्राविधान जो इस बजट में लेने जा रहे हैं, इसमें हम 2245 हेक्टेयर किसानों की जमीनों पर खेती कराने का काम करेंगे, उस पर अनुदान देंगे, उस पर सहायता देंगे। शाक भॉजी के क्षेत्र में 1700 हेक्टेयर पुष्प एवं प्रदर्शनी फसलों के क्षेत्र में 640 हेक्टेयर। आलू एवं साग भॉजी के उत्पादन के क्षेत्र में आलू के क्षेत्र में 195 हेक्टेयर और साग भॉजी के उत्पादन के क्षेत्र में 200 हेक्टेयर किसानों को हम औद्यानिक प्रशिक्षण देंगे। हमारे जो 6752 चयनित कृषक रहेंगे प्रदेश के जिन्हें हम औद्यानिक प्रशिक्षण देंगे, जो भी हमारे रिसर्च वैज्ञानिक होंगे उनके माध्यम से राजकीय पौधशालाओं में पौधा उत्पादन 61.56 लाख ग्रीन हाउस निर्माण के लिए 1 लाख 85 हजार वर्ग मीटर, जिससे ग्रीन हाउस का निर्माण किया जाएगा, रीडनेट हाउस का निर्माण 20 हजार वर्ग मीटर में किया जायेगा, प्लास्टिक मल्चिंग 125 हेक्टेयर में और पैकिंग के प्रबंधन के लिए हमारी सरकार ने मा0 अध्यक्ष जी, 10 पैक हाउस का निर्माण, जिसमें 10 आलू शीतगृहों का निर्माण, जो हमारा प्रस्तावित है और 50 प्याज भण्डारणगृहों का निर्माण जो आज हमारा प्रस्तावित है। नवीन तकनीकी ड्रिप स्प्रिकलर की स्थापना जो 6324 हेक्टेयर जमीन में की जायेगी। मा0 अध्यक्ष जी नवीन पहल के तहत लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्कों की स्थापना एवं पान विकास बाल विकास यह जो सारी चीजें मैंने बताई, उसका हमारे बजट में प्राविधान है। अध्यक्ष जी आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

श्री अध्यक्ष-

श्री हुकुम सिंह जी आपने कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री हुकुम सिंह-

निर्देश मिला है नेता प्रतिपक्ष से और पालन करना हमारा काम है मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-10 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। यह अनुदान संख्या-10 है।

मान्यवर, अभी मा0 मंत्री जी के विचार आए अपने विभाग के बजट के समर्थन में। मैं 5 मिनट में कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। इसमें मुख्य रूप से बागवानी है, मा0 मंत्री जी जब पूरा बजट सत्र समाप्त हो जाए आप समीक्षा करें विभाग की और अधिकारियों से यह पूछें कि विगत 5 वर्षों में बागवानी का कितना क्षेत्र बढ़ा है उत्तर प्रदेश और कितना घाटा है और उस घटने के कारण क्या हैं यह आपको देखना होगा। आपने अपने कार्यपूर्ति दिग्दर्शक में अपनी योजनायें बतायी हैं आपने उसमें भूमि की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि की बात कही गयी है। मान्यवर, यह कौन सी तकनीकी है जो आप विकास करना चाहते हैं। मान्यवर, आपके जो जिला उद्यान अधिकारी हैं वह सब उप निदेशक हो गये हैं आप लोग किसी भी बाग में जाकर नहीं देखते हैं और केवल अपने दफ्तरों में बैठकर नवीन तकनीकी की योजनायें बना देते हैं। मेरा कहना है कि कम से कम वहां जाने का कष्ट तो कर लिया करें क्योंकि विभाग ने आपको गाड़ी भी दी है। मान्यवर, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सीलिंग की जमीन थी मैंने वहां के आयुक्त और अन्य अधिकारियों से मिलकर उसको उद्यान विभाग के लिए आरक्षित कराया ताकि वहां पर बाग विकसित हो सके और नर्सरी बन जाये ताकि किसानों को लाभ मिल सके। लेकिन वहां हुआ क्या इसको आप मंत्री जी जाकर देख लें। वह कैराना विकास खण्ड का मवी गांव है। वहां इस समय पूरा का पूरा गन्ना खड़ा है नर्सरी की बात तो दूर रही। मुझे तो बाद में महसूस हुआ कि अच्छा होता कि यह सीलिंग की जमीन किसानों में बट जाती। मान्यवर, इस ओर आप देखें और आपके अधिकारी देखें। मान्यवर, आप बागवानी के माध्यम से किसानों को अधिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं मान्यवर, यह जो अलंकृत भाषा का प्रयोग कर देने मात्र से किसानों का फायदा होने वाला नहीं है। मान्यवर, आपके मन में यह आना चाहिए कि हम अपने प्रदेश के फलों को कैसे विदेशों में पहुंचाये। मान्यवर, हमारे यहां चौसा आम है, दशहरी आम है, लगड़ा आम है। मान्यवर, लखनऊ में दशहरी है, बनारस में चौसा है लेकिन आज हो क्या रहा है कि दक्षिण भारत का आम हमारे यहां अधिक बिक रहा है। मान्यवर, दक्षिण का आम मार्च महीने में ही बाजारों में आ जाता है और मई, जून तक बिकता रहता है। और वह पूरे बाजार को ढक लेता है। मान्यवर, मंत्री जी को याद होगा हम लोग दुबई गये थे और वहां की मण्डी को देखा था और यह पूछा था कि दशहरी कहां है लेकिन वहां दक्षिण का आम था ज्यादा मात्रा में। मान्यवर, आज आप मेरठ से दिल्ली बाई रोड चले जायें आपको सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े फलों के स्टाल देखने को मिलेंगे भले ही वहां पर पीछे बाग न हो, वहां आपकों दक्षिण भारत का आम भरा मिलेगा तो मेरा कहना यह है कि दक्षिण भारत वाले अपने फलों के उत्पादन में हमसें आगे क्यों है, क्यों सफल है, और क्यों नहीं हम लोग सफल हैं। क्यों हमारे यहां दूसरे क्षेत्रों का आम ज्यादा आ रहा है, क्यों नहीं हम बाजार की व्यवस्था को सुधार पा रहे है उनका आम और दूसरे फल बाहर जा रहे हैं और हमारे क्यों नहीं जा पा रहे हैं इसको आपको सोचना होगा। मान्यवर, मुझे भी कुछ दिन इस विभाग को देखने का मौका मिला था। मान्यवर, हमारे यहां प्रोसेसिंग यूनिट लगाये गये, मलिहाबाद में सहारनपुर में लगाये गये वहां आम

के छटने और पैकिंग आदि की व्यवस्था की गयी आज उसी की बदौलत हमारा आम चीन और जापान जा रहा है। आप इस ओर और सोचें। जब हम लोग दुबई गये थे वहां पाकिस्तान का आम छाया हुआ था पूछने पर पता चला कि अच्छी-अच्छी पैकिंग में वह लोग यहां पर भेजते हैं जबकि हमारे यहां का आम बोरों में लाया जाता है तो कैसे हमारी व्यवस्था सुन्दर बन पायेगी मान्यवर, हम लोग दूसरी जगह पर भी गये थे मंत्री जी तो चले आये थे वहां पर एक नाईजीरिया का व्यक्ति मिला जब उसे पता चला कि भारत का प्रतिनिधि मण्डल आया है तो वह हम लोगों से मिलने पेरिस आया वह मुम्बई का रहने वाला था उसने हम लोगों से मुलाकात की। फिलीपाइंस का चावल आता है, थाईलैंड का चावल आता है इतना अच्छा पैकिंग होकर के वह आयेगा और हिन्दुस्तान का चावल जूट की बोरी में जब भरकर आयेगा तो मेरे बच्चे जो हिन्दुस्तानी है वह कहते हैं कि पापा हिन्दुस्तान का चावल मत लेना थाईलैण्ड का लाना। यह आज के युग में आकर्षक चीजों को बनायें, सुन्दर बनायें तभी जा करके उसके लिए कीमत अच्छी होगी, हमने क्या किया क्यों हमारा यह हार्टीकल्चर डिपार्टमेन्ट सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा है। पुराने लोग जमींदार लोग थे बहुत बड़ी-बड़ी उनकी जमीन होती थी शौक के लिए वह बाग लगा लेते थे आज वह शौक हममें पूरा क्यों नहीं हो रहा है। पूछिये आप अगली समीक्षा बैठक में कि बाग कम हुए हैं या बढ़े हैं और अगर कम हुए हैं तो क्यों कम हुए हैं, बढ़ क्यों नहीं रहें हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा।

आज उस क्षेत्र को बचाने के लिए आपको अतिरिक्त सुविधा प्रदान करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो वह चावल के मुकाबले में गेहूं के मुकाबले में, गन्ने के मुकाबले में ठहर नहीं पायेंगे क्योंकि एक तो बीमारी इतनी आ गयी है जब से यह प्रदूषण हुआ गाड़ियाँ चलने लगीं, भट्ठे लगने लगे उनकी वजह से बाग की फसल में प्रभाव आने लगा, उसको रोकने के लिए क्या किया ? खाली उसको मैन्गो बेल्ट डिक्लेयर कर देंगे आप, उसको डिक्लेयर करने का यह होगा कि भट्ठा लगाने के रेट अगर पहले 5 हजार थे, 25 हजार हो जायेंगे लेकिन लगेगा तो है ही। रतौर की किस्म आम की पूरे भारतवर्ष में यहां तक कि पाकिस्तान में भी मशहूर थी, मेरठ में एक जगह है वहां के लोग बराबर मंत्रियों की दावत करते थे लोग खुश होकर खाते थे बहुत खुसबू है उसमें। वह खत्म, बरबाद बिलकुल, टोटल। नाम लिखवाये सारे अच्छे अच्छे फल के आपने, आम लिखवा दिया अमरूद लिखवा दिया। कल ही रोना रो रहे थे अमरूद का, यह बैठे है इलाहाबाद वाले। बताना इनको चाहिए लेकिन करना आपको चाहिए। वह कोई आपकी कोई आलोचना नहीं है यह आपके लिए चुनौती है और चुनौती स्वीकार करना अच्छी बात होती है कि नहीं हम करेंगे इसको। हम दो महीने में आपका क्या दोष दे दूं आपने क्या कर दिया इसमें आप हों या हम हों, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा भेदभाव की बात कर रहा हूं। इस क्षेत्र में जितना ध्यान जाना चाहिए था सरकार का नहीं जा पाया। अब आप बता रहे हैं कि परिवर्तन करेंगे और देखेंगे आपने लिखा है दसहरी, लगड़ा, चौसा, सफेदा, रतौर किस्म के आम पूरे देश में मशहूर तो है पर यह आम जा कहां रहे हैं अब जाना शुरू हुआ है टाइम देखिये, बधाई आगे जा करके। मान्यवर, ऐसे ही दूसरे फलों की बात है अमरूद की बात है एक खास किस्म है इलाहाबाद की और इनके यहां है वह क्यों खत्म हुई, सूख क्यों रही है आपके पास में जो विशेषज्ञ हैं वह उन कारणों पर क्यों नहीं जा पाये क्यों सूख रही है यह अब क्यों उसमें फल खत्म होता जा रहा है, क्या करेंगे उन विशेषज्ञों का। वैसे मान्यवर, इसमें मैं दो शब्द कह दूं हालत तो इस डिपार्टमेन्ट की ऐसी है कि मैं अपनी भी पीड़ा कह दूं कि मेरे आम के बाग में सूखन शुरू हुई, मंत्री भी थे उस समय विभाग के अधिकारी गये उस समय, बहुत गये, और फिर हमारे यहां माली ने कहा कि जितना इनको बुलाओगे उतना पेड़ सूख जायेंगे। मुझ पर पाबन्दी लगायी उसने, घर के परिवार वालों ने भी कि

जितने आते जा रहे हैं उतने सूखते जा रहे हैं इनका आना बन्द कर दो शायद कुछ बच जायें। इनको फील्ड की बिल्कुल जानकारी नहीं है जो कुछ जानकारी है थ्योरी की जानकारी है, क्लास की जानकारी है। वह जानकारी होना तभी सम्भव होगा जब यह लोग जाकर फील्ड में परीक्षण करेंगे, बैठेंगे जा करके, जमीन की उर्वरा शक्ति का परीक्षण करेंगे जा करके, किस पौधें के लिए किस चीज की आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करेंगे जा करके तभी कुछ हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी समाप्त करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, खत्म करता हूं। चूंकि फलों-वलों में आपका भी शौक नहीं है शायद। मान्यवर, स्वास्थ्य के लिए इस उम्र में फल ही ज्यादा अच्छे होते है।

श्री अध्यक्ष-

हमारे पास बड़े-बड़े बाग थे पुराने वाले अब नये नहीं हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मंत्री जी का अनुभव है, यह पहले भी रहे हैं इस विभाग में और दोबारा फिर मुख्य मंत्री जी ने इनको वही विभाग दे दिया। कुछ अपने पुराने अनुभवों को जोड़ करके और थोड़ा सा अपनी शैली बदल करके इसी काम में लगाओं, इसी काम में लगो। बाकी बातें भूल जाओं, ट्रांसफर, पोस्टिंग वाला होता रहेगा। इसी काम में लग जाओ, देश की सेवा करो, जनता की सेवा करो, उनकी दुआयें मिलेंगी तो उन्नति भी होगी आपकी, कैबिनेट मंत्री बन जाओगे आगे जाकरके।

श्री अध्यक्ष-

वो हैं ही।

श्री हुकुम सिंह-

क्या बन गये, पहली बार राज्य मंत्री थे। बहुत बधाई उसके लिए।

(इस समय 2 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुये)

मैं चाहूंगा कि जब आपको दर्जा ऊंचा मिला है तो उसी के अनुरूप अपने विजन को भी विकसित करके, विभाग को कस करके उनसे काम लो। हम सब लोग आपके साथ रहेंगे इस काम के लिये और मान्यवर, जो बिन्दु रखे हैं। केवल सुझाव के लिये रखे हैं। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 पंचायती राज मंत्री जी।

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी आपकी आज्ञा से मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान सं0-14, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग पंचायती राज के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,91,96,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आभार भी प्रकट करता हूं और मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विभाग का आज इस पद पर रहते हुये अनुदान मांगों को आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करने का हमें अवसर मिला है। मान्यवर, पंचायती राज बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुनियादी इकाई के अनुदान का प्रस्ताव सदन के समक्ष आज रखते हुये मैं उसकी पृष्ठभूमि में कहना चाहूंगा। आजादी के बाद जब 1947 में अंतरिम सरकार बनी थी तो उस समय ही आजादी की लड़ाई की जो परिकल्पना थी कि जनता के द्वारा, जनता के लिये, जनता का राज स्थापित करने की दृष्टि से संयुक्त पंचायती राज अधिनियम, 1947 का अधिनियम स्थापित किया गया था, मान्यवर, जिसके द्वारा गांव सभाओं का गठन शुरू हो गया था, 1952 से पहले ही। मान्यवर, कालान्तर में सन् 1952 में चुनाव के बाद जब नयी सरकार आयी जिसने प्रमुखता को देखते हुये बलवन्त राय मेहता समिति का गठन किया और उनके संस्तुतियों के आधार पर 1961 में अधिनियम बनाया गया और त्रिस्तरीय पंचायतों का, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की अवधारणा को स्वीकार करते हुये थ्री-टायर पंचायतों की शक्ल के रूप में आज जो जनता के बीच में है और जनता की सेवा कर रही है। जनता की सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है सत्ता में अपनी भागेदारी का और अपना विकास करने का। मान्यवर, कालान्तर में जब 73वां संविधान संशोधन आया और सौभाग्य से उस समय इस प्रदेश में हमारे पूज्य श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और केन्द्र सरकार का जो भी अधिनियम बनाने थे, उन नियमों को बनाने के बाद जो राज्य को क्रियान्वयन करना था, आज जो भी पंचायती राज का स्वरूप और संगठन आज प्रदेश में विद्यमान है मान्यवर, वह श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में आया था और संयोग से जो कमेटी बनी थी क्रियान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद की उप समिति बनी थी, अध्यक्षता तो अन्य कर रहे थे लेकिन स्वास्थ्य मंत्री रहते हुये भी मैं उस उप समिति का सदस्य रहा, मान्यवर, आज पंचायतों का चाहे स्वरूप हो, संगठन हो और चाहे शक्तियां हो, चाहे जन प्रतिनिधियों का सम्मान हो, मान्यवर, 73वें संविधान संशोधन के अन्तर्गत अधिनियम बना करके और संवैधानिक स्थिति को मजबूत करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि पांच वर्षों में इन सभी पंचायतों के चुनाव सुनिश्चित हों, मंडेटरी किया गया और उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन ही नहीं किया गया बल्कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी पदस्थापित कराया गया। उसके बाद मान्यवर, जो पूर्व में अधिनियम थे उसको संशोधित करके 1994 में एक अधिनियम और स्थापित किया गया पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्ग की विकास और सामाजिक सम्मान में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की सुविधा उस समय श्री मुलायम सिंह जी की सरकार में अधिनियम बना करके दी गई। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की भी यही अवधारणा थी कि ग्राम सुराज के जरिये ही इस देश की प्रशासकीय व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है और इसके जरिये समाज के उस वर्ग को भागीदार बनाया जाए जो कभी सामान्य सुविधाओं से वंचित रहा यानि कि अकिंचन व्यक्ति को भी इससे जोड़ने का काम संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ था। मान्यवर, आज बहुत से विभागों के बजट हैं इसलिए इस पर मैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन जो प्रमुख योजनाएं इस नई श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में लागू की गई हैं उन पर मैं दो बातें कहना चाहता हूं। क्योंकि पिछले साल का जो बजट का परिव्यय था उसकी तुलना में इस साल के बजट का 52 प्रतिशत अधिक परिव्यय आज अनुमोदन के लिए आपकी आज्ञा से इस सम्मानित सदन के सामने मैं लाया हूं। मान्यवर, हम लोगों ने वादा किया था, वादा तो पिछले चुनाव में भी किया था

और हमने जनता के बीच कहा था कि गरीब महिलाओं को हम साड़ी देंगे तो बहुत से राजनैतिक लोगों ने उस कार्यक्रम की बहुत आलोचना की थी और कहा था कि यह मतदाताओं को टिप्स दे रहे हैं। लेकिन मान्यवर, वह टिप्स नहीं था बल्कि श्री मुलायम सिंह जी का वह कमिटमेंट था, वह भावनाएं थीं, उन्होंने गरीब महिलाओं की उस दशा को देखा था जिस दशा को देख करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने वस्त्र त्यागे थे क्योंकि महिलाओं के पास एक पहनने के वस्त्र के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए आज इस वर्तमान बजट के अन्तर्गत हम लोगों ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना लागू की है, इसमें बी0पी0एल0 कार्ड धारक प्रत्येक महिला को दो साड़ियां और जो वृद्ध हैं उनको एक कम्बल देने के लिए दो सौ करोड़ रुपये धन की व्यवस्था इस बजट में आवंटित की गई है। मान्यवर, सम्भवतः यह हिन्दुस्तान का पहला राज्य है जो इस कार्यक्रम को, इस बुनियादी जरूरत को, जिस पीड़ा को हम लोग यहां आकर भले भूल जाएं लेकिन वह आज भी समाज में विद्यमान है, उसको पूरा करने का काम इस बजट में किया गया है। दूसरा कार्यक्रम, जिसके द्वारा हम उसे पिछड़े गांव को चुन करके उसका विकास डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत करते हैं।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के लिए हम लोगों ने दो सौ करोड़ रुपया रखा है क्योंकि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जो चयनित गांव होंगे उसमें हमारे 22 विभाग अपने 36 कार्यक्रमों के साथ उन गांवों का विकास करेंगे। इसलिए पंचायती राज विभाग को जो दायित्व सौंपा गया है वह यह सौंपा गया है कि आन्तरिक गलियों, नालियों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये और सम्पूर्ण स्वच्छ शौचालयों का निर्माण करके उसको संतृप्त करने का काम पंचायती राज विभाग को दिया गया है। इन कार्यक्रमों को पूरा करने का दायित्व पंचायती राज विभाग करेगा। इस गांव का चयन करने के लिए मानक न तो जनसंख्या, न जाति और न क्षेत्रफल आधारित है। वह गांव जिनका विकास में मानक शून्य होंगे जिसमें कोई काम नहीं हुआ होगा प्राथमिकता के आधार पर लगभग 2100 ग्रामों को चयनित करके उनको संतृप्त किया जायेगा और वह गांव जिसकी आबादी 2000 से कम होगी उसको 20 लाख रुपये, जिसकी 2000 से ऊपर आबादी होगी उसको 30 लाख रुपये, जिसकी 5000 से ऊपर होगी उसको 40 लाख रुपये की सहायता नाली और सी0सी0 रोड के लिए देकर के उस गांव को संतृप्त करने का काम इस बजट में प्राविधानित है। जहां तक अन्य योजनाओं बी0आर0जे0एफ0 योजना के अन्तर्गत पिछले 5 वर्षों से क्या हुआ है वह जांच का विषय है, उसका परीक्षण भी हो रहा है। लेकिन उस योजना के अन्तर्गत उन पंचायती राज संस्थाओं का पिछले 05 वर्षों में क्या हुआ है, मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं लेकिन पंचायती राज संस्थाओं को किस तरह से कमजोर किया गया, उसके कार्यक्रमों में किस स्तर का काम हुआ, उसका परीक्षण चल रहा है, कालांतर में वह बातें जनता के सामने और सदन के सामने आयेंगी। लेकिन उस कार्यक्रम में भी हम लोगों ने जो बी0आर0जे0एफ0 योजना के अन्तर्गत 635 करोड़ 38 लाख रुपये का प्राविधान पंचायती राज संस्थाओं को मिला है। उसमें हम ग्राम पंचायत सचिवालय, सामुदायिक शौचालय, मिनी वाटर सप्लाई स्कीम्स तथा 250 से 500 तक की आबादी के बसावटों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्य विभिन्न योजनाओं में, कभी यह होता था कि बड़ा पुरवा जुड़ जाता था और जो नई बसावटें थी, नये पुरवे थे उसको जोड़ने का काम नहीं हो पाते थे हमारे अन्य विभाग करेंगे, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभाग करेंगे। लेकिन जो छोटी-छोटी बसावटें बन गयी हैं 250 से लेकर 500 तक की आबादी के, उन गांवों के सम्पर्क मार्गों का निर्माण हम लोग बी0आर0जे0एफ0 योजना के अन्तर्गत

पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा चाहे वह जिला पंचायत होगी, चाहे वह क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत होगी, उन्हीं के द्वारा कार्य कराया जायेगा। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसमें कोई अन्य कार्यदायी विभाग या अन्य विभागों से कार्य नहीं करायेंगे, त्रिस्तरीय पंचायतों के द्वारा ही इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। यही भारत सरकार की गाइड लाइन थी, इसका उल्लंघन करके अन्य कार्यदायी संस्थाओं को जिस तरह से धन उपलब्ध कराया गया और जिस तरह से कार्य कराया गया, जब सदन के सम्मुख रखने का फिर अवसर आयेगा तो रखेंगे। विचित्र स्थिति रही है बिना कार्य कराये धनराशि का भुगतान हुआ है, निजी जमीनों पर काम हुये हैं। मान्यवर, बहुत बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आज के अवसर पर जहां तक हमारा सम्पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम जो भारत सरकार के मदद से चल रहा था, यह सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम को भारत सरकार ने निर्मल भारत अभियान के रूप में इस योजना का नाम बदल दिया है। इस योजना के अन्तर्गत अब, पिछले समय निजी शौचालय निर्माण के लिए कम धनराशि दी जाती थी, अब वह 10 हजार रुपये लाभार्थी को सीधे-सीधे उसके खाते में डालकर व्यक्तिगत शौचालय बनाने का कार्य स्वच्छता कार्यक्रम में कराया जायेगा। राज्य का जो अंश होगा उसकी प्रतिपूर्ति के लिए राज्य अंश की भी व्यवस्था इस बजट में किया गया है।

मान्यवर, पहले इस कार्यक्रम में ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 का मामला होता था। अब इसमें हम लोग प्राथमिकता अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को लेकिन विकलांग को भी करेंगे। महिला जिस परिवार की मुखिया होगी उसको भी चयन के समय प्राथमिकता देंगे। भूमिहीन परिवारों को भी देंगे लघु और सीमान्त किसान का भी चयन करते समय हम प्राथमिकता देंगे। यह प्राथमिकता के क्रम होंगे। हम 10 हजार रुपया अनुदान देकर उनको शौचालय निर्मित कराने के लिये क्योंकि आज जो कठिनाइयां हैं पुरुषों को तो नहीं लेकिन मान्यवर, ग्रामीण महिलायें आज भी इंतजार करती हैं कि अंधेरा हो जाय तो हम शौच के लिये जायं शौच समय पर न जाने के कारण एक नहीं अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। तृतीय राज्य आयोग की संस्तुतियां वित्त आयोग का निर्माण हम लोगों ने सन् 1994 में किया था उसमें यह तय किया गया था कि सकल हमारे टैक्सों से जो आय होती है और खर्च के बाद जो बचता है उसमें 5.5% यह हमारी पंचायती राज संस्थाओं को देना संवैधानिक अनिवार्यता और उसी के अनुसार जो धन प्राप्त होता है या राज्य वित्त से जो पैसा हमें प्राप्त होता है। वह सीधे-सीधे ग्राम पंचायतों को 70 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों को 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बिना किसी आने पर जब धन उपलब्ध होता है तो एक सप्ताह के भीतर इलेक्ट्रानिक सिस्टम से उनके खातों में सीधे-सीधे भेज दिया जाता है। उसके आधार पर ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें अपनी बैठकें करके अपने कार्यों का नियत करना उस कार्य को स्वतंत्र रूप से कराने का दायित्व यह हमारी त्रिस्तरीय पंचायतें करती हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है चौखम्भा राज्य की जो कल्पना है पंचायती राज और सहकारिता आन्दोलन इसमें हमारे नेता वर्तमान मुख्य मंत्री जी का अटूट विश्वास है। इन संस्थाओं को और इनके चुने हुये प्रतिनिधियों को किसी भी स्तर पर न तो धन की कमी होगी न ही किसी स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान के लिये भी सुविधाओं के लिये भी हम आगे आने वाले दिनों में हम आगे बढ़कर काम करेंगे। क्योंकि इन पांच वर्षों में इनके न सम्मान के लिये न सुरक्षा के लिये न ही हम उनके आदर सम्मान के लिये जो मानदेय देते हैं उसमें भी कभी वृद्धि नहीं हुई। उस क्षेत्र में भी हम लोग परीक्षण करके आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विभाग की अनुदान मांगों को आपने रखने का अवसर दिया और हम सदन से मांग करेंगे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण और जन-जन से जुड़ा हुआ विभाग है। इस विभाग की धनराशि के बारे में जब मैं सुनता हूं कभी-कभी हम लोग भी कहते हैं कि धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। तो आप काम करवाना

चाहते हैं या विभाग को खत्म करवाना चाहते हैं। इसलिये कटौती रखते समय कम से कम इस वाक्य का प्रयोग न करें क्योंकि वाक्य यहां लिखा जाता है और बाहर जाकर क्या कहेंगे। इसलिये आपको इस बजट का स्वागत भी करना चाहिये समर्थन भी करना चाहिये जो बिगड़े हुये पांच साल हैं पंचायती राज के उसको हर स्तर पर सुधार करने का संकल्प श्री अखिलेश यादव की सरकार का है हम सभी का है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य उमाशंकर सिंह जी कटौती का प्रस्ताव रखें।

श्री उमाशंकर-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। चूंकि यह विभाग इतने वरिष्ठ सम्मानित हमारे मंत्री जी के पास है। चूंकि हम लोग पहली बार चुनकर आये हैं इसके पहले भी हमने जितना पढ़ा है या जो कुछ भी हमें यहां लाइब्रेरी के माध्यम से या अन्य जगहों के माध्यम से जानकारी मिल पाई है। मैं माननीय मंत्री जी को जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप अपनी कटौती में एक रुपये की राशि रखते हैं तो नीचे की लाइन से भी माननीय मंत्री जी अवगत होना चाहेंगे जिसमें हैं कि कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मै। आपको सुझाव देने की हैसियत में नहीं हूं लेकिन निवेदनपूर्वक माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से आपसे कुछ विशेष बातों पर बल देना चाहूंगा मान्यवर, आप प्रदेश के 21 करोड़ से अधिक जनता से जुड़े हुये विभाग के मंत्री हैं। आप अवगत होंगे कि इस समय हमारे ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 51 हजार 914 है। क्षेत्र पंचायतों की संख्या 821 है हमारे जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 2624 है कहने का मतलब यह है कि आप इतने महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री हैं। जो लोग शहर में आये हुये हैं निश्चित रूप से उनका ताल्लुकात कहीं न कहीं गांवों से है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि हमारे महात्मा गांधी जी ने भी ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी एवं स्वतंत्रता के जो हमारे सेनानी रहे हैं उनके भी मन में सपना था कि ग्राम स्वराज्य की स्थापना हो। मैं कुछ निवेदन करूं उसके पहले माननीय मंत्री जी को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने 51 प्रतिशत की पंचायती विभाग में अपने बजट प्राविधान में बढ़ोत्तरी की बात कही है। निश्चित रूप से तमाम महत्वपूर्ण योजनायें लेकर आये होंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले जानना चाहेंगे चर्चा हुई है कि जब हमारा देश पहले गुलाम था और यदि हम अपने गांव की संस्कृति में जायं तो पहले गांव के आधे झगड़े हमारे गांव में जो सरपंच होते थे वह अपनी बैठकें बुलाकर आधे झगड़े गांव में ही निपटा देते थे। आज वह प्रथा बन्द हो गयी और बन्द कैसे हुई जब हमारा देश गुलाम हुआ जब अंग्रेजों की हुकूमत आई तो उस व्यवस्था पर अंग्रेजों ने भी पहल की लेकिन पहले जो मुखिया गांव का सम्मानित व्यक्ति बनता था उसे अंग्रेजों ने प्रशासनिक अधिकारी को गांव का मुखिया बनाया जिससे कि पुरानी व्यवस्था ध्वस्त हो गयी चरमरा गई मान्यवर, बलवन्त राय मेहता कमेटी ने 1957 में अपनी रिपोर्ट दी थी उन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये सुझाव दिये थे बल्कि 74 वें संविधान संशोधन 1989 में इस संविधान का संशोधन बिल भी संसद में पेश हुआ था मान्यवर, जैसा कि मैंने अध्ययन किया कि हमारे इस 1973 वें संविधान संशोधन में जो परिकल्पना की गई थी वह भी पूरी नहीं हो सकी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी जिक्र किया है मैंने भी पढ़ा है। हमारे मंत्री जी इतने

वरिष्ठ हैं कि संभवतः माननीय पंचायती राज मंत्री उनके सदस्य भी थे। लेकिन उस समिति को कोई इस तरह का अधिकार नहीं दिया गया जिससे कि कोई ठोस कदम समिति उठा सके। मान्यवर, आजादी हासिल करने के तुरन्त बाद हमने संयुक्त प्रान्त पंचायती राज अधिनियम 1947 जो बनाया गया एवं 1949 में गांव सभाओं की स्थापना की गई। लेकिन गांव सभायें निर्जीव साबित हो गईं। मान्यवर, हमारा देश हमारे सम्मानित लोग इस बात की चर्चा करते हैं थोड़े से हम इतिहास में जायेंगे तो मान्यवर, 1945 में जापान पूरी तरह से समाप्त हो गया था लेकिन आज वह दुनिया के शिखर पर है। 1949 से चीन ने अपनी यात्रा शुरू की थी वह भी आज शिखर पर है और 1947 से हमने अपनी यात्रा शुरू की लेकिन दुर्भाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी निरक्षर है। जो गांव में बसती है। यही नहीं आज भी हमारे गांव में 85 प्रतिशत लोग शौच के लिये खेतों में जाया करते हैं।

माननीय मंत्री जी ने चर्चा किया मान्यवर, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं जब कभी गांव जाते हैं या सड़क पर गाड़ी से जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के घरों की बहू, बेटियां शौच में बैठी रहती हैं जैसे ही हमारी गाड़ी की लाइट पड़ती है वह खड़ी हो जाती हैं लगातार अगर गाड़ियों का क्रम चलता रहता है तो हमारी बहू, बेटियां, बहनें शौच नहीं कर पाती हैं। मान्यवर, यही नहीं अगर किसी बहन, बहू, बेटी को बाहर भी जाना हो किसी काम से निकलना हो तो घर से तब तक नहीं निकल पाती हैं जब तक अंधेरा न हो जाय। क्योंकि अंधेरा होने के बाद ही शौच के लिये जा सकती हैं। यह हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी विडम्बना है। इस पर जो भी माननीय मंत्री जी ने बजट का प्राविधान किये हों मुझे लगता है मैं 10 हजार के लिये बधाई नहीं दूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप यह समझिये कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पहले हम अपने घरों की बहू, बेटियों की व्यवस्था कर लें जितना अधिक से अधिक शौचालय बना लें। मान्यवर, जहां तक मुझे ज्ञात है 2000 से सन् 2012 तक लगभग बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 मिलाकर एक करोड़ 71 लाख 93 हजार 523 शौचालय बनाये गये हैं। जैसा कि आंकड़ा है। और 2007 से 2012 तक हमने एक करोड़ 16 लाख 28 हजार 16 शौचालय बनाये हैं। मान्यवर, सन् 2000 से 2007 तक लगभग 55 लाख बने हैं लेकिन जो संख्या है यह बहुत कम है जिसमें माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जितना इस मद में धन की बढ़ोत्तरी कर लें उतना अच्छा है। मैं आपसे इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि आप भी गांव से बिलांग करते हैं आपको उसका बहुत बड़ा अनुभव है जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसके लिये 26 जनवरी, 1950 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमने रानी के पेट से राजा बनाना बन्द कर दिया मुखिया का बेटा मुखिया नहीं रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा अब जो राजा बनेगा वह चुनाव से बनेगा। यह हमारी पंचायती व्यवस्था है उसी समय आरक्षण भी लागू हुआ और गांव के प्रधान भी आरक्षण द्वारा बनेंगे। जिला पंचायत सदस्य में भी आरक्षण हुआ क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिये भी आरक्षण बना। अगर कहीं गलती हो तो आप अपना सुझाव दे दीजियेगा। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि हमारा एक्सपीरिएंस नहीं है। ठीक है मान्यवर, क्षमा चाहेंगे। हमारे कुछ सदस्य आदी हैं कमेन्ट्स करने के लिये उनकी मजबूरी है कमेन्ट्स नहीं करेंगे तो उनको नम्बर नहीं मिलेगा। मान्यवर, चूंकि हम पंचायत विभाग की बात कर रहे हैं हम सभी अवगत हैं कि हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष को डी0आर0डी0ए0 का अध्यक्ष बनाया गया है। जब तक जिला पंचायत अध्यक्ष डी0आर0डी0ए0 के अध्यक्ष नहीं थे उसके पहले जिला अधिकारी अध्यक्ष हुआ करते थे लेकिन मान्यवर, बहुत बड़ी विडम्बना है। इसमें न इधर के सदस्य न उधर के सदस्य किसी से छिपा नहीं है कि आज

हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जब उस बैठक में जाते हैं तो उनको किस प्रकार से उनको सम्मान मिलता है मान्यवर, इसके लिये भी माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ऐसी व्यवस्था करें कि उनके सम्मान की रक्षा हो। हम सभी लोग प्रधान के सम्मान की बात करते हैं, मान्यवर, गांव की बात है, यह प्रैक्टिकल बातें हैं, हम सभी लोग देखते हैं कि अगर हमारे गांव के सम्मानित प्रधान यदि अपनी कोई गांव की समस्या लेकर एस0डी0एम0 महोदय के यहां जाते हैं या थाने में जाते हैं तो मान्यवर, यह किसी से नहीं छिपा है कि उनको कितना सम्मानसूचक शब्दों से सम्मानित किया जाता है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जायेगा तो मेरी समझ से ठीक नहीं होगा। इससे भी माननीय मंत्री जी इससे अवगत होंगे कि हमारे सम्मानित प्रधान जो समस्या लेकर जाते हैं तो जाते हैं गांव की समस्या लेकर, गांव की चक रोड पर अगर कहीं अतिक्रमण है तो कैसे उसे अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय तो इसके लिये भी हमारे सम्मानित प्रधान की सम्मान की सुरक्षा की जाय अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो हमारे गांव के जन प्रतिनिधि हैं चाहे माननीय ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र के सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हो वह सीधा आरोप इस सदन में लगाते हैं कि हम लोग जो यहां पर बैठे हैं उनके सम्मान की सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप जरूर इस पर विचार करें। मान्यवर, दूसरी एक व्यावहारिक दिक्कत की ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि यह विभाग आपके पास बहुत पहले से है। आप अवगत होंगे कि अगर ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र के जो उनके सचिव होते हैं अगर उनका स्थानान्तरण कराना चाहें तो अपने बी0डी0ओ0 से रिकमेण्ड करें तो मान्यवर, यह अधिकार बी0डी0ओ0 को नहीं है यही नहीं अगर वह बी0डी0ओ0 भी चाहे तो स्थानान्तरण डी0पी0आर0ओ0 से नहीं करा सकते हैं इसके लिये व्यवस्था बनाई गई है कि वह छोटा सा स्थानान्तरण उस सचिव का स्थानान्तरण जिलाधिकारी महोदय के द्वारा होता है।

मान्यवर, एस0डी0एम0 महोदय, अपने कानूनगो, तहसीलदार का स्थानान्तरण खुद कर सकते हैं लेकिन यह अधिकार हमारे सम्मानित जो प्रधान जी जो रिकमेन्ड करते हैं वह अधिकार हमारे बी0डी0ओ0 को नहीं है कि वह उस गांव के सचिव को अपने ब्लाक के अन्दर कर ले, ब्लाक के बाहर करने की बात आ रही है उसमें ठीक है कि जिलाधिकारी का रोल आता है लेकिन अगर ब्लाक में करना है तो उसके लिये भी बी0डी0ओ0 एथोराइज नहीं है। मान्यवर, मैंने एक और पढ़ा लाइब्रेरी में जो हमारे विधान सभा अध्यक्ष जी का लिखा हुआ देखा था मैंने उसमें उन्होंने लिखा है अपने एक कटौती प्रस्ताव में उन्होंने कहा था कि आज कल जो चुनाव हो रहे हैं चाहे ब्लाक प्रमुख के हों या जिला पंचायत अध्यक्ष के इसमें हम सभी अवगत हैं कि इस चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो कितने बड़े पैमाने पर धांधली होती है कितने ज्यादा धन, बल का उपयोग किया जाता है, दुरुपयोग किया जाता है। हमारे क्षेत्रीय पंचायत सदस्यों को जिला पंचायत सदस्यों को जब चुनाव आ जाता है तो चाहे डरा धमका करके चाहे प्रलोभन दे करके उनको प्रदेश के बाहर ले जाकर शिफ्ट किया जाता है। (शोर) देखिये मैंने कहा भी कि मैं जो भी बात कह रहा हूं माननीय मंत्री जी के संज्ञान के लिये कह रहा हूं। आप जो आरोप लगा रहे हैं, अब आप वह न करें क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मेरा एक्सपीरियेंस नहीं मैंने जो पढ़ा है तो अनुभव किया उसको बोल रहा हूं। कौन किया है, किसने किया है। मैं यह नहीं कहता कि जिसने किया बढिया किया है, इसमें क्या होना चाहिये इस पर बात हो रही है। जब माननीय मंत्री जी बजट रखते हें तो जो भी माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखता है तो उसमें कुछ सुझाव देता है कि माननीय मंत्री जी आपका विभाग सुचारु रूप से कैसे चल सके इसकी इसमें व्यवस्था करें। मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह भी है कि नगर पालिका का चुनाव, नगर

महापालिका का चुनाव जिसमें 15 से 20 लाख मतदाता होते हैं सीधे करा सकते है ंतो क्या हम जिला पंचायत अध्यक्ष या ब्लाक प्रमुख चुनाव सीधे जनता से नहीं करा सकते हैं। मान्यवर, अगर हम ऐसा करते हैं तो आप सोच लें एक बहुत बड़े क्राइम पर रोक लगेगी जब एक बार चुनाव हो जाता है तो इसका गुस्सा, इसकी दुश्मनी पूरे 5 साल तक चलती है हर लोग सोचते हैं कि इसने हमको वोट नहीं किया है इसको कैसे प्रताड़ित करें, कैसे इसको दंडित किया जाय। तमाम तरह की हत्याएं हो रही हैं, तमाम तरह की दुश्मनी पैदा हो रही है। तमाम दुश्मनी जो पैदा हुई है उसमें मुख्य जड़ पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत मुख्य रूप से है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आपने चर्चा किया बी0आर0जी0एफ0 का, तो जहां तक मुझे ज्ञात है आप भी जानते हैं कि अभी हमें मार्च में लगभग 200 करोड़ की धनराशि मिली है। बी0आर0जी0एफ0 के तहत लेकिन उसमें कहीं भी एक रुपया खर्च का प्राविधान नहीं किया गया है। शायद इसके पीछे आपकी मंशा है कि जो पुराने कार्य करा दिये गये हैं पहले उनकी जांच हो जाये। आप भी जानते हैं कि यह धनराशि हमें भारत सरकार से मिलती है जैसा आपने जिक्र किया और जैसा कि मुझे भी जानकारी है कि 635 करोड़ इस साल का है जहां तक मेरी जानकारी है इस साल आपको साढ़े सात करोड़ की धनराशि भारत सरकार से मिलेगी। लेकिन मान्यवर, आप अनुभवी मंत्री हैं आपको जानकारी भी है कि इस धनराशि को भारत सरकार से लेने की क्या व्यवस्था है। पहले इसके लिये हम प्रभारी मंत्री नियुक्त करते हैं वह प्रभारी मंत्री हमारे जिले में जाकर के बैठक करते हैं।

जिले में कार्य योजना तैयार कराते हैं, डी0पी0सी0 के माध्यम से, जिसको जिला परियोजना कमेटी कहते हैं। और यह कमेटी जब अपना प्रस्ताव लाकर उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष रखेगी तो उसमें अनुमोदन करके आप भारत सरकार को भेजेंगे। तदुपरान्त भारत सरकार से धनराशि मिलेगी अभी मान्यवर, जो हमारे पास दो सौ करोड़ रुपया पड़ा है आप जांच करायें, जांच में तेजी लायें। जिसकी गुणवत्ता ठीक न हो उसको आप दण्डित करें। लेकिन उसके कारण आप अगर 200 करोड़ रुपये की धनराशि को खर्च करके, अगर आप उसका प्रमाण-पत्र भारत सरकार को नहीं देंगे तो फिर आपको आगे आने वाली धनराशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं होगी। यह जरूर है कि बी0आर0जी0एफ0 के लिये मात्र हमारे 34 जिले ही चयनित हैं। हालांकि जिले बढ़ाये जा सकते हैं या नहीं बढ़ाये जा सकते हैं यह अलग बात है लेकिन मेरा एक सुझाव है उन जिलों को देख लिया जाये जो 34 जिले बी0आर0जी0एफ0 के तहत आते हैं। यदि उन जिलों में कुछ काम हो गया है अगर वह संलिप्त हो गये हैं तो इसमें कुछ और जिले बढ़ाये जायें। जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है पूरे प्रदेश में विकास हो, बी0आर0जी0एफ0 के माध्यम से भी आप विकास करा सकते हैं इसमें मेरा एक और सुझाव था कि भारत सरकार की जो वित्त पोषित योजनायें हैं, यह शायद क्रिटिकल गैप में खर्च करने के लिये आती हैं आपने उल्लेख किया इसको हम समग्र ग्राम्य में खर्च करने जा रहे हैं मान्यवर, जरूर देख लेंगे कि यह भारत सरकार की योजना है तो इस धनराशि को आप कहां खर्च कर सकते हैं। यह भी सोचने का विषय है क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है इसमें क्रिटिकल गैप के लिये ही खर्चा कर सकते हैं। अगर कोई नया बदलाव हुआ होगा तो मान्यवर, इसको जरूर देख लेंगे। मान्यवर, कुछ सुझाव मिले हैं जिला पंचायतों से, गांवों से, मेरी जानकारी में आया है कि आपका एक ऐसा भी आदेश गया है कि सारे पुराने कार्य रोक दिये जायें। इसके पीछे हो सकता है आपकी यह मंशा हो कि पुराने सारे कार्य हम तभी शुरू करायेंगे जब हम इसकी जांच करा लेंगे। लेकिन मान्यवर, तीन महीने से विकास ठप पड़ा है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि यदि अगर जांच कराने के

बाद ही आप काम शुरू करायेंगे यह व्यवस्था है तो जांच में तेजी लायें जिससे पुराने कार्य जो रोक दिये गये हैं यह जरूरी नहीं है कि सौ प्रतिशत लोग गलत काम किये होंगे। इसमें जरूर सही भी काम हुआ होगा, अगर गलत काम हुआ है तो उसे आप दुरुस्त कराने की व्यवस्था कर दें। लेकिन यह आरोप लगाकर कि पूर्व की सरकार में सारे लोगों ने काम गलत कराये हैं, उस कार्य को नहीं करायेंगे तो यह विकास हित में नहीं होगा क्योंकि यह सभी जानते हैं कि यह कार्य पुरानी सरकार में शुरू हुये हैं। और यह कहकर कि यह कार्य पुरानी सरकार में शुरू हुआ है, इसलिये इसको नहीं होने देंगे, उचित नहीं होगा। मान्यवर, एक दिन हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने चर्चा के जवाब में कहा था कि यह धनराशि किसी दल पार्टी की नहीं होती है, यह धनराशि सरकार की होती है और सरकार का दायित्व होता है कि वह धनराशि शत-प्रतिशत खर्च हो। अगर कुछ कार्य हो गये हैं तो मैं भी चाहूंगा कि उस कार्य को पूरा कराकर आप उसका उद्घाटन कर दें, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, कितना समय और लेंगे ?

श्री उमा शंकर-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आपके माध्यम से मौका मिल जायेगा। जैसा कि जानकारी मिली है और जैसा कि आप भी देखते हैं कि राज्य वित्त से जो भी धनराशि जिले को देते हैं, जिले के जो हमारे अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनके ऊपर कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई है, मान्यवर, आप एक-एक जिला पंचायत का रिकार्ड उठा कर देख लें, सारे अधिकारी/कर्मचारी निश्चित होकर बैठे हुये हैं जब यह तय हुआ था कि जो कर वह वसूलेंगे उसी से उनकी सैलरी दी जायेगी लेकिन जो व्यवस्था चली आ रही है कि जो राज्य वित्त से पैसा हम देते हैं, उस पैसे से उनकी सैलरी दी जाती है, उनका भुगतान हो जाता है और इस वजह से वह वसूली पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उस पर समय नहीं देते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हो कि यदि आप कर वसूली नहीं करेंगे तो सैलरी पर रोक लगेगी, तब सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक ढंग से कर पायेंगे। मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हालांकि यह आपकी मंशा के अनुरूप नहीं है और न ही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप है। जैसी जानकारी मुझे मिली है, राज्य वित्त के लिये जो आपने कार्य-योजना की स्वीकृति की है, हालांकि हम लोगों को तो बड़ी खुशी हुई थी कि चलिये कम से कम आप पूर्वांचल के हैं, आप पूर्वांचल के आजमगढ़ के हैं, आजमगढ़ हमारा मण्डल पड़ता है तो हम लोग सोचते हैं कि आप आजमगढ़ के लिये करेंगे लेकिन यदि उसमें बलिया, मऊ का भी नाम जोड़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, जो कार्य योजना आपने स्वीकृति की है, उसमें कुछ खास ही जनपद के लिये है, उसमें आजमगढ़ है, मैनपुरी है, इटावा है और रामपुर है। मान्यवर, मैं इन जिलों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मानता हूं कि यह प्रियारिटी में जिले होंगे लेकिन निवेदन करूंगा और जिस तरह से आपकी मंशा है कि विकास में एकरूपता लाई जाये। हमारे ओम प्रकाश भाई भी हंस रहे हैं, गाजीपुर को भी जोड़ लीजिये, कम से कम उनका भी ख्याल कर क्यों लीजिये। हम इस बात की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि इन चार जिलों की योजना स्वीकृत कर दी गईं लेकिन हम तो निवेदन करेंगे, यहां सभी सम्मानित सदस्य बैठे हुये हैं, मान्यवर, बलिया के लिये तो मैंने कहा ही है, बलिया तो मेरा प्रमुख ही है, मऊ भी बोला हूं, लेकिन मान्यवर, ऐसा न हो, आप अनुभवी मंत्री हैं और आप पर किसी तरह का आरोप या आक्षेप नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि हम लोग आपसे सीखते हैं। हमारे राजनीतिक अभिभावक अम्बिका चौधरी जी भी हैं, कम से

कम ऐसा अवसर आये जो बलिया को भी जोड़ लिया करिये। लेकिन आप पीछे रह जाते हैं, मुझे कष्ट हुआ कि आपका जिला बलिया कैसे पीछे रह गया। चार जिलों का चयन हुआ, पांचवां जिला बलिया भी होना चाहिये। सभी की इस पर निगाह है कि कोई भी सहूलियत मिलेगी तो उसमें बलिया भी शामिल रहेगा। मान्यवर, एक अविश्वास की स्थिति फैली हुई है, हो सकता है कि वह सच न हो लेकिन पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण फैला है, जिसकी चर्चा है कि यह कार्य योजना बाकी जगहों पर नहीं स्वीकृत की जा रही है क्योंकि हो सकता है कि माननीय मंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव का इन्तजार कर रहे हों। हो सकता है कि दूसरे जिला के जो हमारे अध्यक्ष हों। मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसको आप अन्यथा न लें। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जो कार्य योजना स्वीकृत करेंगे जो अध्यक्ष रहेगा वह करायेगा। फिर जो नया अध्यक्ष आयेगा वह करायेगा। लेकिन वह कार्य योजना उस जनपद के लिये है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक और आग्रह करना चाहूंगा जो दिक्कतें हो रही हैं। मान्यवर, अगर हम विकास खण्ड की बात करें तो एक बी0डी0ओ0 की तनखा लगभग 40 हजार होती है। लेकिन उसके जो ब्लाक प्रमुख साहेबान हैं उसको सिर्फ 3 हजार रुपया मानदेय दिया जाता है। क्षेत्र पंचायत सदस्य को प्रति बैठक 200 रुपये मानदेय दिया जाता है। जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं जो लगभग एक लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको 300 रुपये प्रति बैठक दिया जाता है।

ग्राम प्रधान के लिये संभवतः 9 या 10 हजार रुपये सालाना है। तो 750 रुपये प्रति महीने के लगभग उनका मानदेय आता है। मान्यवर, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री मौर्या जी जब पंचायतीराज विभाग के मंत्री थे तो उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाकर यह आश्वासन दिया था कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानेदय को सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जायेगा। मैंने उनसे चर्चा भी किया था तो आपने बताया कि मैं तो बहुत आगे तक बढ़ गया था तब तक चुनाव की आचार संहिता घोषित हो गयी थी इसलिये मैं लागू नहीं कर पाया। आप ही के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था बनायी है कि मैं हर दल के माननीय विधायक, माननीय सांसद से मिलूंगा। इसके पीछे उनकी मंशा यह है कि वह जानते हैं कि अगर वह अपनी कोई योजना लागू करते हैं उसमें कोई व्यावहारिक दिक्कत आयेगी तो सत्ता पक्ष के लोग केवल उसका समर्थन करेंगे। वह जानते हैं कि जब तक हम विपक्ष के लोगों से नहीं मिलेंगे, जब तक विपक्ष के लोग सुझाव नहीं देंगे तब तक मैं उन कमियों को नहीं जान पाऊंगा। अगर विपक्ष के लोग अपनी बात कह रहे हैं तो अगर उसमें कुछ कमी हो या सुझाव सही हो तो उसको आप अमल में लाने का प्रयास करें। उसकी उपलब्धि सरकार को मिलेगी। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी सबके लिये कुछ न कुछ कर रहे हैं तो हमारे सम्मानित प्रधान जी का मानदेय 750 रुपययें से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दें। हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य को जो 200 रुपया मिलता है उसको बढ़ाकर 2500 रुपया महीना कर दें। हमारे जिला पंचायत सदस्य को केवल बैठक होने पर 500 रुपया मिलता है उसको बढ़ाकर 5000 रुपया प्रतिमाह कर दिया जाये। जो ब्लाक प्रमुख है उनको मानदेय 3 हजार की जगह 10 हजार किया जाये और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको 4000 की जगह 15 हजार रुपया किया जाये। मान्यवर, यह काम अगर मा0 मंत्री जी करेंगे तो इसकी उपलब्धि मा0 मंत्री जी को मिलेगी। मान्यवर, मा0 मंत्री जी के लिये मेरा एक सुझाव है और इसलिये सुझाव पर बल दे रहा हूं चूंकि हमारे पूर्वांचल का भी आप काम करेंगे हम लोग आपका नाम बहुत आदर से सुन रहे हैं, बहुत ऊपर रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस जनहित की बात पर जरूर विचार करेंगे। मान्यवर, आपने जो साड़ी और कम्बल बांटने की व्यवस्था की बात बताई है, मैं

उसके लिये बधाई देता हूं कि आप कम से कम बीपीएल कार्ड धारकों के लिये आप साड़ी और कम्बल देने की व्यवस्था के प्रति चिन्तित हैं, लेकिन मान्यवर, इसमें एक व्यावहारिक कठिनाई आयेगी, आप भी अगवत हैं कि ये बीपीएल कार्ड कबके बने हैं और आप भी जानते हैं कि बीपीएल कार्ड बनाने में कैसी-कैसी किस तरह की व्यवस्था है, कुछ ऐसे लोगों के पास भी बीपीएल कार्ड हैं जो उसके पात्र ही नहीं हैं। मान्यवर, यह बहुत सम्वेदना का सवाल है इसलिये उनके बारे में भी सोचिये जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है और वास्तव में उनके पास अपना तन ढकने के लिये कपड़ा नहीं है, जाड़े के दिनों में उनको अपना तन ढकने के लिये कम्बल नहीं मिलता है। तो मान्यवर, इस तरह का इसमें कुछ विचार नहीं आया है तो मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में भी जरूर कोई न कोई रास्ता निकालेंगे और यही मेरा आपसे निवेदन है। मान्यवर, दूसरी बात मैंने आपकी बजट की किताब को पढ़ा तो इसमें आपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम बनाने की बात की है, लेकिन जो संख्या आपने बताई है वह संख्या बहुत कम है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे 403 विधान सभा क्षेत्र हैं, तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में यदि तीन ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कराया जाय तो मान्यवर, बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं पुनः एक बार अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, जोर देता हूं, धन्यवाद।

वाह्य सहायतित परियोजना, डा0 अम्बेडकर ग्रामीण तथा कारागार मंत्री (श्री रामकरन आर्य)-

माननीय अधिष्ठाता जी, अनुदान संख्या 14 का ही पार्ट है युवा कल्याण, इसलिये मैं इसके साथ ही अपनी बात रखना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो।

श्री बलराम यादव-

मा0 अधिष्ठाता जी, अनुदान संख्या 14 के साथ ही युवा कल्याण जुड़ा है और युवा कल्याण के कार्य को मा0 मंत्री जी देखते हैं, तो अपने युवा कल्याण के कार्य की अगर कुछ बातें वह कह दें, तो उचित रहेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अभी इसके बाद कह देंगे, जो हमारे पास एजेण्डा आया है, हम उसके हिसाब से ही चलेंगे।

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता जी, जिस मद संख्या के बारे में मा0 मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, उसी का अंश है यह तो यह एक साथ पारित होगा, बाद में थोड़े पारित होगा। तो इनको रख लेने दें। अलग से प्रस्ताव नहीं रखेंगे, मद संख्या जो रखी गई है, उसी में यह शामिल है। इस पर विचार कर लिया जाय और इस पर कटौती का विचार आ चुका है। जो अभी गांव स्टेडियम की बात रखी गयी है, वह इसी से सम्बन्धित है, तो कटौती का विचार आ चुका है, मा0 मंत्री जी का विचार सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है।

श्री रामकरन आर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे जो अनुदान संख्या 14 का एक पार्ट है युवा कल्याण विभाग का उस पर मुझे अपनी बात रखने का और उस पर बल देने का समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत बधाई। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे उत्तर प्रदेश में ही नहीं हिन्दुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में युवाही समाज को बदलता है और यह हमारी सरकार भी युवाओं के कारण ही आयी है।

जहां मैं समझता हूं कि लगभग 78-80 फीसदी नौजवानों ने वोट दिया है और खासकर ग्रामीण अंचलों के नौजवानों ने हमें वोट दिया है। उस सम्बन्ध में जो हमारा बजट आया है, इस बजट में 01 अरब 37 करोड़ 05 लाख और 60 हजार हमारा बजट है, जिसमें मान्यवर, प्लान का है 01 अरब 05 करोड़ 45 लाख 22 हजार और मान्यवर, नान प्लान का है 32 करोड़ 08 लाख 38 हजार मान्यवर, रखा गया है। मान्यवर, इस तरीके से जो पुरानी सरकार थी पिछली सरकार का जो इस मद में बजट था उससे हमारा बजट युवा कल्याण का लगभग 30 करोड़ से भी अधिक है, क्योंकि पिछली सरकार ने 01 अरब 08 करोड़ 32 लाख और 18 हजार रखा था। मान्यवर, युवा कल्याण विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो नौजवानों में नई चेतना पैदा करता है और नये सिरे से एक नये समाज की रचना करता है।

(इस समय 3 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

माननीय आज भी हमारा प्रदेश लगभग गांव का प्रदेश है। हमारा बंबई प्रदेश नहीं है। मान्यवर, आज यहां 20 अरब से ज्यादा आबादी है। लगभग 18 से लेकर के साढ़े 18 करोड़ के आसपास आज गांव की आबादी है, जहां से नौजवान निकल करके अपनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं। मान्यवर, इसीलिये हमारी जनप्रिय सरकार ने प्रान्तीय रक्षक दल के लिये हमने 532.47 लाख बजट का प्रावधान किया है। यह निश्चित है कि अभी तक की सरकारों में और पिछली बार भी 126 रुपया प्रतिदिन इनको मिलता रहा। मान्यवर, यह जो हमारा बजट रखा गया है यह उनकी वर्दी के लिये, उनके प्रशिक्षण के लिये है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम लोग प्रयास करें कि ये नौजवान जिनका गांव से लेकर शहरों में उपयोग किया जाता है, इनके लिये मानक कम है, मान्यवर, हमारी अच्छी सरकार है और जैसे हमारे संसाधन होंगे इसको बढ़ाने के लिये प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, जैसा कि आपने अभी हमारे साथी ने कहा है कि स्टेडियम कम हैं। मैं इस पर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमारे यहां एक स्टेडियम योजना थी, ग्रामीण स्टेडियम योजना। यह ग्रामीण स्टेडियम योजना 3 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक की थी, जिसमें भारत सरकार का भी पैसा आता था और राज्य सरकार का भी पैसा रहता था, लेकिन पिछले 5 साल में एक भी नया पैसा पिछली सरकार ने नहीं दिया, और मान्यवर, नहीं दिया वह तो चल सकता था लेकिन 2011 में मान्यवर, जो मेरे पास जानकारी आयी है कि 31 अक्टूबर, 2011 में वर्ष 2012-13 के लिये यह योजना ही ड्रॉप कर दी गयी। अगर यह योजना होती तो कहीं न कहीं से संसाधन जुटाये जा सकते, लेकिन अगर यह योजना ही ड्रॉप कर दी जायेगी तो उस पर पैसा केसे आयेगा। ग्रामों में कैसे हमारे नये और बड़े स्टेडियम बनेंगे, क्योंकि आज भी गांवों में ही सबसे ज्यादा दौड़ होती है, कबड्डी होती है और आज गांव-गांव क्रिकेट का माहौल है। यह सच है कि हाकी का माहौल खत्म हुआ है, लेकिन क्रिकेट का माहौल है, कबड्डी के खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर गांवों से ही जाते हैं। मान्यवर, जब स्टेडियम ही नहीं रहेगा तो आप जानते हैं कि आज किस तरीके से जमीनें कम हो रही है अगर पिछली सरकार ने यह काम चालू किया होता तो हम सभी जिलाधिकारियों से निवेदन करके और जमीन लेकर के उन्हें चालू करते। लेकिन आने वाले समय में हमारी जनप्रिय सरकार ने यह किया है, स्टेडियम गांव में बने इसके लिय हमने इसे पुनर्जीवित करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है, जो प्रोसेस में है। आने वाले दिनों में अगर यह हो जायेगा मान्यवर, तो हमारे लिये और हमारे उत्तर प्रदेश के लिये यह एक बहुत अच्छी बात होगी।

मान्यवर, हमारे यहां पॉयका स्कीम है जो गांव-गांव में चलाई जाती है। यह योजना उत्तर प्रदेश मे 2008-09 से चलाई जा रही है और जो वर्ष 2016-17 तक चलेगी। प्रत्येक गांव में मान्यवर, आधा एकड़ से लेकर के एक एकड़ तक हम जमीन लेते हैं, उस जमीन पर एक लाख रुपया दिया जाता है उसकी देख-रेख के लिये और मान्यवर, प्रतिवर्ष हम उस पर 10 हजार देते हैं, वहां का जो खेल का सामान होता है उसके लिये। मान्यवर, इसी तरीके से ब्लॉक पर भी होता है, वहां हम मान्यवर, 5 लाख रुपये देते हैं। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2016 से 2017 तक कोई गांव एवं कोई ब्लॉक नहीं रहेगा, जहां हमारे स्टेडियम न हो जायें और हमारे खेल के सामान न हो जायें। मान्यवर, इसी तरीके से हमारे यहां महिला मंगल दल के लिये जो पंजीकृत हैं उनको 2 हजार रुपये दिया जाता है और इसके साथ-ही-साथ और 5 हजार रुपये उनके रख-रखाव के लिये भी उन्हें दिया जाता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो युवक मंगल दल है उसके 35 हजार 556 और जो महिला मंगल दल हैं 28747 यह गठित हैं तथा पंजीकृत 16701 युवक मंगल दल हैं तथा 10850 महिला मंगल दल हैं। मान्यवर, इनको 5000 रुपया हम लोग देते हैं ताकि गांव-गांव में भी हमारा यह काम चलता रहे। मान्यवर, युवक मंगल दल है उनके द्वारा युवा जागरुकता कार्यक्रम है, उसमें जो प्रोग्राम चलाये जाते हैं और जागरुक किया जाता है इन कार्यक्रमों में उन पर मान्यवर, 16 लाख रुपया रखा गया है। सरकार की जो हमारी योजनायें हैं, चाहे फैमिली प्लानिंग हो, चाहे और भी इस तरीके की जो सरकारी योजनायें हैं, 16 लाख रुपया हम उनको जन जागरुकता के लिये देते हैं कि हमारे सरकारी प्लान को वह गांव-गांव तक पहुंचा सकें। मान्यवर, इसी तरीके से हमारे युवा लोग, जैसे कि अभी खेल हो रहे थे। तमाम हम लोग के ऊपर दबाव आये। गांव से लेकर के जिले, जिले से रीजन और रीजन से प्रदेश स्तर तक खिलाड़ी आते हैं, अंडर 16 में। और यही खिलाड़ी मान्यवर, इसमें जब इस स्टेज पर खेल लेते हैं तो इसमें जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वे रणजीत ट्राफी खेलते हैं और वहां पर खेलने के पश्चात अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनते हैं तो मान्यवर, इस पर भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है और नौजवानों की नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं।

मान्यवर, इस तरह से जो ग्रामीण नेतृत्व शिविर तीन दिवसीय लगता है उसमें 54 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, इसी तरह से ग्रामीण स्टेडियम की बात है यह योजना गांवों के लिये थी पिछली सरकार ने इसे ड्राप कर दिया था हमारी सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने का मन बनाया है और वह प्रक्रियाधीन है। मान्यवर, इसी तरह से हमारी पी0आर0डी0 योजना है इसे प्रान्तीय रक्षक दल कहते हैं। इस पर भी खर्च किया जाता है। इसी तरह से युवा महोत्सव को हमारी सरकार प्रोत्साहन दे रही है कि इनका आयोजन हो। यहां से राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों को भेजा जाता है। युवा महोत्सव में प्रदेश स्तर पर प्रोत्साहन हेतु 5 लाख का प्राविधान है।

मान्यवर, इसी तरह से हमारी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगितायें हैं इनके आयोजन के लिये हमने 56.03 लाख रुपये का प्राविधान रखा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवकों के बीच में खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन में सहायता मिलती है। मान्यवर, इसी तरह से हम लोगों के यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाये जाते हैं। इसमें हमें बताना है कि राष्ट्र निर्माण हेतु जनपद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। मान्यवर, इसी तरीके से युवा मंगल दल एवं महिला मंगल दल के लिये भी प्रोत्साहन धनराशि के अन्तर्गत 1 करोड़ रुपये का प्राविधान है।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे विभाग के अन्तर्गत जो अधूरे स्टेडियम पड़े हुये हैं उनको पूरा कराये जाने का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, हमारी सरकार का लक्ष्य यह भी है कि कम से कम एक ब्लाक में एक स्टेडियम बने। जो स्टेडियम बनता है उसमें 5 करोड़ का व्यय आता है। इस तरह से आप देखेंगे कि युवा कल्याण विभाग का 2012-13 का सम्पूर्ण बजट है उसकी धनराशि 1 अरब 37 करोड़ 5 लाख 60 हजार है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस विभाग के बजट को पारित करने का कष्ट करें। इस पर मैं बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री बलराम यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग दुग्धशाला विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि के पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,17,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस विभाग के जो माननीय राज्य मंत्री जी हैं वह अपने विचार रखना चाहेंगे आप कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (श्री राम मूर्ति वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी एवं माननीय सदस्यगण, आप भली भांति अवगत हैं कि प्रदेश की लगभग 79 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचल (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार) में निवास करती है जिसके जीविकोपार्जन के मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्तमान में प्रदेश के कृषि क्षेत्र में पशुपालन एवं डेरी का कुल योगदान 26 प्रतिशत है जिसमें से डेरी का योगदान 9 प्रतिशत है।

देश के दुग्ध उत्पादन में प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है। प्रदेश में 2103 करोड़ किग्रा0 वार्षिक (वर्ष 2010-11 के अनुमान के अनुसार) तथा 5.76 करोड़ किग्रा0 प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 283 ग्राम हो गयी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दूध की उपलब्धता मात्र 273 ग्राम ही है। (वर्ष 2009-10 के अनुसार)।

वर्ष 2011-12 में प्रदेश में 13369 दुग्ध समितियों के लगभग 6.14 लाख दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से लगभग 6.50 लाख किग्रा0 प्रतिदिन दुग्ध उपार्जन कर उत्पादकों को समुचित मूल्य दिलाया जा रहा है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 283 ग्राम हो गयी है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर दूध की उपलब्धता 273 ग्राम है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे हिन्दोस्तान में दूध का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। हमारे प्रदेश में प्रति व्यक्ति 281 ग्राम दूध का उत्पादन है। और पूरे देश में 273 ग्राम दूध का उत्पादन है। हम लोगों ने लखनऊवासियों के लिये शुद्ध दूध की व्यवस्था करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्देश पर लखनऊ के अन्दर 5 लाख टन दुग्ध क्षमता का नया प्लांट लगाने की योजना हम लोगों ने बनाई है जिसमें लगभग ढाई सौ करोड़ रुपये का प्राविधान है। जिसमें 20 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने इस बजट में व्यवस्था करने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रविधान किया है। विगत 5 वर्षों में दुग्ध व्यवसाय में काफी गिरावट आई थी हमारे प्रदेश के अन्दर हमारे जिले के 7 संघ बन्द हो गये थे हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्य मंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने 3 बंद संघों को चलाने के लिये 5 करोड़ 46 लाख रुपये का अनुदान दिया जिसमें फतेहपुर दुग्ध संघ हमारा संचालित हो चुका है बाकी जो बन्द संघ है उन दुग्ध संघों को चलाने के लिये भी हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और बजट में इसका प्राविधान करने का काम भी सरकार ने किया है। हम यह भी कहना चाहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय को लघु उद्योग के रूप में विकसित कराने का हमारी सरकार का लक्ष्य है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर चुनाव घोषणा-पत्र में हमने यह वायदा किया था कि प्रदेश में डेरी उद्योग को लघु उद्योग के रूप में विकसित करेंगे। उसका अक्षरशः पालन करते हुये नये बजट में इसका प्राविधान किया है और प्रदेश में ऐसे लोग जिनको सरकार की किसी योजना से लाभान्वित होने का लाभ नहीं प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को जिनकी कोई आमदनी नहीं है, जिनके पास कोई जड़ जमीन नहीं है, खेती बारी नहीं है, जिनका परिवार भुखमरी के कगार पर है ऐसे लोगों केा हम डेरी उद्योग से जोड़कर उनको लाभान्वित करने की योजना बना रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से चमत्कार होगा और ऐसे लोगों को भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर ऊपर बढ़ेगा जो लोग गांवों में बहुत दबे कुचले रूप में जाने जाते हैं। मान्यवर, प्राइवेट उद्योग में भी तमाम कम्पटीशन है हमारी कमजोरियों की वजह से पराग जो एक मुख्य नाम हुआ करता था दुग्ध व्यवसाय में और लोगों के विश्वास के रूप में पराग का नाम जाना जाता था। हम लोग उस पराग की पहचान को फिर से वापस करके प्रदेशवासियों को दुग्ध की व्यवस्था करना चाहते हैं यह हमारी सरकार का संकल्प है इसी के साथ ही आपके समक्ष यह प्रस्ताव मैं प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

कटौती का प्रस्ताव कौन रख रहा है माननीय नेता विरोधी दल।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हुकुम सिंह जी खड़े हैं इसलिये मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, मुझे सुन लें तो बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, वह तो इतने सर्वसमर्थ हैं वह जब कटौती रखना चाहें वह एक रुपये के बजाय एक नया पैसा से कम कर दिया जाय तो कर सकते हैं। मान्यवर, बाकी लोगों को यह अवसर नहीं दे रहे हैं यह बात मुनासिब नहीं है, बाकी लोगों से कटौती रखवायें इसमें क्या दिक्कत है। इतने लोग हैं वैसे यह उनका विवेक है।

श्री अध्यक्ष-

यह तो माननीय नेता विरोधी दल का है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, दिक्कत यह हो रही है एक माननीय मंत्री जी बजट रख रहे हैं, इतना अच्छा रखा मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को बहुत बढ़िया रखा है इसमें कोई दो राय नहीं है। वह मंत्री जी से संतुष्ट नहीं हुये आप, इसमें आप जानबूझकर जोड़ रहे हो कि मंत्री जी से संतुष्ट नहीं हुये आप, इसमें आप जानबूझकर जोड़ रहे हो कि मंत्री जी हतोत्साहित हो जाये। हुकुम सिंह को तो मालूम

है कि उनका काम क्या है जो आपने किया वही मैं कर रहा हूं आपने, इतना अच्छा खासा उन्होंने कहा लीप पोतकर बनाया और आपने लीप दिया। अब हुकुम सिंह बेचारे जब एक बजट इनको निर्धारित है कि यही कटौती रखेंगे, जब बोलने की बारी आयेगी तो सारा दल बोल लेगा हम लोग भी इनका सहयोग करेंगे। लेकिन कटौती तो मान्यवर, जिसने दिया है, वही रखेगा। अब मा0 मंत्री को कि राजस्व मंत्री हैं, अगर नाप जोख में इतनी गड़बड़ी करेंगे तो किसका खाता किसमें ये डाल देंगे मान्यवर, मैं समझता हू कि बहुत गड़बड़ हो जायेगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा अधिकार नहीं है। मैं तो विनम्रतापूर्वक विनती कर रहा था कि कटौती विपक्ष जिसको तय करे, जो मा0 सदस्य रखना चाहें, उसको तो आप तय करेंगे वही रखता है। मान्यवर, हुकुम सिंह जी तो हम लोगों को प्रकारान्तर संरक्षक हैं इसलिये मैं चाहता था कि कटौती कोई और रखे। मैं केवल अपनी बात कह रहा, ये तो उनकी इच्छा है लेकिन ऐसा क्या टोटा पड़ गया है कि इतनी बड़ी पार्टी में सारी कटौती इन्हीं को रखनी पड़ रही है। ये संकट किन कारणों से है मान्यवर, ये हम समझ पाने में असमर्थ है।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभगीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। मान्यवर, इससे पूर्व कि मैं विभाग के बारे में कुछ कहूं। एक समस्या तो है विगत कुछ वर्षों में न तो किसी को कटौती रखने का अवसर मिला। अब कटौती रखने वाले भूल गये।

(सदन में जोर की हंसी)

अब कटौती रखने वाले भी भूल गये, बजट भाषण देने वाले भी भूल गये। आज सुबह से जो बजट भाषण मा0 मंत्री जी ने पेश किया तो आप खुद आंकलन कर लें कि आदत नहीं रही बजट भाषण पर तैयारी करने की।

श्री प्रमोद तिवारी-

एक दिन में पास हो जाता।

(सत्ता पक्ष की ओर से 16 मिनट में पास हो जाता थां)

श्री हुकुम सिंह-

और यही नीति अच्छी थी मान्यवर, बिना बात के आप चर्चा करा रहे हैं, सुबह शोर-वोर करा देते और पास कराके चले जाते अपने घर तो ठीक रहता। लेकिन यह अच्छी परम्परा है मान्यवर, और मैं इसका स्वागत करता हूं कि अवसर मिलना चाहिये। बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि यह शुरुआत और आगे बढ़े, मौका मिले सदस्यों को। आज वास्तव में यह स्थिति आयी और लोग भी कह रहे हैं कि कटौती की जानकारी बहुत लोगों को रही भी नहीं कि कटौती पेश होगी या नहीं होगी। मैंने अपनी जिम्मेदारी ली है और दुग्ध विकास के बारे में संक्षेप में अभी मैंने कुछ सुना। अभी आपने काफी योजनायें और काफी योजनाओं का उल्लेख किया। लेकिन अगर आप अपने विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा कर लें। कहां हैं डेरी, क्या कोई यहां उद्योग के नाम पर है जिसको हम उत्तर प्रदेश में डेरी उद्योग का नाम दे सकें। क्या कोई कार्यक्रम है ऐसा। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि

मजबूरी में पराग का दूध पिया जा रहा है और बहुत से लोग कहते हैं कि पराग के दूध से घृणा आती है, नफरत आती है, बदबू आती है। वो पराग जो कभी अमूल के सामने मुकाबला करने के लिये खड़ा हो गया था आज वो पराग लुप्त होता जा रहा है। यह बताइये कि अगर आप समीक्षा करेंगे तो एक दिन वो भी था कि उत्तर प्रदेश में हमारा जो डेरी उद्योग था, उत्तर प्रदेश से एक लाख लीटर दूध प्रतिदिन मुरादाबाद के प्लाण्ट से कलकत्ता जाता था। दिल्ली में पांच लाख लीटर प्रतिदिन उत्तर प्रदेश जो हमारा डेरी विभाग है, के माध्यम से मेरठ से वहां जाता था। कोशिश यह की गयी मैं ज्यादा तारीफ में नहीं पड़ना चाहता, कोशिश यह की गयी कि हमने मुरादाबाद के डेरी प्लाण्ट का विकास कराया, तीन गुना बढ़ाया, मेरठ वाले का चार गुना बढ़ाया, मुजफ्फरनगर में स्थापित कराया, कानपुर में बन्द पड़ा था उसको चालू कराया, इलाहाबाद का बन्द पड़ा था उसको चालू कराया। मान्यवर, एक जान पड़ी थी। मान्यवर, मैं खुद गया आनन्द में, जहां पर अमूल का मुख्यालय है, मैं दो दिन वहां रहा डा0 कुरियन से मेरी वार्ता हुई। डा0 कुरियन ने कहा कि मैं तो उम्मीद भी नहीं करता था कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसे प्रोग्राम हो जायेंगे और उनको लग गया था कि मेरे एक प्रवास में 200 करोड़ रुपया उन्होंने यहां के डेरी उद्योग को दे दिया, कहा कि ले जाइये, जो चाहिये वो कराइये, जो प्लाण्ट लगवाना है लगवाइये। लेकिन पता नहीं कुछ दुर्भाग्य है यहां के किसानों का, यहां के नागरिकों का कि जो इतनी बड़ी सेवा का विभाग था कि इस विभाग की समीक्षा की गयी। मैं क्षमा चाहता हूं कि जो नहीं अब इस सदन मे उन्होंने पराग के इस सारे प्लाण्ट को बेचने की योजना बना ली थी। पिछली बार जब सदन चल रहा था तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि इसे बेचने की कोशिश न करिये। इसको बेचा जायेगा, बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, जिन्हें बेचने की आदत होती है। वह खराब काम सह नहीं सकते। जैसे कारपोरेशन के चीनी मिल थे, बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे, ऐसे ही मान्यवर, इस पराग के बारे में भी उनकी धारणा बन गयी। लेकिन धारणा यह बनी कि जितना भी दूध की पैकिंग का काम था, वह सारे का सारा ठेका अपने रिश्तेदारों को देकर उस पैकिंग वाले कार्यक्रम को इतना प्रदूषित कर दिया कि आज उस पैकिंग में दूध पीना लोग पसंद नहीं करते। मान्यवर, यहां हम रहते हैं किसान परिवार से आते हैं, गाय-भैंस पालते हैं, दूध पीने की आदत है। पिछली बार 15 दिन यहां रुकना पड़ गया, दूध नहीं मिला तो मुझको राय यह दी गयी कि पराग का दूध मत लेना, अमूल का ले लेना और गर्म करके उसको ले लेना। यह स्थिति क्यों आई ? आप मत गिनवाइये प्रोग्राम अपने। यह तो ब्यूरोक्रेसी ने लिखकर दे दिया, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बैठिये और व्यवहारिक पहलू समझिये कि क्या कठिनाई आई है। क्यों यह बन नहीं पाया, आपके प्लाण्ट नुकसान में क्यों चले गये, कब से नुकसान में जाने शुरू हुये। दूध का जाना क्यों बन्द हो गया, आपका प्रोक्योरमेन्ट कम क्यों हुआ, किसान आपके कार्यक्रम में विश्वास क्यों नहीं करते। क्यों आपको दूध नहीं देते, क्यों बाहर देते हैं। इसके कारणों में आप जाइये।

एक-एक कारण को जब आप पकड़ कर बैठोगे तो समझ में आयेगा कि क्या वजह है और इसको दूर किया जा सकता है। हम सामूहिकता में देखते हैं। सारे विभागों की समीक्षा करना चाहते हैं लेकिन बिना समझे। जड़ और मूल को नहीं समझना चाहते। उसी का परिणाम है कि इतना अच्छा कार्यक्रम हमारा, जिससे हमारे गरीब लोगों की आमदनी बढ़ती। हम क्यों नहीं आज इस बात पर विचार करते कि जो लोग खेतिहर मजदूर थे दिन में मजदूरी करते थे और एक गाय और भैंस पाल लेते थे, उसका दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाते थे, वह आज क्यों नहीं हो पा रहा है। इसलिये नहीं हो पा रहा है कि वह व्यवहारिक नहीं रहा। बाजार में दूध चाहे 40 हो या 35 हो, लेकिन उसको तो

24 रुपये से ज्यादा नहीं मिलना। आज मान्यवर, मैं खुद इसका चश्मदीद गवाह हूं कि जमुना के किनारे-किनारे जितने गांव हैं, सब में मदर डेयरी के केन्द्र खुल गये, मदर डेयरी के लिये दूध खरीदा जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है लेकिन आपके क्यों नहीं खुल रहे। आपके क्यों बन्द हुये, इसलिये बन्द हुये कि अधिकारियों में होड़ लग गयी कि एक साल का कार्यक्रम है पता नहीं एक साल योजना रहेगी या दो साल रहेगी और दो साल में कैसे इसका दोहन कर लें। मान्यवर, यह तो सेवा का विभाग था, यह आमदनी और व्यवसाय का विभाग नहीं था। लोगों ने इसको भी व्यवसाय मान लिया। इसका मक्खन दिल्ली में बिकना शुरू हो गया था, दूध बिकना शुरू हो गया था, घी बिकना शुरू हो गया था और लोगों का विश्वास बढ़ गया था कि यह चलेगा। आज महाराष्ट्र हमसे आगे बढ़ गया। मैं जब महाराष्ट्र में देखने गया। एक वक्त वह था जब महाराष्ट्र गुजरात के दूध पर जिन्दा रहता था। 1947 में सरदार पटेल ने जब क्रान्ति कराई थी और यह अमूल को पैदा उन्होंने किया था, उन्हीं का बनाया हुआ यह है। आठ आने में वह एक किलो दूध लेते थे और बम्बई जाकर 12 आने किलो बेचते थे। किसान को कुछ भी नहीं देते थे तो सरदार पटेल ने उस कार्यक्रम को चलाया था लेकिन क्या गुजरी उन किसानों के ऊपर जिनकी गाय भैंस पकड़ कर कांजी हाउस में बन्द कर दी गयी। उनको जेलों में डाल दिया गया लेकिन वह जमे रहे और मजबूती के साथ में अपना हक लेकर रहे, कोआपरेटिव सोसाइटी बनी, सारा सहकारिता आन्दोलन में तब्दील हुआ, उसी तरह यह पराग भी अपका सहकारिता आन्दोलन है। गांव-गांव में हमारी इकाई, जिले में इकाई हो, प्रयास यह किया गया था, पूरा लोकतंत्र लाकर चुनाव के द्वारा गठन कर दिया जाये लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने नहीं होने दिया आप बोर्ड आफ डायरेक्टर में किसी भी आदमी की नियुक्ति कर देंगे लेकिन सोच है नहीं, विजन है नहीं, चिन्तन है नहीं किसी बात का, कि क्या होगा। मैं तो कहता हूं कि आप खुद बन जाइये या बोर्ड को सही रूप से लोकतांत्रिक तरीके से गठन कर दीजिये। उन किसानों को प्रतिनिधित्व उसमें आये जो दूध उत्पादक हैं। वह समझेंगे पीड़ा को। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव होकर आयेगा तो कोइ न कोई यहां मंझकर बैठेगा और सारे विभाग को समझेगा। आज क्यों नहीं व्यवहारिक हो रहा उत्तर प्रदेश, कहां जा रहा है यह। वह उत्तर प्रदेश जिसके बारे में कहते थे कि यहां दूध और घी की नदियां बहती थीं, आज वह गंगा, जमुना कहां चली गयी। यह संभव है और आज भी सम्भव है। एक अच्छी बात यह है कि इस सरकार को पूरे 5 साल का कार्यकाल मिला है, इतनी मजबूत सरकार बहुत दिनों के बाद बन पायी है, अगर यह चाहे कार्यक्रम को ईमानदारी से चलाना तो कार्यक्रम चल सकता है और करोड़ों-करोड़ों परिवारों का भला हो सकता है। इसलिये मैं दो-तीन सुझाव आपको देना चाहता हूं। नं0 एक, अगर पराग को जीवित रखना है तो गांव-गांव में इन सहकारी समितियों को पुनर्जीवित कीजिये, उनकी कठिनाई देखिये क्योंकि यह योजना थी कि हम सरकारी तौर से सारे बर्तन उपलब्ध कराते थे, उनके दूध का अच्छा भाव उन्हीं को विश्वास में लेकर के तय कराते थे। इससे दूध का एकदम उत्पादन बढ़ता गया।

आज मान्यवर, उत्तर प्रदेश के कम से कम एक हजार ऐसे गांव होंगे जिनमें डेयरियां खुल गयी थीं, सहकारी समिति बन गयी थी और उनसे दूध आना शुरू हो गया था। आज अगर उस कार्यक्रम को चलाते रहते तो क्या हाल होता। आज दूधिये जाते हैं, बाल्टी भरकर लाते हैं, मिलावट उसमें करते हैं और मान्यवर, यह जो यूरिया का दूध, केमिकल का दूध पीकर के हमारे स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रही है वह न होती। हमें शुद्ध दूध मिलता। तो मैंने कहा कि आप पहले सहकारी समितियों को पुनर्जीवित कीजिये, सहकारी समिति के आधार पर जो आपका जिले का बोर्ड होता है,

उसका पुनर्गठन कीजिये। बनाइये उन्हीं को लेकर के, आपको केवल एक साल कठिनाई आयेगी, दूसरे साल आपको खुद पता चलेगा कि जो कार्यक्रम आप लेकर चले हैं, वह जीवित रहने वाला कार्यक्रम है। उसके बाद प्रदेश में पी0सी0डी0एफ0 को पुनर्जीवित कीजिये। उसमें लाइये प्रतिनिधित्व किसानों का, बिठाइये बोर्ड को लाकर के। अधिकारी आपका रहेगा सलाह देने के लिये। लेकिन अधिकारी भी वह हो, जिसका लगाव हो। मान्यवर, यह कार्यक्रम ऐसे हैं, जिसके मन में लगाव होगा, वही चला पायेगा। ऐसे अधिकारी पहले यहां थे जिनका वास्तव में लगाव था, हवाई जहाज में अगर अमूल की टिक्की जा सकती है तो पराग की क्यों नहीं जा सकती। प्रयास किया उन्होंने। हम कम्पटीशन में आये। आज महाराष्ट्र हमसे आगे निकल गया इसलिये आगे निकल गया कि एक ही कार्यक्रम किया उन्होंने, कि दूध का जो बाजार भाव था, सरकार ने अपना बजट देकर दूध के दाम बढ़ा दिये। अगर यहां पर 5 रुपये का रेट था तो उन्होंने कहा कि हम 7 रुपये लीटर का देंगे। यह पुरानी बात है आज की नहीं है। लेकिन उसी में दूध का उत्पादन इतना बढ़ा कि किसी से मांगने की उनको जरूरत नहीं रही। वह आत्मनिर्भर हो गये। इसी प्रकार हर स्टेट में बढ़ा। दिल्ली में इतनी दूध की खपत है, उस खपत का हम फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। हम क्यों नहीं यहां के दूध उत्पादकों का दूध वहां पर पहुंचा पा रहे हैं। दूध दूधिये के माध्यम से जाता है वह पूरा शोषण करता है और मिलावट करता है। हम नहीं करेंगे तो हमारा नाम पैदा हो जायेगा। दूसरी बात मैंने यह कही कि उसकी गुणवत्ता के ऊपर आप ध्यान दीजिये कि जो हम खरीदें, वही हम उपभोक्ता तक पहुंचायें और उपभोक्ता में हम विश्वास पैदा करें। मान्यवर, हमारा तो सौभाग्य है कि इस स्टेट में इतना बड़ा मार्केटिंग है इतनी बड़ी दूध की खपत है, अगर हम इस जरूरत को ही पूरा कर देंगे तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जायेगी। इससे पैसे भी आयेंगे और किसानों को उसका फायदा भी मिलेगा। तीसरा सुझाव यह है कि इनके अपने प्लांट थे, उन प्लान्ट्स में हम पशु आहार तैयार करते थे, हमारा पशु आहार बिकता भी था अब आप देख लीजिये कि इस तरह का कोई प्लाण्ट चल रहा है आपका, सब बन्द हो गये, खत्म हो गये, खा गये लोग चने खरीद में, जौ खरीद में खा गये और वह प्लाण्ट हमारे ठप्प होगये जब नुकसान होता दिखा तो बेच डाला।

श्री बलराम यादव-

मेरठ और बनारस के बारे में अधिकारियों की रिपोर्ट है। यह दो सर्वे है।

श्री हुकुम सिंह-

मंत्री जी एक की नहीं, सबकी हालत एक जैसी है। इसमें आप अपनी सोच को मजबूत करें कि हमें इसको कारगर विभाग बनाना है, जनता की सेवा का विभाग बनाना है इसलिये एक-एक बिन्दु पर समीक्षा कीजिये। ताकि संदेश जाये इन अधिकारियों में कि यह मंत्री जी हैं यह हमसे काम कराकर रहेंगे। अगर यह संदेश देने में आप सफल हो जायेंगे तो देखिये कि यह पराग कहां से कहां जाता है। अगर आप सोचें, कि दूध का भाव जो दूध उत्पादक को मिल रहा है और जो खर्च उस पर आता है, अगर शुद्ध दूध दूध वह बेचने लगे बिना पानी का तो उसको पड़ता आयेगा क्या ? आज 4 हजार 4200 रुपये चने का रेट है, जौ का 3200 का है, सोयाबीन का 4 हजार 4200 का है। अगर यह फीड वह अपने पशु को देगा वह, तो इसको खिलाने के बाद में आप उससे 25 रुपये लीटर दूध ले लेंगे। इसलिये आज सरकार को पशुपालक की सहायता के लिये उसे अनुदान देने के लिये आगे आना चाहिये। कृषि क्षेत्र हुआ, पशुधन क्षेत्र हुआ, यह क्षेत्र कभी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पायेंगे, दुनिया में कहीं खड़े भी नहीं हुये हैं। हमसे आप अमेरिका का उदाहरण ले लें या सम्पन्न विकसित देश का

उदाहरण ले लें। आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कभी इनकी आमदनी इतनी हो जायेगी कि वह अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे और शुद्ध दूध उपलब्ध करा पायेंगे, यह सम्भव हो ही नहीं सकता आज के युग में क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। जहां हम दुनिया भर के खर्च कर रहे हैं हमें सरकार के मंत्री के रूप में खड़े हो करके मुख्यमंत्री से आग्रह करके कहना चाहिये नहीं साहब इसमें कुछ कराइये। हम जब सस्ता करके देंगे तभी तो आकर्षण बढ़ेगा, अमूल में क्या है आप किसी भी क्रय केन्द्र पर खड़े हो जाइये शाम को देखने लायक बात होती है, पुरुष कहीं और काम कर रहा है पत्नी वहां खड़ी है, उसे रोजगार मिल गया वह खड़ी बेच रही है और वहीं से पशु आहार भी ले जा रही है सस्ते दामों पर, उसे बाजार जाने की जरूरत नहीं, बिनौला खरीदने की जरूरत नहीं, इसके अलावा यदि उसे एडवांस की जरूरत भी पड़ गई तो एडवांस भी उसे वहीं मिल जाता है। आज उन्होंने इतने आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित कारखाने खड़े कर लिये। चीन का सामान आज सारे देशों में जा रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते हम तो गुजरात के मुकाबले मान्यवर, कई गुना बड़े हैं। क्यों नहीं कर सकते हम निश्चित रूप से कर सकते हैं बस कुछ करने के लिये इच्छाशक्ति होनी चाहिये। मैं सुझाव दे रहा हूं यदि कभी मेरी आवश्यकता हो तो आप बुला सकते हैं, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रदेश के कल्याण के लिये हम सबको मिलकर काम करना चाहिये, धन्यवाद।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 17-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,74,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, यह तो बिना कटौती के पास हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

पहले आप तय कर लेते कि विवाद नहीं होगा तो पास हो जाता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं अत्यन्त सौभाग्यशाली अपने आपको मानता हूं कि इस सदन में आज हम ऐसे परिवेश में बैठे हैं जहां बजट के जितने भी प्रस्ताव हैं उन पर माननीय सदस्यगण पूरी दिलचस्पी से भाग ले रहे हैं और उनकी बात सुनी जा रही है। श्रीमन्, मुझे स्मरण है कि जब हम लोगों को कटौती का प्रस्ताव देना होता था तो उसके लिये आपस में इस बात का झगड़ा होता था कि हमें अमुक-अमुक विभाग चाहिये, विपक्ष के तमाम दल साथ में बैठ करके इस बात की जिद करते थे कि हमको कटौती के लिये फलां विभाग मिल जाये। मा0 प्रमोद जी, हुकुम सिंह जी, खन्ना जी के साथ बैठकर जब हम लोग बंटवारा करते थे तो 10 दिन पहले दिया जाता था कि तिथि बाद में तय होगी तैयारी पहले से हो। चूंकि पांच वर्षों में पूरी तरह से बजट रखने और उस पर कटौती प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही नहीं था, मा0 हुकुम सिंह जी ने उस दौर की याद दिलाई इसलिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, लोकतन्त्र की स्वस्थ परम्परा में सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि विपक्ष अपनी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकारात्मक आलोचना से सरकार को सहयोग करे और यह बताये कि सरकार जो नीतियं ले करके आ रही है उसमें कमी कहां है और उस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। मान्यवर, यह रिवाज पूरी तरह से खत्म हो गया था, उसकी जो बहाली हुई है उसके लिये मैं आपको और सदन के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं और अत्यन्त प्रसन्नता के माहौल में आज हम इसको रखने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, बहुत छोटा बजट है, 37 करोड़ का पूरे वर्ष के परिव्यय का बजट है इसलिये इसमें कुछ विस्तार से नहीं कहना है। लेकिन जब मैंने मांग की यह मदें रखी हैं तो मैं दो-तीन बातों का उल्लेख अवश्य करना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले साल के परिव्यय के मुकाबले हमने 35 प्रतिशत की वृद्धि इसमें करने का काम किया है और उसका कारण यह है कि यह उन लोगों से पुश्तैनी तौर पर जुड़ा हुआ मामला है मत्स्य पालन का। मत्स्य पालन का, जिनकी स्थिति सचमुच में समाज में बहुत खराब है। मछुआ समुदाय की स्थिति सचमुच में दलित समाज से ज्यादा खराब स्थिति में है, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर उसकी स्थिति अत्यन्त ही दयनीय है। उसकी स्थिति को ठीक करने के लिये इस विभाग के माध्यम से जो प्रयास किये जाने चाहिये थे वह प्रयास नहीं हो सके। हम उन प्रयासों को पूरे संकल्प के साथ रखना चाहते हैं। मान्यवर, इस बजट के द्वारा जिन योजनाओं को मजबूत करने का और जिसको गति देने का प्रयास सरकार कर रही है, उसमें 55 हजार लोगों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नया रोजगार प्राप्त होगा। मछुआ आवास में पहले जो व्यवस्था रही है लगभग दोगुना व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। श्रीमन्, तालाबों की जो स्थिति पिछले दिनों बिगड़ गयी थी, मैं आज माननीय सिंचाई मंत्री जी को इसके लिये बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मकहमे को सिंचाई के दृष्टिकोण से भी और जिन तालाबों से सिंचाई नहीं होती है, मत्स्य पालन का काम होता है, उसके लिये भी नहरों से पूरी तरह से पानी से भरे जाने के निर्देश जारी किये हैं और 8 हजार हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का नया पट्टा जो 10 साल का पट्टा होता है, उनका जो क्रम है आवंटियों का, उनकी प्राथमिकता का उसको करेंगे। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो उसका क्रम है उस पर नये सिरे से विचार करने की आवश्यकता होगी। अभी कोई सदस्य कटौती रखेंगे तो मैं उनसे इस पर सुझाव भी आमंत्रित करूंगा। अभी जो कैटेगरी बनायी गयी थी उसमें यह था कि ग्राम पंचायत में अगर मछुआ समुदाय का कोई है और सहकारी समिति है तो उसको दिया जायेगा। अगर ग्राम पंचायत में नहीं है, तो न्याय पंचायत में और न्याय पंचायत में नहीं है तो ब्लाक में और अगर ब्लाक में नहीं है तो तहसील में। श्रीमन् इसके विस्तार का कारण यह हुआ कि परोक्ष रूप से पट्टा किसी और के नाम और तालाब में मछली पालन करने और उसका व्यवसाय करने का काम किसी और के नाम। इस पर दृष्टि रखनी होगी और उसको ठीक करने के लिये इस क्रम को भी ठीक करना पड़ेगा। पूरे तहसील में जब कोई नहीं मिले तो उसके बाद जो दूसरा क्रम जिन लोगों का आता था, गांव में मौजूद रहते हुये भी दिया गया। हमारा इसमें किसी से विरोध नहीं है लेकिन मैं यह चाहता जरूर हूं कि इस नीति पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज हम कोई नई बात ले करके नहीं आ रहे हैं लेकिन मैं जरूर यह चाहता हूं व्यावहारिक तौर पर अगर सदन सहमत होगा तो इस पर विचार कर लेंगे कि जहां तालाब है, उस तालाब से यथा सम्भव 5 किमी0 के रिडियस में ही सहकारी समिति या मत्स्य पालन का काम अगर आप देंगे तो उससे उन्हें व्यावहारिक रूप से उनको लाभ मिलेगा। अन्यथा तहसील के दूसरे छोर पर 45 या 50 किमी0 की दूरी पर अगर किसी को मत्स्य पालन का पट्टा हम इन तालाबों को देते हैं तो उससे उनका लाभ नहीं होगा। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की हमारी योजना है।

पर्यावरण की जब हम चिन्ता करते हैं और प्रदूषण मुक्त करना इसलिये भी आवश्यक है कि मत्स्य पालन की इतनी प्रतिकूल स्थितियां हो जाती हैं कि रसायनिक कचरे, औद्योगिक कचरे से मछलियां पूरी की पूरी मर जाती हैं और थोड़ा भी कचड़ा जाता है तो उसमें मत्स्य पालन की सारी संभावनायें समाप्त हो जाती हैं। मैं गंगा के किनारे का रहने वाला हूं। गंगा, तमसा, घाघरा ये नदियां हमारे जनपद में हैं और छोटी नदियां जाल की तरह से हैं। नदियों के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक फरक्का डैम नहीं बना था तब तक मछलियां जो धारा के विपरीत ऊपर चढ़ती हैं उनकी आमद नदियों में बहुत ज्यादा थी। फरक्का डैम बनने के बाद से मान्यवर, धीरे-धीरे उनमें कमी आती चली गयी अब जो मछलियां नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हैं उनकी संभावनायें बिल्कुल नगण्य हो गयी है। नदियों के किनारे रहने वाले मछुआ समुदाय की स्थिति अत्यन्त खराब हो गयी है जो नदी के किनारे रहकर मछली मारने का काम करते थे। दूसरा एक प्रभाव और हुआ है कि ऐसे माफिया पनप गये छोटे-छोटे इलाको में, जो नदियों पर इस मछुआ समुदाय से सिर्फ मजदूरी कराने का काम करते हैं और पूरी मजदूरी भी उनको नहीं देते हैं और इस व्यवसाय का पूरा मुनाफा दूसरे लोग ले जाते हैं। यह सरकार निश्चित रूप से यह प्रबन्ध करने जा रही है। अब मछुआ समुदाय के जिम्मे मत्स्य -पालन का अगर काम है तो उसका मुनाफा भी मछुआ समुदाय को मिलना चाहिये और इस व्यवसाय में जो दूसरे लोग घुस गये हैं और चोरी से, नियम के विपरीत, प्राथमिकतायें दूसरी हैं, पट्टा दूसरे का है, अधिकार दूसरे का है और वास्तविक नियंत्रण किसी दूसरे का है। इन चीजों को रोकने के लिये भरपूर इंतजाम करेंगे। सरकार की दृष्टि बिल्कुल साफ है। जो योजनायें केन्द्र सरकार के मदद से चलायी जाने वाली है उन योजनाओं पर भी मैं सिर्फ मछुआ समुदाय के कल्याण के लिये ही नहीं बल्कि मत्स्य पालन के समूचे कार्य के लिये जो अनेक योजनायें हैं उनको हम करेंगे और मत्स्य विभाग ने इस बार कुछ नई हैचरीज स्थापित करने का और रंगीन मछलियां जो आपके एक्वेरियम में माननीय मौर्या जी के ड्राइंग रूम में मैंने सुना था वर्जित इलाका था मान्यवर, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण रहते थे वर्जित इलाका था वहां कोई आ जा तो सकता नहीं था। लेकिन चर्चायें थीं कि इन लोगों के ड्राइंग रूम में बड़ी खूबसूरत रंगीन मछलियां अठखेलियां करती थीं बन्द शीशे में। तो मान्यवर, वह भी बाहर से मंगाई जाती थीं लेकिन अब उस तरह की मछलियों के लिये मत्स्य विभाग अपनी ओर से ऐसी हैचरीज स्थापित कर रहा है जिसमें रंगीन मछलियां होंगी और यह मछलियां सबके लिये सुलभ होंगी। मान्यवर, मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के लिये मांगुर पालन, झींगा पालन के लिये जो योजना मत्स्य विभाग ला रहा है उसके लिये बजट में सम्पूर्ण रूप से प्रबन्ध है मान्यवर, और मछुआ के दुर्घटना बीमा के लिये हमारे पास पूरा इंतजाम है और उसके लिये उसको एक रुपये भी अपना प्रीमियम नहीं देना होता है। मृत्यु की दशा में एक लाख रुपये और अपंगता की दशा में 50 हजार रुपये उसको बीमा राशि देने का प्राविधान है। इसलिये अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे कल्याणकारी योजनाओं के लिये जिनका सम्पूर्ण प्रदेश की तरक्की में भी बड़ा योगदान है और मछुवा समुदाय के लिये जो चिन्ता करने का काम किया है इस सरकार ने और उसकी बेहतरी के लिये जो योजनायें लायी जा रही हैं इस पर कटौती प्रस्ताव न रखते हुये सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को यह सदन पारित करे यह मैं विपक्ष से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को पारित करने का कष्ट करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री हुकुम सिंह के कटौती का प्रस्ताव रखने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी आपका है ?

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

मान्यवर, आज दो मद छोड़कर सारे प्रस्ताव माननीय नेता भाजपा के कोटे में ही हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बहुत होशियार हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अगर मैं इसमें कटौती का प्रस्ताव न रखता तो इतने वरिष्ठ मंत्री ने यह बजट प्रस्तुत किया है वह शायद उनके कद के विभाग के महत्व के अनुरूप न रहा होता जब वह राजस्व छोड़कर मछली पर आ लिये। मछली और वह भी रंगीन मछली पर आ गये। जितनी आत्मीयता के साथ में उन्होंने मछलियों के रंग का जिक्र यहां पर किया तो मछली को तो भूल गये यह रंग में खो गये। अध्यक्ष जी, मेरे ख्याल में मछली का आपने कभी स्वाद लिया कि नहीं। तो बराबर वालों से पूछ लो।

श्री अध्यक्ष–

आपने लिया कि नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं कह रहा हूं कि यह बराबर वालों से पूछ लो मेरे साथी हैं वो मुजफ्फरनगर के।

श्री अध्यक्ष-

आपने लिया है कि नहीं स्वाद।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैंने तो हर चीज का स्वाद ले रखा है। मैंने अपने जीवन के 7 वर्ष बहुत कठिनाई में गुजारे हैं आर्मी में और पुंछ रसौड़ी में रहा हूं जहां मान्यवर, आलू भी कभी कभी मिलता था जा करके। हम उन कष्टों में रहे हैं पूरी लड़ाई लड़ी है।

(इस समय 3 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए)

अभी इसका तो स्वाद व्वाद हम भूल गये लेकिन अभी जो कुछ आपने उपलब्धियों का यहां पर वर्णन किया है। यह बताइये कि उत्तर प्रदेश तो लैंड लौक्ड है समन्दर है नहीं कहीं भी आस पास में जितनी भी मछली हम ले सकते हैं अपने कुछ प्राकृतिक साधन उनसे या उन साधनों से जो हमने विकसित किये हैं। दो ही प्रकार के साधन हैं प्राकृतिक साधनों में तो झील हो गई नदी हो गई। अभी आप एक समीक्षा करें। 25 साल के कालान्तर में कितनी नदियां समाप्त हुई उनका वजूद ही नहीं रहा, उनमें मछलियां होती थीं। हम चाहे किसी भी समाज की बात करें समाज क्या करेगा उसमें। पानी है नहीं, झील सूख गई। अब तालाबों पे आते हैं। समन्दर से घटकर नदियों में आये मान्यवर, और

नदियों में घटकर तालाबों मे आये और उसके बाद भी हम कहते हैं मान्यवर कि मछलियों का उत्पादन हम बढ़ायेंगे। हमारी योजना है बढ़ाने की। योजना होती रहे, जब उसकी व्यवस्था नहीं है बढ़ाने की तो कहां से बढ़ा पायेंगे। एक समय ऐसा था नोएडा जैसी जगह। नोएडा नहीं मान्यवर, मैं भूल गया गंगा जी में गढ़मुक्तेश्वर के पास में उच्चतम कोटि की मछली होती थी अब नहीं है इसलिए नहीं है कि प्रदूषण गंगा जी में भी इतना हो गया कि मछली का होना समाप्त हो गया। बड़ी नदी दूसरी है यमुना, आज हम जून के महीने में खड़े हुए है पानी का नाम नहीं, रेत ही रेत बचा है। मछली कहां से लाएंगे आप। नदियों की हालत यह हो गई, झील सूख गई, समन्दर है नहीं और दावा यह कि हम विकास कर रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं। श्रीमन् एक योजना है इनकी, वह यह कि इन्होंने मछुआरों के नाम पर जमीन के पट्टे देने का कार्यक्रम बनाया। दस साल के लिए पट्टा देंगे, पांच साल के लिए पट्टा देंगे, काहे का पट्टा दोगे आप, तालाब है वहां? जिस तालाब का पट्टा दे रहे हैं आप? मैं सदन में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं आप उन तालाबों का सर्वे करा लें, समीक्षा करा लें, उन तालाबों में लोग खेती करके अपना पेट पाल रहे हैं। वहां पानी की व्यवस्था नहीं है मछली कहां से पाल लेंगे। मछली के नाम पर पट्टा इसलिए लिया कि वहां उन्हें पट्टा मिल गया प्राथमिकता के आधार पर। अगर 80 प्रतिशत तालाब में आपको खेती होती न मिले मैं आपको चुनौती दे रहा हूं आप देख लें जाकर, अगर वह खेती नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे करेंगे। अपने जिले में चलिए या किसी और के जिले में चलिए। मछली का कार्य ऐसे चलने वाला नहीं है।

हमारे समाज में मूलभूत गलती यह होती जा रही है कि हमने किसी भी कार्यक्रम को समाज विशेष से जोड़ दिया है। अब वह बात नहीं रही है। अब जाति बिरादरी इन सब बातों से ऊपर उठ गई है। आज जूता बनाने का काम एक वर्ग नहीं करेगा जूता बनाने का काम तो बड़े-बड़े करोड़पति लोग कर रहे हैं। एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं मछली पालन में भी यही हो रहा है। हर काम में हर वर्ग आ रहा है। क्योंकि समाज बहुत समय तक विभाजित रह चुका। जिसका जो काम है वह करेगा हम सरकार में बैठकर उन्हीं अंधेरी गलियों में घूम रहे हैं जिनका कि कोई वजूद नहीं रहा। अगर हम यह सोचें कि जो मछली पालन का काम करेगा वही हमारे अनुदान के लिए पात्र होगा। मछली हा उत्पादन बढ़ जाएगा? इसमें होगा क्या, काम मुझे करना है और मैं उस वर्ग के व्यक्ति को ढूंढ कर लाऊंगा। ठेका लूंगा उस आदमी के नाम से, और काम करूंगा खुद, तो वो बात नहीं आ पाएगी। मंत्री जी आप समीक्षा करा लें जिन वर्गों को हमने छूट दी हुई है कि हम उनको पट्टा दे देंगे। लेकिन उस वर्ग के नाम पर शोषण किया जा रहा है उस वर्ग के युवकों का, उनके नाम पर बड़े लोग पट्टे ले रहे हैं अपने हिसाब से वह काम कर रहे हैं। इसमें आप नीतिगत निर्णय लीजिए। जो भी काम करना चाहे वह आगे आए, उसको सुविधा मिलेगी, देखिए उत्पादन बढ़ता हे या नहीं? हो सकता है जैसे मैं किसान हूं मेरे पास दस बीघा जमीन है, तो पांच बीघा जमीन में तालाब खोदकर मैं ही काम करने लगूं। यह संभव है उसके पास तो कुछ रहा नहीं जिसको आप ठेका दे रहे हैं। तालाब तो रहे नहीं तालाब पर तो कोठियां बन गई मकान बन गए, उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भी तालाबों को खाली नहीं कराया जा सका। इसलिए खाली औपचारिकता रह गई है। मछली पालन विभाग की, एक कारपोरेशन आपने बना दिया अलग अधिकारी बना दिए एम0डी0 बना दिया, अधिकारी बना दिए। आपने बहुत हैवी डिपार्टमेंट बनाया जबकि इसका आउटपुट शून्य है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और यह भी सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में आप मछली को पौष्टिक मानते हैं और सारे विटामिन उसमें मिलने हैं प्रोटीन उसमें मिलते हैं तो सम्पूर्ण कार्यक्रम पर

विचार करने की आवश्यकता है। कैसे इसको बढ़ायें और बढ़ाना संभव है इसको मैं मानता हूं। इसी तरह से मुर्गी पालन है। मुर्गी पालन कौन कर रहा है कोई एक बिरादरी थोड़े ही कर रही है। बड़े बड़े सेठ कर रहे हैं जिनके करोड़-करोड़ रुपये के काम हैं। कई जिलों में देखा है मान्यवर, चाहे वह देहरादून हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो करोड़ों रुपये की सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली तक सप्लाई कर रहे हैं। आप जाति विशेष से जोड़ देते हैं। करोड़ों रुपये की सप्लाई कर रहे हैं दिल्ली तक सप्लाई कर रहे हैं। आप जाति विशेष से जोड़ देते हैं कि खनन के पट्टे एक बिरादरी को देंगे, उस बिरादरी का नाम भी नहीं, वजूद भी नहीं, खनन दूसरे कर रहे हैं और उनके नाम से कर रहे हैं। इन बातों पर एक समग्रता के साथ विचार होना चाहिए और विचार होने के बाद समग्र रूप से उस पर एक निर्णय होना चाहिए। मछली पालन के बारे में मेरा सुझाव यही है, इसको एक व्यवसाय के रूप में विकसित करना है, हम देखें कि इतनी हमारे पास धनराशि है और इतना हम प्राविधान कर सकते हैं, इतना धन दे सकते हैं तो निश्चित रूप से इसका विकास होगा। हम उसमें दिमागी रूप से ताला बन्द करके सोचने लगें कि फलां का नाम यह है, फलां बन्दा के नाम से पुकारा जाता है, फलां मछुआरे के नाम से पुकारा जाता है तो वह नहीं करने वाले। उनके बच्चे क्या आईएएस नही बने ? मछली पालते रहेंगे हमेशा क्या? उनके बच्चों को पीसीएस नहीं बनना क्या, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं आना क्या? यह 100-200 साल पुरानी प्रथा हो गई कि उनको वहीं तक सीमित रखेंगे लेकिन अब वह नहीं रहने वाले हैं। समाज आगे बढ़ चुका है यह कार्यक्रम उन बच्चों जिनको रोजगार नहीं मिला, किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, उनको रोजगार दीजिए, अच्छा लगेगा, उनको काम करने में, इस पर विचार होना चाहिए, तभी यह कार्यक्रम आगे चल पायेगा।

लघु सिंचाई पशुधन मंत्री (श्री पारस नाथ यादव)-

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,54,30,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह आस्था की धरती है। परमब्रह्म्ह परमेश्वर परवर दिगार ईश्वर अल्लाह, 84 लाख योनियों में विभक्त इस धरती पर कर्म के लिए भेजा है। लेकिन इन्सान की जो शक्ल है, वह कर्म के लिए बनी, बाकी शक्लें जो बनी वह भोग के लिए बनी। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं, वैसे जितने भी विभाग हैं, किसी के नाम के आगे धन नहीं जुड़ा है। केवल पशुधन ऐसा विभाग है, जिसके नाम के सामने धन जुड़ा है। वैसे भी मैं भाग्यशाली हूं, अभी तक जो भी अनुदान की मांग रखी जा रही हैं, वह किसी न किसी रूप से जो अपनी पीड़ा अपनी आवाज स्वयं कह सकते हैं, उनके लिए है लेकिन एक ऐसे विभाग की अनुदान मांगे आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो अपनी पीड़ा अपनी समस्या, अपनी भूख स्वयं नहीं कह सकते, वह है पशु। पशुधन विभाग की पृथक रूप से स्थापना इस प्रदेश में 1944 में की गयी थी। लेकिन आय-व्ययक सदन में 1974-75 में प्रस्तुत किया गया था। अनवरत तब से यह पृथक से आय-व्ययक अनुदान मांगें प्रस्तुत की जा रही है। विभागीय क्रियाकलापों एवं पूर्व वर्षों की उपलब्धियों, वर्तमान लक्ष्यों एव अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों से सदन के माननीय सदस्यों को अवगत कराया जा सके, इसीलिए यह अनुदान मांगें रखी जाती हैं। यह सही है कि राष्ट्रीय जनसंख्या की लगभग 16.16 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश में बसती

है और उत्तर प्रदेश में आज भी 70 से लेकर 80 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है। और गांवों में बसने वाले लगभग 65 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो छोटी जोत के किसान हैं उनके पास एक एकड़ से लेकर दो एकड़ जमीन हैं या भूमिहीन हैं और दो एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक खेती करने वाले लोग हैं। इनको अपनी आजीविका के लिए खेती के अलावा पशुपालन अनिवार्य हो जाता है और यह पशुपालन करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। मैं यूं भी कह सकता हूं कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग ही अधिकतर पशुओं को पालते है। शहर में रहने वाले लोगों में उतनी रूचि नहीं रहती जितनी गांव के लोगों में रहती है। कानून के दायरे में भी शहरी क्षेत्र में अगर अधिक जानवर पाले जायें तो उसके लिए अलग से लाइसेंस या अलग से अनुमति लेनी पड़ती है नहीं तो कानून के दायरे में उन जानवरों को शहर के दायरे से बाहर निकाला जाता है यह हमारे यहां कानून का है। ऐसी परिस्थिति में मैं पशुपान के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में वर्ष 2007 की पशुगणना के आधार पर कुल पशुओं की संख्या 693.69 लाख है उसमें से गोवंशीय की संख्या 190.97 लाख है, महेशवंशी 264.40 लाख, बकरी 148.29 लाख, भेड़ 14 लाख, सूकर 19.87 लाख, कुक्कुट 178.80 लाख है। यह हमारी वर्ष 2007 के अनुसार जानवरों की संख्या है। मान्यवर, अभी कटौती का प्रस्ताव रखते हुए हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता श्री हुकुम सिंह जी दूध के बारे में कह रहे थे। हमारे प्रदेश में 221.59 लाख मी0 टन दूध का उत्पादन होता है। जो पूरे देश में हमारा प्रथम स्थान है। यह सही है कि जो दूध देने वाले हमारे जानवर हैं उनकी संख्या अधिक है लेकिन उनकी दूध देने की क्षमता अन्य प्रदेशों के जानवरों से कम है। यह बात हम स्वीकार करते हैं। लेकिन पिछले वर्षों से साढ़े चार प्रतिशत हमारे दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ी है और इस प्रदेश में प्रतिव्यक्ति 303 मिली0 प्रतिदिन दूध की उपलब्धता है जबकि हम यह बात मानते भी हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध परिषद् द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 250 मिली0 दूध प्रतिदिन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारे यहां जो दूध की उपलब्धता है उसमें कमी नहीं है। यह बात कहने में संकोच नहीं है। दूसरी तरफ हम अगर आज जो हमारे इस प्रदेश में कमी है, जो आज की बड़ी आवश्यकता है अण्डा मुर्गे या यूं कहा जाय उनके मांस की जो आवश्यकता हैं उसमें यह प्रदेश आठवें नम्बर पर है। प्रत्येक दिन लगभग सौ लाख यानी एक करोड़ अण्डा दूसरे प्रदेशों से हमको मंगाना पड़ता है एवं 0.30 लाख ब्रायलर पक्षियों को दूसरे प्रदेशों से मंगाना पड़ता है। इस तरीके से जो अण्डों की सप्लाई या अण्डों के लिए पिछले वर्षों में जो हमारा बजट था 2011-12 में एक अरब 106.76 करोड बजट व्यवस्था थी, जिसमें राज्यांश था 60.60 करोड़ और केन्द्रीय अंश 46.16 करोड़, लेकिन इस वर्ष परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से 2012-13 में जो बजट प्रस्तावित है 109.91 करोड़ बजट अनुमान है। जिसमें राज्यांश होगा 65.54 करोड़ तथा केन्द्रांश होगा 44.37 करोड़ रुपया। पशुधन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमारी योजना है ब्रीडर फार्मर इकाइयों की स्थापना करना, कुक्कुट पालन की योजना को प्रोत्साहन देना, बकरी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्नत प्रजनन हेतु कृत्रिम गर्भाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे स्थानों पर जहां कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था नहीं हो पाती, दूरदराज के इलाकों में वहां इस वर्ष हमारी योजना है कि नई नश्ल के अच्छी नश्ल के साड़ों को पैदा किया जाय और उन बछड़ों को उन दूर के स्थानों पर भेजा जाय। यह कोशिश हमारी होगी कि ग्रामीण अंचल में जहां पर हम कृत्रिम गर्भाधान के कार्यक्रम को नहीं चला पा रहे हैं वहां पर यह हमारी व्यवस्था लागू की जायेगी। जहां तक कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हम नश्ल सुधार का कार्यक्रम चलाते हैं, नश्ल सुधार के कार्यक्रम में 70 लाख ऐसे जानवर जो प्रजनन के

योग्य हैं, उनमें इस वर्ष कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था कराई गई है। प्रदेश के उन क्षेत्रों में हम अच्छे एजजीओ जो विश्वसनीय हैं उनके माध्यम से भी कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था कराई जा रही है। जहां तक पशुओं के रख रखाव और उनकी व्यवस्था के लिए 22 सौ प्राथमिक चिकित्सालय हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पशुओं के बारे में जो मैंने यह बात कही कि वह बोल नहीं सकते। अपनी बीमारी नहीं कह सकते उनके लिए उत्तर प्रदेश में 2200 पशु चिकित्सालय हैं और 268 पशु औषधालाएं तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी व्यवस्था है उसमें 15000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सालय की व्यवस्था की गई है, जबकि यह बात राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर है कि 5000 पशुओं पर एक चिकित्सालय की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन प्रदेश में संसाधन और पैसे की कमी के कारण हम यह व्यवस्था नहीं दे रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी इस बार हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि 30 नए अस्पताल और 20 नवीन पशु सेवा केन्द्र खोलने की हमारी योजना है। इस वर्ष रख-रखाव के लिए और पशुओं की बीमारी के लिए यह खर्च किया जायेगा। इसके साथ ही साथ यह बात अक्सर देखने में मिलती है, अधिष्ठाता महोदय कि हमारा पूरा प्रदेश 821 विकास खण्डों में विभक्त हैं।

विकास खण्ड के मुख्यालयों पर तो हमारे अस्पताल हैं, लेकिन एक एक विकास खण्ड में दूर के इलाके होने के कारण जहां 70, 75, 80 तथा 90 तक हमारी ग्राम पंचायतें फैली हुई होती हैं, वहां जानवरों के इलाज के लिए उनके रख रखाव के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस पर एक दो कहीं पर प्राथमिक पशु चिकित्सालय बनाए गए थे, लेकिन वहां तक उनके न पहुंचने के कारण इस बार यह कोशिश की जा रही है कि ऐसे ब्लाक मुख्यालयों से दूर हटकर के भी कुछ ऐसे भी केन्द्र खोले जाएं कि पशुओं की बीमारी के लिए इन पशुपालकों को ज्यादा परेशानी न आने पाएं और वे आसानी से अपने जानवरों को डाक्टरों को दिखा सकें। यह व्यवस्था इस बार की जा रही है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ-साथ इस प्रदेश के मुख्यालय पर अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं और हम लोग भी गांव के रहने वाले लोग हैं। ये देखा भी करते हैं कि ब्लाकों पर और मुख्यालयों पर पशुपालक अगर जाता है, तो उसको डाक्टर उपलब्ध नहीं होता है और उसकी अनुपलब्धता में वह प्राइवेट डाक्टरों के जिसे हम झोलाछाप भी कहते हैं उनके पास जाने को मजबूर होता है और वहां उसे अधिक पैसा देना पड़ता है। इस अव्यवस्था को दूर करने के लिए इसी लखनऊ में एक सेवा सुविधा केन्द्र खोला जा रहा है और इस सुविधा केन्द्र में पूरे प्रदेश के लोगों के लिए दूरभाष का अलग से नंबर होगा और पूरे प्रदेश की जो समस्याएं हैं, इसके माध्यम से भेजी जा सकती है। उसमें उस किसान को या उस पशुपालक को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और वह अपनी सूचना को भेजेगा और उस सूचना के मुताबिक उसके निराकरण के लिए अतिशीघ्र व्यवस्था कराई जायेगी। यह व्यवस्था इस बार की जा रही है। इस पूरी की पूरी व्यवस्था के प्रचार-प्रसार के लिए हम अपने सम्मानित सदस्यों से भी अनुरोध करेंगे। इसके लिए प्रचार-प्रसार हेतु हमारे जिले के जो अधिकारी हैं, उनके माध्यम से इस तरीके से गोष्ठियां करायी जाएंगी और उन गोष्ठियों में हमारे जनप्रतिनिधियों को हिस्सेदारी दी जाएंगी और उनके माध्यम से पम्पलेट, पोस्टर भी बांटे जाएंगे। उनके इस प्रचार-प्रसार से पशुपालकों तक यह सूचना पहुंचे कि यह हमारी सुविधा के लिए जो केन्द्र बनाया गया है। इन समस्याओं का निराकरण कर सके। मान्यवर, इस प्रकार हमारा यह बजट पशुधन का बजट है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह कटौती का बजट नहीं है यह बजट ऐसे लोगों का बजट है जो बोल नहीं सकते और अपनी पीड़ा नहीं कह

सकते। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इसके विकास के लिए हम सब मिलजुल कर कार्य करें। आपके सहयोग से हम इस विभाग को बढ़ावा देना चाहते हैं।

मान्यवर कुक्कुट पालन की व्यवस्था है इस योजना के माध्यम से हम रोजगार का सृजन भी करना चाहते हैं। उ0प्र0 सरकार ने इसे रोजगार का दर्जा दिया है। लेकिन केवल रोजगार का दर्जा दे देने मात्र से काम नहीं चलेगा क्योंकि जो अन्य सुविधायें हैं उसकी तरक्की के लिए वह भी हमें उपलब्ध कराने का प्रयास करना होगा। इसमें जैसे बिजली की व्यवस्था है, सस्ती दर पर ऋण दिलाने की व्यवस्था है, कर में छूट दिलाने की व्यवस्था है, यह सब सुविधायें कुक्कुट पालकों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में इसकी भारी आवश्यकता है और जनता की मांग है कि कुक्कुट का विकास किया जाये और इस योजना के लिए सरकार प्रोत्साहन दें। हमारी सरकार का यह प्रस्ताव है कि एक बड़ी योजना के माध्यम से इसको प्रोत्साहन दिया जाये इसके लिए प्राइवेट सेक्टर से सहयोग मांग रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से योजना चलाकर उसमें इसके विकास को सम्मिलित करना चाहते हैं। हमारा यह भी प्रस्ताव है कि अच्छी नस्ल की गाय भैंसों की संख्या बढ़ें अगर इस मामले में हम लोगों को सहुलियतें नहीं देंगे तो निश्चित रूप से वह प्रोत्साहन उनको नहीं मिल पायेगा। यह सही है कि महंगाई बढ़ी है, चारे का रेट बढ़ा है और दूध देने में सहयोग करने वाली जो चीजें हैं चाहे वह चूनी हों या अनाज उसमें मंहगाई बढ़ी है। अगर हम उसमें प्रोत्साहन नहीं देंगे तो अच्छी नस्ल के जानवर हमारे यहां से फिर लुप्त होते जायेंगे। मान्यवर, जो हमारे बगल के प्रदेश है वह बेहतर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इसमें हरियाणा और मध्य प्रदेश भी शामिल हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश में चारे की समुचित व्यवस्था न होने के कारण, अच्छे रख रखाव की व्यवस्था न होने के कारण इतने बड़े प्रदेश में अगर इसे उद्योग का दर्जा देकर सुविधायें दे दें तो हमारे बेरोजगारों को भी रोजगार मिल जायेगा। मान्यवर, यह हमारा विभाग पशुपालन विभाग धन से जुड़ा हुआ है और इस पर ध्यान देने से और प्रोत्साहन देने से अच्छा बजट हासिल होगा। मान्यवर, कुक्कुट पालन की बड़ी योजना लाकर हम प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि प्रदेश में प्रतिदिन 1 करोड़ अण्डा बाहर से मगाना पड़ता है यदि हम कुक्कुट पालन को बढ़ावा दे देंगे और इसको उद्योगा का दर्जा दे देंगे तो निश्चित रूप से कुक्कुट पालन को बढ़ावा मिलेगा मैं इसीलिए आग्रह करूंगा विशेषकर जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं उनसे कि यह पशुधन का बजट है इसमें कटौती न करायें बल्कि इसको बढ़ाने की बात करें और इसको पारित कराने में सहयोग करें। धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

(इस समय 4 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी का कहना था कि कटौती का विषय नहीं है। आप पशुधन मंत्री हैं पशु विकास की आपने बात कही लेकिन कभी आपने सोचा कि आपके विभाग के सक्रिय योगदान से पशुओं का कटान कितना हो रहा है। मैंने सहयोग इसलिए कहा कि जब तक आपके स्थानीय डा0 की संलिप्तता नहीं होगी तब तक कटान सम्भव नहीं हो सकता। आप मंत्री हैं आप इसकी

समीक्षा कर लें, हम तो कटौती न रखें लेकिन आप कटान तो बन्द कर दें। जिस गति से यह कटान बढ़ी है आज उत्तर प्रदेश में, भयावह स्थिति हैं, भयावह स्थिति। अभी आपने जो साहित्य दिया है मैं जिक्र करना चाहूंगा इसका यह नागरिक अधिकार पत्र में मद संख्या 5 में गो नस्ल, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना। आपके पास कौन सी मशीनरी है, कौन सा स्टाफ है जो आप नियंत्रण कर लेंगे इस पर। उनकी अवैध तस्करी को आप किस आधार पर रोक पायेंगे, तो फिर जब पुलिस का इतना सक्रिय सहयोग है इस काम में तस्करी कराने में तो आपका विभाग कैसे रोक लेगा, आपके विभाग का एक सूत्री कार्यक्रम यह है कि जितनी आमदनी, उसमें मान्यवर, कोई जाति भेद भी नहीं है, जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठकर विभाग काम करता है, कोई भी डाक्टर हो अपवाद को छोड़ करके सबकी संलिप्तता इसी में है कि संख्या के हिसाब से उनके पैसे तय हैं जो पशु बध केन्द्र या स्लाटर हाउस बने हुए हैं अगर उसमें कटने की संख्या निर्धारित 25 है तो 250 कटेंगे उसमें। और 250 कटने में वहां के स्थानीय डाक्टर का कितना हिस्सा होगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। अगर यह विभाग सचेत होता तो वास्तव में मंत्री जी ने जिस मजबूती के साथ में उन्होंने अपनी बात रखी अगर उसका पालन किया होता उस दर्शन को माना होता तो आज गोवंश का जिस गति से ह्रास हो रहा है सम्भवतः वह न होता, काटे जा रहे हैं काटे जा रहे हैं। आपने इसमें संशोधन करने की बात कहीं इसमें है उल्लेख गोवंश पर पूर्ण प्रतिबन्ध का कानून इस उत्तर प्रदेश में है। पूर्ण प्रतिबंध है गो वंश को काटने का और उम्र की बात भी नहीं है। उसमें भी आप संशोधन करके कोई कार्यक्रम ला रहे हैं। जब है ही पूर्ण प्रतिबन्ध तो संशोधन क्या करेंगे यहीं करेंगे जो पहले था इसको और ढीला करेंगे तो और वारे के न्यारे हो जायेंगे। आपका तो काम यह था।

(सत्ता पक्ष के मंत्रियों द्वारा आपस में बात करने पर)

कई कैबिनेट चल रही हैं यहां मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

खुद मंत्रियों को ध्यान रखना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय मंत्री जी, आप तो सुन ही रहे हैं आपके कालीम भी सुने।

2200 आपके पशु चिकित्सालय हैं जो सेवा कर रहे हैं पशुपालकों की, किसानों की, मंत्री जी यह बता दें कि उन 2200 में कितने अस्पतालों में डाक्टर हैं और कितने आपके पास में हैं और जो हैं भी वह कहां कहां नियुक्त होते हैं। मान्यवर, मैं अपनी जानकारी के आधार पर और माननीय सदस्य जो बैठे हैं उनकी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि इनके आधे अस्पतालों में भी डाक्टर नहीं है। भवन बन गये और मैं जगह बता दूं आपको, 5 साल से चिकित्सालय बना हुआ है प्रबुद्ध नगर जिला है, पुराना गांव है, 5 साल से जो पशुधन मंत्री रहे होंगे उनके नाम का पत्थर भी लगा हुआ है, गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया था खूब माला वाला पहनाई थी, लाखों रुपया उसमें लगा हुआ है, आज तक वहां डाक्टर तो दूर रहा एक कम्पाउण्डर तक नहीं है, ताला लगा हुआ है मेरे ख्याल से गाय, बैल, भैंस, भैंसे जो गुजरते होंगे आसपास से कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनका हो जाता होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम समीक्षा इस बात की करें। हमने अस्पताल दे दिये, हमने करोड़ों करोड़ों रुपये का प्राविधान कर दिया खर्च कर दिया जा करके लेकिन उनकी उपयोगिता हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, जब तक डाक्टर नहीं होगा उसकी उपयोगिता होगी कहां से। स्लाटर

हाउस के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि आप पूरे प्रदेश को छोड़ दें 5 जनपद कोई भी ले लें और उसमें यह पता कर लें, अपने अनुमान से कर लें, अपने आपके सूत्र लगे होंगे वह जानते होंगे कि वहां पर किस तरीके से पशु बध हो रहा है इल्लीगल तरीके से।

वहां पर किस गति से पशुवध हो रहा है इल्लीगल तरीके से, अवैध तरीके से, इसे कैसे रोका जाये। आज स्थिति यह है कि जितने आपके दूसरे प्रदेशों से जुड़े हुये मार्ग हैं। जैसे हरियाणा उत्तर प्रदेश है सहारनपुर से जुड़ता है, फिर करनाल मेरठ मार्ग से जुड़ता है, फिर पानीपत खटीमा मार्ग से जुड़ता है, फिर बागपत से जुड़ता है। हर मार्ग पर मा0 मंत्री जी मैं आपका आभारी होऊंगा अगर आप समय देकर के चलें, हम और आप बिना सरकारी गाड़ी के और शाम को आप वहां देखें की क्या नजारा होता है। इतने बैल, इतनी गायें, इतने पशु वहां पर आते हैं, राजस्थान तक से लोग आते हैं मान्यवर वहां पर चार सिपाही होंगे यूनीफार्म में पुलिस वाले बैठे होंगे, वे पब्लिक के आदमी का हायर करते हैं, किराये पर लेते हैं, उनसे डण्डे बजवाते हैं, मोटे-मोटे पैसे वसूल करते हैं और एक दो केस पकड़ करके लायेंगे जिसमें बैल होंगे, गायें होंगी और वे सुपुर्दगी में रहेंगे किसकी जो उनके एजेण्ट हैं, दलाल हैं पुलिस के और सुपुर्दगी में देने के बाद कोई हिसाब तो है नहीं उसका। फिर उन्हीं दलालों के हिसाब से वे बूचड़खाने में जायेंगे, वहां पर ले जा करके उनको काट दिया जायेगा। इतनी भयावह स्थिति है मान्यवर कि डर लगता है कहते हुये। मन में लगता है कि हम किस देश में रह रहे हैं। जिस देश में जिस प्रदेश में ये कानून बना हो कि आप गोवध नहीं करेंगे, वर्जित हो वहां पर। और वहां पर खुलेआम इस तरीके से वध हो रहा हो मान्यवर। हम कैसे मान लें कि पशुधन यहां पर विकसित हो रहा है। आपने एक बात कही और बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि यहां पर दूध का उत्पादन समस्त भारत के अन्य राज्यों से ज्यादा है। आप बतायें कि अपनी आबादी किस राज्य से कम है और कितनी गुनी ज्यादा है। अगर हम हरियाणा से मुकाबला करें कि यहां ज्यादा हो रहा है तो हम 16 गुना ज्यादा हैं हरियाणा से। परन्तु हम खुश हो रहे हैं इसमें कि हरियाणा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो रहा है यहां पर हम यह देखें कि हरियाणा का प्रति व्यक्ति दूध कितना है और हमारे यहां सरप्लस दूध कितना है।

श्री पारसनाथ यादव–

मैं यह तसलीम करता हूं कि हमारी संख्या अधिक इसलिये दूध अधिक है।

श्री हुकुम सिंह–

आपने मान्यवर, यह कहा था कि हरियाणा की बात तो नहीं की थी लेकिन आपने कहा था, जब आपका उद्‌बोधन हो रहा था तो मैं भी बहुत प्रभावित हुआ था। आपने कहा था कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा है। लेकिन ज्यादा किस अनुपात में ज्यादा है। आपने उपलब्धता भी बतायी कि प्रति व्यक्ति इतनी उपलब्धता बढ़ी है। इसमें यह बताओ कि मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं कि उस उपलब्धता के बढ़ने में यूरिया का कितना हाँथ हैं उस उपलब्धता के बढ़ने में मान्यवर, रसायनों से दूध बन रहा है, जो जहरीला दूध बन रहा है उसका कितना हाथ हैं हम उसको जोड़ करके कह रहे हैं कि हम बहुत आगे पहुँच गये हैं। मेरा जनपद पुराना मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर की मावा मण्डी पूरे हिन्दुस्तान में मशहूर है मान्यवर। वहां से रोजना हजारों हजारों मन मावा लद करके जालंधर, अमृतसर, दिल्ली जाता था। जहर बना दिया है लोगों ने

उसको टोटल, प्वाइजन बना दिया है। खाने लायक नहीं रहा, सारी मीडिया ने दिखाया, टीवी पर दिखाया गया, सब जगह पहुंचाया गया और आज हम सरकार में बैठ करके इस बात पर गौरान्वित हो रहे हैं। हमारे मन में चोट नहीं लग रही कि आखिर हो क्या रहा है। हम इसलिये चुनकर के आते हैं, जनता ने हमको निर्वाचित करके भेजा था। मान्यवर, हम जनता को क्या दे पा रहे हैं। हम उनको जहर दे पा रहे हैं, उनको जहरीला दूध पिला रहे हैं, जहरीला मांस खिला रहे हैं हम उनको और उसके बाद भी खाली बजट की औपचारिकता पूरी होने से काम नहीं चलने वाला। मान्यवर, मैं जानता हूं कि आप कर सकते हैं, आपमें इच्छा शक्ति है करने की, सामर्थ्य भी है करने का बस खड़े हो जायें एक बार अपने पुराने डण्डे को लेकर के जिसको कि आप एक बार मजबूत इंसान के रूप में दिखा चुके हैं। खड़े हो जाओ किसी तरह से कर लोगे ये मेरी जानकारी है क्योंकि मजबूत तो पहले वाले भी इतने ही थे लेकिन फिसल गये थे। अगर वो ईमानदारी का इस्तेमाल करते तो कर सकते थे। आपकी छवि ऐसी लगती है कि आप करेंगे और करेंगे तो प्रदेश की जनता के लिये यह बहुत बड़ा काम हो जायेगा। जहरीले दूध से बचाना और पशुवध को जिस तरह से निर्मम हत्या उनकी हो रही है उसको रोकना और क्या व्यवस्था आपके पास में है। आपके अपने पशुधन के फार्म हैं। एक समय था 1986 में, मेरे पास भी यह विभाग रहा है मैंने कोशिश यह की थी मान्यवर कि जिस क्षेत्र में जो नस्ल अच्छी हो उस क्षेत्र का फार्म उसी नस्ल के लिये आरक्षित कर दिया जाये ताकि वहां उसका विकास हो सके। जैसे मुर्रा भैंस है मैंने मेरठ का फार्म उसके लिये कर दिया था। इटावा का फार्म है वहां की बहुत अच्छी भैंस है उसके दूध में बहुत चिकनायी होती है। वो नस्ल वहां पर भी मैंने उसके लिये आरक्षित कर दी थी। मैंने बुन्देलखण्ड में फार्म हैं जो राजस्थानी नस्ल है गाय की उसके लिये आरक्षित कर दिया था। तो वहां विश्वास होने लगा था कि नहीं हम गंभीर हैं इस बात के लिये पर अब एकाउंटिबिलिटी रही नहीं उसकी, करिये कोशिश उसकी। एक दूसरी बात और बता दीजिये कि अगर यह कटान भी चलता रहेगा और इसमें कोई कार्यवाही नहीं होगी। स्वरोजगार योजना में आपने कहा कि हम बहुत बड़ा योगदान करने जा रहे हैं, सही है। लेकिन क्या यह आर्थिक रूप से फिजिबल है किसी आदमी द्वारा अपनी भैंस पालकर, दूध बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना। इस स्थिति में यह जब तक नहीं हो पायेगा, जब तक आप उसको सहायता नहीं देंगे और बाजार से फीड लेकर, चना खरीदकर और चीजें खरीदकर के वह आर्थिक रूप से वायबिल नहीं हो पायेगा। सहायता के रूप में आने का एक ही रास्ता है आप युद्धस्तर पर लगिये और युद्धस्तर पर लगकर आप पशु आहार पैदा कराइये।

अपने बड़े-बड़े प्लान्ट लगवाइये, सरकार से कहिये। सरकार का अनुदान तो और बहुत सी चीजों में जा रहा है, अरे इसमें लगा देगी सरकार, तो कितना बड़ा भला होगा इस प्रदेश का और यहां की जनता का भी। उस आहार को आप अनुदानित दरों पर पशु पालकों को उपलब्ध कराइये, उनको रजिस्टर कराइये। उनको सस्ता आहार उपलब्ध हो जाये तो इससे अच्छी किस्म का दूध मिलेगा, अच्छे प्रकार का घी व मक्खन मिलेगा। लेकिन आज इस स्थिति में किसी भी कीमत पर ये नहीं मिलने वाला। मान्यवर, चूंकि आपने कहा था कि ज्यादा इसमें कटौती की बात न कही जाये। लेकिन दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि जो आपके आवारा पशु बच गये मैं उन कट्टर हिन्दुओं की बात करता हूं जो गौ की पूजा करते हैं उनकी दुधारू गाय के नीचे बछड़ा पैदा हो जाये दूध पिलाते उन पर जोर पड़ता है और जब बछड़ा दो ढाई साल का हो जायेगा तो उसे निकाल देते हैं। घर से निकलने के बाद में वह धक्के खाता है, कभी लखनऊ में खाता है, कभी कहीं खाता है। क्या करें उसका, कानून तो बना दिया हमने और काटेंगे आप है नहीं, काटेंगे तो कानून का उल्लंघन होगा। उसका कोई सहारा नहीं।

चारागाह रहे नहीं। लोगों ने सब कब्जे कर लिये। तो पशुधन विकास आप कहां से कर लेंगे? आप तो गये हैं मान्यवर, आपने देखा होगा छोट-छोटे देश आस्ट्रिया, स्विटरजरलैंण्ड जैसा छोटा देश, लेकिन जब आप सड़क पर चलेंगे तो दोनों तरफ बड़े-बड़े चारागाह दिखेंगे, गाय चर रही है, घोड़े चर रहे हैं। उन छोटे देशों ने अपने आपको इतना सुंदर बना लिया, इतना वायविल बना लिया और इस भारत जैसे महान देश ने, जो भगवान श्रीकृष्ण का देश हो, भगवान श्रीराम का देश हो, विवेकानंद का देश हो, उन्होंने अपने को कैसा बना लिया, देखिये आज गौ की हालत क्या हो गयी यह क्यों हो गयी। कौन सुधारेगा इसको। इसको केवल सुधार सकती है सरकार और जनता। अगर सरकार और जनता का सामंजस्य ठीक से हो तो यह काम हो सकता हैं आज यह सामंजस्य पैदा करने की जरूरत है वह भाव पैदा करने की जरूरत है कि हम इसके देखने वाले हैं। आप दो-चार फार्म डेवलप करा दीजिये। आज विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे जो यह बेकार पशु घूम रहे हैं, इनका अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाये तो यह भी आर्थिक रूप से ठीक रहेंगे, वह गाय जो दूध देना बंद कर दें, उसको तब तक जिंदा रखें, जब तक उसका जीवन है तो उसका भी जितना उत्पाद है वह भी आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हो सकते हैं। लेकिन उसकी देखभाल तो कहीं हो। यह खाली सरकार के और कोई कर नहीं पायेगा। आप अपने फार्म का नया स्वरूप तैयार करें, एक नई संस्कृति उनको दें और कोशिश करें कि लखनऊ जैसे नगर में बड़ी-बड़ी गौशाला आप बना दीजिये, ऐसा दिल्ली वालों ने किया है। आप उसमें काम करिये आपका और कृषि विभाग का समन्वय हो जाये। बहुत कुछ हो सकता है बस करने वाला चाहिये। मैं चाहता हूं कि आप और कृषि मंत्री मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का आर्शीवाद लेकर के सब काम करिये। माननीय अध्यक्ष जी का चूंकि आग्रह और आदेश है कि मैं इस पर ज्यादा बात न कहूं तो मैं उनकी बात का सम्मान करते हुये, उनके निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुये और यह सोचते हुये, कि दूध को बढ़ाने में आपका सहयोग रहेगा, पशुधन की सेवा करने में आपका सहयोग रहेगा, अवैध कटान को रोकने में सहयोग रहेगा, तस्करी को रोकने में सहयोग रहेगा। आज मान्यवर, 10 लीटर की भैंस के जितने बाजार में पैसे मिलेंगे, अगर उसको पकड़ करके, चोरी करके अवैध कटान कर दो, तो उससे ज्यादा पैसे मिल जायेंगे। अभी हम लोग स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे। यह दर्द की बात नहीं है। मैं मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की बात कह रहा हूं, जो गन्ना के खेत में गन्ना काटने जाते हैं, अगर उन्होंने अपने भैंसे को बोगी में बांध दिया और वह गन्ना काटने चला गया तो एक घन्टे के बाद में भैंसा वहां नहीं मिलेगा और इतने आधुनिक संयंत्र लगाये हुए हैं पशुवधशालाओं में कि उसका निशान भी नहीं मिलेगा। जहां हालात ऐसे हों, हम कोई सामान्य स्थिति में आज नहीं खड़े हैं, हम बहुत भयावह स्थिति में खड़े हुए हैं, 50-50, 60-60 हजार की भैंस पांच मिनट में गायब करके काट कर रख दी जाती है, किसान कहां जाएगा, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने हैं आप उसे स्वीकार करें और उसका समाधान करें।

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास मंत्री (श्री ओम प्रकाश)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,98,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग वर्तमान में इसलिए महत्वपूर्ण है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रहे और ऐसे समय में जब जोत की जमीन कम होती जा रही है और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो हम किस तरह से जो ऊसर, बंजर जमीनों का उपयोग कर सकते हैं। इस विभाग के पास समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कार्यक्रम, सूखा बहुल्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0) समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0डी0पी0) और चौथी योजना समेकित जल संग्रहण प्रबन्धन कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0एम0पी0) वर्ष 2009 से शुरू हुई है। सूखा बहुल्य क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0), समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्ल्यू0डी0पी0) यह बन्द होने के कगार पर है बन्द हो चुकी है। इन दोनों के बन्द होने के बाद मूल रूप से जो सांकेतिक वाटर शेड प्रबन्धन कार्यक्रम शुरू हुआ है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समादेश क्षेत्र विकास के बारे में मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं हम चाहते हैं कि सिंचाई का प्रबन्धन वैज्ञानिक तरीके से हो और कम संसाधन से अधिक से अधिक सिंचाई करने की हमारी व्यवस्था है। मान्यवर, हमारा किसान अनपढ़ भी है और अभाव में है। 2013 में 44,086.83 किलोमीटर कच्ची गूल और 1049.16 किलोमीटर पक्की गूल इससे जल निकासी नाली एवं 5313 संरचनाएं लगाकर हम इस क्षेत्र को सिंचित करने की व्यवस्था करने का काम कर रहे हैं, इसमें शारदा कमाण्ड और रामगंगा कमाण्ड, इस कार्यक्रम के तहत इसे हम दो भागों में बांटकर इस प्रणाली का उपयोग करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है वह कहीं-कहीं उष्णीय है पूरब जहां हम करीब-करीब 80 प्रतिशत सिंचाई नहरों से करने का काम करते हैं लेकिन उसमें 108 ब्लाकों में जहां पानी का जलस्तर बहुत नीचे जा चुका है और पूरब का जो एरिया है वह कहीं न कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को हम कैसे कारगर तरीके से चला सकें और आने वाले दिनों में जहां जोत की जमीन कम हो रही है, हम पैदावार को कहीं न कहीं बढ़ा भी सकें हम उसके लिए समुचित व्यवस्था कर सकें, इसलिए हमारा जो क्षेत्र विकास प्रबन्धन कार्यक्रम है, यह अपने आप में बड़ा उपयोगी है।

इसलिए इस विभाग में हम इस व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने का काम कर रहे हैं जिससे यह कार्यक्रम उन लोगों के बीच एक आन्दोलन का रूप ले सके जिनके बारे में मैंने आपसे कहा है कि हमारा किसान अभाव में भी हैं और अनपढ़ भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं न कहीं खेती घाटे के स्वरूप में खड़ी है इसलिए इस विभाग का बड़ा महत्व है और इसके लिए हम कारगर तरीके से करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, जो मैंने आपसे कहा कि डी0पी0ए0पी0 और आई0डब्ल्यू0डी0पी0 जो हमारी समाप्ति पर है और दिसम्बर तक बजट का प्राविधान भी नहीं है, हमारे जो थोड़े-बहुत अधूरे काम है हम उसको खत्म करने की स्थिति में हैं। दोनों को मिलाकर एक योजना आई0डब्ल्यू0एम0पी0 शुरू कर रहे हैं। इस योजना में हम 68 जिलों को ले रहे हैं। शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना में 39 और राम गंगा परियोजना में 22, और राम गंगा परियोजना का बुन्देलखण्ड के 7 जनपदों को हम लेने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे यह है कि समेकित वाटरशेड प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, उस प्रोग्राम के तहत हम प्रकृति के इस पानी को, हम लागू तो ऐसी जगह करते हैं जहां सिंचाई की व्यवस्था न हो। हम जहां प्रकृति पर ही भरोसा करते हैं और उन्हीं की पानी से हम कैसे उस व्यवस्था को सूचारु रूप से चलाने का काम करें इसके तहत इस योजना को लागू करने का काम कर रहे हैं। इसमें जो रिमोट सेंसिंग के तहत उत्तर प्रदेश से 25 हजार वाटरशेड प्रकाश में आया है, जिसमें पांच हजार के बारे में यह धारण है कि नगरों के बीच में कहीं न कहीं इनका उद्भव है

इसलिए हम पांच हमार का स्वरूप नहीं खड़ा कर पाते हैं लेकिन जो 20 हजार हैं, 20 हजार में 12 हजार अन्य विभागों से कहीं न कहीं हम पूर्ण करने का काम किये हैं। रहा 8000, आठ हजार में हम इसे क्रमबद्ध 2009-10, 2010-11, 2009-10 में जो हमने शुरू किया था 66, 2010-11 में 183 और 2011-12 में 159 और 2012-13 में हमने 62 परियोजनाओं का प्रस्ताव भेजा है सम्मिलित करने का, लेकिन अभी तक 2012-13 में 47 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। जो हम 8000 चिन्हित किये हैं उसमें 2012-13 के अन्तर्गत 3 लाख 13 हजार हेक्टेयर भूमि को हम कहीं न कहीं इस परियोजना के तहत सम्मिलित करने का काम किये हैं। इसलिए जो हमारा वाटरशेड प्रबन्धन योजना है हम इसको एक आन्दोलन के रूप में सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं कि हमारा समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम जब हमारी जोत की जमीन कम हो रही है, पानी का भी लेविल नीचे जा रहा है ऐसे में इस प्रबन्धन ने हमें कहीं न कहीं उन किसानों को लाभ मिलने का काम करेगा और उससे हमारा जो किसान हताश, निराश और उदास है उसको कहीं न कहीं ताकत और रोशनी मिलने का काम करेगा। दूसरा श्रीमन्, हमारे यहां जो माननीय मंत्री जी ने कृषि में बजट पेश किया है उसमें एक विभाग मेरे पास है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम यह भी मेरे पास है। इसके बारे में जरूर आपसे बताना चाहता हूं कि वर्तमान में 29 ऊसर बाहुल्य जनपदों को चिन्हित किया है और इसमें बीहड़ का भी प्रविधान है। बीहड़ इलाके को भी कहीं न कहीं सैचुरेट करने का हम इसमें प्राविधान कर रहे हैं। बीहड़ में दो रामाबाई और फतेहपुर जनपदों को लेने का काम किया है हम चाहते है कि यमुना और जो किनारे के जो हमारे भाग हैं कहीं न कहीं खार और ऊबड़-खाबड़ हैं उन जमीनों को भी समतल करने के साथ-साथ 29 ऊसर बाहुल्य जनपदों में संत कबीरनगर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, फतेहपुर, इलाहाबाद, रमाबाई, कानपुर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रूखाबाद, एटा इस तरह जो माननीय अध्यक्ष जी, आपसे बताना चाहते हैं विश्व बैंक मानक के अनुसार यह मानक तय हुआ है इस परियोजना के अन्तर्गत 1 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि को सुधारने का 15 दिसम्बर, 2015 तक जो वर्ल्ड बैंक की स्कीम के तहत हमने लक्ष्य निर्धारित करने का काम किया हैं इसमें इस परियोजना के साथ साथ दो जनपदों रमाबाई और फतेहपुर बीहड़ सुधार विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत की गई है जिसमें 5 हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि को सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है।

अध्यक्ष जी, एक क्रान्तिकारी जो रिपोर्ट आई है और अभी आई है कि जो ऊसर सुधार में फतेहपुर में श्री नन्द किशोर राणा परशुरामपुर इस सुधार के तहत एक किसान ने 76 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा करने का काम किया हैं यह कहीं न कहीं मैं कह सकता हूं कि जहां जोत की जमीन आप देख रहे हैं एन0सी0आर0 के अगल-बगल लखनऊ को और आप कहीं भी देखें बढ़ती हुई आबादी की दृष्टिकोण से, जहां हमारी जोत की जमीन कम हो रही है, जो हमको महसूस हो रहा है यह कार्यक्रम कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश को भारत वर्ष के नक्शे पर एक मजबूत धरातल देने का काम करेगा। क्योंकि वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये जून 2012 में प्रस्तावित लगभग 26 हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि के उपचार व 22 सौ हेक्टेयर बीहड़ सुधार तृतीय सुधार वर्ष के लिये निर्धारित लक्ष्य 25 हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि के उपचार एवं 1600 हेक्टेयर बीहड़ सुधार की तैयारी के लिये 150.86 करोड़ का बजट अनुमानित किया गया है तो मैं कह सकता हूं कि इस विभाग के तहत तो कहीं न कहीं जुड़ा है आत्मनिर्भरता, हम सभी लोगों के संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान के मानचित्र में एक बड़ा प्रदेश है। आबादी की दृष्टिकोण से भी इसकी जनसंख्या देश के पैमाने में एक बहुत बड़ा। ऐसे समय

में ऊसर सुधार निगम कहीं न कहीं मील का पत्थर साबित होगा और इस बात को भी बताने का काम करेगा कि हम अभाव में भी रहकर कम जमीन में भी कैसे उपजा सकते हैं। हम कैसे धारदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा हां एक और माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हमारी बात हुई है भारत सरकार के मंत्री से और मेरा जो प्रस्ताव है इसमें हम करा भी रहे हैं कि 1,09,767 हेक्टेयर एरिया जो कहीं न कहीं से जलमग्न है एक गम्भीर समस्या हैं। यदि कहीं सूखा का और कहीं हम प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं तो जो हमारी नदियां हैं, नहरे हैं कहीं न कहीं वरदान साबित करती हैं और कहीं न कहीं अभिशाप के रूप में भी खड़ी हैं तो यह भी विभाग के लिये एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती के रूप में भी कहीं न कहीं हम इसको कबूल करने का काम कर रहे हैं और इसके लिये अलग से प्रस्ताव करने का काम कर रहे हैं जो भारत सरकर में नेशनल रिमोट सेंसस के द्वारा, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह आंकड़ा भारत सरकार का जो नेशनल रिमोट सेंसस विभाग है उसने बताने का काम किया है कि 1,09,767 हेक्टेयर एरिया विभिन्न कारणों से जल प्लावन की समस्या से ग्रसित है। इस विभाग के द्वारा मैं यह भी चाहता हूं कि जहां हमारे किसान अभाव में हैं उसको हम कैसे खूबसूरत और शानदार जमीन को उपजाऊ बना सकें और इस बढ़ती आबादी में वह वरदान साबित हो इस विभाग से। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बजट के बारे में इस विभाग के द्वारा उन योजनाओं के आपके सामने रखने का काम किया और सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह विभाग अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है और उन तमाम लोगों के लिये जिनका न कोई सपना है न कोई अपना है उन किसानों के लिये मैं चाहूंगा कि इस अनुदान को पास करने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, बहुत संक्षेप में, एक दो बिन्दु हैं जो सुझाव के रूप में कहना चाहूंगा कि जो भूमि सुधार का प्रश्न है मान्यवर, भूमि सुधार होना चाहिए और भूमि सुधार के माध्यम से ही हम अपना अन्न उत्पादन बढ़ा सकते हैं। भूमि सुधार निगम का कार्यालय यहां गोमतीनगर में है अभी भूमि मित्र हो गया शायद उसका नाम ? कुछ बोर्ड लगा देखा हमने। एक बार वहां मैंने समीक्षा करी थी जाकर वहां कार्यालय में बैठकर वहां से फिर निकलने का फिर मन नहीं करता। उसमें मैं गया था ऊसर जमीन का जो सुधार करने की योजना थी उसकी समीक्षा करने। मैंने देखा कहां यह ऊसर भूमि और कहां यह भवन। क्या वहां की साज सज्जा, क्या वहां का फर्नीचर, मेरे ख्याल में तो कहीं ऐसा है भी नहीं। मन्यवर, उस वक्त अब तो पता नहीं क्या स्थिति है लेकिन उस वक्त आई0ए0एस0 अधिकारियों में होड़ लगती थी भूमि सुधार निगम का एम0डी0 बनने की। वह भी प्रश्न एक मेरे मन में आया कि आखिर क्या है इतनी गलत जगह क्यों जा रहे हैं जहां ऊसर वाला मामला हो वहां क्यों जाना चाह रहे हैं यह। मान्यवर, जमीन तो ऊसर थी लेकिन उसमें उत्पादक क्षमता बहुत ज्यादा थी और अभी तक वह जमीन ज्यादातर ऊसर ही है और विश्व बैंक भी उसमें कर्जा देते देते थक गया। बहुत विश्व बैंक की टीम आकर के हर वर्ष उसमें समीक्षा करती थी और समीक्षा करने से पहले जितने अधिकारी थे सेवा करने के लिये क्योंकि उस समय होटल एक ही था क्लार्क अवध। ताज नहीं बना था तब तक।

क्लार्क अवध के टाप के सूट जो थे वो उनके लिये बुक किये जाते थे। मेरे मन में एक जिज्ञासा है आज तक कि विश्व बैंक भी थका, हम भी थके और सब थक गये और अब वो भूमि मित्र हो गया फिर मैंने तुलना की मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत जमीन थी सैकड़ों हजारों एकड़ जमीन होगी जो ऊसर पड़ी हुई थी। उसका इनसे कोई सम्बन्ध नहीं था। पंजाब के सरदार लोग आये, उन्होंने खरीदी और खेती करनी शुरू कर दी। मान्यवर, आज चलकर देखें लहलहाती खेती। गन्ना, धान। उसमें कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कभी यह ऊसर जमीन रही होगी। आपके क्षेत्र में भी है काफी सारी और वो लोग आये। मैंने कहा कि यहां न विश्व बैंक आया न इतने अच्छे भवन में बैठने का अवसर मिला। वह लोग पंजाब से उखड़कर के आये और उस जमीन को कहां से कहां ले गये आ करके। हम उस भवन में बैठे समीक्षा करते रहे। अभी रामगंगा कमांड योजना, उसमें कितने अच्छे अधिकारी जाते थे।

मैं सुझाव के रूप में एक आग्रह आपसे कर रहा हूं जब से यह योजना बनी अब उसमें क्या वित्तीय भार रहा, कितना पैसा हमने उसमें लगाया और कितना उत्पादन हमने उससे लिया जिस जमीन पर हमने पैसा लगाया। हमने इस गरीब प्रदेश का कितना पैसा खजाने से लगाया और उसके माध्यम से कितने गरीब लोगों का पेट भर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं आधार होना चाहिए, और माननीय मंत्रियों का यह लक्ष्य भी है और उद्देश्य भी है कि जिस योजना को लेकर चल रहे हैं जिसमें इतना मैन पावर का स्ट्रैक्चर खड़ा कर दिया उससे लाभ भी ले पा रहे हैं या नहीं। जिस रोज हम इस नीति पर पहुँच जाएंगे तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा भला कर पाएंगे। मान्यवर, कार्यक्रम तो यह होना भी चाहिए। क्योंकि आपको संसाधन भी करना है सीमित संसाधन आपके पास पानी के हैं, सीमित साधनों से कैसे ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएं, यह आपका लक्ष्य है। राम गंगा परियोजना में अच्छी-अच्छी नाली बनती हैं, अब नाली बनाने वाली एजेंसी कहां नाली बनाते हैं, कहां कुलाबा खड़ा कर दें। कुलाबा कहीं हो और नाली कहीं और पहुंच जाए। एक आध जगह जाकर देख लीजिए। कुलाबा कहीं है, नाली कहीं है, दोनों का कहीं कोई जोड़ नहीं है लेकिन नाली बन गई पैसा था पैसे की कोई कमी नहीं है। अरबों रुपयों में है, लेकिन मान्यवर इसकी उपयोगिता भी तो होनी चाहिए। जनता द्वारा निर्वाचित माननीय मंत्री जी समीक्षा करने वाले हैं उनके मन में तो निश्चित रूप से यह होगा ही, यह जनहित कार्यक्रम चल रहा है या नहीं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं जिन्होंने योजना बनाई थी बहुत सोच समझकर बनाई थी और उस समय देश का बहुत बड़ा भू-भाग खराब पड़ा था ऊसर पड़ा था। पानी का उपयोग करने के लिए यह योजना बनाई गई थी इसका नाम भी राम गंगा कमाण्ड योजना रखा गया। शनैः शनैः हम रास्ते से भटकते गए ब्यूरोक्रेसी ने हमको भटकाया और यह दुर्भाग्य रहा इस व्यवस्था का, जिस ब्यूरोक्रेसी की कल्पना की थी ब्रिटिश पैटर्न पर हम खड़े थे कि सरकार बदलती रहेगी लेकिन ब्यूरोक्रेसी निरंतरता बनी रहेगी वही रास्ता भटकी और हमको भी रास्ता भटका दिया और हम उसकी चकाचौंध में लगे रहे। हमें लगा यह बहुत पढ़े-लिखे और विद्वान हैं इनकी राय हमें माननी चाहिए और राय मान मानकर अगर उनकी राय रचनात्मक रही होती तो प्रदेश कहां का कहां पहुंच जाता। उन्होंने हमें अपने रास्ते से भटका दिया हम जनता के प्रतिनिधि हैं जनता के विश्वास से चुनकर आए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं आप उसी मिशन को लेकर आगे बढ़े और सोचें जो धन हमने लगाया उसके अनुपात में हमें कुछ मिला या नहीं मिला फिर आप अगले वर्ष आएंगे योजना को लेकर आएंगे और सार्थक सुझाव के साथ लेकर आएंगे। हमें कहने का अवसर मिला इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,91,87,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी सहकारिता विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। मान्यवर, हमारा देश और प्रदेश कृषि प्रधान है। अधिकांश किसान, छोटे-छोटे किसान, गरीब और बेसहारा लोग, इनको साहूकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सहकारिता आन्दोलन चलाया है और यह सहकारिता आन्दोलन दलगत से उठकर सभी लोग मिल जुलकर एक हो करके जो इस प्रदेश के किसान है, गरीब है बेसहारा लोग हैं, सहायता हो, मदद हो, इसके लिए यह सहकारिता आन्दोलन चलाया गया और बीच-बीच में सहकारिता आन्दोलन को बहुत झटके भी लगे और जब-जब समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में आए, इस सहाकारिता आन्दोलन को बहुत बल मिला, फूला-फला लेकिन आज फिर से चुनौती है, इस सहकारिता आन्दोलन को। मान्यवर, आपका जिला भी चपेट में आ गया। बहराइच, जौनपुर, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोण्डा और इस तरीके से 25 बैंकें बन्द हो गयी, इनको लाइसेंस भी नहीं मिल पा रहा है। तो यह चुनौती है क्योंकि जब 25 बैंकें अगर बन्द हो गयी तो कितने किसान भटक जायेंगे। वैसे तो प्रदेश में सहकारी ढांचे के लिए जिलास्तर पर 50 बैंकें हैं और इन 50 बैंकों में 25 बैंकों को रिजर्व बैंक लाइसेंस नहीं दे रहा है तो यह चुनौती है। न्याय पंचायत स्तर पर 7479 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां हैं, यदि 25 बैंकें बन्द हो जायेंगी, उनका लेनदेन बन्द हो जायेगा, खाद, बीज सब बन्द हो जायेगा तो किसानों के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जायेगी, पैदावार पर भी झटका लगेगा और जो गरीब किसान हैं, बेसहारे लोग हैं, उनके सामने भी बड़ी दिक्कत आ जायेगी। वैसी तो इस बजट में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने प्रयास किया है, रिजर्व बैंक से प्रयास किया है कि इन 25 बैंकों को लाइसेंस दिए जायें और फिर से ये 25 बैंकें चलायी जायें, यह हमारा पूरा प्रयास है।

श्री हुकुम सिंह–

इन बैंकों को लाइसेंस न मिलने के कारण क्या हैं, वह भी बता दें।

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वह भी बता देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं, प्रजातांत्रिक रूप से इसके चुनाव होते हैं लेकिन जब-जब चुनाव नहीं हुए, प्रशासनिक व्यवस्था जब-जब हुई, इस सहकारी आन्दोलन को धक्का लगा और जहां-जहां जनता के चुने हुए लोग, जब-जब इस संस्थाओं पर बैठे तब इस आन्दोलन में बेइमानी, भ्रष्टाचार कम हुआ और जब-जब प्रशासनिक लोग बैठे, मैं तो बहुत दिनों से सहकारी आन्दोलन से जुड़ा हूं। हमारी राजनीति भी इसी आन्दोलन के द्वारा है। हम लगातार 26 साल से जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। आज भी अध्यक्ष हैं। पुरानी सरकार में जब चुनाव की घोषणा होती है तो जिन्हें सहकारिता आन्दोलन से कोई मतलब नहीं है। कोई सदस्य नहीं है। चुनाव डिक्लेयर होते हैं। मान्यवर, मैं जानता हूं कि सहकारिता आन्दोलन पर जब कभी झटका लगता है तो दर्द होता है और जो बाहरी लोग जो सदस्य भी नहीं हैं और हुआ पिछले वर्ष, यहां बैठी हुयी हैं श्रीमती शादाब फातिमा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी, चेयरमैन थी, अपने आफिस में बैठी हुई थीं और नामांकन करने यह नहीं पहुंच पायी थी। सीधी सूची चली आयी थी। किनको चुनना है, किनका नामांकन होना है और जिन लोगों ने नामांकन कर भी दिया है उनका निरस्त कर दो और जो सदस्य भी नहीं थे, जिनका लेनदेन से कोई मतलब नहीं था वह निदेशक हो गये अध्यक्ष हो गये, चेयरमैन हो गये और सहकारिता के बारे में उनको कुछ पता भी नहीं था। आपको पता भी है कि पिछले वर्ष किसानों को एक दो बोरी यूरिया के लिए सुबह से शाम तक लाइन लगानी पड़ी और खाद की बोरी तो नहीं मिली लाठी जरूर मिली। आपको याद होगा मैंने कहा था बहुत से किसान खाद की बोरी लेने गये। लाठी चार्ज हुआ, मुकदमें लिखे गये। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जिन किसानों पर मुकदमे लिखे गये हैं क्या उनके मुकदमे वापस किये जायेंगे। क्या जवाब मिला था एक भी मुकदमा वापस नहीं होगा। मेरी सरकार ने तय किया है कि अगर किसी किसान पर मुकदमा वापस नहीं होगा। मेरी सरकार ने तय किया है कि अगर किसी किसान पर मुकदमा लिखा गया है तो वह वापस होगा। यही नहीं जो किसान लेनदेन करते हैं, अभी तक उनका ब्याज 7 प्रतिशत, और उससे पहले आपको याद होगा कि किसानों को 11-12-13 प्रतिशत पर ब्याज पर लोन मिलता था। अब हमारी सरकार ने तय किया है कि 3 प्रतिशत पर ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा और उसके लिए 4350.42 लाख का प्रावधान किया है। इसी तरीके से सहकारी बैंकों में जो अधिकतम धनराशि का ऋण लिया है और ऋण नहीं अदा करने के कारण पूर्व में किसानों की नीलामी हो जाती थी। इसके लिए 500 करोड़ का प्राविधान बजट में वर्ष 2012-13 में किया गया है और जो 25 जिला सहकारी बैंक हैं जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस नहीं प्राप्त हुआ है।

प्रदेश सरकार भारत सरकार से उचित सहायता प्राप्त न हो पाने के बावजूद अपने संसाधनों से आर्थिक सहायता प्रदान कर चलाने का प्रयास कर रही है। किसानों को उत्तम किस्म का बीज, खाद समय से उपलब्ध कराने के पक्के इंतजाम कर दिये गये हैं। अबकी बार देख लेना खाद की कोई कमी नहीं होगी। किसानों को पहले बन्दिश कर दी गई थी, एक-एक बोरी, दो बोरी, अबकी बार जितना भी किसान आयेगा चाहे पांच बोरी, दस बोरी जिनती भी उसे आवश्यकता होगी उतनी बोरियां उसे दी जायेंगी, इसके लिए तीन लाख मैट्रिक टन यूरिया का भण्डारण जनपद बफर के साथ-साथ जो हमारी सोसाइटी है उन पर करा दिया गया है, अभी से हम भण्डारण कर रहे हैं, खाद की कमी कहीं नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद सौ करोड़ का प्राविधान आय-व्ययक बजट में हम लोगों ने कर दिया है, सौ करोड़ रुपये का अभी से भण्डारण शुरू कर दिया है। इस प्रकार हमने सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत बनाने हेतु प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां जिला सहकारी बैंकों को सक्रिय, स्वावलम्बी करने हेतु यथावत् आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं और इस तरीके से सहकारी आन्दोलन को स्वस्थ दिशा प्रदान करने हेतु सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार आवश्यक है। सहकारी बन्धुओं, अधिकारी, कर्मचारियों को सहकारी कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित किये जाने हेतु पीसीयू द्वारा संचालित छः प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त इन्दिरा गांधी सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, कृषि सहकारी प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हेतु आईसीसीए पिकप जो लखनऊ में है उसके द्वारा उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। समस्त प्रकार की सहकारी समितियों के समन्वित विकास के लिए राजकीय सहकारी विकास निगम द्वारा एकीकृत सहकारी विकास योजना वर्ष 1991-92 संचालित है। अलीगढ़, प्रतापगढ़, फैजाबाद, मैनपुरी एवं मऊ परियोजना का कार्यान्वयन कराया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 में वर्तमान संचालित परियोजनाओं के अतिरिक्त जनपद मुरादाबाद, बरेली, बांदा, एटा, कांशीरामनगर तथा

सहारनपुर में परियोजना कार्यान्वित कराया जाना है। जिसके लिए वर्ष 2012-13 के लिए 3063.22 लाख का आय-व्यय प्राविधान स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है। किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाये जाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। चालू वर्ष में अब 14.70 लाख मैट्रिक टन गेहूं सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय किया गया है, जो विगत वर्ष के समान अवधि में किये गये 1.8 लाख मैट्रिक टन अधिक है। सहकारी समितियों का जो ढांचा विकृत स्वरूप ले रहा था, उनको चिन्हित कर लिया गया है। सहकारिता के निचले क्रम में ढांचे को मजबूती प्रदान की जाय, बैकिंग व्यवस्था को प्रभावी तथा सुदृढ़ बनाया जाय। समितियां व्यावसायिक प्रबन्धन सही प्रकार से करें इसके लिए सहकारी ढांचे में गर्वनेन्स लागू किया जाय। वर्तमान भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जाय। भारतीय संविधान में हुए 97वें संशोधन की भावना के अनुरूप एवं वर्तमान सहकारी अधिनियम नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन किया जाय। हमारे जो किसान सहकारी सदस्य नहीं हैं उन सभी को सहकारी क्षत्र-छाया में ले आया जाय और उनकी आवश्यकतानुसार खाद, बीज तथा उनकी उपज को उचित मूल्य प्राप्त हो, ताकि सरकार की मंशा एवं विचार से प्रदेश के किसान खुशहाल हों, समृद्ध हों, सुनिश्चित हों, इस तरीके से हमने इस बजट में प्राविधान किया है और इसी तरीके से किसानों को सही समय से उर्वरक मिल सके। अग्रिम भण्डारण की योजना लागू की गई है, जिसके लिए हमने 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित कर लिया है। टैक्स के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण की व्यवस्था हेतु 4350.50 लाख का प्राविधान कर लिया गया है। सहकारी संस्थाओं के सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में 3065.22 लाख का प्रावधान कर लिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को समितियों का सदस्य बनाये जाने हेतु अंश क्रय करने हेतु ब्याज रहित 50.50 लाख का ऋण अनुदान का प्रावधान कर लिया है। किसानों के लिए ऋण राहत योजना के अन्तर्गत 500 करोड़ का प्राविधान कर लिया है। इस तरीके से इस सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो हमने आज आपके सामने बजट रखा है हमें उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के इस सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए कोशिश करेंगे और हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं कि प्रजातांत्रिक तरीके से यह आंदोलन चलेगा और चुनाव की तिथियां डिक्लियर हो चुकी है और समय से चुनाव होगा और आपको पता नही है कि हम लोग 5 साल के लिए चुनकर आये थे और पुरानी सरकार ने वह समय दो साल करने का काम किया और 2 साल करने के बाद हम लोगों ने किस तरीके से जौ बैजनाथ कमेटी के द्वारा जो 2400 करोड़ रुपया मिलना था, जिसकी की केवल एक ही किस्त मिली थी, उसकी वजह से भी इस आंदोलन को बहुत घाटा हुआ था। यही वजह है कि हमारी ये 25 बैंकें बैठ गई हैं, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि बैजनाथ कमेटी का जो 900 करोड़ रुपया मिलना है और हमारी सरकार ने जो अभी 263 करोड़ रुपये का जो आश्वासन दिया है, जो गारंटी दी है, उससे निश्चित है कि हम इन 25 बैंकों को चला करके इस सहकारिता आंदोलन को मजबूत करेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी जो ये अनुदानें हैं यह बजट है, उसे आप पास करायें।

श्री अध्यक्ष-

अब कटौती का प्रस्ताव रखा जाये।

*श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

अध्यक्ष जी, अनुदान संख्या 18, प्रस्ताव का रूप सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना एवं सुझाव देना। अध्यक्ष जी कटौती प्रस्ताव पर मुझे मा0 नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मौर्या जी की अनुमति से, आपके आदेश से बोलने का सुअवसर मिला। इसके लिए मैं आप दोनों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी मा0 मंत्री जी ने सहकारिता आंदोलन के विषय में बहुत विस्तार से अनेक बातों को रखा। सारे सदन ने हम लोगों ने बड़े गौर से सुना। यह सही बात है कि सहकारिता आंदोलन के जो रूप मिलना चाहिए था, वह सन् 1904 से आज तक प्राप्त नहीं हो सका। बीच-बीच में इसमें अनेक अधिनियम बनाए गए, लेकिन जैसा कि अभी मा0 मंत्री जी कह रहे थे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के इस आंदोलन के चलाया जाना चाहिए। यह सही बात है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर हम सबको काम करना चाहिए लेकिन दलगत भावना किस दल में रहती है, जरा यह मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहूंगा। जो आरोप अभी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर मा0 मंत्री जी लगा रहे थे।

मान्यवर, सारा सदन जानता है कि पूरा प्रदेश जानता है कि यह काम समाजवादी पार्टी का था बहुजन समाज पार्टी का नहीं था। यह सारा काम चाहे जिला पंचायत अध्यक्षों को हटाने का हो या सहकारी बैंक के अध्यक्षों का हटाने का हो। यह सब समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही किया अभी मा0 सहकारिता मंत्री जी सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने की बात कह रहे थे मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि यह सब काम तो आप लोग करते रहते हैं कि चुने हुए लोगों को हटाना यह बी0एस0पी0 ने कभी नहीं किया।

मान्यवर वर्तमान में जो सहकारी संस्थायें काम कर रही हैं उसमें सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्रय-विक्रय केन्द्र, उ0प्र0 प्रादेशिक कोआपरेटिव फेडरेशन जिसे पी0सी0एफ0 कहते हैं। इस तरह से राज्य भण्डारागार निगम, उपभोक्ता सहकारी संघ एवं अन्य समितियां हैं। मान्यवर इनकी आर्थिक दशा वर्तमान में बहुत अच्छी नहीं है। बैंकों की हालत खराब है और सरकार की घोषणाओं से और भी खराब होने जा रही है। मान्यवर, समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा-पत्र में यह कहा था कि सभी किसानों के 50 हजार के ऋण माफ कर दिये जायेंगे। मान्यवर, ऋण माफी के आदेश तो अभी राज्य सरकार की ओर से अभी स्पष्ट रूप से जारी नहीं हुए हैं लेकिन किसानों ने यह मान लिया है कि उनके 50 हजार तक के ऋण माफ हो गये हैं। इसलिए किसानों ने सहकारी बैंकों से जो ऋण लिया है उसकी किश्त देना बन्द कर दिया है। वह यह समझ रहे हैं कि हमारे 50 हजार रुपये माफ हो गये। तो मेरा कहना यह है कि एक तो वैसे ही बैंकों की हालत खराब थी और ऋणों की किश्त न मिल पाने से वह धनराशि भी बैंकों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए इन बैंकों को आप इस स्थिति में कैसे मजबूत कर पायेंगे इस बारे में आपको सोचना होगा।

मान्यवर, मा0 सहकारिता मंत्री जी 26 साल से सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। मान्यवर पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का सारा परिवार सहकारिता आन्दोलन से बहुल लम्बे समय से जुड़ा रहा है। यह सही है कि इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है मैं शिवपाल सिंह यादव जी को भाई साहब इसलिए भी कहता हूं कि मैं भी पहले समाजवादी पार्टी में रहा हूं और अब इधर आया हूं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और मैं जब वहां पर था आपको भाई साहब कह कर ही सम्बोधित करता था। इस तरह से आपके परिवार के अन्य सदस्य भी इससे जुड़े हुए हैं, धर्मेन्द्र यादव जी है जो कि सांसद हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपका पूरा परिवार वर्षों से इस आन्दोलन से जुड़ा है। तो सहकारिता विभाग के बारे में ज्यादा जानकारी आपके अलावा अन्य किसी व्यक्ति को नहीं हो सकती है। लेकिन आश्चर्य इस बात की है इतनी गहरी जानकारी होने के बावजूद भी सहकारिता आन्दोलन प्रदेश में पिछड़ रहा है। मुझे याद है कि जब मुलायम सिंह यादव जी पहली बार प्रदेश में मंत्री बने थे तो वह सहकारिता मंत्री थे। लेकिन आज भी आप यही कह रहे हैं कि इन सबके बावजूद सहकारिता आन्दोलन को वह रंग नहीं मिल पाया वह ऊचाईयां भी नहीं मिल पायी अब इसमें कारण जो भी रहा हो वह आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आपका पूरा परिवार इससे जुड़ा हुआ था। मान्यवर, यहां किसानों के हित की बात होती है। लेकिन उनकी जो राशि होती है वह किसानों के हित में खर्च न हो करके आपके समय में वह विदेशों की यात्राओं में खर्च हो गया। तो यह सब कारण भी है। सहकारी केन्द्रों को, सहकारिता आन्दोलन को आपने मौज मस्ती का केन्द्र बना दिया, विदेश यात्राओं में आप धन की बरबादी करेंगे, बजट की हालत क्यों यह हुई यह मैं बताना चाहता हूं। सहकारिता आन्दोलन क्यों कमजोर हुआ।

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण शांति से सुन लें फिर आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, सही बात सुनने की क्षमता नहीं है, धैर्य नहीं हैं समाजवादी के लोगों को हम क्या कहें, हकीकत यही है। आज सहकारिता से जो लोग जुड़े हुए हैं सरकार के लोग अभी जब ये जिलों में जायेंगे अगर इनको अच्छा होटल नहीं उपलब्ध कराया गया, अच्छी गाड़ी नहीं उपलब्ध कराई गयी, अच्छा खाना नहीं उपलब्ध कराया गया, तो निश्चित रूप से उस अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल हो जायेगा उसको सजा मिल जायेगी।

मान्यवर, जो बैंकों की दुर्दशा हुई, बैंकों की दुर्दशा होने का मुख्य कारण यही है कि जो भी धन किसानों के हितों में उपयोग होना चाहिए वह नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे यह भी कहना था कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, लूट का अड्डा जो सहकारिता के संस्थान है उनकी जांच जरूर करवा ली जाय, सब रिकार्डेड है अभी जांच करा लेंगे तो जितनी भी समितियां हैं जितने इनके अधीनस्थ विभाग हैं उन सबकी अगर ईमानदारी से जांच करायेंगे तो हकीकत सामने आ जायेगी।

अध्यक्ष जी, मैं बुन्देलखण्ड से आता हूं मेरा निर्वाचन क्षेत्र महोबा है। बुन्देलखण्ड कितना पिछड़ा क्षेत्र है इसको पूरा प्रदेश ही नहीं देश जानता है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने माननीय शिवपाल जी ने माननीय हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बुन्देलखण्ड के बारे में समय-समय पर बहुत चिन्ताएं की।

(टोकाटाकी से व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

बुधौलिया जी चूंकि आपके पुराने साथी रहे हैं, बहुत नजदीक रहे हैं इसलिए आपकी हर बात को अच्छी तरह से रख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल ललई यादव जी भी कुछ कह रहे हैं। बजट पर कुछ बोलिये बहुत टाइम हो गया है।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

मान्यवर, हमारी बातों को थोड़ संयम के साथ सुने। अध्यक्ष महोदय मेरा कहने का मतलब यह था कि बुल्देलखण्ड के बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई ध्यान नहीं दिया। सहकारिता जो संस्थाएं हैं, बैंकों के बन्द होने की बात को खुद उन्होंने अपने भाषण में कहा है तो इसको मजबूत करने के बारे में कुछ गम्भीर विचार करें। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कुछ सुझाव है आपने तो अपनी बातों में कहा है कि 25 बैंकें बन्द हो गयी लेकिन इसका कारण क्या रहा। मैं बाा रहा हूं आपकी बात करे। हमारे मा0 नेता प्रतिपक्ष जी सहकारिता मंत्री थे।

(सत्ता पक्ष की ओर से खूब लूट हुई)

वो आप जांच करा रहे हैं, सब सामने आ जायेगा।क्या दिक्कत है। हमारे नेता सहकारिता मंत्री थे, उस समय नाबार्ड के द्वारा और आरबीआई के द्वारा 700 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया था। लेकिन दुख की बात है कि वर्तमान सरकार ने नाबार्ड की शर्तों का उल्लंघन किया, नियमों का पालन नहीं किया तो नाबार्ड ने धन देना बंद कर दिया।

(सत्ता पक्ष की ओर से अभी इस सरकार को दो ही महीनें हुये हैं)

अरे दो महीने में आपने क्या-क्या कर दिया, यह सारा प्रदेश जानता है। आज पूरे प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है, रातों की नींद हराम हो गयी है, बिजली आनी बंद हो गयी है। दो महीने में लोग समझ गया, अब 5 साल में प्रदेश का क्या होगा, भगवान जाने।

(सत्ता पक्ष से कई मा0 सदस्यों के शोर उत्पन्न करने पर)

श्री रविदास मेहरोत्रा–

नौकरी पक्की है लगे रहो मुन्ना भाई।

श्री राजनारायण उर्फ रज्जू महाराज–

इन्होंने नाबार्ड और आरबीआई के नियमों का पालन वर्तमान सरकार ने नहीं किया तो उन्होंने धन देना बंद कर दिया। इसलिये हमारा राज्य सरकार से अनुरोध है कि नाबार्ड और आरबीआई की शर्तों का अनुपालन करें तो निश्चित रूप से सहकारी संस्थाओं और सहकारी बैंकों को लाभ मिलेगा और प्रदेश का भी कुछ विकास हो सकेगा। मान्यवर, सहकारी बैंक हैं पीसीएफ हैं, जितनी भी सहकारी संस्थायें, समितियां हैं उनकी आज बहुत ही दुर्दशा हो रही है। उनको सुदृढ़ करने के लिये क्या आप कुछ अच्छे उपाय कर सकते हैं। आपने अपने बजट भाषण में कहा है कि जो बैंक बंद हो गयी हैं उनको हम बहुत जल्दी सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। हमारी शुभकामनायें हैं कि आप सभी बैंकों को फिर से खुलवाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको धन्यवाद देंगे। महोदय, कुछ बातें हैं जिनका बजट में ध्यान नहीं दिया गया, हम चाहेंगे कि जोड़ लिया जाये। हमने पूर्व में कहा कि सहकारी समितियों का गठन किसानों के हितों के लिये, गांव के विकास के लिये 1904 में उसका गठन हुआ। लेकिन आज भी किसान खाद, पानी, दवा और बीज के लिये लाइन लगाये रहता है।

मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमने खाद के लिये अग्रिम भण्डार की योजना बना ली है। अच्छी बात है देखेंगे, हमको तो अभी तक इतना होश है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ। आप 5 साल बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार में खाद के लिये लाठी चलती थी। ये समस्या मान्यवर, आप दूर नहीं कर पायेंगे और कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। गेहूं की फसल के लिये सबसे ज्यादा जरूरी खाद होती है डीएपी के लिये मारा-मारी होती है यह पूरा प्रदेश जानता है। हमारा सुझाव है कि वो खाद समय से उपलब्ध हो और नकली खाद से प्रदेश को बचाया जाये। मान्यवर, मौका मिला है आपकी कृपा है।

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप करें, अभी बहुत है।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके अलावा साहूकारों द्वारा, जमींदारों द्वारा शोषण किया जा रहा था। आज हम देखते हैं कि सरकार द्वारा शोषण हो रहा है किसानों का। मान्यवर, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में हम चाहते हैं कि क्रांतिकारी अनुसंधान केन्द्र हों। कृषि विश्वविद्यालयों को उचित सहूलियतें दी जायें, कृषि वैज्ञानिकों को उचित तवज्जो दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज–

महोदय अधिकतर जो लघु किसान हैं जो मेहनतकश हैं। सरकार उनको संरक्षण और सुविधायें प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष-

समाप्त करिये और भी मा0 सदस्यों को बोलना है।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

खासतौर से महोदय बुंदेलखण्ड के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं, उनको आत्महत्या न करना पड़े इस पर विचार कर लिया जाये। नीलगायों के बारे में महोदय बात आयी थी। नीलगायों की बात मान्यवर आई थी कि वह किसानों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

बुधौलिया जी, अब आप समाप्त करें।

श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज-

मान्यवर, आपने जितना समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। इसके साथ ही मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव पर बल प्रदान करता हूं। आपका धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बुधौलिया जी ने अपने कटौती प्रस्ताव में निजी दायरे से ऊपर निकलने का कोई प्रयास नहीं किया, अच्छी बात है। जहां जुड़ाव हो, जहां जानकारी हो उसकी चर्चा करें रिश्तों का जिक्र हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है मान्यवर। लेकिन मुझे यह लग रहा था कि बुधौलिया जी, चूंकि उन क्षणों के साक्षी थे, जब माननीय सहकारिता मंत्री जी के साथ थे, जब इस देश में तत्कालीन राष्ट्रपति ए0पी0जे0 कलाम साहब ने उनके सहकारिता क्षेत्र में योगदान के लिये माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को सर्वोच्च पुरस्कार देने का काम किया था, मैं सोच रहा था कि उनको वह पल याद होंगे और वह उनका उल्लेख करेंगे कि मैं उन गौरवशाली क्षणों में माननीय सहकारिता मंत्री जी के साथ था। मैं समझ रहा था कि इसका वह उल्लेख करेंगे और करना भी चाहिये। लेकिन आप रिश्तों का उल्लेख कर रहे थे और भाई की बात कर रहे थे लेकिन जब ऐसा भाई हो तो फिर दुश्मन की जरूरत क्या है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं जिसका कि इन्होंने उल्लेख किया कि माननीय सहकारिता मंत्री जी 26 साल से अपने जिले के बैंक के अध्यक्ष हैं। श्रीमन् अनेक बड़े-बड़े पदों पर बहुत बड़े-बड़े पदों पर जाने के बाद भी सहकारिता से उनका आधारभूत धरती पर जुड़ाव का जो सबसे बड़ा सबूत है वह यह है कि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं और जो बात माननीय बुधौलिया साहब ने कही है तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार रही 3 साल 8 महीना। 26 सालों का हिसाब अगर आप पूछना चाहते हैं तो 26 सालों से माननीय सहकारिता मंत्री जी इस जिला बैंक के अध्यक्ष हैं, वह बैंक घाटे में कभी नहीं आया, जबसे शिवपाल सिंह यादव उसके अध्यक्ष हैं। यह मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं यह एक उपलब्धि है कि उस काले काल में भी जबकि सहकारिता की घज्जियां उड़ाई गयी और सारी चीजें जिस तरह से हुयीं, उसको प्रदेश ने देखा, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमारे आपके कहने से चीजें बदल जायेगी सिर्फ अपना-अपना पक्ष रखने की बात है लेकिन उस दौर में भी इटावा का जिला सहकारी बैंक जिसके अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव थे, और आज भी हैं तो इटावा के उस बैंक को न कभी बंद होने की नौबत आई और न घाटे पर जाने की नौबत आई। यह मैं रिकार्ड ठीक करने के लिये जानकारी सदन को दे रहा हूं। बाकी जो चर्चा हुई उस पर कौन सी बात कहनी है।

प्रस्तुत बजट अनुदानों की मांगों पर चर्चा हेतु समय बढ़ाये जाने अथवा सीधे मतदान कराये जाने के संबंध में सुझाव

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, माननीय नेता विरोधी दल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां है। इस पर साढ़े 4 घन्टे का समय लग गया, बजट प्रस्ताव रखने में और कटमोशन रखने में। तो इस पर माननीय सदस्यों को भी बोलना होगा और अगर माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं तो इसका समय बढ़ाना पड़ेगा। तो यह निर्धारित कर दिया जाये कि समय बढ़ाकर इस पर चर्चा कराई जाये या माननीय मंत्री जी द्वारा कटमोशन का जवाब देकर इस पर मतदान करा दिया जाये। आप लोगों की इसमें क्या राय है। क्योंकि साढ़े 5 बज गये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आज चूंकि अनुदानों की संख्या बहुत ज्यादा रखी गयी है इसलिये चर्चा होना संभव नहीं था। कृषि विभाग स्वयं अपने में इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा दिन इस पर ही चर्चा होनी चाहिये थी। अब यह तो माननीय सदस्यगण जाने कि वह चर्चा करना चाहते हैं तो आप समय बढ़ा दें।

(सत्ता पक्ष से पास कराइये की आवाजें)

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी नेता भाजपा ने अनुरोध किया क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण मद लगे थे और कृषि विभाग अपने आप में ही इतना बढ़ा विभाग है तो स्वाभाविक रूप से इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी तमाम माननीय सदस्यों की बात आना आवश्यक भी है और इस पर अगर कम से कम 4 घंटा समय बढ़ाया जाये तो जाकर पूरा होगा। जैसा कि माननीय सदन के सदस्यों की राय है कि इसको मतदान कराकर आज इसे विराम कर दें लेकिन आगे आपकी कृपा यह होनी चाहिए कि जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके साथ विभाग न जोड़े जाएं जिससे कि उस पर विस्तार से चर्चा हो सके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, नेता विरोधी दल ने कह दिया कि मतदान करा दिया जाए, आपकी क्या राय है।

वित्तीय वर्ष 2012-2013 के आय व्ययक में अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) अनुदान संख्या-10, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) अनुदान संख्या-16, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) अनुदान संख्या-17, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मतस्य) अनुदान संख्या-15, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) अनुदान संख्या-12, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) अनुदान संख्या-18, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो 25 बैंकों के बन्द होने की बात कही है, उनका प्रतिनिधि मडल मुझसे भी मिला था और बड़ी चिन्ता की बात है कि अगर वह बन्द हुए तो ग्रामीण अंचलों का बहुत नुकसान होगा, बहुत से लोग बेकार हो जाएंगे लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हम अपने संसाधनों से चलाने का प्रयास करेंगे। मान्यवर आप आज आश्वस्त करें कि उन बैंकों का काम-काज बन्द नहीं होगा, वह चलते रहेंगे चाहे इसके लिए आपको रिजर्व बैंक के गवर्नर महोदय से बात करनी पड़े या केन्द्र सरकार से बात करनी पड़े, यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि प्रदेश सरकार उन्हें बन्द नहीं होने देगी, मेरा यह आग्रह है। मान्यवर, जो चुनाव की बात आपने कही कि सहकारिता का आन्दोलन निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है। एक उदाहरण दे करके मैं अपनी बात की पुष्टि करना चाहता हूं तीन वर्ष पूर्व हमारे जनपद में चुनाव हुआ था, मान्यवर, पी0सी0एस0 अधिकारी उसके रिटर्निंग आफीसर होते हैं। मान्यवर, डेलीगेट के पर्चों का परीक्षण होना था, जिसको हम स्कूटनी कहते हैं, जैसे पहली स्कूटनी हुई तो

रिटर्निंग आफीसर ने कहा कि आपके सिग्नेचर नामांकन-पत्र पर किये गये सिग्नेचर से नहीं मिलते हैं, उसने कहा कि नहीं मेरे ही है तो आफीसर ने कहा कि तुम कहते रहो लेकिन यह तुम्हारे हैं ही नहीं, तो उसने कहा कि मेरे हस्ताक्षर करा लीजिए, तो आफीसर ने कहा कि हस्ताक्षर कराने का कोई विषय ही नहीं है बस नामांकन पर आपके हस्ताक्षर नहीं हैं। उसके पीछे जो दूसरा खड़ा था उसने देखा कि हस्ताक्षर नहीं माना जा रहा है तो वह वहां से निकल कर गया और अपना शपथ-पत्र बनवा कर ले आया कि नामांकन पर उसके ही हस्ताक्षर हैं, क्योंकि उसके बाद उसका ही नम्बर आना था। जब वह आया तो उससे भी कहा गया कि नामांकन-पत्र पर जो हस्ताक्षर हैं वह आपके नहीं हैं तो उसने कहा कि मेरे ही हस्ताक्षर हैं, वह जिद करता रहा और एफीडेविट भी दिया उसके बाद उसका भी नामांकन खारिज कर दिया गया। इस प्रकार से 11 लोगों के नामांकन खारिज कर दिये गये और जिसका उन्हें करना था उसको सही करके एकतरफा चुनाव कर दिया।

मान्यवर, पी0सी0एस0 एक वरिष्ठ प्रशासनिक सेवा है अगर वहां पर बैठे हुए अधिकारी इस प्रकार का रवैया अपनायेंगे और आज हम इस बात को सहन करके बैठ जायेंगे कि जिसने जो कर दिया कोई बात नहीं, आज मान्यवर, मैं चाहता हूं कि एक घोषणा प्रदेश सरकार की ओर से होनी चाहिए कि जिन लोगों ने इस प्रकार का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या की है, सारे आन्दोलन को चौपट किया है कम से कम ऐसे अधिकारियों को चयनित किया जाए वह मिल सकते हैं हर जगह हैं सहारनपुर में भी हैं, मुजफ्फरनगर में भी हैं और जगह पर भी हैं, जिन अधिकारियों ने ऐसा काम किया है उन अधिकारियों को कम से कम कुछ सबक जरूर मिलना चाहिए। यह कोई बात नहीं हुई कि सरकार के बदलते ही रंग बदल देते हैं और उन्हीं के पैरोकार बन जाते हैं। मान्यवर, आज संदेश जाना चाहिए कि तुम्हारा काम निष्पक्ष काम करने का है यदि पक्षपात करके कार्रवाई करोगे तो तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आपने बहुत लोगों को निलम्बित करके कार्रवाई भी की, यह सन्तोष की बात है लेकिन सबसे ज्यादा गड़बड़ी सहकारी समितियों के क्रय करने में हुई है। क्या यह बात सही नहीं है कि 9 किलो की कटौती हर एक में कर रहे हैं और मान भी नहीं रहे हं। आपने सस्पेंड भी कर दिया, कार्रवाई भी कर दी, चेक भी कर लिया, इसके बावजूद भी वह अभी भी मान नहीं रहे हैं, अभी भी कटौती बाकायदे जारी है। कटौती बाकाया जारी है। मान्यवर, दूसरी बात यह जो बीमारी है इस देश में कोई संस्था बची हुई नहीं है। आज अगर ट्रक लोड करके एफ0सी0आई0 के गोदाम में गेहूं ले जायेगा जब तक वहां पर डाला (पैसा) नहीं दिया जायेगा तब तक गेहूं का अनलोडिग नहीं होना है। पैसे की मात्रा बढ़ती जा रही है, और विभागों में यह शिकायतें नहीं आयी केवल सहकारिता विभाग में यह शिकायत आयी कि उनको जो पैसा देना पड़ता है एफ0सी0आई0 के अधिकारियों को, वह पैसा भी किसानों से काटा जा रहा है। दो काम यह बड़े गलत हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सहकारिता मंत्री जी आज ही इसका संज्ञान लेंगे क्योंकि जो कुरीति चल रही है उसके ऊपर तुरन्त नियंत्रण करेंगे। डाले की जो व्यवस्था चल रही है एक बार मजबूती के साथ एफ0सी0आई0 का मुकाबला कर लीजिए, आप एक बार निर्णय ले लें कि एफ0सी0आई0 को पैसा नहीं देंगे। सरकार द्वारा सरकार को रिश्वत देनी पड़ रही है, इससे ज्यादा घिनौनी बात और क्या हो सकती है। मैं तो उदाहरण दे सकता हूं, इस प्रदेश का मैं खाद्यमंत्री रहा हूं जब मेरे सामने बात आयी कि एफ0सी0आई0 के लोग डाला ले रहे हैं तो मैंने देने से मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्तर प्रदेश में रख लेंगे लेकिन अपको पैसा नहीं देंगे। मुरादाबाद में लोडिग हो रहा था एफ0सी0आई0 के लोगों ने दोनों से कहा कि अगर ये बेईमान लोग धरने पर आते हैं तो डण्डे से इनसे बात करो, जेल में बंद करो और सारे के

सारे वैगन आज ही लोड होने चाहिए। एक पैसा भी मैंने डाले का नहीं दिया। आप मजबूती से करिये तो सही, मजबूती में कमी थोड़े ही है, 224 का समर्थन जिस सरकार को प्राप्त है, वह भी स्टैण्ड न ले सके तो कौन लेगी, मिली जुली सरकार थोड़े ही ले लेगी। वहां तो न जाने कितनी सिफारिशें आ जायेंगी इसलिए एफ0सी0आई0 के ऊपर इतना नियंत्रण जरूर होना चाहिए। इसका सीधा-सीधा वजन किसानों पर पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता है। अंतिम रूप से लुटने वाला वही है, वही भुगतने वाला है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि बहुत मजबूत हमारे सहकारिता मंत्री जी बैठे हुए हैं कि आज सुनिश्चित करें इस सदन के माध्यम से कि हम किसी प्रकार का रिश्वत एफ0सी0आई0 को नहीं देंगे। मान्यवर, दो बातें हमने कही हैं उसका समाधान हो जाए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो मेरी सरकार ने प्रयास किया है, नाबार्ड से भी बात की है और रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के चेयरमैन से भी बात की है और हमारी सरकार ने गारण्टी भी दी है। एक साल का समय मांगा है, एक साल के अन्दर चाहे आर0बी0आई0 की, चाहे नाबार्ड की सभी शर्तों को हम पूरा कर देंगे। यह मैंने समय मांगा है, मिल भी जायेगा। यह जो 25 बैंकें हैं इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि अभी दो महीने ही हुए हैं जो बुधौलिया जी ने कही है जांच का मामला, तो जांच शुरू हो गयी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बड़े जिम्मेदार लोग जेल जायेंगे और मैं सदन के माध्यम से किसानों से भी और सभी से अपील करूंगा कि कोई भी किसान चाहे कोआपरेटिव बैंक के हैं, चाहे खाद्य विभाग के अधिकारी हों, चाहे किसी भी विभाग के अधिकारी हों, वैसे तो मैंने उसी वक्त निर्देश दिये थे कि अगर कोई भी जो डाला मांगते हैं, या पैसा मांगते हैं अपने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि इनके खिलाफ एफ0आई0आर0 लिखाओ, तब ये कुछ हालत सुधरी है। बिगड़ी हुई हालत कुछ सुधरी है। लेकिन यह समाधान नहीं है। जब तक क्रय केन्द्र खुलेंगे कहीं न कहीं चोरी होगी। आपको याद होगा 2004 में कांटे पर किसान नहीं जाता था, क्रय केन्द्र पर किसान नहीं जाता था। हमको इस बात पर सोचना पड़ेगा, इस समय जब हमारी गोदामें भरी पड़ी हुई हैं, 4-5 साल का सड़ हुआ गेहूं गेहूँ जो बाहर से आ रहा है तो यह बन्द होना चाहिये। इस पर सोचना पड़ेगा बात करनी पड़ेगी केन्द्र सरकार से भी बात करनी पड़ेगी। जो पी0डी0एस0 का गेहूँ बाहर से चला आ रहा है और जो हमारे बी0पी0एल0 की रिसाइकिलिंग हो रही है गरीबों में गेहूँ नहीं बँट रहा है तो यह बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 का गेहूँ बंटना चाहिये। लेकिन जो सड़ा हुआ है चार साल का रखा हुआ है इस व्यवस्था में सुधार लाना होगा। जब हमारे किसान इतना पैदा करते हैं मैंने पूर्व में किया था आपको पता होगा कि नवाब आम का एक्सपोर्ट किया था। शुरुआत की थी लगातार जब तक मेरी सरकार रही चाहे कहीं का चाहे सहारनपुर का चाहे मेरठ का, चाहे लखनऊ का कहीं का भी आम एक्सपोर्ट हुआ था। आपको याद होगा हमारे प्रदेश का आलू ताज ब्रांड के नाम से हमारे किसान सीधे मण्डी के द्वारा गये थे विदेश में और दूसरे प्रदेशों में सीधे अपना सौदा करते थे कोई विचौलिया नहीं था। कहीं पर भी आलू का भाव गिरा नहीं था। किसानों को रेट ठीक मिला था। हम आश्वासन देते हैं हमारी सरकार फिर से चाहे विचौलियों का मामला हो चाहे यह अधिकारी कर्मचारी रिश्वत मांगते हैं तो हमारे किसानों की भी जिम्मेदारी है कि एक भी पैसा रिश्वत देने का काम न करें यह मैं अपील करता हूँ। इस पर हम सख्त कदम उठायेंगे यह आश्वासन देते हैं। और जो हमारी 25 बैंके हैं इन्हें बन्द नहीं होने देंगे यह सरकार का वायदा है।

श्री अध्यक्ष-

यह परम्परा रही है कि बजट का मतदान होने के पहले मंत्री लोग जो कट मोशन होता है कटौती के प्रस्ताव पर जो प्रश्न आये हैं उनका कुछ न कुछ उत्तर देते हैं तो इसका संक्षेप में उत्तर दिलाया जाय कि इस पर भी मतदान करा लिया जाय।

(सत्ता पक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा उत्तर न दिलाये जाने की अपील की गयी)

मंत्री जी लोगों की राय सीधे मतदान कराने की है। इसलिए इस पर सीधे मतदान ही कराते हैं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 22,79,11,59,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,33,23,37,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 27,91,96,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 62,17,86,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,74,22,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,54,30,10,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,55,98,69,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,91,87,04,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

लोक निर्माण विभाग का बजट साहित्य प्राप्त न होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

श्रीमन्, लोक निर्माण विभाग का कल बजट है लेकिन साहित्य अभी तक नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी से अपने विभाग का बजट साहित्य दिलवा दें।

(शोर)

नियम-56 का प्रहर समाप्त होने के उपरान्त भी उसकी सूचनाओं की जानकारी अभी तक प्राप्त होने के सम्बन्ध में शिकायत

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, अभी तक नियम-56 की सूचनायें मेरे पास आ रही हैं, शासन के गृह विभाग से। नियम-56 पाँच घण्टे पहले समाप्त हो चुका है, उसकी जानकारियाँ अब तक आ रही हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप उनके खिलाफ कार्यवाही कीजिये या मुझे लिखकर दीजिये, उनको सदन में तलब किया जाय।

लोक निर्माण विभाग का बजट साहित्य प्राप्त न होने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण (क्रमागत)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कल लोक निर्माण विभाग का बजट है, साहित्य उपलब्ध हो जाना चाहिये या फिर इसको आगे बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह पिजन होल में रख दिया जाना चाहिये। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, पीडब्ल्यूडी का कल बजट है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, यह भी विडम्बना है कि गलती आपकी है और डाँट हम सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से कह रहे हैं। मंत्री जी, इसका नियम है, पहले तो 24 घण्टे पहले आ जाता था लेकिन 24 घण्टे पहले न आये तो आज आ जाये। लोग उसे अपन साथ ले जायेंगे, पढ़ेंगे, फिर उस पर बोलेंगे। आप तत्काल अपने विभाग को निर्देशित करें कि जितना भी जल्दी हो सके, वह लिटरेचर को यहाँ उपलब्ध करायें।

लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, अभी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, सारे मंत्रियों को निर्देशित कर दें कि समय से बजट का लिटरेचर मिल जाय।

श्री अध्यक्ष-

हाँ, समय से लिटरेचर मिल जायेगा।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, जिसको कटमोशन रखना है, उसके घर पर अभी भिजवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप यहीं पर उपलब्ध कराइये, जल्दी से बँट जायेगा।

नियम-51 के अन्तर्गत की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 के अन्तर्गत आज दिनांक 11 जून, 2012 को 40 सूचनायें प्राप्त हुई।

पहली सूचना श्री सतीश महाना की-उ0प्र0 के जिला सहकारी बैंको के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गई है चूंकि अब इस पर स्पष्ट आ गया है, यह चर्चा में

आ गया और जवाब भी आ गया है, इसलिये अब इसको स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं निरस्त कर देता हूँ, यद्यपि यह स्वीकार हो चुका है।

श्री हुकुम सिंह-

अध्यक्ष जी, कल पीडब्ल्यूडी का बजट है। एक ऐसी स्थिति पैदा की जायेगी, जिन्होंने पीडब्ल्यूडी को एक रंग दिया, बनाया, सँवारा, उस पर राम साहब कटौती रखेंगे, सदन में स्थिति क्या पैदा होगी, मैं तो यह कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

वह कल देखा जायेगा, क्या बनेगी ?

श्री त्रिभुवन राम-

फिर क्या मैं कल अनुपस्थित हो जाऊँ ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं, आप बैठिये।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

अध्यक्ष जी, भाजपा नेता ने केवल आज नहीं, टी0राम जी को अपने भी शासन में देखा है और जब माननीय कलराज मिश्र जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तब भी यह चीफ इंजीनियर थे, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी पहले भी लोक निर्माण मंत्री रहे हैं, तब भी यह चीफ इंजीनियर थे और यह पिछले 11 सालों तक चीफ इंजीनियर रहे हैं और आज यह माननीय सदस्य हो गये हैं। क्या आप माननीय सदस्य के अधिकारों मे कटौती करना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं। माननीय नेता विरोधी दल, अब यह चीफ इंजीनियर नहीं हैं, आज यह माननीय सदन के सम्मानित सदस्य हैं, इसलिये जो भी दायित्व माननीय सदस्य का है, वह करेंगे।

दूसरी सूचना श्री दलजीत सिंह की-जनपद बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी के ग्राम खपटिहा कला में दिनांक 10-06-2012 को हुये भीषण अग्निकाण्ड से हुई तबाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की-बस्ती के प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग में तैनात अधिशासी अभियन्ता द्वारा मनमाने तरीके से टेंडर में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में। वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री विजय कुमार दुबे की-विधान सभा क्षेत्र खड्डा में ओकारा सुगर प्राइवेट लि0 की खरीदारी घोटाले की जाँच एवं छितौनी चीनी मिल को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।

(वक्तव्य हेतु स्वीकृत)

पाँचवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की-प्रभारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठवीं सूचना श्री रामहेत भारती की-सीतापुर के विकास खण्ड बेहटा, हरगाँव, परसेंडी एवं एलिया के ग्रामों में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना श्री ममतेश शाक्य की-कांशीराम नगर के तहसील सहावर व तहसील पटियाली के बीच गंगा नदी की सीमा तय किये जाने के सम्बन्ध में। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की-इलाहाबाद के ग्राम नैनी चक गुलाम में बन्द बड़ी त्रिवेणी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड की भूमि अधिग्रहीत कर स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में है। (केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।) नवीं सूचना ठाकुर सूरज पाल सिंह की-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की नहरों की सफाई व टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में है। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। दसवीं सूचना श्री कालीचरन सुमन की-जनपद आगरा के ग्राम नानपुर विकास खण्ड बिचपुरी में पेयजल की आपूति हेतु लगी विद्युत मोटर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है। केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है। ग्यारहवीं सूचना श्री राजेन्द्र उर्फ बृजेश सिंह की-गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) द्वारा गांवों का विकास कार्य न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं :-

1. श्री जय प्रकाश अंचल,
2. श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू,
3. श्री श्याम बहादुर सिंह यादव,
4. श्री सुनील कुमार सिंह यादव,
5. श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
6. श्री सुरेश कुमार खन्ना,
7. श्री महावीर सिंह राणा,
8. डॉ0 रमेश चन्द्र बिन्द,
9. श्री श्रीकृष्ण कुमार ओझा,
10. श्री बंशी सिंह पहाड़िया,
11. श्री पूरन प्रकाश,
12. साध्वी निरंजन जयोति,
13. श्री जगतम्बा सिंह,
14. श्री प्रभु दयाल वाल्मिकी,
15. डॉ0 पूर्णमासी देहाती,
16. श्रीमती रजनी तिवारी,
17. श्री अनिल कुमार,
18. श्री जगन प्रसाद गर्ग,
19. श्रीमती नन्दिता शुक्ला,
20. श्री गोरख पासवान,
21. श्री उमाशंकर सिंह,

22. श्री अगयश रामसरन वर्मा,

23. श्री मुकेश श्रीवास्तव,

24. श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

25. श्रीमती विमला सिंह सोलंकी,

26. श्री राजेश त्रिपाठी,

27. श्री जय प्रकाश निषाद,

28. श्री मदन गोपाल वर्मा तथा

29. श्री वीरपाल राठी।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित व स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों में अधीक्षक, रसोईया, कहार, स्वीपर, माली, चौकीदार, पुस्तकाध्यक्ष आदि पदों पर कार्यरत हजारों कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद तिवारी जी हैं। (अनुपस्थित) रहने दीजिये, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई रुचि नहीं है। वैसे तो बहुत रहते थे।

जनपद जौनपुर की नगरपालिका शाहगंज की बढ़ती आबादी के अनुसार सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, श्री शैलेन्द्र यादव "ललई" मा0 सदस्य उ0प्र0 विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 05-06-2012 को यह सूचना दी गयी कि विधान सभा क्षेत्र शाहगंज, जनपद जौनपुर के .....

राजस्व, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा माना जाता है।

वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[अन्तर्गत नगर पालिका, शाहगंज की सीमायें आज भी वहीं हैं जो टाउन एरिया होने के समय थी। पिछले 25-30 सालों में नगर की आबादी चारों तरफ बहुत दूर तक फैल गयी है। परन्तु

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सीमा विस्तार न होने कारण चारों तरफ जो नयी आबादी बस गयी है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टाउन एरिया से नगर पालिका बनाते समय सीमा विस्तार नहीं किया गया है। सीमा विस्तार प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। जनसमस्याओं को देखते हुये तत्काल प्रस्ताव के अनुकूल सीमा विस्तार किया जाना आवश्यक है। मा0 सदस्य द्वारा उक्त सूचना देते हुए इस विषय पर तत्काल सरकार से वक्तव्य की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, शाहगंज, जनपद जौनपुर के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में जिलाधिकारी जौनपुर के पत्र संख्या 554/एल0बी0सी0/जौनपुर, दिनांक 28-08-2008 द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में नगर पालिका परिषद्, शाहगंज के बोर्ड प्रस्ताव संख्या-2, दिनांक 13-10-2008 द्वारा शासन को प्रेषित प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया था।

तदोपरान्त शासन के पत्र संख्या-2438/नौ-6-2009-2सीवि/2006, दिनांक 11-09-2009 द्वारा जिलाधिकारी जौनपुर से शासनादेश संख्या-1344/नौ-8-09-94ज/01, दिनांक 22-06-2009 में दी गयी व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषद्, शाहगंज के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जिलाधिकारी जौनपुर से अग्रतर इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी बीच जनगणना हेतु उ0प्र0 सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-जी आई 165/तीन-09-15(1)/2009, दिनांक 22-12-2009 में निर्देश दिये गये थे कि जनगणना अधिनियम 1948 (अधिनियम संख्या 37 सन् 1948) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित जनगणना नियमावली 1990 के नियम 8 के खण्ड (चार) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि नगर पालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, तालुकों, परगनों और जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में 01 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जिसके क्रम में नगर पालिका परिषद्, शाहगंज, जनपद जौनपुर की सीमा विस्तार पर विचार नहीं किया जा सका।

यह भी उल्लेख करना है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 29-04-2011 द्वारा नगरीय स्थानीय निकायों के चुनाव के दृष्टिगत दिनांक 10 मई, 2011 के पश्चात् से नगर निकाय सामान्य निर्वाचन, 2011 की प्रक्रिया सम्पन्न होने तक उत्तर प्रदेश में नवगठित व सीमा विस्तार वाली नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के परिसीमन सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने पर रोक है।]

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्र जी से आग्रह करना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी जानकारी है सीमा विस्तार के लिए नगर पालिका परिषद् की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिलाधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में प्रस्ताव प्रस्तार हेतु दिया जा चुका है। क्या उस आधार पर या पुनः जिलाधिकारी से प्रस्ताव मंगाकर चुनाव के बाद सीमा विस्तार की स्वीकृति दी जायेगी। यह मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ। क्योंकि टाउन एरिया बनने के बाद से अभी तक कभी

भी विस्तार नहीं हुआ है। तो मेरा आग्रह है कि उसकी परिस्थितियों को देखते हुए सीमा विस्तार कर दिया जाये तो अति अच्छा होगा।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इसे पुनः दिखवा लेंगे।

दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत नवीन सम्बद्धता हेतु महाविद्यालयों को प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मनबोध द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री मनबोध प्रसाद, ...

श्री योगेश प्रताप सिंह-

योगेश भइया मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ माना जाता है।

वक्तव्य राजस्व मंत्री ने दिया, (पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी-

[द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह अवगत कराया गया है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर अन्तर्गत नवीन सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र महाविद्यालयों के लिए नवीन आवेदकों की पत्रावलियां निस्तारण हेतु अभी तक कोई बैठक नहीं बुलायी गयी और अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु आयुक्त गोरखपुर को नहीं भेजी गयी जिसका परिणाम है कि आगामी शिक्षा-सत्र में महाविद्यालयों के संचालन में भारी कठिनाई होगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक छात्रों का बढ़ता हुआ भार कम नहीं हो सकता है जो संस्थायें भवन सहित अपनी सारी शर्तें पूरी कर ली हैं, उन्हें एन0ओ0सी0 प्राप्त न होने से शासन स्तर पर पत्रावलियां नहीं आ पायेंगी।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने एवं पत्रावलियों का निस्तारण यथाशीघ्र कराये जाने का निर्देश सम्बन्धित अधिकारी को दिये जाने की मांग की गयी है।

(2) इस सम्बन्ध में कुलसचिव, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर से आख्या प्राप्त की गयी। आख्या में अवगत कराया गया है कि कुलपति की अध्यक्षता में अनापत्ति/सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 28-05-2012 को हुई है, जिसमें 31 पत्रावलियों को एन0ओ0सी0 प्रदान करने हेतु मण्डलायुक्त, गोरखपुर को भेजने की संस्तुति समिति द्वारा की गयी है जिसमें 28 प्रस्ताव सत्र 2012-13 से तथा 3 प्रस्ताव सत्र 2013-14 से अनापत्ति निर्गत करने के लिए हैं। सभी 31 पत्रावलियां मण्डलायुक्त, गोरखपुर को प्रेषित कर दी गयी हैं। अनापत्ति की 15 लम्बित पत्रावलियां समिति की अगली बैठक मे प्रस्तुत की जायेंगी।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मनबोध प्रसाद-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं कहना चाहता हूँ कि सदन के माध्यम से इसका निस्तारण हो। क्योंकि पुराने ढर्रे से जो कार्यक्रम चल रहे थे जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई और नवीन सम्बद्धता के कारण उनका एन0ओ0सी0 प्रमाण-पत्र नहीं मिला। जो शासन को नहीं गया। इसलिए मैं सदन के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि यह कार्यवाही हो और एन0ओ0सी0 स्वीकृत कर शासन को भेजी जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें प्रश्न के उत्तर में, अगर आपने आज का वक्तव्य देख लिया होता तो स्वयं स्पष्ट है कि 28-05-2012 को इसकी बैठक हो गई और इसमें 31 पत्रावलियों को एन0ओ0सी0 प्रदान करने हेतु मण्डलायुक्त, गोरखपुर को भेज दिया गया है अब मण्डलायुक्त से शासन में आ जायेगा, उसके अनुसार एन0ओ0सी0 पर शासन विचार करेगा और बैठक उसकी हो गई थी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे और उसकी संस्तुति की जा चुकी है।

जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज में पश्चिमी गंडक नहर की विगत कई वर्षों से सफाई न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार "लल्लू" द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर की सफाई विगत कई वर्षों से नहीं करायी गयी.....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[है, जिसके कारण नहर में भारी मात्रा में सिल्ट जमा हो गयी है और टेल तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुँच पाता है, कि0मी0 81.00 से 131.00 कि0मी0 तक स्थिति अत्यन्त ही खराब है। इसके अतिरिक्त नहर के फाटकों की मरम्मत भी काफी समय से नहीं की गयी है। अतः किसानों को सिंचाई आदि के लिए पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनके सामने विषम स्थिति पैदा हो गयी है। गण्डक नहर प्रणाली क्षमता पुनर्स्थापना परियोजना रु0 217.1 करोड़ ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन के उपरान्त भी अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न होने से इस क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। गण्डक नहर सहित सभी रजबहों की सफाई, मरम्मत न होने भारी क्षति होती है।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में जनपद गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली निर्मित है। इस नहर प्रणाली को जल की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आपूर्ति नेपाल राष्ट्र एवं बिहार राज्य की सीमा पर स्थित गण्डक नदी पर निर्मित बैराज से होती है। नदी के बायें तट से मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर निकली है, जो नेपाल राष्ट्र से होते हुए भारत राष्ट्र की सीमा में ग्राम झुलनीपुर के पास प्रवेश करती है। मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर कि0मी0 0.00 से किमी0 18.900 तक नेपाल राष्ट्र मे स्थित है। गण्डक बैराज एवं नेपाल राष्ट्र मे स्थित कि0मी0 0.00 से कि0मी0 18.900 तक नहर का रख-रखाव बिहार राज्य द्वारा किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की सीमा में स्थित मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर के कि0मी0 18.900 से कि0मी0 31.400 तक कुल लम्बाई 112.500 मीटर का रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। इस नहर से निकलने वाली शाखाओं, रजबाहों एवं अल्पिकाओं को सम्मिलित करते हुए उत्तर प्रदेश में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली की 3207.00 कि0मी0 नहरें निर्मित हैं।

वर्तमान में मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर प्रणाली की वह नहरें, जिनसे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है तथा पिछले वर्षा में वृहद रूप से सिल्ट जमा होने के कारण उनकी जल प्रवहन क्षमता में कमी हुई है, की क्षमता पुनर्स्थापना से सम्बन्धित परियोजना लागत रु0 23223.10 लाख व्यय वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए भारत सरकार को प्रेषित की गई है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त नहरों की पुनर्स्थापना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।]

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो केवल वक्तव्य के लिए है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, यह केवल वक्तव्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

रुकिये मैं देखता हूँ, मा0 मंत्री जी, मंत्री का वक्तव्य है, केवल वक्तव्य नहीं है, इसलिये इसमें मा0 सदस्य स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

माननीय अध्यक्ष जी, सूचना पर दिनांक 05-06-12 को दी गयी सूचना पर दिनांक 11-06-12 के लिए निर्धारित केवल वक्तव्य लिखा है, इसलिए मैंने पढ़ा तो सही है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं आपका तो सही है, लेकिन इसमें यह लिखा है, हम देखेंगे कि हमारे विभाग में कहां यह त्रुटि हो गई है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो जवाब दिया गया है, वह भ्रामक है, जबकि यह हमारे पास एक पत्र है जिसमें सिंचाई अनुभाग-4 के पत्रांक 2301/102730405 डब्ल्यू/05सीसी दिनांक 30-05-2010 को 217 करोड़ रुपया अनुमोदित हो चुका है भारत सरकार से, जबकि इसमें जवाब आया है कि रु0 23223.10 लाख व्यय वित्त समिति के अनुमोदनोपरान्त ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेजा गया है। जब कि यह 24-04-2010 को जो प्रस्ताव हुआ था

वह नई दिल्ली ए0आई0बी0पी0 के अर्न्तगत वित्त पोषण केन्द्रीय जल आयोग द्वारा संस्तुति प्रदान किया जा चुका है। अब इसमें चूँकि 2010 से प्रस्ताव अनुमोदित है और अब तक इसमें किसी प्रकार को कोई काम उस नहर में नहीं किया गया है, तो मैं मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि यह जो भ्रामक सूचना दी गई है सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पहले उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप जरा सुनिये तो, इसमें आप पढ़िये इसमें लिखा है कि भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त नहरों की पुनर्स्थापना का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। तो भारत सरकार द्वारा अभी स्वीकृत ही नहीं हुआ है तो क्या किया जाय।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास है ?

श्री अजय कुमार लल्लू-

हाँ है, 2010 में ही स्वीकृति मिल चुकी है, आप चाहे तो इसकी कापी मैं उपलब्ध करा सकता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अगर वह है, तो मा0 मंत्री जी दिखवा लेंगे, अब खत्म करें, आप बैठ जायें।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, चूँकि हमारे यहाँ नहरों की स्थिति बहुत खराब है, जो मेन कैनाल है, उसमें ढाई मीटर से अधिक सिल्ट जमा होने के कारण रजबहा में पानी नहीं आ पा रहा है, जो मेरा सवाल था और रजबहों में पानी न आ पाने के कारण माइनरों में पानी नहीं आ पा रहा है। तो मैं मा0 मंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा कि उन नहरों को दिखवा लिया जाय, क्योंकि हमारा क्षेत्र गन्ना, गरीबी और गण्डक से भरा क्षेत्र है, उन नहरों में पानी नहीं आ रहा है, बाबू गेन्दा सिंह जी की याद उन्हीं नहरों से पूरी तरह से जुड़ी है, तो उन नहरों को दिखवा लिया जाय और उनकी सफाई करा दी जाय, यह मैं आश्वासन चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप मा0 मंत्री जी को तो सुन लीजिये।

लोक निर्माण, सिंचाई, सहकारिता एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

श्रीमन् अब आपको पता हो गया होगा कि अभी तक 25 सालों से नहरों की सफाई नहीं हुई थी, अब हमने दो बार एक मई और जून के महीने में और अक्टूबर के महीनों में नहरों की सफाई और सिल्ट सफाई के लिए आदेश दे दिये हैं। अगर आपके यहाँ उससे कुछ हट कर के हो, तो आप लिख कर के हमारे पास भिजवा देना, उसे दिखवा लिया जायेगा। अभी तो आठ करोड़ रुपया देकर आये थे, अभी तो मौके पर गये थे हम।

श्री अजय कुमार लल्लू-

मान्यवर, वह बंधे के लिए दिये थे।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नहीं ऐसा नहीं है, नहरों का अलग है, बंधे का अलग है।

श्री अजय कुमार लल्लू-

अगर ऐसा है तो आपको धन्यवाद।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां में आंधी/तूफान से क्षतिग्रस्त विद्युत पोलों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अवस्थी बाला प्रसाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15 स्थगित है।

जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद क्षेत्रान्तर्गत (यू0पी0एस0आई0डी0सी0) औद्योगिक क्षेत्र के आस-पास कुछ फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित उत्प्रवाह छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

प्रोटोकाल मंत्री (श्री अभिषेक मिश्र)-

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना पर अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यू0पी0एस0आई0डी0सी0) द्वारा विकसित.....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य प्रोटोकाल राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अभिषेक मिश्र-

[क्षेत्र सिकन्दराबाद, जनपद बुलन्दशहर में स्थित समस्त जल प्रदूषणकारी उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित एवं संचालित हैं। वर्तमान में भूगर्भ जल प्रदूषित होने, कृषि योग्य भूमि के संक्रमित होने एवं बीमारियों सम्बन्धी कोई शिकायत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्राप्त नहीं हुई है। सिकन्दराबाद औद्योगिक क्षेत्र मे उद्योगों से जनित उत्प्रवाह शोधन के पश्चात नाले के माध्यम से निस्तारित होता है, जो कि अन्ततः करवन नदी में मिलता है। प्रायः देखा गया है कि नाले में रोक लगाकर क्षेत्रीय किसानों द्वारा पानी का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है तथा नाला करवन नदी में मिलने से पूर्व सूख जाता है। मै0 कोठरी फरमेन्टेशन एण्ड बायोकेम लि0 ग्राम राजारामपुर, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर में शीरे का उपयोग कर यीस्ट का उत्पादन किया जाता है। उक्त उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण हेतु शून्य उत्प्रवाह तकनीकी पर आधारित मल्टीपल इफेक्ट इवापरेटर्स स्थापित हैं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिसमें उत्प्रवाह को सान्द्रित कर राइस हस्क के साथ मिश्रित कर बायलर में जला दिया जाता है इस प्रकार इकाई से औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित नहीं होता है। मैसर्स संतोष ओवरसीज लिमिटेड में चावल का उत्पादन होता है जिसमें उत्प्रवाह के शोधन हेतु ई0टी0पी0 स्थापित एवं संचालित हैं। महावीर सिलेण्डर्स नाम की कोई इकाई कार्यरत नहीं है, यद्यपि महावीर कॉनकास्ट नामक उद्योग कार्यरत है जिसमें लोहे के इन्गाट्स का उत्पादन होता है जो कि जल प्रदूषणकारी उद्योग नहीं हैं।]

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से सबसे पहले यह कहना चाहती हूँ कि वहां पर जो लोग रहते हैं, उनको करीब-करीब यही नहीं पता की, वहाँ पर कोई जल प्रदूषण केन्द्र भी है, क्योंकि जो शिकायत होगी वह जल प्रदूषण केन्द्र से नहीं करेंगे बल्कि वहाँ पर जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, उसके द्वारा ही शिकायत कही जाती है। यह जो मैंने प्रश्न उठाया है, इसमें प्रदूषण केन्द्र ने जो आपके पास सूचना भेजी है। उसके सम्बन्ध में मैं पूछना चाहती हूँ कि यदि वहाँ पर ई0टी0पी0 स्थापित है, तो क्या वह चालू हालत में है कि नहीं और यदि चालू हालत में है तो फिर नाले में पानी कहाँ से भेजा जाता है, क्यों भेजा जाता है ? क्यों नहीं पानी को फिल्टर करके छोड़ा जाता है और जहाँ तक सिंचाई की बात की जाती है मा0 मंत्री जी मैं कहना चाहती हूँ, मा0 अध्यक्ष जी, मैं पश्चिम क्षेत्र से आती हूँ और बुलन्दशहर बहुत ही समृद्धिशाली जिला है और सिकन्दराबाद क्षेत्र और भी समृद्धिशाली है। वहाँ पर किसान इस नाले से सिंचाई करेगा, जो कि कैमिकलयुक्त नाला है, जिसमें कैमिकल जाता है और उस नाले के पानी से सिंचाई करेगा। इसलिये मा0 मंत्री जी, कृपया मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि क्या आप इसकी मेरे कहने से दोबारा जाँच करवायेंगे।

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष महोदय, जो सबसे पहला इन्होंने शिकायत का सवाल उठाया है, उसमें किसी की भी तरफ से किसी भी विभाग में कोई शिकायत नहीं दर्ज करायी गयी है। मा0 विधायक जी की तरफ से भी किसी भी विभाग में इससे पहले, सदन में प्रश्न उठाने से पहले कोई पत्र या शिकायत दर्ज नहीं कराई गयी है। जब इन्होंने सदन में यह सवाल उठाया तो मैंने एक इंस्पेक्शन टीम को भेजा था, जो कि ऑन द स्पॉट जाकर के इंस्पेक्शन कर सके। सन डे को, कल उसका निरीक्षण हुआ है जिसमें मै0 कोठारी फरमेन्टेशन एण्ड बायोकेस लि0 में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र सथापित एवं संचालित पाया गया। संतोष ओवरसीज लिमिटेड में भी ऐसा ही पाया गया और तीसरा जो है, महावीर कॉनकास्ट उसमें भी उद्योग उत्पादनरत और संयंत्र संचालित पाया गया। इसके साथ-ही-साथ जो इन्होंने महावीर सिलेण्डर्स औद्योगिक क्षेत्र का सवाल उठाया है। महावीर सिलेण्डर्स उद्योग के नाम से उस क्षेत्र में कोई उद्योग कार्यरत नहीं है। हाँ, एक महावीर इन्गाटस के नाम से जरूर है, और उससे भी किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता।

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें।

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ उसमें जो यह था कि संयंत्र नहीं लगे हैं, उसकी फोटोग्राफ्स मैंने मंगवायी है। मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्या जी को देना चाहूँगा। इसकी फोटोग्राफ्स आज की खिंची हुई फोटोग्राफ है और यह दोनों जगहों पर ऑलरेडी इंस्टॉल कैपीसिटी है और वह काम करते हुए पाये गये हैं, पूरी तरीके से। इसके साथ ही साथ सी0एम0ओ0 से मैंने एक सर्टीफिकेट के लिए कहा था। तीन दिन पहले मैंने उनसे कहा था। सी0एम0ओ0 ने लिखित रूप में जस्टीफाई और टेस्टिफाई किया है कि कोई मौत इससे जुड़ी हुई या कोई बीमारी अथवा ऐसे संक्रामक रोग उन्होंने रिपोर्ट नहीं की है। इसमें डिस्ट्रिक एग्रीकल्चर ऑफिसर से जमीन की जाँच भी करायी गई है। कई जगहों पर जाँच करायी गयी है। उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि 15 दिन का वक्त दीजिये। हम उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट लाकर के सदन के सामने प्रस्तुत करेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, इससे बड़ा मंच कोई शिकायत का है नहीं, जहाँ पर इन्होंने शिकायत की है। उसके बाद में आपने कहा कि फोटोग्राफ भेज देंगे। फोटोग्राफ में चलते तो नजर आयेंगे नहीं वो संयंत्र। अगर वह लगे भी हैं तो मान्यवर, मा0 सदस्या का कहना है कि चल नहीं रहे हैं। इन्होंने सिर्फ एक विनती यह की है कि जाँच करायी जाय सी0एम0ओ0 तो वहाँ पर हैं ही। सी0एम0ओ0 के यहाँ तो सैटिंग की होगी, अगर सैटिंग नहीं की होती तो चल ही नहीं सकते वो। और सी0एम0ओ0 से आप जाँच करायेंगे। इनकी विधायक जी की शिकायत को आधार मानकर क्या आप यहाँ से अधिकारी भेजकर के उच्च स्तरीय जाँच करायेंगे और सदन को अवगत करायेंगे।

श्री अभिषेक मिश्र-

मा0 अध्यक्ष जी, इसी का मैंने जवाब दिया था कि इस सवाल के मिलने के बाद ही मैंने कल अचानक इंस्पेक्शन कराया था। तीन अलग-अलग उद्योग विभाग के कर्मचारी वहाँ भेजे गये थे, जो कि प्रदूषण से सम्बन्धित नहीं है। वह जाकर के साइट पर मौजूद थे, उन्होंने फिर से किया। अगर मा0 सदस्य फिर से कहेंगी तो हम फिर से करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब मंत्री जी ने कह दिया है।

श्री हुकुम सिंह-

उन्होंने कह दिया, मैंने कह दिया। अब तो जाँच कराने की आवश्यकता है। यह वहाँ से चुनी हुई विधायक हैं, रोजाना देखती हैं।

मान्यवर, जनता मा0 विधायक के पास आती है और मंत्री जी ने कहा कि जनता ने कोई शिकायत नहीं की है।

श्री अध्यक्ष-

अभी मंत्री जी ने कहा कि मुख्यालय से टीम भेजकर जाँच करायी है और उसके बाद भी वह तैयार है कि फिर भी जाँच करा लेंगे।

प्रो0 अभिषेक मिश्र-

मान्यवर, हम इसकी फिर से जाँच करवा लेंगे।

जनपद सिद्धार्थनगर की तहसील डुमरियागंज विकास खण्ड भनवापुर के अन्तर्गत मण्डी समिति सहियापुर के परिसर में मार्केटिंग एजेन्सी के क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा गेहूँ तौल विलम्ब से कराने के सम्बन्ध में श्री कमाल यूयुफ मलिक द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री कमाल यूसुफ मलिक को पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह तो मेरे जनपद का मामला था अब यूसुफ मलिक जी नहीं हैं।

(सदस्य की अनुपस्थिति के कारण वक्तव्य व्यपगत माना गया।)

श्री अध्यक्ष-

अब अगली मद लेता हूँ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर की नहरों में काफी समय से पानी न पहुँचने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डॉ0 धर्मपाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद आगरा के.....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धक मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[अन्तर्गत एत्मादपुर विधान सभा क्षेत्र में हरिद्वार में गंगा नदी से निकाली गई ऊपरी गंगा नहर की निचली मांट शाखा, हाथरस शाखा एवं फिरोजाबाद शाखा से सिंचाई हेतु पानी पहुँचाया जाता है।

इस सम्बन्ध में यह अवगत कराया जाना है कि वर्तमान में दिनांक 18-05-2012 तक गंगा नदी में पानी की उपलब्धता कम थी, जिससे ऊपरी गंगा नहर के हेड पर पानी सामान्य से कम मिल रहा था। दिनांक 19-05-2012 के उपरान्त ऊपरी गंगा नहर के हेड पर पानी की उपलब्धता सामान्य हुई है। अतः अब खरीफ में नहरों की सफाई कराकर प्रश्नगत नहरों की टेल फीड कराने की कार्यवाही प्रगति में है। खेतों की पलेवा एवं धान की नर्सरी के दृष्टिगत कमाण्ड की सभी नहरों में पानी उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया जा चुका है।]

जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में तथा नगर के अन्य क्षेत्रों में सीवर लाइनों के भयंकर रूप से जाम होने तथा प्रदूषित जलापूर्ति के कारण कई क्षेत्रों में डायरिया से लोगों के पीड़ित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' को पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगली मद लेता हूँ।

(सदस्य की अनुपस्थिति के कारण वक्तव्य व्यपगत माना गया)

जनपद बहराइच के कैसरगंज के ग्राम गोडहिया में भू-लेख सर्वेक्षण के कारण किसानों को खतौनी और खसरा की नकल प्राप्त होने में हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मुकुट बिहारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

इस सम्बन्ध में मान्यवर जिलाधिकारी बहराइच से .....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वास तथा लोक सेवा प्रबन्धक मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[आख्या प्राप्त की गई जिसके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

ग्राम गोडहिया, परगना हिसामपुर, तहसील कैसरगंज, जनपद बहराइच में वर्ष 1982-83 से सर्वे का कार्य चल रहा है, ग्राम का सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है, सर्वे प्रपत्र फर्द मुताबिकत, खसरा मुताबिकत, पड़ताली चिट्ठा, पर्ची खतौनी नोटिस सहित, तेरिज, मिसिलबन्द, भू-राजस्व विवरण व पुनरीक्षित खसरा तैयार है, पुनरीक्षित खसरे पुरानी गाटाओं से नई गाटों की तैयारी कर ली गयी है। पुनरीक्षित खतौनी की तैयारी का कार्य चल रहा है।

ग्राम वासियों को खसरा खतौनी उपलब्ध कराने के लिए सर्वे लेखपालों को प्रत्येक मंगलवार के दिन अभिलेख सहित तहसील में उपस्थित रह कर नकल दिये जाने की कार्यवाही करायी जा रही है। इसके लिये स्थानीय तहसील स्तर से एक नायब तहसीलदार को भी लगाया गया है, क्योंकि सर्वे नायब तहसीलदार/सर्वे कानूनगो का पद अद्यतन रिक्त है। जहाँ तक सरकारी कर्मचारी द्वारा सीमांकन के नाम पर गरीबों के दोहन का प्रश्न है, जाँच में यह तथ्य सही नहीं पाया गया है।]

जनपद पीलीभीत ट्रान्स शारदा क्षेत्र में शारदा नदी से हो रहे कटान से तटबन्ध का निर्माण कराकर कतिपय गावों को बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री अगयश रामसरन वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

श्री अगयश रामसरन वर्मा.....

राजस्व, अभाव सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धक मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अधीन दिनांक 05-06-2012 को निम्न सूचना दी गयी है :-

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत शारदा नदी, देवहा नदी, कटना नदी एवं खन्नौत नदी के प्रवाह से भारी क्षेत्रफल में भूमियों का कटान होना सर्वविदित है। ट्रांस शारदा क्षेत्र से सम्बन्धित लगभग 50 गांव बाढ़ से इस प्रकार प्रभावित हैं कि हजारों एकड़ भूमि शारदा नदी में समाहित हो चुकी है। बरसात के समय इस परिक्षेत्र का सम्पर्क तहसील एवं जिला मुख्यालय से विमुख हो जाता हैं गांव की आबादी छिन्न-भिन्न है। जनसामान्य की सुविधायें होना मात्र कल्पना तो है ही उनको भूख मिटाने तक का अकाल है। प्रतिवर्ष धन, जन एवं पशुओं की अकाल्पनिक क्षति होती है लेकिन दुर्भाग्य है कि बाढ़ राहत के नाम से इतना भारी घोटाला होता है कि अब तक समुचित तटबन्धों, नालों एवं जन सामान्य के पुनर्वासित की भयंकर समस्यायें हैं। तहसील बीसलपुर परिक्षेत्र भी देवहा, कटना एवं खन्नौत नदी के कटान से प्रभावित रहता है तथा राजस्व गांव मुडिया कुंडरी, कबूलपुर, पुरनापुर, पुरैना, धरलिया, ललौर, गुजरानपुर, टिहुलिया, रिछोला, घासी, खानपुर उर्फ वीरमपुर, किशनी परेवा, ता0 किशनी, महुआ, पटनिया, हीरापुर दुही, कर्रखेड़ा, रमपुरा नौगवां, नगरिया फत्तेपुर, चौसर, हरदोपट्टी, भगवतपुर करोड़, भौरूआ, राजूपुर कुडरी, कितनापुर, सितारगंज नवदिया, नवदियाभगत, कधरापुर, भैसटा जलालपुर, रसूला, अहिरवाड़ा, रम्पुराराना, रढ़ैता, शहवाजपुर, मीरपुर, मिरन्द, बढ़ैपुरा, धारम, रायपुर, टेहरी, अदिलाबाद, बीसलपुर आदि आदि तहसील बीसलपुर के गांव प्रभावित रहते है।। गांव पटनिया हेतु अनेकों बार बाढ़ से बचाव हेतु तटबन्ध बनाये जाने हेतु शासन स्तर से धन आहरित किया जा चुका है परन्तु तटबन्ध बनाये जाने हेतु शासन स्तर से धन आहरित किया जा चुका है परन्तु तटबन्ध नहीं बने हैं अनेकों गांव छिन्न-भिन्न हैं। पुनर्वासित भी नहीं किया गया है। गांव पटनिया, घरलिया, ललौर, गुजरानपुर, पुरनापुर, पुरैना, शेरगंज, धरमंगदपुर, उचसिया उल्लेखनीय हैं।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2-श्री अगयश रामसरन वर्मा मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचना पर आख्या निम्नवत् है :-

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत शारदा नदी के क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के ग्राम पटनिया को बचाने के लिये "मित्तेपुर पटनिया बाढ़ सुरक्षा परियोजना" पर कार्य कराया गया है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन अपराह्न 06 बजकर 14 मिनट पर मंगलवार दिनांक 12 जून, 2012 को अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 11 जून, 2012

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-30 का उत्तर पीछे पृष्ठ 34 पर)

पथ प्रकाश विभाग, नगर निगम गोरखपुर।

वर्ष 2007-2008 में विद्युत सामानों के आपूर्ति का विवरण

क्र0सं0	समानों का विवरण	मात्रा	निविदा दर प्रति	कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1.	बल्ल 100 वाट	975	10.00	9750.00
2.	बल्ल 60 वाट	500	9.50	4750.00
3.	ट्यूब राड 40 वाट	4000	34.50	138000.00
4.	चोक 40 वाट कापर	4300	102.00	438600.00
5.	स्टार्टर 220 बोल्ट	2000	5.75	11500.00
6.	सोडियम बल्ब 70 वाट	8200	188.00	1541600.00
7.	सोडियम बल्ब 250 वाट	3825	298.00	1139850.00
8.	सोडियम चोक 70 वाट	3630	330.00	1197900.00
9.	सोडियम चोक 250 वाट	1563	771.00	1205073.00
10.	इगनाइटर 70/250 वाट थ्री पिन	10750	51.00	548250.00
11.	एम0एच0 बल्ब 250 वाट	220	703.00	154660.00
12.	एम0एच0 चोक 250 वाट	100	781.00	78100.00
13.	एम0एच0 बल्ब 400 वाट	510	703.00	358530.00
14.	एम0एच0 चोक 400 वाट	263	989.00	260107.00
15.	मेनस्विच 63 एम्पीयर	285	2695.00	768075.00
16.	मेनस्विच 100 एम्पीयर	225	4985.00	1121625.00
17.	एम0एच0 इगनाइटर 250 वाट	450	81.00	36450.00
18.	सोडियम फिटिंग 70 वाट	170	1700.00	289000.00
19.	सोडियम फिटिंग 250 वाट	152	2990.00	454480.00
20.	ट्यूब फिटिंग 40 वाट	528	648.00	342144.00
21.	पेन्डेन्ट होल्डर	1640	10.00	16400.00
22.	हाई मास्ट फ्लड लाईट फिटिंग 2x400 वाट	1	8104.00	8104.00
23.	हाई मास्ट फ्लड लाईट फिटिंग 1x400 वाट	5	4000.00	20000.00
24.	वेदर प्रूफ वायर 2.5 एम0एम0	286 बण्डल	1181.21	337826.00
25.	23/76 वायर	173 बण्डल	709.11	122676.00
26.	6 एम0एम0 वायर सिंगल कोर	500 क्वायल	931.90	465950.00
27.	1/18 एल्यूमिनियम वायर	700 बण्डल	445.51	311857.00
28.	कटाउट 63 एम्पीयर	1650	223.00	367950.00
29.	कटाउट 100 एम्पीयर	740	401.11	296821.00
30.	बेस कान्टेक्ट 100 एम्पीयर	450	285.00	128250.00
31.	बेस कान्टेक्ट 63 एम्पीयर	250	185.00	46250.00
32.	फाइवर राड 100 एम्पीयर	1050	140.00	147000.00
33.	फाइवर राड 63 एम्पीयर	600	109.00	65400.00

1	2	3	4	5
34.	यू कान्ट्रेक्ट 100 एम्पीयर	1100	145.00	159500.00
35.	यू कान्ट्रेक्ट 63 एम्पीयर	800	69.00	55200.00
36.	सोडियम होल्डर 250 वाट	1000	78.81	78810.00
37.	सोडियम होल्डर 70 वाट	1200	74.71	89652.00
38.	वीजर कण्डक्टर तार	2635 केजी	165.00	434775.00
39.	साखू पटरा	405	583.00	236115.00
40.	आमर्ड केबुल 10×4	1750 मी0	178.71	312743.00
41.	आमर्ड केबुल 6×4	1850 मी0	156.21	288989.00
42.	आमर्ड केबुल 6×2	1000 मी0	136.61	136610.00
43.	पी0वी0सी0 टेप	3200	23.00	73600.00
44.	सैकिल इन्सुलेटर	4500	34.91	157095.00
45.	लूप इन्सुलेटर	2500	23.00	57500.00
46.	बांस की सीढ़ी	70	695.99	48719.00
47.	1.5 एम0एम0 वायर	100 बण्डल	799.61	79961.00
48.	इन्सुलेटर क्लैम्प 3"	1000	113.99	113990.00
49.	जी0आई0 बेण्ड 2'×1¼	600	231.99	79194.00
50.	सोडियम बेण्ड 5'×1¼	500	231.61	115805.00
51.	ट्यूब बेण्ड 2'×1	1000	178.99	178990.00
52.	पी0सी0सी0 इन्सुलेटर क्लैम्प	2000	116.01	232020.00
53.	पी0सी0सी0 ट्यूब क्लैम्प	2500	116.10	290250.00
54.	ट्यूब लाईट क्लैम्प 3"	1500	113.10	169650.00
55.	ट्यूब लाईट क्लैम्प 4"	2000	113.21	226420.00
56.	ट्यूब लाईट क्लैम्प 5"	1500	116.01	174015.00
57.	पी0सी0सी0 सोडियम क्लैम्प	1000	116.05	116050.00
58.	सोडियम क्लैम्प 3"	1000	113.99	113990.00
59.	सोडियम क्लैम्प 4"	1500	114.70	172050.00
60.	सोडियम क्लैम्प 5"	1000	114.70	114700.00
61.	पोल कैप	700	74.00	51800.00
			योग . .	**1,68,91,121.00**

वर्ष 2008-2009 में विद्युत् सामानों के आपूर्ति का विवरण

क्र0सं0	**सामानों का विवरण**	**मात्रा**	**निविदा दर प्रति**	**कुल धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	बल्ब 100 वाट	300	10.00	3000.00
2.	बल्ब 60 वाट	300	9.50	2850.00
3.	ट्यूब राड 40 वाट	10200	34.50	351900.00
4.	चोक 40 वाट कापर	4950	102.00	504900.00

1	2	3	4	5
5.	स्टार्टर 220 बोल्ट	6600	5.75	37950.00
6.	ट्यूब होल्डर	2300	7.75	17825.00
7.	सोडियम बल्ब 70 वाट	8100	188.00	1522800.00
8.	सोडियम बल्ब 250 वाट	3838	298.00	1143724.00
9.	सोडियम चोक 70 वाट	4260	330.00	1405800.00
10.	सोडियम चोक 250 वाट	2327	771.00	1794117.00
11.	इगनाइटर 70/250 वाट थ्री पिन	10425	51.00	531675.00
12.	एम0एच0 बल्ब 250 वाट	200	703.00	140600.00
13.	एम0एच0 बल्ब 400 वाट	325	703.00	228475.00
14.	एम0एच0 चोक 400 वाट	125	989.00	123625.00
15.	एम0एच0 इगनाइटर 250 वाट	550	81.00	44550.00
16.	सोडियम फिटिंग 70 वाट	250	1700.00	425000.00
17.	सोडियम फिटिंग 250 वाट	170	2990.00	508300.00
18.	ट्यूब फिटिंग 40 वाट	976	648.00	632448.00
19.	हाई मास्ट फ्लड लाईट फिटिंग 2×400 वाट	40	8104.00	324160.00
20.	हाई मास्ट फ्लड लाईट फिटिंग 1×400 वाट	20	4000.00	80000.00
21.	वेदर प्रूफ वायर 2.5 एम0एम0	150 बण्डल	1181.00	177181.00
22.	23/76 वायर	350 बण्डल	709.11	248188.00
23.	6 एम0एम0 वायर सिंगल कोर	210 क्वायल	931.90	195699.00
24.	1/18 एल्यूमिनियम वायर	1300 बण्डल	445.51	579163.00
25.	3/20 कापर वायर	300 क्वायल	921.21	276363.00
26.	कटाउट 63 एम्पीयर	1700	223.00	379100.00
27.	कटाउट 100 एम्पीयर	1970	401.11	790187.00
28.	बेस कान्टेक्ट 100 एम्पीयर	1200	285.00	342000.00
29.	बेस कान्टेक्ट 63 एम्पीयर	500	185.00	92500.00
30.	फाइवर राड 63 एम्पीयर	100	109.00	10900.00
31.	यू कान्टेक्ट 63 एम्पीयर	250	69.00	17250.00
32.	सोडियम होल्डर 250 वाट	1000	78.81	78810.00
33.	सोडियम होल्डर 70 वाट	1000	74.71	74710.00
34.	वीजर कण्डक्टर तार	1200 केजी	165.00	198000.00
35.	आमर्ड केबुल 10×4	2000 मी0	178.71	357420.00
36.	आमर्ड केबुल 6×4	2050 मी0	156.21	320230.00
37.	आमर्ड केबुल 6×2	2250 मी0	136.61	307322.00
38.	पी0वी0सी0 टेप	3000	23.00	69000.00
39.	सैकिल इन्सुलेटर	2500	34.91	87275.00
40.	लूप इन्सुलेटर	4500	23.00	103500.00
41.	1.5 एम0एम0 वायर	600 बण्डल	799.61	479766.00
42.	इन्सुलेटर क्लैम्प 3"	1000	113.99	113990.00

1	2	3	4	5
43.	इन्सुलेटर क्लैम्प 4"	1000	114.50	114500.00
44.	इन्सुलेटर क्लैम्प 5"	1500	115.31	172965.00
45.	जी0आई0 बेण्ड 2'×1¼	600	131.99	79194.00
46.	सोडियम बेण्ड 5'×1¼	500	231.61	115805.00
47.	ट्यूब बेण्ड 2'×1	1500	178.99	268485.00
48.	पी0सी0सी0 इन्सुलेटर क्लैम्प	1200	116.01	139320.00
49.	सोडियम क्लैम्प 3"	1000	113.99	113990.00
50.	सोडियम क्लैम्प 4"	1500	114.70	172050.00
51.	पोल कैप	700	74.00	51800.00
52.	पिलास	35	110.00	3850.00
53.	पोर्सलिन कनेक्टर 15 एम्पीयर	1000	68.00	68000.00
54.	पेचकस छोटा	13	35.00	455.00
55.	पेचकस बड़ा	13	42.00	546.00
56.	पेचकस 828 नम्बर	35	55.00	1925.00
57.	स्पेनर रिंच सेट	13	325.00	4225.00
58.	एजेस्टेबुल रिंच	13	110.00	1430.00
59.	टेस्टर	13	30.00	390.00
			योग	**. . 1,64,31,183.00**

वर्ष 2009-2010 में विद्युत् सामानों के आपूर्ति का विवरण

क्र0सं0	सामानों का विवरण	मात्रा	निविदा दर प्रति	कुल धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	बल्ब 60 वाट	500	9.50	4750.00
2.	ट्यूब राड 40 वाट	5600	34.50	193200.00
3.	चोक 40 वाट कापर	2488	102.00	253776.00
4.	स्टार्टर 220 बोल्ट	5800	5.75	33350.00
5.	ट्यूब होल्डर	2400	7.75	18600.00
6.	सोडियम बल्ब 70 वाट	6790	188.00	1276520.00
7.	सोडियम बल्ब 250 वाट	2162	298.00	644276.00
8.	सोडियम चोक 70 वाट	3880	330.00	1280400.00
9.	सोडियम चोक 250 वाट	1523	771.00	1174233.00
10.	इगनाइटर 70/250 वाट थ्री पिन	9260	51.00	472260.00
11.	एम0एच0 चोक 250 वाट	25	781.00	19525.00
12.	एम0एच0 बल्ब 400 वाट	344	703.00	241832.00
13.	एम0एच0 चोक 400 वाट	50	989.00	49450.00
14.	एम0एच0 इगनाइटर 250 वाट	525	81.00	42525.00
15.	सोडियम फिटिंग 70 वाट	441	1700.00	749700.00
16.	सोडियम फिटिंग 250 वाट	50	2990.00	149500.00

1	2	3	4	5
17.	ट्यूब फिटिंग 40 वाट	234	648.00	151632.00
18.	स्टील ट्यूबलर पोल	60	6251.00	375060.00
19.	वेदर प्रूफ वायर 2.5 एम0एम0	50 बण्डल	1181.21	59060.00
20.	23/76 वायर	500 बण्डल	709.11	354555.00
21.	6 एम0एम0 वायर सिंगल कोर	425 क्वायल	931.90	396057.00
22.	1/18 एल्यूमिनियम वायर	250 बण्डल	445.91	111477.00
23.	बेस कान्टेक्ट 100 एम्पीयर	250	285.00	71250.00
24.	बेस कान्टेक्ट 63 एम्पीयर	500	185.00	92500.00
25.	फाइवर राड 100 एम्पीयर	1500	140.00	210000.00
26.	फाइवर राड 63 एम्पीयर	500	109.00	54500.00
27.	यू कान्टेक्ट 63 एम्पीयर	500	69.00	34500.00
28.	वीजर कण्डक्टर तार	3000 केजी	165.00	495000.00
29.	आमर्ड केबुल 10×4	1000 मी0	178.71	178710.00
30.	आमर्ड केबुल 6×4	1000 मी0	156.21	156210.00
31.	आमर्ड केबुल 6×2	500 मी0	136.61	68305.00
32.	1.5 एम0एम0 वायर	125 बण्डल	799.61	99551.00
33.	इन्सुलेटर क्लैम्प 3"	1500	113.99	170985.00
34.	इन्सुलेटर क्लैम्प 4"	500	114.50	57250.00
35.	इन्सुलेटर क्लैम्प 5"	2000	115.31	230620.00
36.	जी0आई0 बेण्ड 2'×1¼	200	131.99	26398.00
37.	ट्यूब बेण्ड 2'×1	500	178.99	89495.00
38.	पी0सी0सी0 इन्सुलेटर क्लैम्प	3000	116.01	348030.00
39.	पी0सी0सी0 ट्यूब क्लैम्प	2000	116.10	232200.00
40.	ट्यूब लाइट क्लैम्प 4"	2000	113.21	226420.00
41.	सोडियम क्लैम्प 4"	1500	114.70	172050.00
42.	फ्यूज वायर 63 एम्पीयर	25 केजी	900.00	22500.00
43.	फ्यूज वायर 100 एम्पीयर	25 केजी	960.00	24000.00
			योग . .	**1,11,12,612.00**

वर्ष 2010-2011 में विद्युत् सामानों के आपूर्ति का विवरण

क्र0सं0	सामानों का विवरण	मात्रा	निविदा दर प्रति	कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1.	ट्यूब राड 40 वाट	5950	34.50	205275.00
		2850	40.50	114000.00
2.	चोक 40 वाट कापर	1800	102.00	183600.00
		1450	132.00	191400.00
3.	स्टार्टर 220 बोल्ट	2700	5.75	15525.00
		1700	8.00	13600.00

1	2	3	4	5
4.	सोडियम बल्ब 70 वाट	3900	188.00	733200.00
		5350	244.00	1305400.00
5.	सोडियम बल्ब 250 वाट	1525	298.00	254450.00
		1535	385.00	590975.00
6.	सोडियम चोक 70 वाट	1803	330.00	594990.00
		2142	385.00	824620.00
7.	सोडियम चोक 250 वाट	783	771.00	603693.00
		940	1037.00	974780.00
8.	इगनाइटर 70/250 वाट थ्री पिन	3983	51.00	203133.00
		5432	86.90	472408.00
9.	एम0एच0 बल्ब 250 वाट	124	703.00	87172.00
		125	880.00	110000.00
10.	एम0एच0 बल्ब 400 वाट	23	703.00	16169.00
11.	एम0एच0 चोक 400 वाट	1	989.00	989.00
12.	मेनस्विच 63 एम्पीयर	90	2695.00	242550.00
13.	मेनस्विच 100 एम्पीयर	50	4985.00	249250.00
14.	एम0एच0 इगनाइटर 250 वाट	1	81.00	81.00
15.	वेदर प्रूफ वायर 2.5 एम0एम0	75 बण्डल	1181.21	88590.00
16.	23/76 वायर	25 बण्डल	709.11	17727.00
17.	6 एम0एम0 वायर सिंगल कोर	200 क्वायल	931.90	186380.00
18.	1/18 एल्यूमिनियम वायर	250 बण्डल	445.51	111377.00
19.	कटाउट 63 एम्पीयर	100	223.00	22300.00
20.	कटाउट 100 एम्पीयर	100	401.11	40111.00
21.	बेस कान्टेक्ट 63 एम्पीयर	250	185.00	46250.00
22.	फाइवर राड 100 एम्पीयर	1	140.00	140.00
23.	फाइवर राड 63 एम्पीयर	1	109.00	109.00
24.	दास्ताना	36	275.00	9900.00
25.	सोडियम होल्डर 250 वाट	500	78.81	39405.00
26.	आमर्ड केबुल 10x4	25 मी0	178.71	4467.00
27.	बांस की सीढ़ी	20	695.99	13919.00
28.	प्लास	36	110.00	3960.00
29.	पेंचकस छोटा	36	35.00	1260.00
30.	पेंचकस बड़ा	36	42.00	1512.00
31.	पेंचकस 828	17	55.00	935.00
32.	कनेक्टर	17	68.00	1156.00
33.	रिंच सेट	17	170.00	2890.00
34.	स्पेनर रिंच	17	325.00	5525.00
35.	एजेस्टेबुल रिंच	17	110.00	1870.00
36.	रेन कोट	57	425.00	24225.00
			योग . .	**88,39,318.00**

वर्ष 2011-2012 में विद्युत् सामानों के आपूर्ति का विवरण

क्र0सं0	समानों का विवरण	मात्रा	निविदा दर प्रति	कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राड 40 वाट	4000	40.00	1,60,000.00
		750	44.00	33,000.00
2.	स्टार्टर 220 बोल्ट	3700	8.00	29,600.00
		450	8.50	3,825.00
3.	कापर चोक 40 वाट	1640	132.00	2,16,480.00
		300	220.00	66,000.00
4.	सोडियम बल्ब 70 वाट	5060	244.00	12,34,640.00
		950	378.00	3,59,100.00
5.	सोडियम चोक 70 वाट	2358	469.00	11,05,902.00
		416	834.00	3,46,944.00
6.	सोडियम बल्ब 250 वाट	1970	385.00	7,58,450.00
		350	448.00	1,56,800.00
7.	सोडियम चोक 250 वाट	758	1037.00	7,86,046.00
		155	1850.00	2,86,750.00
8.	सोडियम इगनाइटर 70/250 वाट थ्री पिन	7450	86.90	6,47,405.00
		525	160.00	84,000.00
9.	60 वाट बल्प पिन टाईप	200	11.00	2,200.00
10.	मेनस्विच 100 एम्पीयर	12	5950.00	71,400.00
11.	मेनस्विच 63 एम्पीयर	18	3115.00	56,070.00
12.	एम0एच0 बल्ब 250 वाट	80	880.00	70,400.00
13.	एम0एच0 बल्ब 400 वाट	107	875.00	93,625.00
14.	एम0एच0 चोक 400 वाट	30	1415.00	42,450.00
15.	आमर्ड केबुल 10x4 एम0एम0	1000 मी0	178.71	1,78,710.00
16.	बेस कान्टेक्ट 63 एम्पीयर	250	185.00	46,250.00
17.	सोडियम होल्डर 70 वाट	100	74.71	7,471.00
18.	6 एम0एम0 तार	60 क्वायल	1070.00	64,200.00
		100 क्वायल	1065.00	1,06,500.00
19.	वेदर प्रूफ 2.5 एम0एम0	37	1325.00	49,025.00
		60	1320.00	79,200.00
20.	पी0सी0सी0 पोल क्लैम्प	250 नग	170.00	42,500.00
21.	बांस की सीढ़ी	25	450.00	11,250.00
		30	950.00	28,500.00
22.	सोडियम होल्डर 250 वाट	250	78.81	19,702.00
		300	113.00	33,900.00
		100	145.00	14,500.00
			योग :	**72,92,795.00**

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-74 का उत्तर पीछे पृ0 सं0 54 पर)

विधान सभा-पयागपुर के अन्तर्गत विकास खण्डवार/ग्राम पंचायतवार स्थाई प्रतीक्षा सूची में अवशेष व्यक्तियों का विवरण।

विकास खण्ड-पयागपुर

क्रम	ग्राम पंचायत का नाम	स्थाई सूची के अनुसार कुल संख्या	वर्ष 11-12 तक लाभान्वित लाभार्थी	अपात्र पाये गये लाभार्थी	सूची में अवशेष
1	2	3	4	5	6
1.	सेमरियांवा	57	25	7	25
2.	पहलवारा	19	13	4	2
3.	पिपरापदास्थ	26	16	2	8
4.	गुरचाही	53	29	5	19
5.	मलिकापुर कलां	62	33	20	9
6.	बनियागांव	22	14	5	3
7.	कोडरीताल	12	9	3	0
8.	कुशभौना	25	19	6	0
9.	सोहरियांवा	99	67	14	18
10.	नरायनपुर	47	39	8	0
11.	मुण्डेरवा टकुराइन	111	41	21	49
12.	चैसार	259	126	95	38
13.	सचौली	299	118	131	50
14.	सुहेलवा	182	142	27	13
15.	पयागपुर	56	33	4	19
16.	अकरौरा	25	25	0	0
17.	नूरपुर	60	57	3	0
18.	तालाब बघैल	99	87	9	3
19.	काशीजोत	41	39	2	0
20.	भगतपुरवा	123	68	6	49
21.	झालातरहर	86	41	17	28
22.	रुकनापुर	115	32	14	69
23.	अन्भापुर	138	124	14	0
24.	ऐलो	27	17	2	8
25.	खजुरी	96	78	18	0
26.	परसिया आलम	63	41	15	7
27.	वैनी	59	49	10	0
28.	हसुवापारा	147	130	17	0
29.	लखाही पुतलीतारा	99	64	11	24
30.	पैड़ी	154	119	22	13
31.	लालपुर	21	12	9	0

1	2	3	4	5	6
32.	शम्भूटिकुरी	118	67	25	26
33.	हटवागोपाल	36	22	9	5
34.	पडरी	42	32	10	0
35.	परना	52	44	8	0
36.	शिवदहा	162	123	35	4
	योग :	**3092**	**1995**	**608**	**489**

विकास खण्ड-विशेश्वरगंज

क्रम	ग्राम पंचायत का नाम	स्थाई सूची के अनुसार कुल संख्या	वर्ष 11-12 तक लाभान्वित लाभार्थी	अपात्र पाये गये लाभार्थी	सूची में अवशेष
1	2	3	4	5	6
1.	बालापुर	76	48	28	0
2.	खजुरार	42	27	15	0
3.	बिलरवा	17	7	10	0
4.	तेदुवा कबीर	7	4	3	0
5.	नेजाभार	25	11	14	0
6.	बसनेरा	35	17	18	0
7.	रनियापुर गोबरही	5	2	3	0
8.	उधरना सरहदी	33	11	22	0
9.	कंछर	57	32	25	0
10.	बुढ़नी भुलैया	39	16	23	0
11.	ललितनगर	45	30	15	0
12.	तकिया	52	47	5	0
13.	भवानीपुर बनकट	66	35	31	0
14.	जोकहा	58	40	18	0
15.	पटना	11	4	7	0
16.	मुडेरवा सरहदी	15	10	5	0
17.	सिसहना	29	19	10	0
18.	लक्खारामपुर	43	5	38	0
19.	गेधरिया	8	3	5	0
20.	कांधभारी	34	26	8	0
21.	खानपुर मल्लोह	19	7	12	0
22.	ठोरिया	17	7	10	0
23.	अमराई	15	13	2	0
24.	अमकोलवा	29	15	14	0
25.	चन्द्रावा	22	7	15	0

1	2	3	4	5	6
26.	खरगौरा जनूब	19	12	7	0
27.	बेलभरिया	14	4	10	0
28.	बालानगर कोडरी	5	5	0	0
29.	राजापुर गिरंट	13	10	3	0
30.	हरदाही	95	31	64	0
31.	सेमरा	47	20	27	0
32.	प्रतापपुर उपरहार	25	9	16	0
33.	गंगा जमुनी	26	4	22	0
34.	बंजरिया	48	35	13	0
35.	बनघुसरा	110	30	80	0
36.	चंदईपुर	44	26	18	0
37.	दिगितपुरवा	18	4	14	0
38.	जैसौरा	11	7	4	0
39.	झूरी कुइंया	46	46	0	0
40.	लखनगोण्डा	28	14	14	0
41.	मनिकापुर	7	4	3	0
42.	प्रतापपुर तरहर	20	11	9	0
43.	शेखापुर	14	7	7	0
44.	डोलकुंआ	6	3	3	0
45.	जलालपुर	15	10	5	0
46.	रानीपुर तिलक	31	7	24	0
47.	चरनिया कोट	29	7	22	0
48.	निगोह	20	12	8	0
49.	पुरैना	11	9	2	0
50.	खरिहा दपौली	34	20	14	0
51.	नेठिया	23	12	11	0
52.	पूरेशिवसहाय	52	2	37	13
53.	बड़ागांव	5	4	1	0
54.	ककरा मो0 पुर	27	17	10	0
55.	कुरसहा	24	11	13	0
56.	मझावा बनकट	143	123	20	0
57.	रमनगरा	2	2	0	0
58.	गुलहरिया	15	3	12	0
59.	बारानिजाम	6	1	5	0
60.	सुनगा	59	26	33	0
	योग :	**1891**	**991**	**887**	**13**

विकास खण्ड-जरवल

क्रम	ग्राम पंचायत का नाम	स्थाई सूची के अनुसार कुल संख्या	वर्ष 11-12 तक लाभान्वित लाभार्थी	अपात्र पाये गये लाभार्थी	सूची में अवशेष
1	2	3	4	5	6
1.	कटका मरौठा	0	0	0	0
2.	पुरैनी	37	12	3	22
3.	भोपतपुर	141	75	6	60
4.	बिराहिमपुर भिलौरा	215	98	20	97
5.	देवीदासपुर	133	72	9	52
6.	दूसरापारा	0	0	0	0
7.	गौर	75	25	9	41
8.	हैदराबाद	114	57	8	49
9.	हडवांटांड	0	0	0	0
10.	लखवापुरबहरैचा	36	11	4	21
11.	मीरपुरकोनिया	41	17	2	22
12.	नरौड़ा	94	69	6	19
13.	रेवलिया	33	8	2	23
14.	सखौता	105	44	5	56
15.	सूसी	0	0	0	0
	योग :	**1024**	**488**	**74**	**462**

विकास खण्ड-हुजूरपुर

क्रम	ग्राम पंचायत का नाम	स्थाई सूची के अनुसार कुल संख्या	वर्ष 11-12 तक लाभान्वित लाभार्थी	अपात्र पाये गये लाभार्थी	सूची में अवशेष
1	2	3	4	5	6
1.	सोनहरा	51	27	8	16
2.	भगरिहा	24	13	1	10
3.	धनपारा	100	48	24	28
4.	खरगापुर	46	24	4	18
5.	चाकूजोत	90	60	30	0
6.	बेहड़ा	40	22	1	17
7.	सेखापुर	43	23	12	8
8.	कटघरी सुग्रीवसिंह	97	49	20	28
9.	जगतापुर	92	50	0	42
10.	सरखना	84	47	8	29
11.	गोबरहा	52	43	9	0
12.	सरवा	84	44	7	33
13.	ऐलिया	45	38	7	0
14.	ताजपुर	41	33	8	0

1	2	3	4	5	6
15.	ज्ञानापुर	37	20	2	15
16.	चिरैयाटांड़	42	22	11	9
17.	हुजूरपुर	27	14	3	10
18.	आदिलपुर	44	22	4	18
19.	विशुनपुरटेढ़ी	31	14	9	8
20.	हमीरपुर छिटकुरी	73	36	24	13
21.	भाटीकुण्डा	71	39	1	31
22.	यादवपुर मटेहिया	49	23	20	6
23.	बरुही	46	23	8	15
24.	भैसहा	51	27	5	19
25.	जिगनियामहिपालसिंह	136	70	31	35
26.	मोगलहा	55	41	14	0
27.	निंदूरा	126	75	9	42
28.	भानपुर	53	26	8	19
29.	सदियाबाद	74	59	15	0
30.	जिगनियाछत्रपालसिंह	46	24	3	19
31.	धर्मपुर	31	16	4	11
32.	कलुवापुर	57	31	8	18
33.	रामपुर	75	37	13	25
34.	निबुईकलां	37	19	8	10
35.	दुर्गपुर	39	21	6	12
36.	बीरगांव (रमवापुर)	68	34	10	24
37.	चिलहरिया	52	29	1	22
38.	सिंहपुर	87	79	8	0
39.	कटघरा कलां	53	25	15	13
40.	त्रिकोलिया	79	39	33	7
41.	सहसलमपुर	37	28	9	0
42.	कनेरा	61	32	3	26
43.	मोहम्मदपुर	30	16	0	14
44.	बुलहा	56	51	5	0
45.	गोड़रिया	59	32	5	22
46.	बड़ागांव	40	21	5	14
47.	नसरापुर	30	16	2	12
48.	सुर्जना कलां	59	29	11	19
49.	हरिहरपुर	39	21	2	16
50.	गोकुलपुर	71	38	3	30
51.	इमलिया	16	8	0	8
52.	रत्तापुर	63	26	26	11

1	2	3	4	5	6
53.	भेड़ियारी	86	42	25	19
54.	पूरैजैता	101	53	22	26
55.	सिरौला	106	55	15	36
56.	बौवा	116	61	5	50
57.	भंगहा	107	57	4	46
58.	नकहरा अब्बोपुर	42	33	9	0
59.	गुदुवापुर	17	17	0	0
60.	बसन्तपुर	131	73	16	42
61.	नेवासी	75	39	8	28
	योग :	**3770**	**2134**	**587**	**1049**

विकास खण्ड-कैसरगंज

क्रम	ग्राम पंचायत का नाम	स्थाई सूची के अनुसार कुल संख्या	वर्ष 11-12 तक लाभान्वित लाभार्थी	अपात्र पाये गये लाभार्थी	सूची में अवशेष
1	2	3	4	5	6
1.	सुतौली	89	34	0	55
2.	इटहुआ	129	57	4	68
3.	उमरी	83	31	0	52
4.	सलारपुर	175	60	9	106
5.	बिबियापारा	60	23	2	35
6.	नकौड़ा	132	51	2	79
7.	रुकनापुर खुर्द	53	12	2	39
8.	चकसौगहना	95	36	2	57
9.	परसेण्डी	101	41	4	56
10.	रायगढ़ बेहणा	272	92	10	170
11.	भकला	3	1	0	2
12.	बांसगांव	69	26	4	39
13.	गुलहरिया गाजीपुर	144	56	3	85
14.	करैला शहबाजपुर	71	33	4	34
15.	अलहियापुर	96	39	4	53
	योग :	**1572**	**592**	**50**	**930**

पी0एस0यू0पी0-199 विधान सभा-01-10-2012-813 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।